गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2019-20

OUR BLUE OCEAN STRATEGY

विषय सूची

अध्यक्ष का वक्तव्य	03
जीआरएसई एक नजर में	06
निदेशक मंडल	08
हमारी मूल्य प्रणाली	11
प्रतिस्पर्धी ताकतें	12
हमारी सुविधाएं	14
हमारा व्यवसाय	16
निगमित सूचना	19
10 वर्ष की मुख्य वित्तीय बातें	20
निदेशक रिपोर्ट	21
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	60
निगमित शासन पर रिपोर्ट	65
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	87
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	97
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	105
तुलन पत्र	106
लाभ एवं हानि विवरण	107
नकदी प्रवाह विवरण	108
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	110
वित्तीय टिप्पणियाँ	111
सूचना	149

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

लोकसभा / राज्यसभा के पटल

पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

दूरदर्शिता

युद्धपोत निर्माण में विश्व में अग्रणी बनना।

लक्ष्य

डिजाइन सक्षमता में आत्मनिर्भर बनना और अत्याधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाएँ स्थापित करना।

प्रतियोगी मूल्यों पर गुणवता वाले युद्धपोतों का निर्माण, समय पर डिलीवरी और उत्पाद सहयोग द्वारा ग्राहकों की आकांक्षा से अधिक की पूर्ति

ग्राहक संतुष्टि, उत्पाद नवीकरण, निर्यात संभावना पर पकड़ और कर्मचारी संतुष्टि के माध्यम से सतत विकास करना

निगमित उद्देश्य

एक आत्मनिर्भर डिजाइन हाउस स्थापित करना।

उत्पादकता में सुधार

गुणवत्ता में सुधार

पोत प्रभाग हेतु क्यूएमएस और आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण

पोत मरम्मत व्यावसायिक उद्यम और लाभ केन्द्र के रूप में

संगठित विपणन प्रयासों के द्वारा व्यावसायिक विकास

डेक मशीनरी मदों, पोर्टेबल स्टील ब्रिजों और डीजल इजनों का विपणन

विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करना

जीआरएसई ब्रांड का निर्माण

मैटीरियल मैनेजमेंट व सप्लाई चेन मैनेजमेंट

मानव संसाधन विकास

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड की 104 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

यह कंपनी के इतिहास की पहली वार्षिक आम बैठक है जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई है और मैं आपकी भागीदारी के लिए आभारी हूं तथा हमारे सभी सम्मानित निवेशकों द्वारा हमारी कंपनी में उनके विश्वास जो गत वर्ष की अपेक्षा बाजार पूंजीकरण में वृद्धि से परिलक्षित है, के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

कोविड 19 महामारी

विश्व कोविड 19 महामारी के अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है और हम इस सबसे बड़े संकट जिसे हमने अपने जीवनकाल में पहले कभी नहीं देखा था, के मध्य में अपनी कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। महामारी ने पूरी मानवता को प्रभावित किया है और विश्व को एक आर्थिक मंदी के दौर में ला दिया है तथा दुनिया भर में विभिन्न व्यापारों को बाधित किया है। हालांकि, मेरा मानना है कि किसी भी अन्य चुनौती की तरह, वर्तमान चुनौती भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ नया करने और अलग सोचने का अवसर लाई है। यह समय पुनर्मूल्यांकन करने, पुनर्परिभाषित करने एवं कार्य करने के नए तरीकों की खोज करने पर पुनर्विचार करने का है। हमें नए सामान्य के साथ सुधार, रूपांतरण और प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।

सेल्फ रिलायंस - आत्म - निर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता

स्वदेशी विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्धता हमारे रक्षा बलों की लड़ाकू तत्परता के बड़े उद्देश्य का विषय है। भारत सरकार इस दिशा में कई पहल और नीतिगत निर्णयों के साथ आत्मनिर्भर भारत को काफी प्रोत्साहन दे रही है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में घोषित आगामी पांच वर्षों के आयात की नकारात्मक सूची में 101 मदें शामिल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के युद्धपोत भी शामिल हैं जो केवल भारत में निर्मित होंगे, यह भारतीय पोत निर्माण उद्योग के लिए अच्छी बात है।

रक्षा पोत निर्माण खंड, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की इस दशक में महत्वाकांक्षी पोत अधिग्रहण योजना के कारण प्रोमिसिंग दिख रही है। यह युद्धपोतों के विभिन्न वर्ग के लिए कई आरएफपी के रूप में परिलक्षित होता है जो पिछले एक साल के दौरान जारी हुई हैं और निकट भविष्य में और अधिक होने की उम्मीद है। आपकी कंपनी इन सभी आरएफ़पी का जवाब दे रही है। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण वेसल्स (बड़े) और एएसडब्ल्यू- एसडब्ल्यूसी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली पर प्रमुख आदेशों को जीतने के पश्चात, जीआरएसई की तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा हमें भविष्य की बोलियों में भी अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगी।

आपकी कंपनी ने युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भर में नए बेंचमार्क स्थापित करना जारी रखा है। जीआरएसई ने अब तक मैरीटाइम बलों को 105 युद्धपोतों की डिलीवरी का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें फरवरी 2020 में भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित एंटी सबमरीन वारफेयर कोर्वेट (एएसडब्ल्यूसी) कार्यक्रम का 4वां व अंतिम पोत शामिल है। जीआरएसई द्वारा निर्मित कोमोर्टा श्रेणी के एएसडब्ल्यू, देश में निर्मित ऐसी पहली युद्धपोत हैं जिसमें स्वदेशी विकसित युद्धपोत ग्रेड स्टील डीएमआर एवं 49 ए का प्रयोग हुआ और अंततः 90% समग्र स्वदेशी सामग्री प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ। जीआरएसई द्वारा इनहाउस डिज़ाइन किए गए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) पोतों ने भी पोत पर 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री के समान विशिष्टता को प्राप्त किया है। आपकी कंपनी ने 7 ऐसे एलसीयू एमके IV पोतों को भारतीय नौसेना को डिलीवर कर चुका है और 8वां एवं अंतिम बहुत जल्द डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है।

हमारी ताकत

शिपयार्ड के पास अगले 6-7 वर्षों में भारतीय नौसेना के 15 युद्धपोतों के निर्माण के लिए एक मजबूत आदेश पुस्तिका है, जो 03 परियोजनाएं

स्टेल्थ फ्रिगेट्स (पी17ए), सर्वे वेसल (बड़े) एवं एएसडबल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडबल्यू-एसडबल्यूसी) से संबंधित है। ऐसे जटिल युद्धपोतों के समवर्ती निर्माण को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी शिपयार्ड के बॉटम लाइन की बेहतरी हेतु अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, बुनियादी ढांचे और लागत प्रभावी उपायों को मजबूत कर रही है, जो कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर लगातार प्रतिबिंबित हो रही है।

उद्योग 4.0 प्रथाएँ

नवीनतम तकनीकों के साथ तारतम्य मिलाते हुए हमारी रणनीतियां स्वचालन में स्पार्क्ड नवाचारों, रोबोटिक्स और औद्योगिक इंटरनेट वस्तुओं के साथ स्मार्ट निर्माण के आसपास (उद्योग 4.0) घूमती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योर कनेक्टिविटी के नव प्रयोग से रियल टाइम मॉनीटरिंग, कंट्रोल और ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ प्रोसेस, रिसोर्सेज और सिस्टम के जरिए वर्कलोड कंसॉलिडेशन को डिज़ाइन, प्लानिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भविष्य में कंपनी की सभी यूनिटों में महत्वपूर्ण रूप से सक्षम करेगा।

डिजाइन उत्कृष्टता और अनुसंधान एवं विकास

जीआरएसई की इन-हाउस डिजाइन क्षमताएं वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं के लिए विभिन्न अवधारणा डिजाइन विकसित करने की दिशा में काम करने वाली बहु-अनुशासनात्मक 100 प्लस सदस्यों की डिजाइन टीम एक प्रमुख ताकत हैं। अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी लैब के शुभारंभ ने आगे हमारी डिजाइन क्षमताओं को और अधिक बल दिया है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली में जीते गए सर्वेक्षण वेसल्स (लार्ज) और एएसडब्ल्यू (एसडब्ल्यूसी) की चल रही दोनों परियोजनाओं की पूरी डिजाइन हमारे डिजाइन टीम द्वारा इन-हाउस की जा रही है। आपकी कंपनी के डिजाइन एवं आर एंड डी विभाग को अपने प्रयासों को और बढ़ावा तब मिला जब इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ।

आपकी कंपनी का बेली ब्रिज डिवीजन नए उत्पादों को डिजाइन करने और विकसित करने के अपने आरएंडडी प्रयासों में शिप डिवीजन के साथ तालमेल बनाए हुए है। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस डिवीजन ने तीन नए उत्पादों का विकसित करते हुए उनका सफल परीक्षण पूरा किया जिसमें भारतीय सेना के लिए 30 फीट पोर्टेबल पेडेसट्रियन असाल्ट ब्रिज जो कि हल्के वजन के समग्र कार्बन फाइबर सामग्री से बना है, 140 फीट डबल लेन (7.50 मीटर चौड़ा) और 190 फीट सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज, दोनों में 70आर वर्ग भार क्षमता और 7 फीट का पैनल बनाया गया है।

“आपकी कंपनी ने युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भर में नए बेंचमार्क स्थापित करना जारी रखा है। जीआरएसई ने अब तक मैरीटाइम बलों को 105 युद्धपोतों की डिलीवरी का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें फरवरी 2020 में भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित एंटी सबमरीन वारफेयर कोर्वेट (एएसडब्ल्यूसी) कार्यक्रम का 4वां व अंतिम पोत शामिल है।

क्षमता निर्माण

हमारी मेन यूनिट में सुविधाओं के आधुनिकीकरण के पश्चात, द्वितीय चरण में 20 युद्धपोतों के समवर्ती निर्माण की क्षमता हासिल करने के पश्चात, हम अब राजाबगान डॉकयार्ड यूनिट में क्षमता निर्माण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह 31.5 एकड़ यूनिट छोटे और मध्यम आकार के प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए एक बड़ी क्षमता का वादा करती है। अगले 3-4 वर्षों में आपकी कंपनी की समग्र क्षमता 24 युद्धपोतों के निर्माण की क्षमता में बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्री बुनियादी ढांचे और अन्य संबद्ध पोत निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, संवर्धित और कायाकल्प किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह के तहत, आरबीडी यूनिट में एक अत्याधुनिक स्वदेशी सीएनसी अंडरवाटर प्लाज़्मा प्लेट काटने की मशीन और दो आधुनिक हल ब्लॉक फैब्रिकेशन कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 10 अगस्त 2020 को किया गया। आरबीडी में ये दोनों सुविधाएं शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी।

मानव पूंजी

जीआरएसई में हम समर्पित और अनुभवी कर्मचारियों की एक सशक्त टीम द्वारा संचालित होते हैं जो हमारे मूल मूल्यों और कंपनी के दृष्टिकोण के साथ समर्पित हैं। योग्यता निर्माण, प्रबंधकों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए विकसित करना और उन्हें उद्योग 4.0 के उपकरणों के माध्यम से नई विघटनकारी प्रबंधन तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाना हमारे एचआर पहलों का नया केंद्र है।

हमारा निष्पादन

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का निष्पादन लगातार मजबूत रहा। प्रचालन से राजस्व में 3.38% की वृद्धि दर्ज हुई जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के ₹ 1,386.42 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 1,433.30 करोड़ रही और कर के पश्चात लाभ में भी 48.70% की वृद्धि हुई है जो ₹ 109.94 करोड़ की तुलना में ` 163.48 करोड़ है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने 10/- रु. अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए अब तक उच्चतम 71.40% का लाभांश घोषित किया है। आपकी कंपनी ने पहले ही प्रति इक्विटी शेयर में 57.40% का अंतरिम लाभांश दिया है। बोर्ड ने इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात ₹ 10 / - के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 14% के अंतिम लाभांश के भुगतान की भी सिफारिश की है।

निर्यात पर जोर

780 से अधिक जलयानों जिसमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए विस्तृत सरणी के युद्धपोत शामिल हैं, के निर्माण और डिलीवरी का अनुभव रखने वाली जीआरएसई में अपने वैश्विक उपस्थिति के विस्तार के लिए निर्यात के अवसरों को तलाशने का सामर्थ्य है। इस ओर, हम निर्यात पर ज़ोर दे रहे हैं और विपणन रणनीतियों को गतिशील वैश्विक वातावरण के साथ मेल खाने के लिए पुनर्निर्मित कर रहे हैं।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने की अपनी आकांक्षा के साथ, आपकी कंपनी ने मैसर्स कोंग्स्बर्ग, स्वीडन के साथ समुद्री जलयानों की प्रोपलशन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले वॉटर जेट के निर्माण एवं असेंबली हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमने मैसर्स बीईआरडी, पुर्तगाल के साथ भी भारत में अगली पीढ़ी के मॉड्यूलर पोर्टेबल पुल समाधान के निर्माण हेतु डिजाइन सहयोग के अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध

जीआरएसई सचेत रूप से अपने संचालन क्षेत्र के आसपास एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में लगी हुई है और व्यापार साझेदारी विकसित करने और एमएसएमई विक्रेताओं की सहायता के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है जिससे देश तथा मित्र राष्ट्रों के लिए समुद्री और इंजीनियरिंग उत्पादों को डिलीवर किया जा सके।

पूर्वी क्षेत्र में और पूरे भारत में वेंडर बेस विकसित करने पर हमारा निरंतर जोर इस प्रकार बना हुआ है कि नियमित वेंडर मीट और इंटरैक्शन के माध्यम से मौजूदा और संभावित व्यापारिक साझेदारों के साथ रणनीतिक जुड़ाव के कारण हमारे वेंडर बेस में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान, हमने एमएसएमई विक्रेताओं से कुल खरीद का 38% हासिल किया है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% की न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक है।

कौशल विकास हमारे सीएसआर उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपकी कंपनी युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों में सुधार लाने और कौशल अंतराल को पाटने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करके कौशल भारत मिशन के अनुरूप कौशल विकास की दिशा में व्यापक कार्य करना जारी रखी है। यह वार्षिक रिपोर्ट हमारी पहली व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट के साथ भी है जो हमारी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने हमारे सीएसआर परिव्यय के तहत विभिन्न सामाजिक विकास पहलों के लिए 221 लाख रु. खर्च किए।

> **“ अगले 3-4 वर्षों में आपकी कंपनी की समग्र क्षमता 24 युद्धपोतों के निर्माण की क्षमता में बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्री बुनियादी ढांचे और अन्य संबद्ध पोत निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, संवर्धित और कायाकल्प किया जा रहा है।**

समापन टिप्पणी

मैं इसके साथ समापन करना चाहूंगा कि हम वर्षों से प्राप्त अपनी परिचालन क्षमताओं, जीआरएसई की ब्रांड इक्विटी, एक स्वस्थ बैलेंस शीट और हमारी समर्पित टीम जीआरएसई द्वारा सुगम किए गए एक बड़े परिवर्तन की कगार पर हैं। हम परिवर्तन के लिए जुनून के साथ आगे बढ़ने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ हैं।

मैं रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार प्राधिकरणों तथा भारतीय नौसेना और तट रक्षक प्राधिकरणों को हमारे प्रति उनकी सतत विश्वसनीयता एवं भरोसे हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर मैं हमारे सभी सम्मानित शेयरधारकों को भी उनके धैर्यतापूर्ण विश्वास एवं भरोसा जो उन्होंने हमारे प्रति दिखाया है, के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। अंततः मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करने में उनके समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए तथा निदेशक मण्डल को भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने कंपनी को त्वरित विकास के मार्ग पर लाने के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन किया है।

जय हिन्द,

वी के सक्सेना
रियर एडमिरल भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जीआरएसई एक नजर में

जीआरएसई भारतीय रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की पोत निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। जीआरएसई एक विविध, लाभकारी और लाभांश देने वाली कंपनी है तथा युद्धपोत निर्यात करने एवं भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को 100 युद्धपोतों को डिलीवर करने वाला देश की प्रथम शिपयार्ड है।

पोत निर्माण

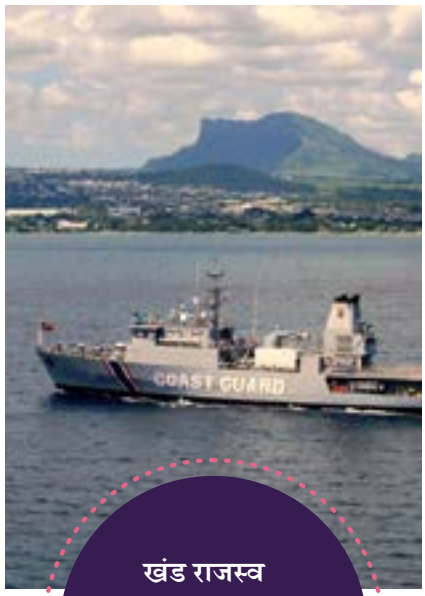

खंड राजस्व
₹1,345
करोड़

वर्तमान में जीआरएसई में पोत निर्माण के लिए 3 पृथक केंद्र हैं तथा ये सभी एकदूसरे के निकट कोलकता में स्थित हैं। पोत मेन वर्क्स यूनिट और राजाबगान डॉकयार्ड में बनाए जाते हैं।

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए युद्धपोतों/ जलयानों के निर्माण करता है तथा तटीय सुरक्षा के लिए एमएचए और राज्य सरकारों के लिए इंटरसेप्टर नौकाएं भी बनाता हैं।

इंजीनियरिंग

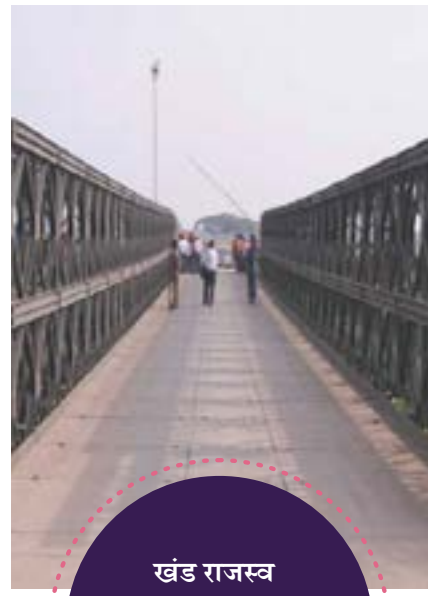

खंड राजस्व
₹35.28
करोड़

हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के उत्पादो में शामिल हैं पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें और मरीन पंप। वर्ष 1970 में जीआरएसई में इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना मुख्य रूप से परिष्कृत डेक मशीनरी मदों के स्वदेशीकरण के लिए हुई थी।

डीजल इंजन संयंत्र

खंड राजस्व
₹44.11
करोड़

रांची में स्थित डीजल इंजन प्लांट (डीईपी) मरीन प्रोपल्शन इंजनों के परीक्षण और ओवरहॉलिंग और डीजल इंजनों की सेमी नाक्ट डाउन इकाइयों की असेंबली में लगा हुआ है जबकि इंजीनियरिंग सेगमेंट पोर्टेबल स्टील ब्रिज, और पोतों व मरीन पंपों के लिए डेक मशीनरी के निर्माण में लगा हुआ है। डीईपी स्थित इंजन उत्पादन प्रभाग एमटीयू 396-04; एमटीयू 4000; एमटीयू 1163; एवं एमटीयू 538 श्रेणी के डीजल इंजनों की आपूर्ति एवं ओवरहाल करता है। हमारे पास एमटीयू 12 वी /16 वी 4000 एम 90 इंजन की सेमी नॉक डाउन असेंबली और कुछ इंजन भागों के उत्पादन के लिए एमटीयू जर्मनी के साथ एक लाइसेंस समझौता भी है।

निदेशक मंडल

21 जुलाई, 2020 तक के अनुसार

1

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

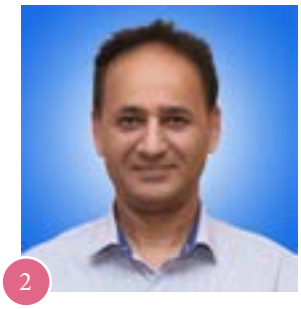

2

श्री अश्वनी कुमार महाजन, आईआररएस
सरकार के नामित नीदेशक

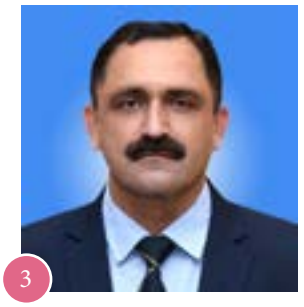

3

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण)

4

कोमोडोर पी आर हरि, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)
(पूर्णकालिक निदेशक)

5

श्री रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त)

6

रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली,
एवीएसएम, वीएसएम भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

7

श्री भारत भूषण
अंशकालिक
गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

8

श्रीमती कंवलजीत देओल, आईपीएस (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

9

डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी
(स्वतंत्र) निदेशक

1

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) जिनके पास तैंतीस (33) वर्ष से अधिक का अनुभव है, की नियुक्ति 1 मार्च 2017 से कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हुई और वे कम्पनी के समग्र प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। जीआरएसई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) पूरा करने के पश्चात भारतीय नौसेना में 05 मार्च, 1985 से इकत्तीस वर्षों (31) से अधिक की कमीशंड सेवा की है। उनके पास मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी है। उनके पास भारतीय नौसेना के विभिन्न संगठनों में कार्य करने का विविध अनुभव एवं एक्सपोजर है जिसमें ऑन बोर्ड फ्रंटलाइन युद्धपोतों, नेवल डॉकयार्डों, युद्धपोत अधिग्रहण एवं निर्माण कार्यक्रमों में प्रचालनात्मक नियुक्ति और भारतीय नौसेना के मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए शीर्ष स्तर पर परियोजना प्रबंधन शामिल है। नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक (पोत उत्पादन) के रूप में उन्होंने भारतीय शिपयार्ड (डीपीएसयू एवं निजी) और विदेशी शिपयार्ड, दोनों में कई युद्धपोतों के निर्माण के लिए कई प्रमुख अनुबंधों का प्रबंधन करते हुए पोत निर्माण के विभिन्न पहलुओं को संभाला है।

2

श्री अश्विनी कुमार महाजन, आईआरएस
सरकार द्वारा नामित निदेशक

अश्विनी कुमार महाजन 02 अप्रैल 2016 को हमारी कंपनी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। उनके पास मेडिकल कॉलेज, अमृतसर से बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री है। वे भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) कैडर के हैं और पूर्व में आयकर विभाग में कार्य कर कर चुके हैं। उनके पास 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वर्तमान में वे रक्षा मंत्रालय, वित्त में अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव हैं।

3

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण)

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त), जिनके पास 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है, ने 16 दिसंबर 2017 को कंपनी के निदेशक (पोत निर्माण) के रूप में कार्यभार संभाला। वे जीआरएसई के पोत निर्माण विभाग का नेतृत्व करते हैं। जीआरएसई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने भारतीय नौसेना में 01 जुलाई, 1982 से पैंतीस वर्षों (35) से अधिक की कमीशंड सेवा की है। उनके पास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ़ साइंस और बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी की डिग्री है। उन्होंने आईआईटी, दिल्ली से मैकेनिकल उपकरणों के डिजाइन में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर की उपाधि प्राप्त की।

4

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक) (पूर्णकालिक निदेशक)

कमोडोर पी आर हरि, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) जिनके पास 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है, ने 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला और जीआरएसई के मानव संसाधन एवं तकनीकी कार्यों का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना में अट्ठाईस वर्षों (28) से अधिक की कमीशंड सेवा की है जिसमें ऑनबोर्ड युद्धपोतों, नेवल रिपेयर संगठनों एवं विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का विविध अनुभव है। उनके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। वे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एवं नेवल वार कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं।

5

श्री रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त)

श्री रमेश कुमार दाश इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सम्बद्ध सदस्य, कॉमर्स में मास्टर एवं विधि स्नातक हैं। जीआरएसई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री दाश एचएएल, बंगलोर में कार्यरत थे। उनके पास वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने का करीब 28 वर्षों का अनुभव है। श्री रमेश कुमार दाश नें गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ के रूप में 01 जुलाई, 2020 को पदभार संभाला।

6

रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, भा.नौ. एवीएसएम वीएसएम (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

इंदर पॉल सिंह बाली, एवीएसएम, वीएसएम, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) के पास भारतीय नौसेना एवं रक्षा मंत्रालय में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है। रियर एडमिरल बाली की नियुक्ति 09 मार्च, 2018 को कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में हुई। अपने करियर के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना में प्रशासन, नीति निर्धारण एवं निष्पादन, तकनीकी उन्नयन एवं कार्यान्वयन, उत्पादन कार्य क्षेत्रों का प्रबंधन के साथ ही मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन में अनेक वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों को धारित किया है। उनके पास एनआईटीएसआरआई से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) की डिग्री तथा इंस्टिच्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स, इंडिया से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है। वे नेवल वार कॉलेज (मुंबई) के पूर्व छात्र हैं तथा उनके पास आईआईटी दिल्ली से कम्यूनिकेशन एंड रडार इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी की डिग्री भी है। उन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति से पेशेवर उत्कृष्टता एवं सेवा में असाधारण योगदान हेतु प्रतिष्ठित अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) एवं विशिष्ट सेवा मेडल (वीएसएम) से सम्मानित किया जा चुका है।

निदेशक मंडल

21 जुलाई 2020 तक के अनुसार

7

श्री भारत भूषण

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री भारत भूषण के पास अभ्यासरत चार्टरित लेखाकर के रूप में 38 वर्ष से अधिक का अनुभव है, तथा उनकी नियुक्ति 15 सितम्बर 2017 को जीआरएसई के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में हुई। उनके पास पंजाबी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्येता सदस्य हैं। उन्होंने इन्फोर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। भूषण 2004 से चंडी वाला विरमानी एंड एसोसिएट्स में एक पार्टनर है।

8

सुश्री कंवलजीत देओल, आईपीएस (सेवानिवृत्त)

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्रीमती कंवलजीत देओल को जीआरएसई की अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में 15 सितम्बर 2017 को नियुक्त किया गया। उनके पास पंजाब विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर की डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री है। उन्होंने 1977 में भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) में नियुक्त किया गया और उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का भार सोंपा गया था। आईपीएस अधिकारी के रूप में अपनी 38 वर्षों की सेवा के दौरान, उन्हें दिल्ली , गोवा और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया तथा उन्होंने भारत और विदेशों में पुलिसिंग, सतर्कता, सड़क यातायात और परिवहन और मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने लोकसभा में संसद सुरक्षा के अपर सचिव के रूप में भी कार्य किया है। 2010 में उन्होंने पुलिस महानिदेशक के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य की पुलिस बल का नेतृत्व किया। दिसंबर 2012 में उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की प्रभारी महानिदेशक, जांच के रूप में नियुक्त किया गया तथा इसी पद से वो 31 अक्तूबर 2014 को सेवानिवृत्त हुईं।

9

डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी

(स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. बिश्वप्रिय रॉयचौधुरी की नियुक्ति 15 अगस्त 2018 को जीआरएसई के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में हुई। वे पेशे से एक होमिओपैथिक डॉक्टर हैं।

हमारी मूल्य प्रणाली

सभी स्थितियों में संगठनात्मक व्यवहार को निर्देशित करने के लिए जीआरएसई ने एक मूल्य प्रणाली विकसित की है और उससे सम्बंधित मूल्यों को अपनाया है।

निष्पक्षता

जीआरएसई अपने विक्रेताओं, स्वतंत्र ठेकेदारों, व्यापार भागीदारों और ग्राहकों को अपने साथ बार-बार व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से स्वयं को निष्पक्ष व्यवहार की एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाना चाहता है। कंपनी अपने आंतरिक और बाहरी व्यवहार में पूर्ण पारदर्शिता लाने के पथ पर मजबूती से अग्रसर है।

उदारता

उदारता का अर्थ है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य कंपनी की सफलता में भाग ले। पुरस्कार और मान्यता जीवन का एक अभिन्न अंग है, इससे कर्मचारी में प्रेरणा व निष्ठा बढ़ती है जिससे हम उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं।

उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर

कंपनी अपनी पिछली उपलब्धियों से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहती अपितु वह लगातार बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की कोशिश करती है, लगातार ग्राहक संतुष्टि में सुधार करती है, परिचालन क्षमता को उन्नत करती है और संगठन में सभी की उत्पादकता को बढ़ाती है। इस मूल्य पर जोर आंशिक रूप से निकट भविष्य में व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक से प्रेरित है।

सामाजिक भागीदारी

जीआरएसई की योजना अपने प्रचालन स्थल के आस पास के समुदाय व समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने की है।

नवोन्मेष

व्यापार में नवोन्मेषक लगातार उभरती हुई ग्राहक जरूरतों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम समाधान डिजाइन कर रहे हैं। नवोन्मेष द्वारा कंपनी अपने ग्राहकों के लिए नए जीवन मूल्य निर्मित करती हैं निरंतर नवाचार नवोन्मेष से निगम को बढ़ती प्रति स्पर्धा में आगे बने रहने में मदद मिलती है क्योंकि वो प्रतियोगियों से पहले उभरते अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। जीआरएसई ने इस मूल्य प्रणाली को अपने वर्तमान और भविष्य के कार्यों में दृढ़ता से लागू करने की योजना बनाई है।

कर्मचारी कल्याण चिंता

कर्मचारी अपने करियर को पैसा कमाने के एक साधन से कहीं अधिक के रूप में देखते हैं। वे ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जिसे सच में उनकी परवाह हो। कर्मचारी चाहते हैं कि पर्यवेक्षक उनके विचारों और चिंताओं को सुनें। वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा कैरियर मार्ग मिले जिसमें वे सीखते रहें, नए कौशल प्राप्त कर सकें और संगठन के साथ आगे बढ़ सकें। संगठन के सभी स्तर के प्रबन्धक चाहते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन प्रौद्योगिक, मानव और धन संसाधनों की आवश्यकता है, उनकी आपूर्ति की जाए। जीआरएसई की इस मूल्य प्रणाली को अपने भविष्य में भी जारी रखने की योजना है।

प्रतियोगी ताकत

गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलीवरी हेतु आधुनिक विनिर्माण मंच एवं एकीकृत पोत निर्माण सुविधाएं

जीआरएसई की विशाल तकनीकी विशेषज्ञता के साथ नवोन्नत सुविधाएं, कंपनी को अन्य रक्षा शिपयार्डों पर महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं सूचना प्रोद्योगिकी के अंगीकरण से अपने विनिर्माण एवं अन्य कार्यात्मक प्रक्रियायों में महत्वपूर्ण सुधार किया है। कंपनी अपनी सुविधाओं में आठ बड़े पोत एवं बारह माध्यम/छोटे पोतों का निर्माण एक साथ कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने नए हल शॉप, मेगा ब्लॉक इंटीग्रेशन हेतु मॉड्यूल शॉप, ड्राई डॉक एवं बिल्डिंग बर्थ का निर्माण किया है।

केंद्रीय डिजाइन कार्यालय

जीआरएसई के पास एक समर्पित केंद्रीय डिजाइन कार्यालय (सीडीओ) है जहाँ 100 सदस्यों की अत्याधिक कुशल वर्कफोर्स डिजाइन, अनुसंधान और विकास का कार्य करते है। सीडीओ टीम विभिन्न सॉफ्टवेयरों का उपयोग करती है, जिसमें अवीवा मरीन, नेवल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए एनएपीए, ड्राफ्टिंग कार्य के लिए ऑटोकैड और संरचनात्मक विश्लेषण हेतु अन्य सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सीडीओ की इस समर्पित टीम ने कई जटिल युद्धपोत डिजाइनों को अंजाम देने के लिए अभिनव उपाय खोजे हैं। यह अपने ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पाद अवधारणा, डिजाइन, सिस्टम एकीकरण और परियोजना प्रबंधन में एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करती है।

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ मजबूत एवं स्थापित संबंध

आईएनएस अजय 1961 में भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत था तब से कंपनी ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ संबंध स्थापित कर रखें हैं। 30 मार्च 2019 तक कंपनी ने भारतीय नौसेना को 67 पोत और भारतीय तटरक्षक को 32 पोत डिलीवर किया है।

मजबूत आदेश पुस्तिका

31 मार्च 2019 तक के अनुसार कंपनी की आदेश पुस्तिका ₹ 21,644 करोड़ की थी। जिसमें पोतनिर्माण प्रभाग के लिए ₹ 21,344 करोड़ और इंजीनियरिंग एवं इंजन प्रभाग के लिए ₹ 300 करोड़ के आदेश शामिल हैं। कंपनी को 31 मार्च 2019 के पश्चात, 29 अप्रैल 2019 को 8 एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के लिए ₹ 6311 करोड़ का आदेश भी प्राप्त हुआ है।

व्यापार विविधता

पोत निर्माण के लिए मुख्य विनिर्माण गतिविधियों के अलावा, कंपनी अपने ग्राहकों को पोर्टेबल ब्रिज, डेक मशीनरी मदें, पंप और इंजन सहित विविध उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पास एक समर्पित डेक मशीनरी उपकरण सुविधा या एक इंजन असेंबलिंग और परीक्षण सुविधा है, ये दोनों पोत निर्माण और परीक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन है जो कंपनी को तृतीय पक्षों पर निर्भर न होने के कारण अधिक कुशल तरीके से पोतों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है।

अनुभवी कार्यबल

कंपनी के पास उसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम सहित एक योग्य और अनुभवी कार्यबल है, जिसमें तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। उनके पास पोत निर्माण, डिजाइन और इंजीनियरिंग, आदेश प्रबंधन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और बिक्री पश्चात सेवाओं में व्यापक अनभुव है। कंपनी के पास अनुभवी इंजीनियरों का एक बड़ा समूह भी है। 31 जुलाई 2018 तक, कुल कर्मचारियों में से 21.30% इंजीनियर थे।

मेक इन इंडिया पहल

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों के निर्माण के अनुबंध को हासिल करने में वैश्विक शिपयार्ड पर कंपनी का एक फायदा है : यह डीपीपी के तहत 'मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है। 'मेक इन इंडिया' पहल से स्वदेशी निर्माताओं को घरेलू बाजार मेंआपर्ति करते समय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। एमओडी ने पंजी खरीद के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित ("आईडीडीएम") उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक कंपनी के रिपीट ग्राहक हैं, और ये घरेलू बाजार का हिस्सा हैं और इसलिए, कंपनी को कुछ परिस्थितियों में वैश्विक शिपयार्ड पर वरीयता मिलती है।

हमारी सुविधाएं

पोत निर्माण

मेन वर्क्स

मेन वर्क्स जीआरएसई के संचालन का केंद्र है। मेन वर्क्स का केंद्र बिंदु कोलकाता में स्थित एकीकृत पोत निर्माण सुविधा है। लगभग 48 एकड़ भूमि में फैली सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल है :

- 10,000 डीडब्ल्यूटी लॉन्चिंग क्षमता का एक ड्राई डॉक और 4,500 डीडब्ल्यूटी क्षमता का एक इंक्लाइंड बर्थ। इन दोनों में पोर्टेबल शेल्टर भी है। इस संयंत्र में 200 टन तक के बड़े पूर्व -निर्मित ब्लॉक, ब्लास्ट और पेंट सेल, दो अतिरिक्त रिवर जेटी आदि के निर्माण के लिए मॉड्यूल हॉल भी शामिल है।
- 80 × 25 × 8 मीटर के पूरी तरह से ढके हुए गैर-ज्वारीय वेट बेसिन जिनमे 2 × 10 टन ईओटी क्रेन है जो मध्यम और छोटे पोतों के लिए उपयोगी है और 160 × 25 × 8 मीटर ड्राई डॉक जिनमें 2 × 40 टन गोलियाथ क्रेन है जो पोतों के निर्माण और मरम्मत के लिए उपयोगी है। बिल्डिंग बर्थ का माप 180 × 25 मीटर है और यह 2 × 40/10 टन क्रेन और सहायक फैब्रिकेशन शॉप से सुसज्जित है।

दो (2) नदी जेटी जो 60 मीटर तक के जलयानों की बर्थिंग में सक्षम हैं और छोटे जलयानों की आउट-फिटिंग / मरम्मत के लिए अनुकूल हैं।

अतिरिक्त सुविधाएं - फास्ट इंटरसेप्टर बोट के निर्माण के लिए बोट शेड।

दो वातानुकूलित और आर्द्रता-नियंत्रित शॉप जिनकी छः खण्डों वाली 18 से 40 मीटर तक की लंबाई है, जो 20 मीटर तक के क्राफ़्ट बनाने में सक्षम हैं।

फ़िटिंग आउट जेटी

फिटिंग आउट जेटी (एफओजे) कोलकाता,भारत में 18 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। यह पोतों की फिटिंग और मरम्मत के लिए समर्पित है। एफओजे यूनिट में निम्न सुविधाएं शामिल हैं:

- नेवल कॉम्प्लेक्स जेटी (229 x 10 x 8 मीटर, एक 25 टन टॉवर क्रेन के साथ)
- फिंगर जेटी (184.50 x 11.43 x 7 मीटर, एक 15 टन लेवल लफिंग क्रेन के साथ)

हालांकि मुख्यतः ये बड़े पोतों के लिए है परंतु हमारी एफओजे यूनिट छोटे, मध्यम और बड़े पोतों को फिट करने में सक्षम है। यहाँ एक साथ चार (4) बड़े पोतों को फिट किया जा सकता है।

राजाबगान डॉकयार्ड

राजाबगान डॉकयार्ड कोलकाता में 550 मीटर ओपन रिवर फ्रंट के साथ 31.15 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक साथ तीन (3) 50 मीटर-आकार के पोतों का प्री-लॉचं और चार (4) पोतों की पोस्ट-लॉन्च आउटफिटिंग ओपन रिवर के पास कर सकता है। राजाबगान डॉकयार्ड में सुविधाओं में एक (1) ड्राई डॉक शामिल है जो 4 मीटर तक के ड्राफ़्ट पोतों को समायोजित कर सकता है।

पोत निर्माण क्षमताएँ

जीआरएसई का पोत निर्माण प्रभाग मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में ग्राहकों के लिए जलयानों के निर्माण में लगा हुआ है। जीआरएसई द्वारा निर्मित उत्पादों में अधिकांश केंद्र और राज्य सरकारों और ऐसी सरकारों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संस्था में आपूर्ति के लिए हैं। कंपनी के राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोत निर्माण से प्राप्त होता है।

फ्रिगेट

एंटी सबमरीन वारफेयर कोर्वेट

कोर्वेट मिसाइल

लैंडिंग शिप टैंक

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी

सर्वे वेसल

नीचे उल्लेखित पोतनिर्माण उत्पादों के अतिरिक्त, जीआरएसई ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नावों, पोण्टूंस, बार्ज, सेलिंग डिंग्ही, फिशिंग ट्रॉलर, फायर फ्लोट, टग, ड्रेजर, पैसेंजर फेरी, मोटर कटर, डेक व्हेलर, लॉन्च आदि की आपूर्ति अन्य विभिन्न ग्राहकों को भी की है।

फ्लीट टैंकर

ऑफशोर पेट्रोल वेसल

होवर क्राफ्ट

इनशोर पेट्रोल वेसल

वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट

फास्ट इंटरसेप्टर बोट

इंजीनियरिंग

61 पार्क यूनिट

61 पार्क यूनिट भारत के कोलकाता में 11.07 एकड़ भूमि पर स्थित है। 61 पार्क यूनिट पोर्टेबल स्टील ब्रिज उत्पादन करने वाली हमारी मुख्य इकाई है। यहाँ पोत डिजाइन कार्यालय, लागत आकलन और निगमित योजना एवं वाणिज्यिक विभाग भी है।

तारातला यूनिट

तारातला यूनिट: हम अपनी तारातला यूनिट में डेक मशीनरी उप्पादों का निर्माण करते हैं। यह कोलकाता में 3.39 एकड़ पर स्थित है।

तरालता यूनिट सभी प्रकार के डेक मशीनरी उपकरण और नेवल पंप के उत्पादन, संयोजन और परीक्षण में लगी हुई है। डेक मशीनरी यूनिट वर्तमान में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के बड़े पोतों के लिए रेल लेस हेलो ट्रैवर्सिंग प्रणाली की आपूर्ति कर रही है। आपकी कंपनी ने 11 जून 2018 को तरालता यूनिट मं हमारे द्वारा निर्मित पंप के परीक्षण हेतु एक आधुनिक पंप टेस्ट बेड सुविधा का भी उदघाटन हाल में किया हैं

डीजल इंजन संयंत्र

डीईपी, राँची

हम डीईपी में मरीन इंजन की जांच, परीक्षण और ओवरहाल करते हैं। यह संयंत्र 62 एकड़ भूमि पर फैला है और रांची, झारखंड में स्थित है। डीईपी के अलावा, हमारे पास एमटीयू 396, 4000 और 538 श्रृंखला इंजनों के लिए प्रमुख ओवरहाल (डबल्यू6 रूटीन तक) की सुविधाएं भी हैं।

मई 2016 में रांची में डीईपी में पोर्टेबल स्टील ब्रिजों के लिए अतिरिक्त उत्पादन सुविधाएं स्थापित की गई।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना भा. नौ. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर संजीव नैय्यर, भा. नौ. (सेवानिवृत्त)
निदेशक (पोतनिर्माण)

कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ.(सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)
(21 अक्तूबर 2019 से)

रमेश कुमार दाश
निदेशक (वित्त) व सीएफओ
(01 जुलाई 2020 से)

सुरेन्द्र प्रसाद यादव, आईएफ़एस
सरकार द्वारा नामित निदेशक

भारत भूषण
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

कंवलजीत देओल, आई पी एस (सेवानिवृत)
अंशकालिक गैर- सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

रियर एडमिरल इदंर पॉल सिहं बाली,
एवीएसएम, वीएसएम, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. बिश्वप्रिय रॉय चौधुरी
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

असित कुमार नंदा
निदेशक (कार्मिक)
(30 सितंबर 2019 तक)

सर्वजीत सिंह डोगरा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ
(30 जून 2020 तक)

डॉ. अजय भंडारी, आईपीएस (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक गैर- सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक
(20 जुलाई 2020 तक)

अश्वनी कुमार महाजन, आईआरएस
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(29 जुलाई 2020 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री दीपांकर महतो, आईपी एवं टी एएफ़एस

श्री संदीप महापात्र
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

वरिष्ठ प्रबंधन

अरूप रतन पाल
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

सिद्धार्थ राय
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

वेंकटेश मूर्ति
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कमोडोर आर श्रीधरण, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
मुख्य महाप्रबंधक (डिजाइन)

ए के महापात्र
महाप्रबंधक (मानव संसाधन और प्रशासन)

कमांडर बी सेनगुप्ता, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (एफओजे)

डीआईजी सुब्रतो घोष, आईसीजी (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (स्ट्रेटजी, सर्विसेस एवं बेली ब्रिज)

कमांडर ए के महापात्र, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (मेन वर्क्स)

कैप्टन पी सुनीलकुमार, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (सीपी एवं सीसी और डीईपी)

कमांडेंट ए के विश्वास, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (पीपी एंड सी)

गुलशन रतन
महाप्रबंधक (क्यूए और आईई एवं पी)

एस श्रीनिवास
महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन)

कमांडर शांतनु बोस, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (पी-17 ए)

कमांडर बी मिश्रा, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अपर महाप्रबंधक (तारातला यूनिट)

कमांडर एम के विश्वास, भा.नौ. (सेवानिवृत्त)
अपर महाप्रबंधक प्रभारी (आरबीडी)

स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर

श्री गिरीश शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त)
श्री आर कुप्पन, आईआरएसएमई (सेवानिवृत्त)

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
आईडीबीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
पीएनबी
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स ए कयेस एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार

शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स चाणक्य अशोक एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी
अभ्यासरत कंपनी सचिव

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स मऊ बनर्जी एंड कंपनी
लागत लेखाकार

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता - 700 024
सीआईएन नंबर L35111WB1934GO1007891
वेबसाइट : www.grse.in

10 वर्ष की वित्तीय विशेषताएं

(लाख रु. में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वित्तीय स्थिति:										
इक्विटी शेयर पूंजी	12384	12384	12384	12384	12384	12384	12384	11455	11455	11455
आरक्षित एवं अधिशेष	55947	63872	73948	83196	84391	101042	95767	90698	92376	92568
शुद्ध लाभ	68331	76256	86332	95580	96775	113426	108151	102154	103831	104023
नियोजित पँजी	55911	60062	75907	91667	90810	110613	98112	102154	103831	104023
सकल ब्लॉक	29612	30829	42732	53387	56381	56640	60454	47233	39959	43081
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियाँ	17402	17481	27979	36548	36574	34370	35834	38917	30225	30369
कार्यकारी पूंजी	38509	42582	47928	55119	54236	76243	62278	60249	68476	56100
प्रचालन परिणाम:										
बिक्री	54622	54506	46434	30819	230805	30668	22162	23390	14677	12968
उत्पादन मूल्य	105330	129253	152915	161167	161266	166075	92784	134552	137877	142470
संयोजित मूल्य	37868	49613	49609	50463	47702	48182	30018	41923	44217	45578
कर के पूर्व लाभ/(हानि)	16276	16935	19315	18723	7602	24915	2089	12775	17896	22387
कर हेतु प्रावधान	4705	6132	6161	6577	3257	8710	865	3535	6902	6039
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	11571	10803	13154	12146	4345	16205	1223	9240	10994	16348
विनियोजन:										
सीएसआर आरक्षित	228	10			2		94			
सामान्य आरक्षित	1134	1079	1315	1215	435	1607	15619	6065	6,065	6065
इक्विटी पर प्रस्तावित लाभांश	2477	2477	2631	2477	2477	5322	5408	5080	7,961	8179
प्रस्तावित लाभांश पर कर	402	402	447	421	504	1083	1101	1034	1636	1352
अनुपात:										
सकल लाभ/नियोजित पूंजी	0.29	0.28	0.26	0.21	0.08	0.22	0.02	0.13	0.17	0.22
कर से पूर्व लाभ/ उत्पादन (वीओपी)	0.15	0.13	0.13	0.12	0.05	0.15	0.02	0.10	0.13	0.16
उत्पादन (वीओपी)/नियोजित पूंजी	1.88	2.15	2.01	1.76	1.78	1.46	0.86	1.32	1.33	1.37
संयोजित मूल्य/ उत्पादन (वीओपी)	0.36	0.38	0.32	0.31	0.30	0.29	0.34	0.31	0.43	0.44
कर्मचारियों की संख्या	4117	3792	3491	3133	2834	2592	2401	2214	2100	1973

निदेशक रिपोर्ट

परिचालन से कुल राजस्व

₹ 1,433 करोड़

+ 3.38% वर्ष दर वर्ष

कर बाद लाभ

₹ 163 करोड़

+ 48.70% वर्ष दर वर्ष

ईबीआईडीटीए

₹ 255 करोड़

+ 21 % वर्ष दर वर्ष

आदेश पुस्तिका (31.03.2020 तक के अनुसार)

₹ 26,544 करोड़

+ 3.38% वर्ष दर वर्ष

प्रिय शेयरधारक,

अत्यंत हर्ष के साथ हम आपकी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,378.77 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष का कारोबार 1424.70 करोड़ रु. था। कर पूर्व लाभ 223.87 करोड़ रु. था। पिछले वर्ष 178.96 करोड़ रु. की तुलना में 25.10% की वृद्धि दर्ज कर की गई। पिछले वर्ष 109.94 करोड़ रु. की तुलना में 48.70% के सुधार प्राप्ति के साथ शुद्ध लाभ 163.48 करोड़ रु. था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 के लिए संक्षेपित परिचालित परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(करोड रु० में)

विवरण	2019-20	2018-19
उत्पादन का मूल्य	1,424.70	1,378.77
परिचालन से कुल राजस्व	1,433.30	1,386.42
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	255.29	211.15
वित्त लागत	1.34	1.96
छूट के कारण वित्त लागत	-	3.15
मूल्यह्रास	30.09	27.08
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	234.48	181.16
असाधारण वस्तु	(10.61)	(2.20)
कर पूर्व लाभ	223.87	178.96
कर का प्रावधान	60.39	69.02
कर अदायगी के बाद लाभ	163.48	109.94
अन्य व्यापक आय (कुल कर)	(11.86)	(6.37)
कुल व्यापक आय	151.62	103.57

31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रू में)

विवरण	31 मार्च 20 तक के अनुसार	31 मार्च 19 तक के अनुसार
नियोजित पूंजी	1,040.23	1,038.31
सकल खंड	430.81	399.59
शुद्ध खंड	303.69	302.25
कार्यशील पूंजी	561.00	684.76
कुल मूल्य	1,040.23	1,038.31
वर्धित मूल्य	455.78	442.17
उत्पादन का मूल्य	1,424.70	1,378.77
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	234.48	181.16
असाधारण वस्तु	(10.61)	(2.20)
कर पूर्व लाभ	223.87	178.96
अनुपात: (%)		
ब्याज और कर पूर्व लाभ: नियोजित पूंजी (%)	21.65	17.73
कर के बाद लाभ: शुद्ध मूल्य (%)	15.72	10.59
सकल लाभ: पूंजी नियोजित	21.52	17.24
कर पूर्व लाभ: उत्पादन का मूल्य	15.72	12.98
उत्पादन का मूल्य: नियोजित पूंजी	136.96	132.79
विविध देनदार: उत्पादन का मूल्य	37.57	15.94

उत्पादन मूल्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, आपके कंपनी का उत्पादन का मूल्य ('वीओपी') पिछले वर्ष के 1378.77 करोड़ की तुलना में 1424.70 करोड़ प्राप्त किया गया। तीन प्रभागों के लिए तुलनात्मक वीओपी इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पोत डिवीजन	इंजीनियरिंग डिवीज़न	इंजन डिवीजन	कुल
2019-20	1,345.31	35.28	44.11	1,424.70
2018-19	1,337.66	40.64	0.47	1,378.77

कुल आय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 मार्च 20 तक आपके कंपनी का कुल आय पिछले वर्ष 31 मार्च 2019 के 1038.31 करोड़ की तुलना में 1,040.23 करोड़ रू रिपोर्ट किया गया।

मूल्य संवर्धन

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान मूल्य संवर्धन पिछले वर्ष के 442.17 करोड़ रू के मुकाबले 455.78 करोड़ रू था। प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन पिछले वर्ष के 21.06 लाख की तुलना में 23.07 लाख रु० था।

विनियोग

वर्ष 2019-20 में आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों को डिस्पोजेबल अधिशेष से निम्नलिखित विनियोग की सिफारिश करते हुए हर्ष हो रहा हैं :

(करोड़ रू में)

कर पश चात लाभ	163.48
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कुल कर	(11.86)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	151.62
कम:	
पेड-अप कैपिटल पर वित्त वर्ष 2018-19 का लाभांश	58.42
लाभांश वितरण कर	12.00
वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम लाभांश	65.75
अंतरिम लाभांश वितरण कर	13.52
लाभ और हानि के विवरण में शेष राशि	1.93

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय राजकोष में आयकर, लाभांश वितरण कर और जीएसटी के माध्यम से रु. 42.86 करोड़ का योगदान दिया है।

डीआईओ/ आईडीईएक्स में योगदान

कंपनी को रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से नवंबर 2018 में, रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) को रू 10 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के लिए एक पत्र मिला था। तदनुसार, मण्डल ने डीआईओ को रू 356.35 लाख के योगदान की मंजूरी दे दी है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान डीआईओ के भुगतान का तीन वित्तीय वर्षों के तुरंत पूर्ववर्ती के लिए औसत शुद्ध लाभ का 5% था और रू 643.65 लाख के शेष बचे भाग का योगदान आगामी वर्षों में कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रू 356.35 लाख का योगदान मण्डल के अनुमोदन पर किया गया। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय से कंपनी के सामार्थ्य के आधार पर किस्तों में 643.65 लाख रू. का शेष योगदान की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है।

लाभांश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 43 ए के तहत, शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध इकाइयां लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) और डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) द्वारा जारी सेबी (एलओडीआर) विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और दिशानिर्देशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट http://www.grse.in/pdf/investors/GRSE%20-%20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर उपलब्ध है। हालाँकि, आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश को घोषित कर रही है।

19 मार्च 2020 को निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद, आपकी कंपनी ने 10/- के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटि शेयर के लिए 5.74/- रू के प्रति शेयर मूल्य के अंतरिम लाभांश का भुगतान, प्रत्येक शेयरधारक को जो 27 मार्च 2020 तक सदस्यों के रूप में रजिस्टर थे किया गया, इस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि तय की जा रही है। इसके बाद, मण्डल ने 06 जून 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक 10/- रू के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटि शेयर के लिए प्रति शेयर 1.40/- के लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, तो प्रति इक्विटी शेयर 7.14/- रू होगा।

गोलियत क्रेन हादसा

जीआरएसई के मेन वर्क्स यूनिट में पोत निर्माण के बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण किया गया और 2013 के दौरान 605.85 करोड़ रु. की लागत से कमीशन किया गया था। आधुनिक सुविधाओं ने जीआरएसई को आधुनिक 'इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी' को अपनाने में सक्षम किया है, जिसमें पतवार ब्लॉक्स निर्माण के चरण में महत्वपूर्ण पूर्व-निर्माण के साथ बड़े पतवार ब्लॉकों का निर्माण किया जा सकता है।

17 अप्रैल 2018 को, एक 'नियर साइक्लोनिक स्टॉर्म' ने कोलकाता को टक्कर मार दी, और 250 टन की गोलियत क्रेन की पूरी संरचना ध्वस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप शिपयार्ड की मेन वर्क्स यूनिट में स्थित मॉड्यूल हॉल, न्यू ड्राई डॉक, इनक्लूड बर्थ और स्टोर्स कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में नुकसान हुआ। बीमा सर्वेयर मूल्यांकन के आधार पर, बीमा कंपनी मेसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 112.69 करोड़ रू का दावा तय किया हैं, जिसमें 107.39 करोड़ की संपत्ति के बुक वैल्यू के मुक़ाबले 96.78 करोड़ रू. का दावा स्वीकार किया गया है। 10.61 करोड़ के लिए बीमा दावा पर नुकसान को "असाधारण मदों" के तहत लेखा विवरण में दर्ज किया गया है।

जून 2020 में बीमाकर्ता से 112.69 करोड़ रू. की स्वीकृत दावा राशि प्राप्त कर ली गई है।

क्षतिग्रस्त मॉड्यूल हॉल भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित धन से बनाया गया था और यह संपत्ति कंपनी की खातों में दिखाई नहीं गई थी। आपकी कंपनी इस संपत्ति की संरक्षक है, जिसके लिए बीमा कवरेज लिया गया था। सर्वेक्षकों ने 112.68 करोड़ राशि के निपटारे की कुल राशि में से इस संपत्ति के नुकसान के लिए 15.90 करोड़ रू का दावा स्वीकार किया था। मॉड्यूल हॉल की मरम्मत के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही हैं।

'कोविड-19 ' का प्रभाव

कोविड-19 महामारी की वजह से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप, आपकी कंपनी ने 23 मार्च 2020 से प्रभावी एक पूर्ण लॉकडाउन और वर्क फ्रोम होम का पालन किया। लगभग 75 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामाजिक दूरी मानदंडों और कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए, ट्रंकैटएड शिफ्ट में कर्मचारियों की रोजगार के प्रतिबंधों के साथ चरणबद्ध तरीके से 08 जून 2020 को उत्पादन गतिविधिययां आंशिक रूप से शुरू हुई।

सभी उत्पादन गतिविधियों के पूर्ण और बाध्यकारी समाप्ति के कारण, इस अवधि के दौरान किए जाने वाले/ पूरा करने के लिए योजनाबद्ध कई महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं किया जा सका।

कोविड-19 ने कंपनी के भौतिक प्रदर्शन को अधिक प्रभावित किया है। हालांकि, लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने डिजाइन, योजना और वाणिज्यिक गतिविधियों को ट्रंकैटएड मैनपावर के साथ आवश्यक आधार पर जारी रखा, जिसमें 'एसेंशियल सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन' पूरी तरह कार्यात्मक था।

कंपनी लंबी निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और लॉकिंग अवधि के दौरान भौतिक प्रदर्शन में देरी को रोकने के लिए शमन योजना तैयार की गई है।

कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से व्यापार संचालन पर वित्तीय प्रभाव अभी तक अप्रत्याशित स्थिति के कारण पता लगाया जाना है।

'अंफान' चक्रवात का प्रभाव

सुपर साइक्लोन 'अंफान' ने 20 मई 2020 को कोलकाता में प्रहार किया और इससे कोलकाता के कई इलाकों/हिस्सों में भारी तबाही हुई। बीमा कंपनी द्वारा सर्वेक्षण की गई और शिपयार्ड बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। शिपयार्ड की परिसंपत्तियों को 'अंफ़ान' की वजह से नुकसान /क्षति की उम्मीद 10 करोड़ के आसपास है, जो बीमा द्वारा कवर किया गया था। चक्रवात के प्रभाव के कारण उत्पादन/ संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

समझौता ज्ञापन रैटिंग

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा **वित्त वर्ष 2018-19 के** लिए एमओयू रेटिंग के अनुसार **"उत्कृष्ट"** दर्जा दिया गया है। कंपनी ने एमओयू 2017-18 और 2018-19 के लिए 100 में से क्रमशः 93.08 और 92.72 के साथ उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर समुरवीन मापदंडों के आधार पर, आपकी कंपनी को 2019-20 के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए **"उत्कृष्ट"** दर्जा दिए जाने की उम्मीद है।

वर्ष की समाप्ति के दौरान कंपनी का प्रदर्शन

ए. पोतनिर्माण

पोत उत्पादन और डिलीवरी

पोतों की डिलीवरी : आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय नौसेना/ भारतीय तटरक्षक को निम्नलिखित चार (4) पोत डिलीवर किया हैं।

क्रं. सं.	पोत	यार्ड	डिलीवरी
1	आईसीजीएस एनी बेसेंट (2वां एफ़पीवी)	2114	05 नवंबर 19
2	आईसीजीएस अमृत कौर (3वां एफ़पीवी)	2115	19 नवंबर 19
3	एल-57 (7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी)	2098	11 दिसंबर 19
4	आईएनएस कावारत्ती (4वां एएसडबल्यूसी)	3020	18 फरवरी 20

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 'कामोर्टा' क्लास के अंतिम पोत एएसडबल्यूसी प्रोजेक्ट को पूरा करके 18 फरवरी, 2020 को जीआरएसई में कमोडोर डीके गोस्वामी, सीईओ/एचक्यूईएनसी के शानदार उपस्थिति में डिलीवर कर एक उपलब्धि हासिल की है।

आपकी कंपनी द्वारा निर्मित पांच एफपीवी श्रेणी के प्रथम "आईसीजीएस प्रियदर्शनी" 27 अप्रैल 2019 को काकीनाडा में अपर महानिदेशक के.आर. नौटियाल, पीटीएम, टीएम, सीजीसी(ईएस) महानिरीक्षक एस परमेश, पीटीएम,टीएम,सीओएमसीजी (पूर्व) की उपस्थिति में कमीशन किया गया था। आपकी कंपनी, द्वारा निर्मित 05 एफपीवी प्रोजेक्ट पोतों के 2वां और 3वां पोत, "आईसीजीएस एनी बेसेंट" और "आईसीजीएस अमृत कौर" डॉ. अजय कुमार, रक्षा सचिव, भारत सरकार द्वारा कोलकाता में 12 जनवरी 2020 को महानिदेशक के. नटराजन, पीटीएम, टीएम कोलकाता में भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक की उपस्थिति में एक साथ कमीशन का एल - 56 किए गए थे।

ऐनी बेसेंट का कमीशन

एल- 56 का कमीशन

आपकी कंपनी द्वारा निर्मित आठ एलसीयू क्लास पोतों "इन एलसीयू एल-56" की 6वें श्रृंखला, 29 जुलाई 2019 को वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसी-इन-सी) को विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा कमीशन किया गया था।

भारतीय नौसेना द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा इन एलसीयू क्लास मार्क-IV पोतों का पूरा डिजाइन इन -हाउस विकसित किया गया है। इन पोतों में 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है, एक बार फिर आपकी कंपनी के भारत सरकार के 'मेक इन इडिया' के सफल क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करती है।

पोतों का जलावतरण

पिछले 05 फास्ट गश्ती पोत (एफ़पीवी) प्रोजेक्ट, 'कनकलता बरूआ', यार्ड 2117, श्रीमती वीना अजय कुमार, द्वारा 10 अगस्त 2019 को डॉ. अजय कुमार, भारत सरकार के रक्षा सचिव, की भव्य उपस्थिति में 56% से अधिक की लॉन्चिंग प्रगति के साथ, प्री-लॉन्च स्टेज पर सबसे ज्यादा प्रतिशत प्रगति आपकी कंपनी के प्राप्ति के साथ जलावतरित किया गया था।

पोत को 09 जून 2020 को भारतीय तटरक्षक को डिलीवर किया गया था। इस पोत को मूल रूप से भारतीय तटरक्षक को 26 मार्च 2020 को डिलीवर किया जाना था।

शिलान्यास

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित पोतों का शिलान्यास किया गया :

क्र. सं.	प्रोजेक्ट	यार्ड	तारीख
1	सर्वे वेसेल (एल)	3025	08 नवंबर 19
2	पी-17ए	3023	24 जनवर 20

2वां पी-17ए पोत (यार्ड 3023) की कील 24 जनवरी 2020 को वाइस एड्मिरल जी अशोक कुमार, एवीएसएम, वीएसएम, उप प्रमुख नौसेना स्टाफ द्वारा रखी गई थी। 08 नवंबर 20 को फर्स्ट सर्वे वेसल (बड़े) की कील वाइस एडमिरल अजय कुमार सक्सेना, एवीएसएम, वीएसएम, कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, भारतीय नौसेना द्वारा रखी गई थी।

उत्पादन आरंभ

29 नवंबर 19 को सर्वेक्षण वेसल (बड़े) प्रोजेक्ट (यार्ड 3026) के 2वां पोत का उत्पादन शुरू किए गए; और 3वां का उत्पादन, यानी पी -17 ए परियोजना का अंतिम फ्रिगेट 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ये विश्वसनीय उपलब्धियां हैं।

अनुबंध हस्ताक्षर

29 अप्रैल 2019 को एंटी सबमरीन वारफेयर शैलों वाटर क्राफ्ट (एएसडबल्यू एसडबल्यूसी) के 08 पोतों की प्रोजेक्ट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रोजेक्ट को आपके कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जीता गया था जो इस तरह के प्रमुख अनुबंध जीतने के लिए आपके कंपनी की क्षमता और विश्वास को दर्शाता हैं।

डिलीवरी के निकट प्रमुख प्रोजेक्ट्स

डिलीवरी के निकट प्रमुख प्रोजेक्ट्स का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	समुंद्री पोत	यार्ड	स्थिति
1	5वां एफपीवी	2117	पोत पूरी तरह से तैयार था और 26 मार्च 2020 को डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया था। कोविड 19 के लिए लॉकडाउन के कारण डिलीवरी में देरी हुई है।
2	4वां एफपीवी	2116	20 फरवरी को पोत ने अपना सीएसटी पूरा कर लिया। डिलीवरी में देरी होने के कारण पोत अब एक अनुकूल विदेशी देश को निर्यात किया जा रहा है। डिलीवरी की औपचारिकता कोविड 19 स्थिति में सुधार के बाद होने की उम्मीद है।
3	8वां एलसीयू	2099	बीटी/सीएसटी में अगस्त 20 को देरी हुई और डिलीवरी की योजना 20 अक्टूबर तक है। कोविड -19 महामारी के कारण डिलीवरी कार्यक्रम प्रभावित हुआ है

कनकलता बरुआ का जलावतरण

2 वां पी - 17 ए पोत का शीलान्यास

बी. इंजीनियरिंग डिवीजन

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इंजीनियरिंग डिविजन ने उत्पादन मूल्य 35.28 करोड़ रू की राशि अर्जित किया।

पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बेली ब्रिज यूनिट द्वारा प्राप्त उत्पादन का मूल्य 26.20 करोड़ रू. [इसमें संयुक्त 3998 मीट्रिक टन के (42) पुल शामिल हैं] हैं। पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान 25 करोड़ रू. के मुकाबले [इसमें संयुक्त 3250 मीट्रिक टन के (35) पुल शामिल हैं] था।

यह उल्लेख करना उचित है कि पोर्टेबल स्टील ब्रिजों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बड़ी वृद्धि हुई है और सीक्यूए (ईई) के साथ अब लगभग अठारह (18) बेली प्रकार ब्रिजों के आपूर्तिकर्ता पंजीकृत हैं। दो साल पहले यह मात्र (5) थे।

वित्त वर्ष 2019-20, के दौरान आपकी कंपनी ने एक पुल नेपाल और दूसरा भूटान को निर्यात किया।

भावी ग्राहकों की नवीनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित आर एंड डी पहल की गईं :

(क) सस्पेंशन ब्रिज में प्रयुक्त केबल ग्रिपर का स्वदेशी विकास।

(ख) हल्के वजन के मिश्रित सामग्री से बने 30 फीट पोर्टेबल पेड़ेस्ट्रन ब्रिज (एसौल्ट ब्रिज) का विकास और सफल परीक्षण।

(ग) 7 फीट पैनल का उपयोग कर 140 फीट डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज का विकास और सफल परीक्षण।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पोर्टेबल स्टील ब्रिज यूनिट की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(क) डीईपी/रांची में पोर्टेबल स्टील ब्रिज निर्माण सुविधा को सीक्यूए (ईई) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

(ख) यूनिट ने 12 दिनों के रिकॉर्ड समय के भीतर कोलकाता के साल्ट लेक टाउन में कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (केएमडीए) को एक नंबर (01) 140 फीट अतिरिक्त चौड़ा 70 आर बेली ब्रिज की आपूर्ति और निर्माण किया।

डेक मशीनरी और नेवल पम्प यूनिट

आपकी कंपनी की तारातला यूनिट एंकर कैप्सटन, एंकर विंडलास, मुरिंग कैप्सटन, डॉक कैप्सटन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक बोट डेविट्स, सर्वे मोटर बोट डेविट्स, हाइड्रोग्राफिक डेविट्स, ओशनोग्राफिक विंच, सामान्य प्रयोजन डेविट्स, गोला बारूद / रॉकेट लॉन्चर डेविट, रेल-रहित हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम(रेल आधारित और रेल रहित दोनों प्रकार के), बिचिंग ऑपरेशनों हेतु आफ्ट एंकर सह सामान्य प्रयोजन विंचेज़, और आवेदन पर आधारित मरीन फ्रेश वॉटर एवं सी वॉटर पंपों वाले विभिन्न निर्वहन और क्षमता के अनेक प्रकार के नेवल पंप जिनमें सागर और समुद्र के ताजे पानी शामिल हैं के निर्माण और सप्लाई में लगी हुई है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल इक्तिस (31) विभिन्न डेक मशीनरी उपकरण और पंप विभिन्न नए निर्माण यार्डों के साथ-साथ भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक के परिचालन पोतों को सप्लाई किया गया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) के लिए रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रेवर्सिंग सिस्टम का ग्राउंड सपोर्ट उपकरण भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बोर्ड पर उपयोग के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है।

इसके साथ, वित्तीय वर्ष के लिए डेक मशीनरी और नेवल पंप यूनिट के उत्पादन का मूल्य 9.12 करोड़ रु था।

सी. इंजन डिवीजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने ओवरहालिंग और परीक्षण के बाद तीन (3) एमटीयू इंजन डिलीवर किए हैं। डिवीजन ने भारतीय तटरक्षक के एफ़पीवी युद्धपोतों के यार्ड 2114 से यार्ड 2117 (04 पोतों) के मुख्य इंजनों और नियंत्रणों का कमीशनिंग कार्य के लिए सफलतापूर्वक सेटिंग पूरी कर ली है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डीईपी, रांची यूनिट ने उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2018-19 के 0.47 करोड़ रू के मुक़ाबले 44.11 करोड़ रू हासिल किया है।

ऑर्डर बुक स्थिति

31 मार्च 2020 को तीन (3) डिवीजनों के लिए आपकी कंपनी की कुल ऑर्डर बुक स्थिति निम्नानुसार है:

करोड़ रु. में

क्र. सं.	डिवीज़न / विभाग	31 मार्च 2020 तक के अनुसार क्लोसिंग ऑर्डर वेल्यू (रू करोड़ में)
ए	**शिप डिवीजन**	
	पोत (बी & डी पुर्जों सहित)	**26,280.76**
बी	**इंजीनियरिंग डिवीज़न**	
	बेली ब्रिज	29.95
	डेक मशीनरी और पंप	50.20
	कुल इंजीनियरिंग डिवीजन	**80.15**
सी	**इंजन डिवीजन**	**183.46**
	कुल (ए + बी + सी)	**26,544.37**

आपकी कंपनी में 31 मार्च 2020 को निर्माणाधीन पोतों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रोजेक्ट/ पोत प्रकार	31 मार्च 2020 तक के अनुसार बकाया पोत
लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू)	01
तेज गश्ती पोत	02 *
प्रोजेक्ट पी -17 ए	03
सर्वे पोत (बड़े)	04
एएसडबल्यू-एसडबल्यूसी	08
कुल	**18**

* 5 वीं एफपीवी-कनकलता बरुआ 09 जून 2020 को डिलीवर किया गया

नई पहल

(क) भारत में उच्च स्तर की स्वदेशी सामग्री के साथ प्रणोदन वॉटरजेट के निर्माण का पता लगाने के लिए, जीआरएसई और एम/एस कोंग्सबर्ग, स्वीडन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन विभिन्न गतिविधियों के लिए योगदान और लाभों का मूल्यांकन करने के लिए विचार-विमर्श जारी रखने में मदद करेगा।

(ख) आपकी कंपनी ने मेसर्स ब्रिज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन (बीईआरडी), मटोसिंहोस, पुर्तगाल के साथ भारत में और अनुकूल पड़ोसी देशों के ब्रिज मार्केट दृष्टिकोण सहयोग और साझेदारी और नए डिजाइन पुलों के पहचान के लिए एक समझौता ज्ञापान पर हस्ताक्षर किया है। जीआरएसई और बीईआरडी सहयोग से बाजारों में मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के और अधिक विविध उत्पादों को पेशकश किया।

भारत में ब्रिज मार्केर्ट के एक्स्प्लोर और तकनीकी स्थानान्तरण हेतु ब्रैंड,पुर्तगाल के साथ समझौता ज्ञापन I

मेक इन इंडिया पहल

आपकी कंपनी ने "मेक इन इंडिया एंड स्वदेशीकरण" नीति लागू की है, जिससे स्वदेशी विक्रेताओं को सहयोग के साथ लाइसेंस उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के साथ लाइसेंस उत्पादन, सह-उत्पादन, असेंबली, टीओटी के साथ भारत में डिजाइन और निर्माण के माध्यम से कोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। । आपकी कंपनी ने देश में अत्याधुनिक युद्धपोतों के डिजाइन एवं निर्माण हेतु इन-हाउस क्षमताओं का विकास किया है। इन पोतों में से, एएसडब्ल्यू कोर्वेटों और एलसीयू में लगभग 90% स्वदेशी सामग्री है जो स्टेट ऑफ द आर्ट युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

निर्यात की पहल

जीआरएसई 2014 में मॉरीशस के लिए एक युद्धपोत, अपतटीय गश्ती पोत निर्यात करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड है। इसके बाद, जीआरएसई ने नौसेना के पोतों को मित्र विदेशी देशों में निर्यात करने की पहल की है और सार्क, आसियान, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की पहचान की है। विशेष रूप जैसे सेशेल्स, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलिपींस, म्यांमार, गुयाना, मॉरीशस आदि देश फोकस क्षेत्रों के रूप में हैं।

जीआरएसई ने अपने उत्पादों के निर्यात के लिए लक्षित बाजार देशों के अधिकारियों के साथ जुड़ें रहने की रणनीति भी अपनाई है। कंपनी नियमित रूप से नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में भी काफी मात्रा में बेली ब्रिज और इसके पुर्ज़े की आपूर्ति कर रही है। बेली ब्रिज और उनके घटकों के निर्यात को अन्य मित्र विदेशों देशो में भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

आधारभूत संरचना का निर्माण और नवीकरण

कंपनी प्रौद्योगिकी/उत्पादों की बदलती जरूरतों के अनुरूप होने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन आदि के लिए सीएपीईएक्स निवेश के हिस्से के रूप में 5,189 लाख रू. खर्च किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए कुछ आधुनिक सुविधाएं निम्नलिखित हैं : -

(क) **इंजीनियरिंग परिसर का उन्नयन :** इंजीनियरिंग परिसर के पाँच बे को 684.23 लाख रू. की लागत से बेहतर काम के माहौल के लिए उन्नयन/ पुर्नोत्थान किया गया है।

(ख) **मेन यूनिट में एफएसी स्टोर की मरम्मत:** एफएसी स्टोर सहित एक ईओटी क्रेन जो 2018 में 250 टन गोलीयत क्रेन के ध्वस्त होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, मरम्मत कर दिया गया और जनवरी, 2020 के बाद से पूरी तरह से कार्य कर रहा।

(ग) **मेन यूनिट में पोत निर्माण शॉप (एसबीएस) और प्लेट प्रीप्रेशन शॉप (पीपीएस) का नवीकरण :** दोनों एसबीएस और पीपीएस शांपों को बेहतर आंतरिक वातावरण के लिए अन्य सिविल और संरचनात्मक कार्यों के साथ एस्बेस्टोस की रूफ शीट के स्थान पर धातु शीट प्रतिस्थापन के साथ पुनर्निर्मित किया गया है।

(घ) **राजा बगान डॉकयार्ड (आरबीडी) का आधुनिकीकरण**: राजा बगान डॉकयार्ड 31.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जहां इसके पुराने समुद्री अवसंरचना में वृद्धि/सुधार की एक अच्छी गुंजाइश है। आरबीडी के

आधुनिकीकरण योजना के भाग के रूप में, निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण/आरंभ किए गए हैं: -

(i) ड्राइ डॉक नंबर 1 के आसपास के क्षेत्र के विकास सहित फिर से जीर्णोद्धार कर दिया गया है।

(ii) स्लिपवे -1 - पुराने स्लिपवे का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है।

(iii) डॉक नंबर 3 (पश्चिम डॉक) को एक वेट बेसिन में परिवर्तित करने की योजना है। इसके लिए, एक कंसल्टेंसी फर्म द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन को सक्षम करने के लिए पूरे डॉक को मंजूरी दे दी गई है।

(iv) पोत निर्माण स्टोर में पानी के नीचे स्थित सीएनसी प्लाज़्मा प्लेट कटिंग मशीन का एक न्यू स्टेट ऑफ दी आर्ट स्थापित और प्रवर्तिकरण किया गया है।

(v) 85mX27m x17m और 50Mx25m x17m आकार के दो ब्लॉक निर्माण का कार्य प्रगति पर है और सितम्बर 2020 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। यह शिपयार्ड को 'ब्लॉक निर्माण क्षमता से जोड़ेगा।

2023,24 तक उपर्युक्त आधुनिकीकरण परियोजना के पूरा होने पर, जीआरएसई की पोत निर्माण क्षमता 20 से 24 पोतों तक बढ़ जाएगी।

(ङ) आपकी कंपनी के पास एक आधुनिक 3डी वर्चुअल रियलिटी लैब वाला एक **मजबूत डिजाइन विभाग है**। एसवीएल और एएसडब्ल्यू (एसडब्ल्यूसी) दोनों परियोजनाएं हमारे डिजाइन विभाग द्वारा इनडोर डिजाइन का उपयोग करके बनाई जा रही हैं। यह आपकी कंपनी की डिजाइन क्षमता को और बढ़ावा देगा।

भावी दृष्टिकोण

इस समय भारतीय नौसेना के लिए 15 युद्धपोतों के निर्माण हेतु एक मजबूत आदेश पुस्तिका जीआरएसई के लिए भावी उत्साहवर्धक समय की परिकल्पना करता है। रक्षा क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में आयात की नकारात्मक सूची में 101 वस्तुओं की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में नीतिगत घोषणा, भारतीय उद्योग जगत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े उद्देश्य के रूप में बड़े अवसर प्रदान करती है। रक्षा पोत निर्माण सेगमेंट भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के महत्वाकांक्षी अभिग्रहण की योजना के बारे में आशाजनक है जो भारतीय शिपबिल्डरों और संपूर्ण इको-सिस्टम के लिए काफी उत्साहजनक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए कई आरएफपी मंगाई गई हैं और निकट भविष्य में कुछ और होने की उम्मीद है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने 2024 तक रक्षा उत्पादों के निर्यात को 5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने की योजना बनाई है जो हमारे लिए अच्छा हैं।

हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित और समर्थन करने के लिए उठाए गए सभी नीतिगत पहलों, आने वाले वर्षों में युद्धपोत निर्माण के समग्र परिदृश्य हेतु काफी सकारात्मक दिख रहा है। हालांकि, वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए निर्माण क्षमताओं और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। शिपबिल्डिंग में वैश्विक खिलाड़ी बनने के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कंपनी के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का यह एक अच्छा अवसर है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से उद्योग-4.0 में नवीनतम तकनीकों और आधुनिक उपकरणों को अपनाने की हमारी इच्छा कंपनी की दक्षता, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्थिर व्यवसाय वृद्धि और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी की प्रमुख भविष्य की योजनाएं इस प्रकार हैं:

(क) लागत, डिलीवरी समय, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से पूरे संचालन को देखते हुए निर्यात फुट प्रिंट को बढ़ाकर ग्लोबल लीडर बनना चाहते है। इस संबंध में, जीआरएसई मित्र देशों को निर्यात के लिए भू- रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए विपणन प्रतिनिधियों को संलग्न करने हेतु सक्रिय रूप से सभी संभावनाओं का अनुसरण कर रहा है।

(ख) आपकी कंपनी का मानना है कि उत्पादन प्रक्रिया में नवीनतम इष्टतम संसाधनों के उपयोग उत्पादन लागत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कूंजी है। कंपनी अपनी खरीद और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए अपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने का इरादा रखती है।

(ग) अगले 05 वर्षों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, गृह मंत्रालय, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अस्थायी और संभावित अवसरों के आकलन के लिए निरंतर प्रयास।

(घ) आपकी कंपनी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक और गृह मंत्रालय के आदेशों के लिए एएमसी और जीआरएसई द्वारा निर्मित पोतों के रिफिट्स के लिए लक्ष्य कर रही है और व्यवसाय के कार्यक्षेत्रों को परिष्कृत और मरम्मत करने के लिए विविधता लाने की योजना है।

विक्रेता विकास कार्यक्रम

विक्रेता विकास

आपकी कंपनी ने उत्पादन गतिविधियों, मूल और रणनीतिक कार्यों की पहचान की है और आउटसोर्स करने के लिए गतिविधियों की व्यापक मैपिंग का काम किया है। तदनुसार, विक्रेता विकास पहलों जैसे कि वेंडर मेलों में वेंडर मीट/पार्टिसिपेशन/ मेलों/कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों / जिनका आयोजन सीआईआई, कॉन्क्लेव, फिक्की, एमएसएमई-डीआई, बीसीसीआई, एनएसआईसी, एफ़ओएसएमई, अन्य रक्षा शिपयार्ड, राज्य/केंद्र सरकारों, रक्षा उद्योग लिंकेज, आदि समय समय पर करती हैं, में भाग लेना, आउटसोर्स नौकरियों के लिए देश भर से तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम विक्रेताओं को शामिल करने के लिए किया गया है।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन

आपकी कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद बढ़ाने पर जोर दे रही है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति लागू की है। आपकी कंपनी जहाँ भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है। आपकी कंपनी नियमित रूप से सीआईआई और एमएसएमई मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एमएसएमई विक्रेता विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। हमारे गुणवत्ता नियंत्रण कर्मी इन उद्योगों की यात्रा कर इनकी सहायता और यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों पर खरी उतरे।

वित्ती वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने एसएमई से 226.71 करोड़ रू. की वस्तुओं की खरीद की, जो कि कुल वार्षिक खरीद मूल्य का 38% (लगभग) है (एसएमई के लिए लागू अपवर्जन को देखते हुए)। एसएमई खरीद के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची आपकी कंपनी की वेबसाइट http://www.grse.in/mse_notice_website.pdf पर उपलब्ध है:

आपकी कंपनी सरकार के दिशानिर्देशों/ निर्देशों का पालन करते हुए टीआरईडीएस प्लेटफ़ॉर्म और एमएसएमई संबंध एवं एमएसएमई समाधान पोर्टल्स पर सक्रिय हो गई है।

सरकार ई-बाजार स्थान (जेम)

आपकी कंपनी को सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम संख्या 149, के अनुसार आम उपयोग के वस्तुओं और सेवाएँ के ऑनलाइन खरीद के लिए जेम के साथ पंजीकृत किया गया है।

ईआरपी और आईटी

ईआरपी और आईटी के क्षेत्र में विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(क) साइबर सुरक्षा: - साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए जीआरएसई ने अच्छी तरह से संगठनात्मक संरचना को परिभाषित किया है। निदेशक (कार्मिक) को जीआरएसई के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक यूनिट/विभाग में, सूचना सुरक्षा अधिकारी नामित किए जाते हैं। सीडैक द्वारा साइबर सुरक्षा संवर्द्धित जागरूकता प्रशिक्षण साइबर सुरक्षा कोर समूह के लिए 20 कर्मियों को शामिल किया गया था, जो नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। पूरे संगठन में एआईआर-जीएपी कार्यन्वयन और आईएलएल आधारित इंटरनेट लेन को जीआरएसई (एमडबल्यू एवं एफ़ओजे यूनिटों) में लागू किया गया था।

(ख) **ईआरपी - एसएपी:** - जीआरएसई ने महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिस पर सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं निर्भर हैं। इसमें ईआरपी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेल सर्वर, वेन, लेन, नेटवर्क सुरक्षा घटक, एंटीवायरस और पैच प्रबंधन शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, संचालन की दक्षता में सुधार की दिशा में 250 एसएपी उपयोगकर्ताओं के लिए ओ रैगनाइजेशन वाइड ईआरपी रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसके अलावा, ईआरपी/एसएपी कोर टीम को भी फिर से रिवाइटालीसेड़ किया गया है।

(ग) **पीडीएम/पीएलएम (उत्पाद डेटा प्रबंधन/उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन):** - एवीईएवी मरीन आधारित पीडीएम और सीमेंस टीम केंद्र आधारित पीएलएम सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। पीडीएम/पीएलएम के उपयोग के साथ मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी में पी17ए पोत निर्माण के दक्षता में सुधार होगा और निर्माण कार्य में समय की बचत होगी।

(घ) डीएमएस (डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम): - मैन्युअल फाइलों को काफी हद तक कम कर दिया गया है और संगठनात्मक प्रक्रियाओं का लगभग 70% डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

मानव संसाधन और प्रशासन

जनशक्ति

31 मार्च 2020 तक के अनुसार कंपनी में स्थायी वेतन पर काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 1973 थी जिसमें रेगुलर रोल पर 467 अधिकारी, 1 अधिकारी और 21 सुपरवाइजर फ़िक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल थे। इसके अतिरिक्त 04 ट्रेड्समैन जर्नीमैन के रूप में कार्यरत हैं।

31 दिसंबर 19 तक के अनुसार एससी/एसटी/महिला इत्यादि के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ जनवरी से दिसंबर 19 तक की गई कुल भर्तीयों का विवरण **परिशिष्ट - "क और "ख"** में दिया गया है।

इसके अलावा,कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून 2015, के अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियां को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और उसके नियमों से छूट दी गई है।

औद्योगिक संबंध

डीईपी, रांची सहित कंपनी की सभी यूनिटों में समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध कमोबेश शांतिपूर्ण रहे।

यूनियन चुनाव 27 जून 19 को गुप्त मतदान विधि के माध्यम से आयोजित किया गया था और मेन यार्ड, 61 पार्क, एफओजेए, तरताला, आरबीडी, टीटीसी, बेलूर और क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली में तैनात ऑपरेटिवस ने सोल बार्गेनिंग एजेंट के चुनाव के लिए भाग लिया। यह चुनाव पश्चिम बंगाल सरकार के ट्रेड यूनियन के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, द्वारा आयोजित किया गया था। चुनाव में, जीआरएसई लिमिटेड वर्क्समेंन यूनियन ने 59.14% वोट हासिल किए और 27 जून 19 से प्रभावी 02 साल की अवधि के लिए 'सोल बार्गेनिंग एजेंट' के रूप में उभरे। प्रबंधन ने चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए।

मानव संसाधन विकास

जीआरएसई उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पोषण और विकास करना चाहता है जो संगठन के विकास पथ को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। आपकी कंपनी ने एक वातावरण में कार्यबल की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता और एकजुट टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है।

कंपनी ने एक व्यापक प्रशिक्षण और विकास मैनुअल तैयार किया है और प्रशिक्षण गतिविधियों से संबंधित पाठ्यक्रमों, लक्ष्य समूहों, प्रशिक्षण संस्थानों, एसओपी और प्रारूपों पर सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किया है। एक संरचित प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया गया था जहाँ अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता का स्व-मूल्यांकन करने और अपने रिपोर्टिंग अधिकारियों के परामर्श से अपनी व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी) तैयार करने का अवसर दिया गया था। इससे कर्मचारियों को लघु और दीर्घकालिक कैरियर के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ वर्तमान नौकरी के प्रदर्शन में सुधार होगा।

वित्त वर्ष 2019-20 में, आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तकनीकी, नेतृत्व, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, कार्यात्मक, क्रॉस-फंक्शनल और व्यवहारिक दक्षता विकास विषयों को कवर करते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित वार्षिक प्रशिक्षण योजना लागू की है। वर्ष के दौरान, भारत और विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों से संकाय/प्रशिक्षकों को आमंत्रित करने के साथ-साथ बाहरी संस्थानों/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों/ सेमिनारों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों में प्रतिभागियों को प्रतिनियुक्त करके, इन-हाउस द्वारा आयोजित 200 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करके 4700 प्रशिक्षण मेन-डे प्राप्त किए गए। कार्यबल की तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(क) लीडरशिप विकास कार्यक्रम : प्रदर्शन प्रबंधन क्षमता मैट्रिक्स (पीपीएम) से पहचाने जाने वाले मध्य प्रबंधन स्तर के 30 अधिकारियों के एक बैच को 6 दिनों के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान , कलकत्ता भेजा गया। वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को डायरेक्टर्स प्रोग्राम के लिए मास्टरक्लास, विदेशी शिक्षण मॉड्यूल के साथ उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम, बोर्ड स्तर के पदों के लिए उत्तराधिकार की योजना के लिए कार्यशाला आदि के लिए नामित किया गया था, । 25 उच्च प्रदर्शन करने वाले युवा अधिकारियों के एक बैच के लिए "उत्कर्ष" नामक एक आउटबाउंड टीमबिल्डिंग आवासीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ख) उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम : उन्नत वेल्डिंग, नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (एनडीटी), हाइड्रोलिक्स, एवीई मरीन डिजाइन सॉफ्टवेयर, रेडियोग्राफी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग (लेवल-2) सर्टिफिकेशन, एनएसीई सीआईपी लेवल -1 सर्टिफिकेशन, शॉक एंड वाइब्रो एकोस्टिक, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एचटी / एलटी मोटर्स, पाइपिंग इंजीनियरिंग, सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन का मेंटेनेंस आदि जैसे विषयों पर भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आयोजित तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण जीआरएसई के अधिकारियों को प्रदान किया गया।

(ग) प्रबंधकीय और व्यवहारिक दक्षता विकास कार्यक्रम : कार्यकारी कंपनियों के वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किए गए थे। प्रबंधकीय प्रभावकारिता, नेगोसिएशन स्किल्स, इंटर-पर्सनल स्किल्स, ई मोटिवेशनल इंटेलिजेंस में सुधार के लिए कुछ इन-हाउस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गैर-अधिकारियों के लिए, संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए कर्मचारी विकास कार्यक्रम बैचों में आयोजित किए गए थे, जिसके लिए दत्तोपंत थेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशिक्षक और कंपनी द्वारा और अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

(घ) कार्यात्मक विकास कार्यक्रम: विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे अनुबंध प्रबंधन, क्यूएमएस, अनुशासन प्रबंधन, निगमित जोखिम प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, एमएस परियोजना, मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे, श्रम कानून, आरक्षण मामले, आदि पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(ङ) इमेर्जिंग विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: नवीनतम तकनीकी विकास और प्रबंधन अवधारणाओं के साथ बराबरी रखने के लिए, अधिकारियों को बिजनेस एनालिटिक्स, पीपल एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, डिजाइन सोच, विचार प्रक्रिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इंटरनेट के वस्तुओं (आईओटी), उद्योग 4.0, आदि पर प्रशिक्षित किया गया।

(च) ई-लर्निंग का परिचय: आपकी कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक संरचित ई-लर्निंग योजना पेश की है। एनपीटीईएल, आईआईएमबीएक्स और विश्व बैंक द्वारा संचालित वेब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रख्यापित की गई है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के पूरा होने पर, प्रतिभागियों को शुल्क और मौद्रिक पुरस्कार की प्रतिपूर्ति दी जाती है।

(छ) महिला विकास कार्यक्रम: कार्य-जीवन संतुलन में सुधार, लिंग संवेदीकरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता आदि विषयों पर महिला

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए पाँच महिला अधिकारियों को नामित किया गया।

(ज) **आईपीआर पर जागरूकता कार्यक्रम:** तकनीकी कर्मचारियों के 200 से अधिक कर्मचारियों को पेटेंट कार्यालय, कोलकाता (वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जिन्हें कंपनी ने अतिथि संकाय के रूप में आमंत्रित किया था। आपकी कंपनी के दो अधिकारियों को आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर द्वारा आयोजित उन्नत आईपीआर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

कर्मचारी वचनबद्धता पहल

(क) **जीआरएसई दिवस समारोह (डायमंड जुबली वर्ष की शुरुआत) :** जीआरएसई ने 19 और 20 अप्रैल 2019 को बहुत धूमधाम के साथ इस समारोह को मनाया। 19 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम एक इन-हाउस प्रसंग था, जिसमें जीआरएसई के सभी वर्गों के कर्मचारियों को पूरे उत्साह और उत्साही भागीदारी के साथ देखा गया था। कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए मान्यता प्रदान की गई और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिन्होंने 40 वर्षों तक कंपनी की सेवा की, को सम्मानित किया गया। 20 अप्रैल 2019 को समारोह की भव्यता की शाम थी जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने 1961 में जीआरएसई की भारतीय नौसेना के लिए स्वतंत्र भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत के अपने डिलीवरी से सराहनीय यात्रा का जश्न मनाने और जीआरएसई की सराहनीय यात्रा को यादगार बनाने के लिए " वीज टू द सेंटेनियल वॉरशिप" नामक एक पुस्तक का अनावरण किया, जो हाल ही में 100 वें लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, भानौ एलसीयू- एल-56 युद्धपोत के डिलीवरी के लिए भारतीय नौसेना में भेजा गया था। माननीय राज्यपाल ने इस आयोजन के दौरान वार्षिक इन-हाउस जर्नल 'जीआरएसई वर्ता 2019' की एक प्रति भी प्रकाशित किए।

(ख) **जीआरएसई परिवार दिवस समारोह:** वार्षिक पारिवारिक दिवस 2019-20 'अहोबान' 2 फरवरी 2020 को मनाया गया। आपकी कंपनी का डायमंड जुबली वर्ष होने के कारण, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के एक साथ पूरे दिन के लिए आनंद करने और एक-दूसरे के साथ मिलने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई थी।।

(ग) **वार्षिक खेल:** 10 दिसंबर 2019 से 28 जनवरी 2020 तक कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन में सुधार के साथ-साथ टीम भावना बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन किए गए। विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम शामिल हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों की भारी भागीदारी देखी गई और इससे न केवल प्रतिभागियों बल्कि अन्य कर्मचारियों के बीच भी काफी उत्साह उत्पन्न हुआ।

(घ) **पुरस्कार योजनाएँ :** ऐसे अधिकारियों को पहचानने के लिए जो अपने प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं और जिन्होंने अपने काम के माध्यम से उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके और सकारात्मक और सहायक रवैये का प्रदर्शन करते हुए एक नई पुरस्कार योजना अर्थात 'स्टार पर्फोमर' को वर्ष के दौरान पेश किया गया है। इस पुरस्कार योजना को संगठन के बड़े हित में इष्टतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए अधिकारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है और दृढ़ता की भावना पैदा करने में भी मदद मिलती है। अन्य सभी पुरस्कार जैसे जीआरएसई एग्जम्प्लरी सर्विस अवार्ड्स, ऑन द स्पॉट सीएमडी कमेंडेशन एंड ऑन द स्पॉट कैश अवार्ड, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड, कर्मचारी इनोवेशन स्कीम, कर्मचारियों के बच्चों के लिए जीआरएसई मेरिट अवार्ड, क्वालिटी सर्किल के लिए ग्रुप अवार्ड्स और 5 'एस' आदि जारी रखा गया है।

नई एचआर पहल

(क) **कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्वास्थ्य जांच :** सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे हर संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रत्येक संगठन की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है क्योंकि यह उनकी टीमों के बीच दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाता है। तदनुसार, कंपनी द्वारा कल्याणकारी उपाय के रूप में स्थायी रोल पर सभी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांचों को शामिल करते हुए वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है।

(ख) कैफेटेरिया की शुरूआत : सभी इकाइयों में कैफेटेरिया शुरू करने की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी ताकि जीआरएसई में आने वाले कर्मचारी और बाहरी लोग गुणवत्ता और स्वच्छ भोजन का लाभ उठा सकें। मेन यूनिट में, कैफ़ेटेरिया की शुरुआत पश्चिम बंगाल पशुधन विकास निगम लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार, का एक उपक्रम) के साथ फ़रवरी 2020 में की गई थी। अन्य यूनिटों के लिए भी इसी तरह की पहल की योजना बनाई जा रही है।

(ग) कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट सिस्टम (सीएलएमएस) का कार्यान्वयन: आपकी कंपनी में विभिन्न गतिविधियों की आउटसोर्सिंग शुरू करने के साथ, पिछले कुछ वर्षों में ठेकेदारों के श्रम की ताकत में काफी वृद्धि हुई है। ठेकेदारों द्वारा वास्तविक समय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध श्रम प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस)) को अक्टूबर 2019 में तीन प्रमुख यूनिटों मेन, एफओजे और आरबीडी यूनिटों में मौजूदा मैनुअल अनुपालन प्रबंधन को सिस्टम आधारित अनुपालन प्रबंधन के साथ में बदलने के लिए लागू किया गया था।

(घ) **कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण :** सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए एक कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण जनवरी 2020 में आयोजित किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य काम के माहौल, मुआवजा/ लाभ/सुविधाओं, संचार, प्रशिक्षण और विकास, पुरस्कार और मान्यता और नौकरी से संतुष्टि से संबंधित कई मापदंडों पर कर्मचारियों की संतुष्टि को मापना था । कुल मिलाकर, प्राप्त प्रतिक्रियाओं से कंपनी को प्रक्रियाओं में सुधार करने और कंपनी को काम करने के लिए एक शानदार जगह बनाने में मदद मिलेगी ।

(ङ) **जनरल अवेयरनेस आकलन टेस्ट (जीएएटी) :** कंपनी के मामलों, विभिन्न विभागों की गतिविधियों, नीतियों और नियमों के बारे में अधिक सामान्य जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए, कंपनी में एजीएम के रैंक तक सभी अधिकारियों के लिए एक सामान्य जागरूकता मूल्यांकन परीक्षण (जीएएटी) आयोजित किया गया था। सभी विभागों की जानकारी के एक व्यापक अध्ययन सामग्री तैयार कर सभी अधिकारियों को पहले से वितरित की गई। यह परीक्षा 14 फरवरी 20 को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी ।

स्वच्छता अभियान

जीआरएसई ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अभिनव तरीके अपनाए हैं और आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की है ताकि इसे जन जागरूकता आंदोलन बनाया जा सके और स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके ।

स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में, जीआरएसई ने डीपीई स्वच्छता पखवाड़ा (16 अगस्त से 31 अगस्त, 2019 तक),स्वच्छता ही सेवा है (11 सितंबर से 02 अक्टूबर, 2019 तक) और एमओडी के स्वच्छ पखवाड़ा (01 दिसंबर से 15 दिसंबर 2019 तक) का पालन किया ।

राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) का पालन

नेशनल यूनिटी डे (राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है) 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए मनाया गया जिन्होंने देश को एकजुट किया था ।

दिव्यांग जन

आपकी कंपनी ने सांविधिक /सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को सभी प्रकार की छूट/रियायतें दी है। वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 32 कर्मचारियों की भर्ती में से 01 दिव्यांग की भर्ती की है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

महिला प्रतिनिधित्व कंपनी में कुल स्ट्रेन्थ का 5% है। 2019-20 के दौरान, कुल 32 में से 01 महिला कर्मचारी को नियुक्त किया गया है जो 3.1% है।

कार्य के दौरान संरक्षा

शिपयार्ड लगातार "शून्य दुर्घटना" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसे प्राप्त करने के लिए, ऑन-बोर्ड पोतों सहित सभी कार्य स्थानों पर सुरक्षा मानदंडों और प्रक्रियाओं के सख्त कार्यान्वयन के लिए निगरानी और सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के क्रम में 04-10 मार्च 2020 को आपकी कंपनी की सभी इकाइयों में 49 वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस / सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न यूनिटों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिज्ञा ली गई। कई रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षा बैनरों का प्रदर्शन भी हुआ। अनुबंधात्मक फार्म ने भी पूरे जीआरएसई यूनिटों में अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

सीआईएसएफ़, बीओपीटी, प्रशिक्षुओं और ठेकेदार के कर्मियों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए यार्ड में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रशिक्षण सत्र में 400 प्रतिभागी उपस्थित थे।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, शिपयार्ड ने 3.32 के पिछले वर्ष की सुरक्षा आवृत्ति दर के मुकाबले 2.58 का सुरक्षा आवृत्ति दर (औद्योगिक आघात सूचकांक) हासिल किया है, जो शिपयार्ड की सुरक्षा संस्कृति के क्षेत्र में सुधार का संकेत देता है।

औद्योगिक सुरक्षा

आपकी कंपनी की भौतिक सुरक्षा को कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में 397 सीआईएसएफ़ कर्मियों को जीआरएसई की तीनों उत्पादन इकाइयों अर्थात मेन, एफ़ओजे और आरबीडी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) को सौंपा गया है।

इस वर्ष कोई भी गंभीर सुरक्षा घटना नहीं घटी, और आपकी कंपनी की कुल सुरक्षा मजबूत बनी रही। आपके कंपनी में स्थापित सभी सुरक्षा प्रणालियाँ और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं। कंपनी की सुरक्षा योजना और नीति के अनुसार, किसी भी सुरक्षा भंग, संकट या आपदा की स्थिति में त्वरित शमन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवधिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए थे।

जीआरएसई के कर्मचारियों और ठेकेदारों के मजदूरों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सहित प्रभावी अभिगमन नियंत्रण प्रणाली कंपनी में मौजूद हैं। कंपनी के लिए आगंतुकों की साख की जांच और सत्यापन के लिए एक पूर्ण आगंतुक सुविधा केंद्र संचालित है। कंपनी के मुख्य एंट्री गेट पर बैगेज स्कैनिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इनके अलावा, इस तरह के विशेष प्राणाली और उपाय जैसे एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रवेश पास और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को जीआरएसई यूनिटों के सम्पूर्ण किलेबंदी के लिए स्थापित किया जा रहा है।

सीआईएसएफ़ द्वारा रिकॉर्डिंग के संदर्भ में सामग्री प्रविष्टि और निकास प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है, जो कंपनी के भीतर और बाहर सामग्री के आवागमन की प्रभावी और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान चोरी, तोड़फोड़, सूचना के लिकेज आदि का कोई मामला सामने नहीं आया।

राजभाषा

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, आपकी कंपनी के 80% मंत्रालयिक कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त की है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति: समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी में राजभाषा कार्यान्वयन कार्य में सराहनीय सुधार हुआ है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें विभिन्न यूनिटों/ विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित की गई।

राजभाषा पुरस्कार:

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु जीआरएसई को राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया।

(ख) उप प्रबंधक (राजभाषा) को भी नराकास द्वारा कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

दिवस/पखवाड़ा समारोह: आपकी कंपनी ने 01-14 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा और 27 सितंबर, 2019 हिंदी दिवस मनाया। इस अवधि के दौरान, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण-मसौदा और हिंदी अनुवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। हिंदी दिवस समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास : आपकी कंपनी में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

(क) हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला;

(ख) इन-हाउस हिंदी प्रशिक्षण;

(ग) नए भर्ती अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम;

(घ) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन।

पुरस्कार एवं मान्यताएँ

इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्ष 2018 के लिए "ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस" की श्रेणी में "पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड - 2018 "

"इनोवेशन" श्रेणी में "एसओडीईटी पुरस्कार 2016-17"

सर्वश्रेष्ठ बाह्य निगमित संचार अभियान एवं कार्यक्रम के लिए "स्कोप निगमित संचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2019"

"कम्युनिकेशन आउटरिच", "डिजिटल पीएसयू" एवं "सीएसआर कमिटमेंट" के श्रेणी में 2019 हेतु गवर्नेंस नाऊ 6वें पीएसयू अवार्ड "

बेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रक्टिक्स के लिए "वर्ल्ड सीएसआर डे कॉंग्रेस अवार्ड और "कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफ दि ईयर " हेतु बिज़नस लीडर ऑफ दि ईयर अवार्ड।

2018-19 के दौरान कंपनी में राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल से "राजभाषा शील्ड 2018-19" पुरस्कार

'एक्सलेंस इन ट्रेनिंग एंड डेव्लपमेंट' एंड 'बेस्ट अप्रेंटिस प्रोग्राम' हेतु" स्टार ऑफ दी इंडस्ट्री अवार्ड '

"अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन ट्रेनिंग' हेतु कोलकाता बेस्ट एम्प्लोयेर ब्रांड अवार्ड 2019"

एक्सलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट 2018 हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

30वें राष्ट्रीय डबल्यूआईपीएस समारोह में "रेकोग्नीशन ऑफ डबल्यूआईपीएस एक्टिविटी अवार्ड 2019"

जीआरएसई को "नेक्स्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी ऑफ इंडिया" के रूप में मान्यता दी गई

निगमित प्रशासन

आपकी कंपनी व्यावसायिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता पर जोर देना जारी रखती है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग नियम") के तहत लागू नियमों का अनुपालन करती है, और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन पत्र द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर जारी दिशानिर्देश का भी अनुपालन करती है। कंपनी भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन करने का भी प्रयास करती है।

मेसर्स महेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स से कंपनी सचिवों के निगमित प्रशासन पर हमारी रिपोर्ट, निगमित प्रशासन के अनुपालन की पुष्टि करते हैं, जैसा कि दोनों के तहत आवश्यक सेबी लिस्टिंग विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

निर्देशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

आपके कंपनी के मंडल में कुल दस (10) निदेशक हैं जिसमें चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, पांच (5) अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों सहित, एक (1) महिला निदेशक और एक (1) सरकार नामित निदेशक हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल और आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति `की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री ए के नंदा	निदेशक (कार्मिक)	-	30.09.2019
2	कमोडोर हरि पी आर	निदेशक (कार्मिक)	21.10.2019	-

तदनुसार इस रिपोर्ट के समाप्त तिथि तक वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न परिवर्तन हुए हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति `की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री एस एस डोगरा	निदेशक (वित्त)	-	30.06.2020
2	श्री आर के दाश	निदेशक (वित्त)	01.07.2020	-
3	श्री अजय भंडारी	स्वतंत्र निर्देशक	09.03.2018	20.07.2026

रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहें निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) और आर्टिक्लस ऑफ एसोसियशन ऑफ दी कंपनी के अनुसार, कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त), निदेशक (पोत निर्माण), जिन्होंने निदेशक मंडल में सेवानिवृत्त निदेशकों में सबसे लंबे समय तक सेवा की हैं, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे, और पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत कर सकते है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा और मानदंड की पूर्ति

आपकी कंपनी को आपकी कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक से घोषणा प्राप्त हुआ है की वे पुष्टि करते है कि कंपनी अधिनियम, 2013, निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए और सेबी लिस्टिंग नियम के तहत निर्धारित स्वतंत्र मानदंड को पूरा करते हैं। इसके अलावा, बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी लिस्टिंग नियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, मानेसर के साथ खुद को पंजीकृत किया है और वैधानिक समयरेखा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपना नाम शामिल किया है और वे एक वर्ष के अवधि के भीतर,जहाँ भी लागू होगा ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा में शामिल होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष के दौरान, 29 फरवरी 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें श्री स्वतंत्र भूषण जैन को छोड़कर सभी स्वतंत्र निदेशक मौजूद थे, वह अपने पूर्व उपजीविका के कारण उपस्थित नहीं थे।

मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की दस (10) बैठकें हुईं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया 'निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट' देखें।

मंडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक पॉलिसी

आपकी कंपनी का 74.50% भाग भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वर्तमान में, कंपनी के निदेशक प्रेसीडेंशियल नियुक्तियां हैं और उनका पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार तय किया गया है। तदनुसार, आर्टिक्लस ऑफ एसोसियशन ऑफ दी कंपनी के अनुच्छेद 194 और 214 में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे। चूँकि, मंडल स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मंडल प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 29 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी।

लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल के लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1	श्री भारत भूषण जैन	चेयर पर्सन	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
2	श्रीमती कंवलजीत देओल	सदस्य	
3	रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, भानौ (सेवानिवृत्त)	सदस्य	
4	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त)	सदस्य	निदेशक (पोत निर्माण)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया 'निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट' देखें।

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशक एतद्द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

(क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक खाता की तैयारी में, अनुसूची III के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं गया है;

(ख) निदेशकों ने उचित और विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू भी किया था और उनके आधार पर सारे निर्णय लिए थे और अनुमान लगाए थे ताकि 31 मार्च 2020 तक के अनुसार आपकी कंपनी की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लाभ का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त हो सके;

(ग) निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने एक 'वर्तमान चिंता' के आधार पर वार्षिक लेखाजोखा तैयार किया था; और;

(ङ) निदेशकों ने आपकी कंपनी द्वारा अपनाएं गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(च) निदेशकों ने लागू होने योग्य सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

सांख्यिकी लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के लिए, मेसर्स ए कयेस एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता को आपकी कंपनी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक और मैसर्स चाणक्य अशोक एंड कंपनी,, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को डीजल इंजन प्लांट, रांची के लिए शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सी एंड एजी की टिप्पणियां वित्तीय वर्ष 2019-20 के इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण) नियम, 2014 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स मऊ बनर्जी एंड कं., लागत लेखापाल, कोलकाता को आपकी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया। मैसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी की सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट - "ग"** में रखा गया है।

सेबी के दिनांक 8 फरवरी, 2019 के परिपत्र सं. सीआईआर/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के पास दायर की गई सेबी विनियमों/ परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी के मेसर्स विनोद कोठारी एंड कंपनी, प्रैक्टीसिंग कंपनी सचिव से वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है। उक्त रिपोर्ट में कोई टिप्पणी या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के बोर्ड ने मेसर्स वी सिंघी और एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143 में रिपोर्ट किए गए धांधली का ब्यौरा

कोई नहीं

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम एवं विनयम 23 के तहत किसी अनुबंध/व्यवस्था/सौदे में प्रवेश नहीं किया है। आपके निदेशक भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष को निर्धारित करने वाले वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण फार्म एओसी-2 इस रिपोर्ट को **परिशिष्ट - " डी " में** संलग्न किया गया है -जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यक है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है:

http://www.grse.in/pdf/investors/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf

ऋण, गारंटी या निवेश के ब्यौरे

वर्ष के दौरान, रिपोर्ट के तहत आपकी कंपनी ने नहीं किया है:

(क) किसी भी व्यक्ति या अन्य निकाय कॉर्पोरेट को कोई ऋण दिया गया;

(ख) किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई; या

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियों द्वारा अधिग्रहित।

निगरानी तंत्र

अपने निगरानी तंत्र के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक मुखबिर नीति ग्रहण की है ताकि वे प्रबंधन को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आपकी कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना दे सकें। मुखबिर नीति के अनुसार, एक मुखबिर आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (या कोई व्यक्ति जिसे उन्होंने अपना अधिकार सौंपा है) को लिखित संचार भेज सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह सीधे लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष को भी इस तरह का संरक्षित प्रकटीकरण भेज सकता है। संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, मामले की छानबीन के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी एंड एमडी द्वारा मनोनीत एक कार्यात्मक निदेशक और लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष तक पहुँच प्रदान किया गया है। मुखबिर नीति को निम्नलिखित के माध्यम से आपकी कंपनी के वेबसाइट http://www.grse.in/pdf/investors/Whistle%20Blower%20Policy.pdf में जाकर देखा जा सकता है:

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं शासन) नियम, 2014 के नियम 12 और धारा 92(3) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, **फॉर्म एमजीटी- 9** में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट में परिशिष्ट "च" के रूप में संलग्न किया गया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

सेबी लिस्टिंग विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

जीआरएसई की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पहल ने हमारी उत्पादन यूनिटों के आसपास के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सीएसआर और स्थिरता नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सीएसआर और स्थिरता नीति पर बनाए गए नियमों के अधीन है जिसे कंपनी के वेबसाइट http: // जीआरएसई .in / pdf / निवेशक / GRSE% 20Policy% 20on% 20Corporate% 20Social% 20Responsibility% 20and% 20Sistentability.pdf पर देखा जा सकता है।

सीएसआर परियोजनाओं को विभिन्न व्यापक विषयगत क्षेत्रों जैसे कि कौशल विकास, स्वच्छ भारत पहल, मुख्य रूप से अलग-थलग पड़े व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को मार्जीनालाइसेड सेगमेंट के जीवन स्तर में सुधार के लिए मुख्य रूप से आपकी कंपनी उत्पादन इकाइयों के आसपास के क्षेत्रों में लागू किया गया है।

निदेशक मंडल की सीएसआर और स्थिरता समिति में श्रीमती कंवलजीत देओल, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, निदेशक (पोत निर्माण) और निदेशक (कार्मिक) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

सीएसआर गतिविधियों (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के तहत आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **"-परिशिष्ट एफ "** के रूप में संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति और चार्टर को मंजूरी दी है और एक संरचित और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इस चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक समान समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना और प्रबंधन को यह आश्वासन देना है कि कंपनी में प्रमुख जोखिमों की उचित पहचान और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं और आवधिक समीक्षा के बारे में सूचित करने के लिए एक तंत्र रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यकारी प्रबंधन ठीक से डिजाइन किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है।

बिजनेस रिस्पांसबिलिटी रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल किया है। सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 (2) (एफ) विनियमों में कहा गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट प्रारूप में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई पहल का वर्णन करने वाली एक व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को जोड़ा गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्त व्यवस्था है, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्लेटफ़ॉर्म जो इसकी मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया के एसएपी द्वारा समर्थित इसके संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है । इसने वित्तीय और परिचालन कार्यों को कवर करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया है। इन नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, संचालन की निगरानी, अनधिकृत उपयोग या नुकसान से संपत्ति की सुरक्षा, नियमों के अनुपालन के लिए उचित लेखांकन नियंत्रण बनाए रखने के संबंध में एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के संसाधनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और नुकसान, दुरुपयोग और भौतिक उत्पीड़न से सुरक्षित रखा जाता है। सुचारू कामकाज और निर्णय लेने के लिए एक मजबूत व्यापक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, और इसे समय-समय पर बदलते कारोबारी माहौल के साथ संरेखित करने के लिए समीक्षा की जाती है

ऊर्जा, तकनीकी नियम और विदेश समझौता और लेखा परीक्षा का संयोजन

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है, ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा आय और आउटगो के संबंध में जानकारी की प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर नंबर 680 (ई) दिनांक 04 सितंबर 2015 के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट दी है।

आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी की वेबसाइट (www.gsre.in) पर पोस्ट की गई है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से कुल 70 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष से 2 आरटीआई आवेदन शेष भी थी । वर्ष के दौरान कुल 69 आरटीआई आवेदनों का जवाब दिया गया, और 1 आरटीआई आवेदन भारत सरकार के संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया और शेष 2 आरटीआई आवेदनों को वर्ष 2020-21 तक 'आगे बढाया' गया । आरटीआई अपील के मामले में वर्ष 2019-20 के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड से कुल 6 आरटीआई प्राप्त हुई थी 1 को पिछले वर्ष के 'शेष' के रूप में दिखाया गया था। कुल 7 प्रथम अपील आरटीआई तय किया गया और उसका जवाब दिया गया, जबकि साल 2020-21 तक कोई प्रथम अपील आरटीआई 'आगे नहीं बढाया' गया। वर्ष 2019-20 के दौरान 2 सं. सेकेंड अपील की सुनवाई केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष हुई और लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकरण के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल आदेश के बिना निपटारा किया गया । त्रैमासिक रिटर्न को नियत तिथि के भीतर सीआईसी और डीओपीटी की भी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

'कार्यस्थल महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013' की धारा 4 के अनुसार, एक बाह्य स्वतंत्र सदस्य जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति हैं, के साथ 18 अगस्त 17 को कंपनी में काम करने वाली आतंरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 'के तहत धारा 21 के अनुसार और इसके तहत बनाए गए नियम, कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए निम्नलिखित विवरण सबमिट किए गए हैं:

(i) वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: **दो**
(ii) वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या: **एक**
(iii) नब्बे से अधिक दिनों तक लंबित शिकायतों की संख्या: **एक**
(iv) यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यशाला या जागरूकता कार्यक्रम की संख्या: **दो**
(v) वर्ष के दौरान आयोजित आंतरिक समिति की बैठकों की संख्या - **दस**

लोक शिकायतें

पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से शिकायतों के समाधान को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने www.pgportal.gov.in (पीजी पोर्टल) पर वेब आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है।

आपकी कंपनी कुशल और समयबद्ध तरीके से जनता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायतों के प्राप्त होने पर, संबंधित विभागों द्वारा मामले को पूरी निष्ठा के साथ मामले के तथ्यों की गहन जांच करके हल किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड के माध्यम से कुल 14 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं और पिछले वर्ष 2 शिकायतों को आगे बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान सभी 16 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके समाधान के लिए वर्ष 2020-21 में आगे ले जाने के लिए कोई शिकायत नहीं थी। । 2019-20 के दौरान सभी लंबित शिकायतों का समाधान किया गया । शिकायत समिति का विवरण आपके कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसमें पीजी पोर्टल के लिए एक लिंक का प्रावधान है ताकि नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सके ।

सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य, कंपनी के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए, इस विभाग ने वर्ष के दौरान पूर्वनुमानिक और निवारक दोनों तरह की सतर्कता पर ध्यान दिया। कई क्षेत्रों के क्रियाकलापों को ग्रहण किया गया और विभिन्न प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया और उनकी जांच की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जांच और संतुलन

की प्रणालियाँ, आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम कर रही हैं और प्रणाली में कोई लिकेज और कमी नहीं है। कई मामलों में, प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां भी की गईं:

(क) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई और उचित कार्रवाई की गई।

(ख) निवारक उपाय के रूप में, नियमित और औचक निरीक्षण और फाइलों के सत्यापन का कार्य किया गया।

(ग) कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन में प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

(घ) उपरोक्त जांच/ निरीक्षण के आधार पर और निम्नलिखित निवारक उपायों को लागू करने का सुझाव दिया गया है:

(i) बॉयोमीट्रिक उपस्थिति के माध्यम से अनुबंध मजदूरों की निगरानी के लिए अनुबंध मजदूर प्रबंधन सेवा।

(ii) विभिन्न चरणों में विक्रेताओं को बिल भुगतान की निगरानी के लिए बिल ट्रैकिंग सिस्टम।

(ङ) अधिकारियों द्वारा दायर वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की गई। विभिन्न चरणों में अधिकारियों की सतर्कता स्थिति का आकलन किया गया। कंपनी में संवेदनशील पदों की पहचान की गई और अधिकारियों के रोटेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के बिंदुओं के कार्यान्वयन की निगरानी त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से की जा रही है और रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई कार्रवाई की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है।

(च) अंतर संगठन ऑडिटिंग को सभी डीपीएसयू के बीच रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किया गया।

(छ) सीबीआई के साथ सहमत सूची भी तैयार की गई थी और सीबीआई के साथ नजदीकी संपर्क बनाए रखा गया था।

(ज) आपकी कंपनी ने 28 अक्टूबर - 02 नवंबर 2019 के दौरान दोनों संगठन और आउटरीच गतिविधियों विषय की प्रासंगिकता में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

(i) सतर्कता मामलों की स्थिति से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ बैठक की गई।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में किसी प्रकटीकरण या प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ था:

(क) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की रिपोर्ट या वित्तीय विवरण के किसी स्वैच्छिक संशोधन का विस्तृत कारण जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया गया है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमा से संबंधित विवरण।

(ग) लाभांश, मतदान या किसी अन्य मुद्दे की तरह अंतरपरक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का मुद्दा।

(घ) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो आपकी कंपनी की वर्तमान चिंता स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करता हो।

आभार

आपके निदेशक, रक्षा उत्पदान विभाग और रक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों के निरंतर समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और अपने आभार को दर्ज कराते हैं। निदेशक, भारत सरकार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और अन्य राज्यों की सरकारों के निरंतर सहयोग और बहुमूल्य समर्थन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके निदेशक, विशेष रूप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक मुख्यालयों, गृह मंत्रालय, ऑर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुलिस विभाग और अन्य बहुमूल्य ग्राहकों के साथ-साथ व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा आपकी कंपनी पर विश्वास रखने के लिए उनके आभारी हैं। हम अपने कर्तव्य के पालन में असफल हो जाएंगे यदि हमें युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक और उनकी समर्पित टीम का सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलता जिनकी चौकस नज़रों के अंतर्गत हमारे पोतो का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, हम सभी वर्गीकरणों सोसाइटियों, विशेष रूप से, आईआरएस एवं एबीएस को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने गुणवत्ता और मानकों के पालन को सुनिश्चित किया है।

निदेशक, भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षण बोर्ड, बेंगलुरु के पूर्व अधिकारियों, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), मुंबई, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी क़ानून बोर्ड और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड द्वारा प्रदान प्राप्त सहयोग और बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक, अपने सांविधिक, लागत एवं आतंरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी बैंकरों, ट्रेड यूनियनों और संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और अनियंत्रित प्रयासों के कारण आपकी कंपनी कई मौजूदा और नए खिलाड़ियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उद्योग में सबसे आगे बने रहने में सक्षम हुई है।

कृते निदेशक मंडल
हस्ता./-
(वी के सक्सेना)
रियर एडमिरल, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता
तारीख: 21 जुलाई, 2020

परिशिष्ट – क

31 दिसंबर 2019 को स्थायी एवं ठेके पर काम करने वाले एससी/एसटी/ ओबीसी / भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण

समूह / वर्ग	कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला कर्मचारी
समूह-क	434	82	24	102	53	11	28
समूह-ख	29	4	1	7	14	1	2
समूह-ग	1344	299	47	165	71	33	32
समूह-घ (सफाईवाला को छोड़कर)	184	48	11	13	11	9	39
समूह- घ (सफाईवाला)	20	18	-	-	-	-	-
कुल	2011	451	83	287	149	54	101

परिशिष्ट – ख

स्थायी वर्ग/अनुबंध वर्ग (फ़िक्स्ड टर्म/ जर्नीमेन के अंतर्गत 2019 के दौरान की गई भर्ती का विवरण

समूह / वर्ग	कुल भर्ती	एससी	एसटी	ओबीसी	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	महिला कर्मचारी
समूह-क	9	4	-	2	7	-	-
समूह-ख	3	1	-	2	1	-	-
समूह-ग	20	6	-	8	-	1	1
समूह-घ (सफाईवाला को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाईवाला)	-	-	-	-	-	-	-
कुल	32	11	-	12	8	1	1

परिशिष्ट - "सी"

फॉर्म नंबर एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में ,
सदस्यगण,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
43/46, गार्डन रीच रोड
कोलकाता- 700024

हमने 31 मार्च 2020 ('लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** (इसके बाद **"कंपनी"** उल्लेखित) द्वारा लागू सांवाधिक प्रावधानों और अच्छी प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिससे हमें निगमित आचरण/सांवाधिक अनुपालन और अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला।

कंपनी के किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड अनुलग्नक I में कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी सचिवीय लेखापरीक्षा के सत्यापन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है उस सीमा और इस प्रकार एवं तरीके इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तहत है;

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त किताबें, कागज, कार्यवृत किताबें, फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम;
3. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमों और उसके तहत बनाए गए उपनियम;
4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश : -
   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 ;
   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;
5. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक 1 और 2।

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, परीक्षण-जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;
2. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउंडरी संचलन) नियम, 2016;
3. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके तहत प्रतिपादित नियम;
4. वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम, 1981;
5. भारतीय विद्युत, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 2005;
6. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010;
7. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश।

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्ड के लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है;
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते है;
3. जहां भी हमारे लेखा परीक्षा में कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों और रिकॉर्ड की जांच की आवश्यकता होती है, हमने ऑनलाइन संचार के माध्यम से हमें प्रदान की गई ऐसी पुस्तकों और रिकॉर्डों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों पर भी भरोसा किया है।
4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों के लेखा-जोखा की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ-साथ विभिन्न खुलासों और रिटर्न में उल्लिखित मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता की सत्यापन नहीं किया है, जैसा कि इस तरह के रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ;
5. जहां कहीं भी आवश्यक है, हम कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन और आयोजनों के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ;
6. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी;
7. आंतरिक, वित्तीय, और संचालन नियंत्रणों सहित लेखा परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतियाँ या सामग्री गैर अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखा परीक्षा ठीक से नियोजित और लेखा परीक्षा अभ्यास के अनुसार किया गया हो;
8. इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक (ओं)/ एजेंसियों / अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में टिप्पणियों के अवलोकन के अलगाव के साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए है ;
9. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों का अवलोकन, कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों या किसी अन्य पेशेवर के द्वारा किया गए अवलोकन और योग्यता, यदि कोई हो, के अतिरिक्त है और उसे यहाँ पुन: प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इस सबंध में, कुछ निगमित शासन प्रावधान, कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक ढांचा निदेशक की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सर्वोतम प्रथाओं के मामले के रूप में सिफारिशें:

हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अच्छे निगमित अभ्यास के लिए कुछ सिफारिशें की हैं जो कंपनी द्वारा आवश्यक विचार और कार्यान्वयन के लिए अलग से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी को अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

मण्डल की बैठक को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस और एजेंडा दिया गया। मण्डल के सभी निर्णय के अपेक्षित बहुमत के साथ लिया गया और कार्यवृत के भाग के रूप में दर्ज किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, कंपनी ने सीपीएसई हेतु निगमित शासन पर अधिनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों और डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य विशिष्ट क़ानूनों का पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने किसी भी विशिष्ट घटना को नहीं किया है जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी के अनुपालन उत्तरदायित्व पर हो।

विनोद कोठारी एंड कंपनी के लिए
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

ह०/-
मुन्मी फूकन
एसीएस नं .: A60355
सीपी नं .: 22846
यूडीआईएन :

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 29 जून, 2020

अनुलग्नक - ए1

दस्तावेजों की सूची

1. निगमित मामलें ;

   1.1 31 दिसम्बर, 2019 तक का निम्न बैठकों का कार्यवृत बही :

      1.1.1 मण्डल बैठक;

      1.1.2 लेखापरीक्षा समिति;

      1.1.3 नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

      1.1.4 हितधारक संबंध समिति;

      1.1.5 निगमित सामाजिक दायित्व समिति;

      1.1.6 आम बैठक;

   1.2 31 मार्च, 2020 तक नोटिस के साथ-साथ बोर्ड और समिति की बैठक के लिए एजेंडा पेपर;

   1.3 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट;

   1.4 एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख;

   1.5 अधिनियम के तहत प्रकटीकरण ;

   1.6 अधिनियम और सूचीबद्ध विनियमों के तहत तैयार की गई नीतियां;

   1.7 अधिनियम के तहत मेंटेन किए गए रजिस्टर;

   1.8 कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई फॉर्म और रिटर्न।

परिशिष्ट - डी"

फार्म संख्या एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, के 2014 के नियम 8 (2) के अधीन)

कंपनी / अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंध / समझौतों के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र , जिसमें तीसरे अनंतिम उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन शामिल हैं:

1. **आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर नहीं हुए अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण**

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	कोई नहीं
यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें	कोई नहीं
ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	कोई नहीं
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	कोई नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं
वह तिथि, जिस पर विशेष प्रस्ताव को सामान्य बैठक में पारित किया गया था, जो कि धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक था	कोई नहीं

2. **अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ ट्रैंज़ैक्शन के आधार पर था**

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति	कोई नहीं
अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि	कोई नहीं
यदि कोई हो, तो संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें	कोई नहीं
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	कोई नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई नहीं

कृते निदेशक मंडल

हस्ता./-

रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07696782

परिशिष्ट - "ई"

फॉर्म नं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	L35111WB1934GOI007891
(ii)	पंजीकरण की तिथि	26 फरवरी 1934
(iii)	कंपनी का नाम	गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	सरकारी कंपनी / पब्लिक लिमिटेड
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क सूत्र	43/46, गार्डन रिच रोड, कोलकाता 700 024 दूरभाष: 033-2469 8100 से 8114 फ़ैक्स: 033-2469 8150 ई-मेल: co.sec@grse.co.in
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
(vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	अलंकृत असाइनमेंट लिमिटेड अलंकृत हाइट्स, 3ई/7, झंडेवालान एक्स्टेंशन नई दिल्ली – 110 055 फोन: 011-42511234/23541234 बेबसाइट: www.alankit.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम एवं विवरण	*उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड सं.	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	पोत निर्माण	301/3011 – पोतों का निर्माण और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	94.43

** राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय*

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी का कोई, होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनी नहीं है।

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

i) श्रेणी-वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारक का वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप									
1. भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केंद्र सरकार	8,53,41,180	60	8,53,41,240	74.5	8,53,41,240	-	8,53,41,240	74.5	-
(ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ए)(1)	**8,53,41,180**	**60**	**8,53,41,240**	**74.5**	**8,53,41,240**	**-**	**8,53,41,240**	**74.5**	**-**
2. विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ए)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्रमोटर शेयरहोल्डिंग (ए) = ए(1) + ए(2)	**8,53,41,180**	**60**	**8,53,41,240**	**74.5**	**8,53,41,240**	**-**	**8,53,41,240**	**74.5**	**-**
बी. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थान									
(क) म्यूचुअल फंड	70,20,031	-	70,20,031	6.13	1,23,13,843	-	1,23,13,843	10.75	4.62
(ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	67,26,997	-	67,26,997	5.87	66,522		66,522	0.06	(5.81)
(ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियाँ	1,17,60,244	-	1,17,60,244	10.27	67,11,367		67,11,367	5.86	(4.41)
(छ) एफ़पीआई / एफ़आईआई	-	-	-	-	16,86,103	-	16,86,103	1.47	1.47
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (बी)(1)	**2,55,07,272**	**-**	**2,55,07,272**	**22.27**	**2,07,77,835**	**-**	**2,07,77,835**	**18.14**	**(4.13)**
2. गैर-संस्थान									
(क) निकाय कॉर्पोरेट									
(i) भारतीय	13,52,742	-	13,52,742	1.18	10,45,143		10,45,143	0.91	(0.27)
(ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) यक्ति									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख तक नामित शेयर पूंजी रखते हैं	21,15,845	100	21,15,945	1.85	43,65,264	115	43,65,379	3.81	1.96
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख से अधिक नामित शेयर पूंजी रखते हैं	45,008	-	45,008	0.04	23,49,421	-	23,49,421	2.05	2.01
(ग) अन्य									
(i) क्लियरिंग मेंबर	18,921	-	18,921	0.02	99,028	-	99,028	0.09	0.07
(ii) कर्मचारी / पदाधिकारी	58,607	-	58,607	0.05	43,395	-	43,395	0.04	(0.01)
(iii) एनआरआई	57,608	-	57,608	0.05	2,17,268	-	2,17,268	0.19	0.14
(iv) निवासी (एचयूएफ़)	54,657	-	54,657	0.05	2,64,891	-	2,64,891	0.23	0.18
(v) आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफ़सी	-	-	-	-	48,050	-	48,050	0.04	0.04
(vi) ट्रस्ट	-	-	-	-	350	-	350	0.00	0.00
उप-कुल (बी)(2)	**37,03,388**	**100**	**37,03,488**	**3.23**	**84,32,810**	**115**	**84,32,925**	**7.36**	**4.13**
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी) = बी(1) + बी(2)	**2,92,10,660**	**100**	**2,92,10,760**	**25.50**	**2,92,10,645**	**115**	**2,92,10,760**	**25.5**	**-**
सी. जीडीआर एयूआर एडीआर के कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी+सी)	**11,45,51,840**	**160**	**11,45,52,000**	**100**	**11,45,51,885**	**115**	**11,45,52,000**	**100**	**-**

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरूआत में शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान बदलाव %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी/ भारित किए गए कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी/ भारित किए गए कुल शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	8,53,41,240	74.50%	शून्य	8,53,41,240	74.50%	शून्य	-

iii) प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में बदलाव

विवरण	दिनांक	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति					
वर्ष के शुरूआत में	01 अप्रैल 2019	8,53,41,240	74.50	8,53,41,240	74.50
वर्ष के दौरान बदलाव	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	31 मार्च 2020	8,53,41,240	74.50	8,53,41,240	74.50

iv) 31 मार्च 2020 तक शीर्ष दस शेयरधारकों (डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और होल्डर्स ऑफ जीडीआर और एडीआर के अलावा) के शेयरहोल्डिंग पैटर्न

क्र. सं	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**भारतीय साधारण बीमा निगम**				
	वर्ष के शुरूआत में	33,60,036	2.93	33,60,036	2.93
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	-	-	-	-
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	(26,71,500)	(2.33)	6,88,536	0.60
	वर्ष के अंत में	6,88,536	0.60	**6,88,536**	**0.60**
2.	**भारतीय जीवन बीमा निगम**				
	वर्ष के शुरूआत में	84,00,208	7.33	84,00,208	7.33
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	-	-	-	-
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	(31,65,283)	(2.76)	52,34,925	4.57
	वर्ष के अंत में	52,34,925	4.57	**52,34,925**	**4.57**
3.	**एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के शुरूआत में	42,06,955	3.67	42,06,955	3.67
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	46,69,245	4.08	88,76,200	7.75
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	-	-		
	वर्ष के अंत में	88,76,200	7.75	**88,76,200**	**7.75**
4.	**रिलायन्स कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के शुरूआत में	21,39,934	1.87	21,39,934	1.87
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	6,46,922	0.56	27,86,856	2.43
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	27,86,856	2.43	**27,86,856**	**2.43**
5.	**आदित्य बिड़ला सन लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के शुरूआत में	-	-	-	-
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	7,87,906	0.69	7,87,906	0.69
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	**7,87,906**	**0.69**	**7,87,906**	**0.69**

क्र. सं	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6.	**रमेश दामिनी**				
	वर्ष के शुरूआत में	-	-	-	-
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	12,87,159	1.12	12,87,159	1.12
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	(2,79,825)	(0.24)	10,07,334	0.88
	वर्ष के अंत में	10,07,334	0.88	**10,07,334**	**0.88**
7.	**एसबीआई पीएसयू फ़ंड**	10,07,334	0.50		
	वर्ष के शुरूआत में	6,73,142	0.59	6,73,142	0.59
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	-	-		
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	(99,254)	(0.09)	5,73,888	0.50
	वर्ष के अंत में	5,73,888	0.50	**5,73,888**	**0.50**
8.	**बोधिवृक्षा एड्वाइजर्स एलएलपी**				
	वर्ष के शुरूआत में	-	-	-	-
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	3,50,000	0.31	3,50,000	0.31
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	3,50,000	0.31	**3,50,000**	**0.31**
9.	**एमकेटी कैपिटल एलपी**				
	वर्ष के शुरूआत में	-	-	-	-
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	2,34,823	0.20	2,34,823	0.20
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	2,34,823	0.20	**2,34,823**	**0.20**
10.	**सम्राट विवेकानंद चंदा**				
	वर्ष के शुरूआत में	-	-	-	-
	(+) वर्ष के दौरान खरीदा गया	2,48,821	0.22	2,48,821	0.22
	(-) वर्ष के दौरान बेचा गया	(22,270)	(0.02)	2,26,551	0.02
	वर्ष के अंत में	2,26,551	0.20	**2,26,551**	**0.20**

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक वर्ष के आरंभ में या वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी के कोई भी शेयर धारण नहीं किए है।

V. ऋण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण व जमा के संबंध में कोई ऋणग्रस्तता नहीं थी।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/व प्रबंधकों को पारिश्रमिक :

(लाख रू में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निवेशक का नाम					कुल राशि
		रियर एडमिरल वी के सक्सेना	श्री एस एस डोगरा	श्री ए के नंदा	कमोडोर एस नैयर	कमोडोर पी आर हरि	
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	39.84	36.28	36.04	37.34	17.95	167.45
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	0.83	3.78	2.37	3.27	0.16	10.41
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	-	-	-	-		-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-		-
3.	परिश्रम इक्विटी	-	-	-	-		-
4.	कमीशन	-	-	-	-		-
5.	अन्य (पीएफ़ एवं ग्रेच्युट्टी में योगदान)	5.89	5.40	2.26	5.50	2.15	21.20
	कुल (ए)	**46.56**	**45.46**	**40.67**	**46.11**	**20.26**	**199.06**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है।					

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक *:

(लाख रू में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशक का नाम					कुल राशि
		श्री भारत भूषण	श्रीमति कंवलजीत देओल	डॉ. अजय भंडारी	रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली	डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	
1.	बोर्ड/समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	4.80	5.30	4.10	3.15	2.30	19.65
2.	कमीशन	-	-	-	-	-	
3.	अन्य	-	-	-	-	-	
	कुल (बी)	**4.80**	**5.30**	**4.10**	**3.15**	**2.30**	**19.65**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है।					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए + बी)	**₹ 218.71**					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है।					

** अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।*

सी. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक *(लाख रू में)*

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
		श्री संदीप महापात्र, कंपनी सचिव
1.	सकल वेतन	
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	22.51
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	-
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	-
2.	स्टॉक विकल्प	-
3.	परिश्रम इक्विटी	-
4.	कमीशन	-
5.	अन्य (पीएफ़ ग्रेच्युट्टी/पेंशन में योगदान)	2.79
	कुल	25.30

VII. जुर्माना/सजा/अपराधों का समझौता:

वर्ष के दौरान कंपनी या इसके निदेशकों या डिफ़ाल्ट में अन्य अधिकारियों, यदि कोई हो, के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना/सजा/अपराध नहीं दिया गया था।

परिशिष्ट - "एफ"

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

I. आपकी कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा

जीआरएसई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य किए जाने से पहले सीएसआर गतिविधियों को लागू कर रहा है। यह मुख्य रूप से उत्पादन इकाइयों के आसपास के क्षेत्र में सीमांत खंड के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जीआरएसई सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से अपने आसपास के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ नैतिक, पारदर्शी और ध्वनि शासन प्रथाओं को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता है।

विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से जीआरएसई मुख्य रूप से अपने उत्पादन इकाइयों के आसपास रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से निवास करने वाले वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करता है। जीआरएसई की सीएसआर नीति स्थानीय समुदाय की चिंता और जरूरतों के क्षेत्रों की पहचान करने और जलग्रहण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लक्ष्य समूह के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न सीएसआर पहलों को लागू करने के लिए अपेक्षित दिशा-निर्देशों का पालन करती है। जीआरएसई की सभी सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्मित कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 की अनुसूची VII के अनुरूप हैं। स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर और स्थिरता पर मण्डल स्तर की समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए विभिन्न सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की सिफारिश करती है। मण्डल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। परियोजनाओं को लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है और वांछित प्रगति के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो वांछित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। मण्डल स्तर की समिति विभिन्न सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है। परियोजनाओं की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रभाव अध्ययन किया जाता है।

II. आरंभ किए गए गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों का अवलोकन

1. कौशल भारत मिशन

कौशल विकास जीआरएसई के सीएसआर उद्देश्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह देश में बेरोजगारी के चुनौतीपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है। सीएसआर के तहत जीआरएसई के कौशल विकास पहलों का मुख्य फोकस मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलना है। वित्त वर्ष 2019-20 में, कौशल विकास गतिविधियों को गुणवत्ता और मात्रा दोनों के मामले में कंपनी में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था और साथ ही तीन सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने प्रशिक्षण अवसंरचना को विकसित करने और अपने छात्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन में समर्थन किया गया।

(क) स्थानीय सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का विकास

वित्तीय वर्ष 2016-17 से, जीआरएसई स्थानीय सरकारी आईटीआई के उनके कौशल विकास प्रशिक्षण में सुधार लाने में सहयोग कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, जीआरएसई ने महिला आईटीआई कोलकाता, आईटीआई टॉलीगंज, कोलकाता (जहां जीआरएसई वेल्डिंग में उत्कृष्टता का एक केंद्र की स्थापना की है) और पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में स्थित आईटीआई बेलूरघाट, को सहायता प्रदान करना जारी रखा है। कुल मिलाकर, इन तीन आईटीआई में 10 विभिन्न ट्रेडों में लगभग 290 छात्र हमारे सीएसआर पहल के माध्यम से लाभान्वित हुए। आईटीआई में किए गए कौशल विकास कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है:

(ख) समर्थित आईटीआई में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विकास

- महिला आईटीआई कोलकाता द्वारा संचालित बेसिक कॉस्मेटोलॉजी व्यापार में अच्छी नौकरी और उद्यमशीलता की संभावनाएं हैं। ट्रेड वर्कशॉप के बुनियादी ढांचे को नवीनतम मानक में अपग्रेड करने के लिए, जीआरएसई ने महिला ब्यूटी आईटीआई को आधुनिक ब्यूटीशियन उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे नए उपकरण प्रदान किए हैं ताकि छात्र प्रशिक्षण पर अपनी पकड़ रख सकें और अपने व्यावहारिक कौशल में सुधार कर सकें।
- एनएसक्यूएफ़ लेवल - 5 ट्रेड सिलेबस के अनुसार आईटीआई बालूरघाट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की कार्यशाला में प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन। कार्यशाला अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से सुसज्जित है जिसमें सुरक्षा विशेषताएं हैं जो न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा बल्कि व्यापार क्षमता में भी वृद्धि करेगा।
- आईटीआई टॉलीगंज में जीआरएसई द्वारा स्थापित वेल्डिंग में उत्कृष्टता केंद्र के बुनियादी ढांचे को दो उन्नत वेल्डिंग

मशीन और यूवी/आईआर सुरक्षा के साथ ऑटो डार्क वेल्डिंग वेल्डिंग हेलमेट प्रदान करके और बढ़ाया गया है।

नवीनतम मशीनों, उपकरणों और उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से उपरोक्त क्षमता वृद्धि पहलों के साथ , मौजूदा छात्रों के साथ-साथ भविष्य के बैचों को भी अत्यधिक लाभ मिलेगा।

(ग) आईटीआई छात्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम

आईटीआई को विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान की गई है जो छात्रों के समग्र विकास में मदद करेंगे और उन्हें उनके पाठ्यक्रम के बाद लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईटीआई छात्रों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- महिला आईटीआई कोलकाता के सीओपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस छात्रों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- जीआरएसई और अन्य संगठनों के लिए औद्योगिक यात्राओं की व्यवस्था आईटीआई के छात्रों के लिए की गई थी ताकि उन्हें औद्योगिक एक्स्पोजर मिल सके।
- तीन आईटीआई में जीवन कौशल, साक्षात्कार कौशल, संचार कौशल और योग पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।
- सीओपीए और वेल्डर ट्रेड के उज्ज्वल आईटीआई छात्रों के लिए सीआईआई रीजनल वर्कस्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गाय। आईटीआई टॉलीगंज के दो छात्रों ने 32 वीं सीआईआई पूर्वी क्षेत्रीय कार्यसंस्कृति प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- भारत सरकार के डीजीटी द्वारा आयोजित एआईटीटी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन समर्थित आईटीआई के 56 मेधावी छात्र को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(घ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में सुधार

आपकी कंपनी ने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ट्रेड अपरेंटिस को नौकरी प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि व्यावहारिक कौशल उन्हें प्रदान किया जा सके जो उनकी रोजगार बढ़ाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित विकासात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्थित किया जाता है:

- व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) के माध्यम से प्रशिक्षुओं के लिए 5 दिनों की अवधि के एक सामान्य योग्यता विकास कार्यक्रम (जीएडीपी) की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम संचार, मनोवृत्ति विकास, समय प्रबंधन, विश्लेषणात्मक रचनात्मकता कौशल और नवाचार, मल्टी-टास्किंग और टीम गतिशीलता की तरह सॉफ्ट स्किल में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया था।
- 09 जीआरएसई ट्रेड अपरेंटिस जो 31 वीं सीआईआई पूर्वी क्षेत्रीय वर्कस्किल्स प्रतियोगिता के विजेता थे, उन्हें 31 वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रायोजित किया गया था। 07 जीआरएसई अपरेंटिस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- 20 फरवरी को आयोजित 32 वीं सीआईआई क्षेत्रीय वर्कस्किल प्रतियोगिता में 09 विभिन्न ट्रेडों से 21 ट्रेड अपरेंटिस को भागीदारी के लिए प्रायोजित किया गया था। 09 जीआरएसई अपरेंटिस ने एक प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर की वर्कस्किल्स प्रतियोगिता के लिए पात्र हैं।
- प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए बाहरी संकाय द्वारा जीवन कौशल और साक्षात्कार कौशल पर प्लेसमेंट सहायता प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।
- कार्य कौशल प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के लिए मेधावी प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए दिया जाने वाला नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

2 दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना

जीआरएसई ने 2010-11 के बाद से सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए व्यापक शैक्षिक और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास में सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के साथ साझेदारी की है। जीआरएसई के समर्थन से, आईआईसीपी इन विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर होने के सरल कार्य सिखाने के लिए नवीन विधियों के उपयोग को उन्नत करता है और उन्हें दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है।

जीआरएसई 3 कक्षाओं को सपोर्ट कर रही है, अर्थात् शिक्षा विकास यूनिट IV (12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए), शिक्षा विकास यूनिट V (14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए), और लाइफ स्किल ट्रेनिंग यूनिट (15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए)। इस पहल का उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए व्यापक, समग्र सीखने का अनुभव प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी उच्चतम क्षमता का एहसास हो सके। पिछले आठ वर्षों से इस परियोजना के द्वारा गंभीर रूप से कई इंपेयरमेंट्स वाले 43 बच्चों को सालाना सपोर्ट किया जा रहा है।

जीआरएसई ने इन बच्चों को बेहतर सीखने और संचार कौशल के लिए मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा विकास इकाई- IV, V और लाइफ स्किल ट्रेनिंग यूनिट के छात्रों के लिए अतिरिक्त अनुकूलित उपकरण और स्मार्ट क्लास रूम सुविधाएं प्रदान करके आईआईसीपी को अपना समर्थन प्रदान किया।

इस तरह के प्रयासों को इन विशेष बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्षित किया जाता है और जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाता है।

3. **एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वंचित आदिवासी बच्चों का समग्र विकास-**

जीआरएसई एक सीएसआर पहल के तहत रांची जिले के आदिवासी क्षेत्रों बद्री, गेटल्सुद, कुटुर्लोबा और टुपुड़ना के वंचित बच्चों के सर्वांगीण विकास का समर्थन कर रहा है । यह परियोजना रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ के साथ उनके गदाधर अभ्युदय प्रकल्प (जीएपी) के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जो कि वंचित बच्चों के समग्र विकास के लिए पैन इंडिया परियोजना है।

जीआरएसई 05 जीएपी इकाइयों का समर्थन कर रहा है, जिसमें लगभग 255 आदिवासी बच्चे शामिल हैं, जिसमें दैनिक पोषक आहार की खुराक प्रदान की जाती है, समय-समय पर चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य जागरूकता कक्षाएं, मुफ्त व्यायाम / योग सत्र, शारीरिक विकास के लिए खेल गतिविधियां की जाती हैं। टॉयलेटरी आइटम जैसे टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, साबुन, हेयर ऑयल, मोजे, जूते आदि प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं ।

4. **स्वच्छ भारत मिशन पहल**

स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ से बहुत पहले स्वच्छता और सामुदायिक निर्माण जीआरएसई के सीएसआर पहल का एक मुख्य क्षेत्र बन गया है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को पूरा करने के लिए स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में, जीआरएसई ने शौचालय यूनिटों, हाथ धोने की सुविधा का निर्माण कराया, रंग कोडित वेस्टबिन प्रदान किए, इन्सिनीरेटर्स और अन्य एन्सिलरी सपोर्ट संरचनाओं/मदों जीआरएसई के उत्पादन इकाइयों के आसपास के क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में प्रदान किए हैं।

(क) स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत स्थानीय स्कूलों में शौचालयों का निर्माण

स्वच्छ विद्यालय अभियान स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छ विद्यालय मिशन के व्यापक दिशानिर्देशों के तहत, जीआरएसई ने लड़कियों के स्कूलों पर विशेष जोर देने के साथ स्थानीय स्कूलों की समग्र स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए कई पहल को लागू करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है । प्रमुख कार्यक्रम 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के एक भाग के रूप में, 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' पर एक राष्ट्रीय अभियान, जीआरएसई ने स्वच्छ और सुव्यवस्थित शौचालय की सुविधा प्रदान करके अपना योगदान दिया है । वित्तीय वर्ष 2019-20, में जीआरएसई ने मेटियाब्रुज और महेशतल्ला, खिदिरपुर और हावड़ा क्षेत्र के इलाकों में स्थित 10 सरकारी स्कूलों में कुल 36 शौचालयों का निर्माण किया है । अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण ने छात्रों के शौचालय अनुपात को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस हस्तक्षेप से बच्चों के स्वास्थ्य, स्कूल नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण में सुधार हुआ है। महिला छात्रों को बहुत लाभ हुआ है क्योंकि कई स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं इस हस्तक्षेप से पहले अपर्याप्त या अनुपलब्ध थीं। इस परियोजना में यूरिनल एवं शौचालयों और वाश बेसिन के सेट शामिल हैं, जिससे पूरे स्कूल स्वच्छता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ख) स्कूल शौचालयों का रखरखाव

2017-18 से, जीआरएसई ने स्कूल शौचालयों की वाश (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) के क्षेत्र में रखरखाव हेतु एक मजबूत तंत्र को अपनाया है । इस हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया है कि जीआरएसई द्वारा बनाई गई सुविधाओं का रख-रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है और यह भी गारंटी देता है कि छात्रों की पहुँच स्वच्छ और हाइजीन शौचालयों तक हो, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति और रिटेन्श्न के लिए आवश्यक है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर कुल 161 शौचालयों और 14 स्कूलों के 165 यूरिनल बनाए गए ।

(ग) इन्सिनेरेटर की स्थापना

मासिक धर्म स्वच्छता को बनाए रखने को स्वच्छ विद्यालय दिशानिर्देशों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म के कचरे का स्वच्छ निपटान स्कूलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । तदनुसार, जीआरएसई ने लड़कियों के विद्यालयों में इन्सिनेरेटरों के लिए प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2019- 20 में, 06 स्थानीय लड़कियों के स्कूलों में इन्सिनेरेटरों की स्थापना की गई जहां शौचालयों का निर्माण जीआरएसई द्वारा किया गया है । इस परियोजना से न केवल इन लड़कियों के स्कूल में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार किया है बल्कि छात्राओं के अनुपस्थित और ड्रॉप आउट की दर को भी कम करेगा।

सीएसआर गैलरी

दिव्यांग बच्चों का सशक्तिकरण

वंचित तबके के आदिवासी बच्चों का समग्र विकास

स्वच्छ भारत मिशन पहल

XX

"हेल्थ ऑन व्हील्स"

XX

इन पहलों के माध्यम से, जीआरएसई ने बच्चों के बीच स्वच्छता और स्वच्छता की आदत को विकसित किया है, जिससे वे अपने इलाके में स्वच्छता के राजदूतों में परिवर्तित हो गए हैं।

5. गत सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन / प्रभाव अध्ययन

वित्त वर्ष 19-20 में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल (एमएकेएयूटी) एक पारदर्शी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का आयोजन किया गया।

6. स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएं

(क) स्वास्थ्य जांच शिविर

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा इलाके के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित आबादी को मूल नैदानिक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू किया गया था। प्रारंभ में 61 पार्क यूनिट में एक महीने में एक बार स्वास्थ्य जांच शिविर / क्लीनिक आयोजित किए गए थे। हालांकि, हर महीने आरबीडी इकाई में एक अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करके, परियोजना को 2019-20 में बढ़ाया गया था। शिविर में मरीजों की औसत संख्या लगभग 250-300 रोगी की है। यह परियोजना के बाद इसकी बहुत अधिक मांग है और यह पिछले 09 वर्षों से सफलतापूर्वक जारी है जिसने लगभग 30,000 लोगों को प्रभावित और लाभान्वित किया है।

(ख) रक्तदान शिविर

26 फरवरी 2020 को थैलेसीमिया सोसायटी ऑफ इंडिया के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीआरएसई कर्मचारी, ट्रेड अपरेंटिस, सीआईएसएफ कर्मी और ठेकेदार के कार्यकर्ता पूरे दिल से रक्तदान शिविर में शामिल हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में, लगभग 131 कर्मियों ने थैलेसीमिया रोगियों के लिए रक्त प्रदान करके रक्तदान का महान कार्य किया।

7. रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की दिशा में योगदान (आईडीईएक्स)

'रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार' (आईडीईएक्स) औपचारिक रूप से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सीपीएसई कॉन्क्लेव के दौरान अप्रैल, 2018 में शुरू किया गया था। आईडीईएक्स पहल का उद्देश्य आकर्षक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा रक्षा में नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए एक इको-सिस्टम बनाना है। जीआरएसई के लिए, सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) – आईआईएम (अहमदाबाद) को डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (डीआईओ) पार्टनर के रूप में पहचाना गया है। जीआरएसई ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) की दिशा में 20 लाख रु राशि का योगदान दिया है।

III. सीएसआर और स्थिरता समिति की संरचना

(क)	श्रीमती कंवलजीत देओल *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर एस नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोतनिर्माण)	सदस्य
(ग)	कमोडोर पीआर हरि, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*[१]	सदस्य
(घ)	श्री संदीप महापात्र *कंपनी सचिव*	समिति के सचिव

[१] *21 अक्टूबर 2019 से समिति के सदस्य के रूप में स्वीकृत।*

IV. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आपकी कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

2016-17	:	20.89 करोड़ रू
2017-18	:	127.75 करोड़रू
2018-19	:	178.96 करोड़
कुल शुद्ध लाभ	:	327.6 करोड़
औसत शुद्ध लाभ	**:**	**109.2 करोड़**

V. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित सीएसआर (पिछले 3 वर्षों के कुल औसत 2% लाभ) व्यय वित्तीय: 218.4 लाख रू

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च राशि: 221 लाख

वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं. सं.	पहचान की गई गतिविधि की सीएसआर परियोजना	कार्य क्षेत्र जिसमें परियोजना को शामिल किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का खंड संख्या यथा संशोधित)	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला का नाम बताएं जहां परियोजनाओं या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख रु. में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के उप मदों में खर्च की गई राशि: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2018 – 2019 तक संचयी व्यय (लाख रु. में)	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
(i)	**कौशल भारत**						
1.	मैनपावर शक्ति के 10% के रक्षा मंत्रालय के निदेशों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैधानिक आवश्यकता के 2.5% से ऊपर और उससे ऊपर भर्ती अप्रेंटिसों को स्टाइपेंड का भुगतान किया गया।	खंड – (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल – कोलकाता एवं आस पड़ोस के जिलें	25.41	25.41	25.41	जीआरएसई लिमिटेड
2.	जीआरएसई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रेड अप्रेंटिसों का विकास और नियुक्ति सहायता।	खंड – (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल – कोलकाता एवं आस पड़ोस के जिलें	7.06	7.06	7.06	जीआरएसई लिमिटेड
3	वुमेन आईटीआई, कोलकाता और आईटीआई बलुरघाट (पूर्ववर्ती आकांक्षात्मक जिले) में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हेतु प्रशिक्षण सुविधा के विकास के लिए उपकरणों की खरीद और आईटीआई टौलीगंज (वेल्डिंग में उत्कृष्टता केंद्र) में प्रशिक्षण सुविधा का विकास	खंड – (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना	टौलीगंज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल गरियाहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	14.93	14.93	14.93	वुमेन आईटीआई, कोलकाता, आईटीआई, टौलीगंज एवं आईटीआई बलुरघाट
4.	टौलीगंज गवर्नमेंट आईटीआई और वुमेन आईटीआई, कोलकाता और आईटीआई बलुरघाट के छात्रों और संकाय सदस्यों का विकास एवं छात्रों को नियुक्ति सहायता।	खंड – (ii) रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना	टौलीगंज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल गरियाहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल बलुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	5.73	5.73	5.73	वुमेन आईटीआई, कोलकाता ,आईटीआई, टौलीगंज एवं आईटीआई बलुरघाट
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी) के 43 गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के तीन कक्षाओं का एडोप्श्न	खंड – (ii) दिव्यांग बच्चों में विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल-कोलकाता एवं आस पड़ोस के जिलें	30.84	30.84	30.84	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी (आईआईसीपी)

क्रं. सं.	पहचान की गई गतिविधि की सीएसआर परियोजना	कार्य क्षेत्र जिसमें परियोजना को शामिल किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का खंड संख्या यथा संशोधित)	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला का नाम बताएं जहां परियोजनाओं या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख रु. में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के उप मदों में खर्च की गई राशि: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2018 – 2019 तक संचयी व्यय (लाख रु. में)	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
6.	वित्त वर्ष 2019-20 में कार्यन्वित परियोजना का मूल्यांकन/अध्ययन प्रभाव	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढावा देना	मेटियाब्रुज एवं पश्चिम बंगाल कोलकता के अन्य स्थान	5.00	5.00	5.00	मौलाना अबदुल कलम अज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी, पश्चिम बंगाल
(ii)	**स्वच्छ भारत मिशन**						
7.	10 स्थानीय स्कूलों में 36 शौचालयों का निर्माण	खंड – (i) निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं शौचालय व्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	हावड़ा,पश्चिम बंगाल, कोलकाता का मटियाब्रुज और महेशतल्ला	52.49	52.49	52.49	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, पश्चिम बंगाल शाखा एवं जीआरएसई लिमिटेड
8.	जीआरएसई द्वारा निर्मित मटियाब्रुज के 14 स्कूल के शौचालय का रखरखाव	खंड – (i) निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं शौचालय व्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल, कोलकाता का मटियाब्रुज और महेशतल्ला	21.72	21.72	21.72	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, पश्चिम बंगाल शाखा एवं जीआरएसई लिमिटेड
9.	स्थानीय लड़कियों के 06 स्कूलों में इन्सिनीरेटर्स की स्थापना	खंड – (i) निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं शौचालय व्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल, कोलकाता का मटियाब्रुज और महेशतल्ला	1.84	1.84	1.84	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, पश्चिम बंगाल शाखा
10	स्थानीय क्षेत्रों में स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन एवं प्रशासनिक और शौचालय लागत इत्यादि	खंड – (i) निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं शौचालय व्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल, कोलकाता के मटियाब्रुज, महेशतला और हावड़ा का क्षेत्र	0.74	0.74	0.74	जीआरएसई लिमिटेड
11.	क्लीन गंगा फंड में योगदान	खंड – (iv) – केंद्र सरकार द्वारा स्थापित गंगा नदी के जीर्णोद्धार हेतु क्लीन गंगा फंड में योगदान	सम्पूर्ण भारत	2.50	2.50	2.50	भारत सरकार
(iii)	**अन्य परियोजनाएं**						
12.	मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर	खंड – (i) निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना	मटियाब्रुज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	8.55	8.55	8.55	जीआरएसई लिमिटेड

क्रं. सं.	पहचान की गई गतिविधि की सीएसआर परियोजना	कार्य क्षेत्र जिसमें परियोजना को शामिल किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का खंड संख्या यथा संशोधित)	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला का नाम बताएं जहां परियोजनाओं या कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार (लाख रु. में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के उप मदों में खर्च की गई राशि: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2018 – 2019 तक संचयी व्यय (लाख रु. में)	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
13.	रांची जिले (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) के 255 वंचित बच्चों का समग्र विकास	खंड – (i) निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना	रांची, झारखंड	24.19	24.19	24.19	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ
14.	रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की दिशा में योगदान (आईडीईएक्स)	खंड – (ix) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों में स्थित प्रौधोगिकी इंक्यूबेटरों को प्रदान किया जाने वाले योगदान या राशि	सम्पूर्ण भारत	20.00	20.00	20.00	सीआईआईई-आईआईएम (अहमदाबाद)
	कुल =			**221**	**221**	**221**	

** उपरोक्त आंकड़ा जीएसटी घटक को छोड़कर है।*

VI कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण

(क) **सुलभ इंटरनेशनल:** सुलभ इंटरनेशनल एक पेन इंडिया आधारित समाज सेवा संगठन है जो स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, आदि को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। संगठन एक कार्यान्वयन आधारित भागीदार के रूप में टीआईएसएस की सिफारिश पर मटियाब्रुज के स्वच्छता रोडमैप के अध्ययन और रिपोर्ट हेतु चयनित किया गया था।

(ख) **राम कृष्ण मिशन:** राम कृष्ण मिशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। 2019-20 के लिए वार्षिक सीएसआर विषय 'स्कूल शिक्षा और पोषण' थी। चूँकि आरकेएसएम पूरे देश में वंचित बच्चों के समग्र विकास के लिए पूरे देश में गदाधर अभ्युदय प्रकाशन (जीएपी) नामक एक परियोजना चलाती है, जीआरएसई ने रांची जिला (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) में आरकेएसएम की 05 जीएपी इकाइयों को चलाने के लिए समर्थन बढ़ाया।

(ग) **सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई):** रक्षा मंत्रालय ने सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) आईआईएम (अहमदाबाद) में जीआरएसई को आईडीईएक्स (डिफेंस एक्सीलेंस) पार्टनर के रूप में नामित किया है, ताकि डिफेंस इकोसिस्टम में इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सीएसआर फंड का योगदान किया जा सके।।

(घ) **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएकेएयूटी), पश्चिम बंगाल:** यह एक राज्य विश्वविद्यालय है, जिसके 200 से अधिक संबद्ध कॉलेज हैं। चूंकि यह एक राज्य सरकार की संस्था है जो सीएसआर से संबंधित कार्यों में लगी हुई है , संस्था जीआरएसई की पिछली सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी अध्ययन हेतु लगी हुई थी।

VII यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत या उसके किसी हिस्से को खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी मण्डल रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रदान करेगी।

लागू नहीं

VIII सीएसआर समिति का एक दायित्व कथन है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरूप है।

'निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरूप है।'

ह०/-
कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)
निदेशक (कार्मिक)

ह०/-
कंवलजीत देओल
अध्यक्ष, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी समिति

दिनांक: 21 जुलाई, 2020

प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग परिदृश्य

1.1 वैश्विक परिदृश्य

पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य खर्च पर कटौती की वजह से पिछले कुछ वर्षों में नौसैनिक पोत निर्माण बाजार में मंदी देखी गई है। हालांकि, वैश्विक पोत निर्माण बाजार को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नौसैनिक बेड़े में पुराने पोतों को बदलने और लड़ाकू प्रौद्योगिकी में परिष्कार के स्तर में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए वापसी की उम्मीद है। वैश्विक नौसैनिक पोत निर्माण बाजार इस दशक की पहली छमाही के दौरान चरम पर रहेगा, जो दोनों सतह के लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों की मांग से प्रेरित रहेगा। विश्व स्तर पर, युद्धपोतों की औसत आयु पच्चीस (25) वर्ष के आसपास है और विभिन्न देशों में लगभग 180 खरीद कार्यक्रम चल रहे हैं।

1.2 भारतीय परिदृश्य

भारत में रक्षा पोत निर्माण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड दोनों के फोकस के क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड जैसे आपकी कंपनी , मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में सबसे आगे हैं। निजी शिपयार्ड भी अपनी क्षमता बढ़ाने और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक की जरूरतों के अनुरूप अपने मौजूदा पोत निर्माण बुनियादी ढांचे को संशोधित करने के विशिष्ट उपाय कर रहे हैं। निजी शिपयार्डों में, एलएंडटी शिपबिल्डिंग और शोफ्ट शिपयार्ड, जो वाणिज्यिक शिपबिल्डर्स के रूप में पोत निर्माण बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, रक्षा शिपबिल्डिंग क्षमताओं वाली कंपनियों के रूप में खुद को प्रतिष्ठित कर रहे हैं।

वर्तमान में, भारतीय नौसेना के बेड़े में 135-140 पोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि भारतीय तट रक्षक बेड़े में 2027 तक लगभग 200 पोतों के बढ़ने की उम्मीद। दोनों रक्षा प्रतिष्ठानों ने संयुक्त रूप से एक पोत निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जो पंद्रह (15) वर्षों से अधिक अवधि की हैं। जिसके तहत वे लगभग 165 युद्धपोतों के ऑर्डर देंगे।

इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी), 130 पोतों के मौजूदा बेड़े के साथ, 2022 तक अपने बेड़े की क्षमता को 200 पोतों तक करने की योजना है। वर्तमान में, आईसीजी के लिए 70 पोत छह (6) शिपयार्ड में निर्माणाधीन हैं , जबकि 30 और पोत बोली प्रक्रिया के अधीन हैं। आईसीजी के लिए, सरकार ने 32,000 करोड़ रू कार्य योजना की मंजूरी दी है।

उद्योग के सूत्रों के अनुसार, 2027 तक भारतीय नौसेना का अनुमानित पूंजी बजट 4,50,000 करोड़ रू के लगभग है। नियोजित व्यय में पनडुब्बियों (2,20,000 करोड़ रू लगभग), विध्वंसक / फ्रिगेट (90,000 करोड़ रू लगभग), विमान वाहक (45,000 करोड़ रू लगभग), कोर्वेट लैंडिंग प्लेटफार्म आदि सहित विभिन्न पोत श्रेणियों के लिए एक अलग अनुमान शामिल है।

2. संगठन की संरचना

वर्तमान में, जीआरएसई में पोत निर्माण के लिए तीन (3) अलग-अलग सुविधाएं है, जो सभी कोलकाता, भारत में एक-दूसरे के पास के इलाके में स्थित हैं और यह नदी से भी जुड़े हुए हैं। हम पोतों के निर्माण मेन वर्क्स यूनिट और राजाबागन डॉकयार्ड (मुख्य रूप से छोटे पोतों के निर्माण के लिए समर्पित एक सुविधा) में अपने पोतों का निर्माण करते हैं। हमारी तीसरी सुविधा, एफओजे यूनिट का उपयोग मुख्य रूप से पोतों की फिटिंग और मरम्मत के लिए की जाती है। हमारे डीजल इंजन संयंत्र (डीईपी), रांची यूनिट समुद्री प्रणोदन इंजनों के परीक्षण और ओवरहालिंग और डीजल इंजनों की सेमी-नॉक्ड़ वाली इकाइयों के संयोजन में लगी हुई है। हमारे इंजीनियरिंग खंड पोर्टेबल स्टील पुलों के निर्माण और पोतों और समुद्री पंपों के डेक मशीनरी के निर्माण में लगे हुए हैं।

3. उत्पाद और सेवाएं

रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जीआरएसई भारत में एक पोत निर्माण कंपनी है और यह मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के पोत निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करती है। हमारे पोत और युद्धपोत निर्माण क्षमताओं के अलावा, हम इंजीनियरिंग और इंजन उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं। हमारे इंजीनियरिंग डिवीजन के एक भाग के रूप में, हम डेक-मशीनरी आइटम, प्री-फैब्रिकेटेड पोर्टेबल स्टील ब्रिज और मरीन पंप का निर्माण करते हैं। हमारे पोत निर्माण विभाग से हमारे परिचालन से राजस्व का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

4. एसडबल्यूओटी विश्लेषण

गतिशील परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जीआरएसई ने एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया है और निम्नलिखित की पहचान की है:

ताकत

(क) स्वस्थ ऑर्डर बुक के साथ 26 वर्ष से अधिक समय तक कंपनी को लाभ और लाभांश देना।

(ख) पोत निर्माण के लिए उत्कृष्ट, अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा जो एक साथ 20 छोटे और बड़े पोतों के निर्माण और फिटिंग को सक्षम बनाता है।

(ग) 24,600 फ्लीट टैंकर के बेड़े से लेकर 5टन बोट तक के व्यापक स्पेक्ट्रम का निर्माण करने के अच्छी विविध क्षमता वाली कंपनी और इंजीनियरिंग उत्पादों के विविध व्यवसाय अर्थात डेक मशीनरी उपकरण, मरीन पंप, पोर्टेबल स्टील ब्रिज और मरीन डीजल इंजन निर्माण सुविधा।

(घ) 33 एकड़ और 550 मीटर वाटर फ्रंट के साथ पाँच छोटे पोतों के समवर्ती निर्माण/ फिटिंग के क्षेत्र के लिए समर्पित स्टैंड-अलोन सुविधा (राजा बगान डॉकयार्ड)।

(ङ) चार बड़े पोतों के पोस्ट-लॉन्च आउटफिटिंग को समवर्ती रूप से शुरू करने के लिए जेट्टी के लिए समर्पित फिटिंग।

(च) आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, टूल्स और वर्चुअल रियलिटी लैब सहित सहज आईटी नेटवर्क के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे के मामले में पोत डिजाइन के लिए क्षमता के साथ मजबूत 100 प्लस सदस्य मजबूत डिजाइन हाउस।

(छ) पिछले डिजाइनों की लेजेसी डेटा की उपलब्धता।

(ज) पोत निर्माण के प्रसिद्ध डिजाइन हाउसों के साथ व्यापार साझेदारी।

(झ) परियोजना प्रबंधन के लिए इन-हाउस क्षमता साबित करना।

(ञ) सभी स्तरों पर सक्षम और उच्च कुशल मानव संसाधन।

(ट) बेली ब्रिज सेगमेंट में लगभग 60% बाजार हिस्सेदारी।

(ठ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक जैसे मुख्य ग्राहकों के साथ लंबे समय से अच्छे संबंध।

कमजोरियां

(क) नदी शिपयार्ड होने के नाते नदी में सिल्टिंग के प्रभाव के साथ नौगम्य चैनल की गहराई और चौड़ाई सीमित होने के कारण कठिनाइयाँ।

(ख) संकीर्ण सड़कों वाले घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में कंपनी का स्थित होना।

(ग) शिपयार्ड के आसपास के चुनौतीपूर्ण औद्योगिक वातावरण

अवसर

(क) बेड़े के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए भारतीय नौ सेना और तटरक्षक की खरीद योजना।

(ख) एमएचए और आईडब्ल्यूएआई की खरीद योजना।

(ग) दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका के लिए विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों और गश्ती पोतों के लिए निर्यात क्षमता।

(घ) निर्यात की क्रेडिट (एलओसी) के विस्तार सहित निर्यात पर सरकार की नीति।

(ङ) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए पोतों की मरम्मत और रीफिट में व्यापार की महत्वपूर्ण क्षमता मिली है।

(च) निजी शिपयार्ड के साथ सहयोग के माध्यम से क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि।

(छ) भारत और विदेश में उपयुक्त पोत निर्माण या मरम्मत यार्ड का अधिग्रहण।

(ज) आक्रामक विपणन, क्षमता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से ब्रिजों, इंजीनियरिंग उत्पादों और इंजनों में व्यावसायिक वॉल्यूम बढ़ाने का स्कोप।

(झ) विभिन्न प्रकार के पोतों के बुनियादी डिजाइन को विकसित करने की क्षमता जो कि डिजाइनिंग और संबंधित सेवाओं को अन्य शिपयार्ड में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो डिजाइन कार्यालय को एक अलग लागत केंद्र बनने में सक्षम बनाता है।

(ञ) केवल रक्षा उपक्रम शिपयार्ड ने द्विधा गतिवाला पोतों (एसीवी, एलएसटी, एलसीयू आदि) और फ्लीट टैंकर की आपूर्ति की है।

(ट) भावी पोत निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए राजा बागान डॉकयार्ड में पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध है।

आशंकाएँ

(1) निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड से गंभीर प्रतिस्पर्धा।

(2) पोतनिर्माण गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए मजबूत स्थानीय वेंडरों की अनुपलब्धता।

(3) भौगोलिक स्थिति और वातावरण।

(4) इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए स्माल प्लेयरों से प्रतिस्पर्धा।

उपरोक्त एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण से यह ऊभर कर सामने आया है कि कम्पनी के पास रक्षा एवं तटीय सुरक्षा तथा अंतर्देशीय जलयानों के निर्माण के विशाल अवसर उपलब्ध है। तदनुसार, कम्पनी की ताकतों तथा इसकी कमजोरियों के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के आधार पर कम्पनी इन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। आधारभूत सुविधाओं तथा उत्पादन सुविधाओं की ताकत भरोसेमंद वेंडर विकास को सुदृढ़ करती है जो पोतनिर्माण में सहयोग दे सकें ताकि आने वाले अवसरों को काम में लगायी जा सके और प्रत्याशित आशंकाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

5. हमारी रणनीतियां

हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का दोहन करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत रणनीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं:

(क) लागत में कमी और उत्पादकता और आंतरिक दक्षता में सुधार की दिशा में जोर।

(ख) ग्राहक संतुष्टि वृद्धि पर ध्यान।

(ग) उत्तोलन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)।

(घ) युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री को अधिकतम उपयोग।

(ङ) निर्माण अवधि को कम करने के लिए स्थानों और एकीकृत निर्माण सुविधा का इष्टतम उपयोग।

(च) ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास।

(छ) सतत विकास पर ध्यान।

(ज) अलग से पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना।

(झ) योग्यता अंतराल, व्यवसाय की आवश्यकता की पहचान और कर्मचारियों को उपयुक्त समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाना।

(ञ) शिपयार्ड के व्यवसाय संचालन में उद्योग 4.0 को उपयुक्त रूप से अपनाना।

(ट) पूर्वी क्षेत्र में पोत निर्माण गतिविधियों के लिए वाइवरेंट इकों सिस्टम के विकास की सुविधा बनाना।

6. सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी 23 मई 2018 को जारी की गई अधिसूचना में रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों को खंड रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक छूट दी। इसलिए, इस रिपोर्ट में सेगमेंट-वाइज/ प्रोडक्ट-वाइज पर्फोर्मेंस संलग्न नहीं हैं।

7. आउटलूक

भारतीय पोत निर्माण उद्योग में हाल ही के दिनों में समग्र स्वस्थ वृद्धि देखी गई है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के पोत अधिग्रहण की योजना के आधार पर रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से रक्षा पोत निर्माण क्षेत्र में है और बड़े, मध्यम और छोटे आकार के भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए आवश्यक पोतों में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त की है। सामान्यता: इसके द्वारा निर्मित पोतों के लिए इसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। आपकी कंपनी ने जून 2020 में भारतीय तट रक्षक में अपना 105वां युद्धपोत डिलीवर किया और इससे यह देश में एकमात्र शिपयार्ड बन गया है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है।

जीआरएसई अपने सभी उत्पाद खंडों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है। रक्षा क्षेत्रों के उन ऑर्डरों के लिए निजी पोत निर्माण प्लेयर्स से सख्त प्रतिस्पर्धी हैं जहां से कंपनी को प्रमुख व्यवसाय मिलता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय शिपयार्ड से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के ऑर्डरों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी रखती है और विकास की गति को बनाए रख रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी को प्रतिस्पर्धा बोली में 6,311.32 करोड़ रू मूल्य के आठ (08) एएसडबल्यू-एसडबल्यूसी युद्धपोत निर्माण परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

8. चुनौतियों का सामना करने के उपाय

निरंतर प्रदर्शन और विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जाती हैं:

क) डिजाइन विभाग का विकास उत्कृष्टता के केंद्र में करना

ख) पोत निर्माण प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं का उन्नयन

ग) कारगर सामग्री प्रबंधन/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

घ) विक्रेता विकास और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण

ङ) पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन प्रणाली में सुधार

च) ब्रिज यूनिट, डेक मशीनरी यूनिट और डीजल इंजन प्लांट उत्पादों का उन्नयन

छ) निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ठोस विपणन प्रयासों के माध्यम से व्यापार विकास।

ज) अलग-अलग लाभ केंद्र के रूप में पोत निर्माण के अलावा अन्य व्यवसाय विकसित करना

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

जीआरएसई में आंतरिक नियंत्रण की एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली है जो कंपनी की नीतियों के पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की, सटीकता और लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं के रूप में तैयार की गई है। इसने खरीद, उप-अनुबंध, निर्माण अनुबंध, लेखा, मानव संसाधन, आईटी और सुरक्षा, शक्तियों का उप-प्रतिनिधिमंडल, आदि सभी वित्तीय और परिचालन कार्यों को कवर करते हुए नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रलेखित किया है और बदलते समय के साथ संशोधित किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित लेखापरीक्षा, सिस्टम समीक्षा, प्रक्रिया समीक्षा, डेटा एनालिटिक्स आदि के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच करता है और कंपनी की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं और आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करता है।

नियंत्रण ढांचा स्व-मूल्यांकन के साथ-साथ प्रक्रिया के स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के आधार पर जांच और संतुलन की विस्तृत प्रणाली प्रदान करता है। कंपनी के पास सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार और शासन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी प्रक्रिया है।

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करता है, और अच्छी तरह से परिभाषित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम और महत्वपूर्ण ऑडिट टिप्पणियों के साथ नीतियों को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया जाता है। जीआरएसई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन है। लेखा परीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और उसके बाद के कार्यों का पालन किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति आपकी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

10. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा और विश्लेषण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन मुखय विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू में)

विवरण	31 मार्च 20 तक	31 मार्च 19 तक
सकल आय	1658.79	1,557.66
परिचालन से राजस्व	1433.30	1,386.42
उत्पादन का मूल्य	1424.70	1,378.77
सकल लाभ	255.00	211.16
असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ	234.48	181.16
असाधारण वस्तु	(10.61)	(2.20)
कर पूर्व लाभ	223.87	178.96
कर व्यय	60.39	69.02
कर अदायगी के बाद लाभ	163.48	109.94
कुल मूल्य	1040.23	1,038.31
प्रति शेयर बुक वैल्यू (रू में)	90.81	90.64
प्रति शेयर आय (रू में)	14.27	9.60
प्रति शेयर लाभांश (रू में)	7.14	6.95

अनुपात (%)	31 मार्च 20 तक	31 मार्च 19 तक
देनदार टर्नओवर	37.35	15.86
इनवेंटरी टर्नओवर	25.49	21.50
वर्तमान अनुपात	1.13	1.22
परिचालन लाभ मार्जिन	0.63	0.56
निवल लाभ मार्जिन	11.43	7.93

- **सकल राजस्व में** 6.49% की वृद्धि दर्ज की गई जो 2018-19 में 1,55,766.09 लाख रू से बढ़कर 2019-20 में 1,65,879.47 लाख रू हुई।
- **उत्पादन का मूल्य** 3.33% की वृद्धि दर्ज की गई जो 2018-19 में 1,37,877.46 लाख रू से बढ़कर 1,42,470.32 लाख रू हुई।
- **निवल लाभ (पीबीटी)** 25.10% की व्रद्धि दर्ज की गई जो 2018-19 में 17,896.02 लाख से बढ़कर 2019-20 में 22,387.00 लाख रू हुई।
- **प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि** 2018-19 के 21.06 लाख रू से बढ़कर 2019-20 में 23.07 लाख रू हुई।
- **प्रति शेयर बुक वैल्यू** 2018-19 के 90.64 लाख रू से बढ़कर 2019-20 में 90.81 लाख रू हुई।
- **निवल मूल्य** 0.19% की व्रद्धि दर्ज की गई जो 2018-19 में 1,03,830.71 लाख से बढ़कर 2019-20 में 1,04,023,.10 लाख रू हुई।
- **प्रति शेयर लाभांश** 2018-19 के 6.95 लाख रू से बढ़कर 2019-20 में 7.14 लाख रू हुई।

11. मानव संसाधन विकास

कंपनी विभिन्न मानव संसाधन विकास पहलों के माध्यम से व्यक्तिगत और टीम स्तर पर अपने कर्मचारियों के निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ पहलें नीचे दी गई हैं: -

(क) **क्षमता निर्माण पहल** : कंपनी ने भारत और विदेशों की प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों की दक्षताओं को अद्यतन करने में विभिन्न पहल की है। वित्त वर्ष 201-20 में प्रमुख क्षमता निर्माण की पहल नीचे दी गई है:

(i) नेतृत्व विकास कार्यक्रम ;

(ii) उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(iii) प्रबंधकीय और व्यवहार दक्षताओं के विकास कार्यक्रम प्रबंधित करना ;

(iv) कार्यात्मक विकास कार्यक्रम ;

(v) उभरते विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(vi) ई-लर्निंग पाठ्यक्रम ;

(vii) महिला विकास कार्यक्रम ;

(ix) आईपीआर और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम।

(ख) **नई पुरस्कार योजनाएं:** उन अधिकारियों को पहचानने के लिए जो अपने प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं और जिन्होंने अपने काम के माध्यम से उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके और एक सकारात्मक और सहायक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए, वर्ष के दौरान एक नई पुरस्कार योजना अर्थात 'स्टार पेरफ़ॉर्मर' की शुरुआत की गई। अन्य सभी पुरस्कार जैसे जीआरएसई एग्जम्प्लरी सर्विस अवार्ड्स, ऑन द स्पॉट सीएमडी कमेंडेशन एंड ऑन द स्पॉट कैश अवार्ड, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड, कर्मचारी इनोवेशन स्कीम, कर्मचारियों के बच्चों के लिए जीआरएसई मेरिट अवार्ड, क्वालिटी सर्किल के लिए ग्रुप अवार्ड्स और 5'एस' आदि जारी रखा गया हैं।

12. मानवशक्ति

31 मार्च 2020 को आपकी कंपनी की कर्मचारी शक्ति 1973 व्यक्तियों की थी।

31 मार्च 2020 तक कुल कर्मचारी	अधिकारी	पर्यवेक्षकों	कार्यालय सहायक	वर्कमेन		
				प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1973	468	144	75	987	299	1286

13. पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती है, जो कि क्लीनर प्रौद्योगिकियों में लाने और पुनरावृत्ति, पुन: उपयोग और दृष्टिकोण को कम करने के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करती है। प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट कचरे का निपटान और धातु स्क्रैप, ई-कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

14. संरक्षण ऊर्जा का प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी ' *निदेशकों की रिपोर्ट* ' में दी गई है।

15. निगमित सामाजिक दायित्व और स्थिरता (सीएसआर)

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी *सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट* के खंड में दी गई है,जो '**परिशिष्ट - "एफ़"** के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

सावधानी कथन - *कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत 'दूरदर्शी बयान' हो सकते है। वास्तविक परिणाम इस तरह की अपेक्षाओं, भविष्य की योजनाएं और अन्य से जो व्यक्त या निहित हो, से अलग हो सकते हैं। कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें जलवायु परिस्थितियों और मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं, जिस पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।*

निगमित शासन की रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए)

निगमित शासन पर दर्शन

1. आपकी कंपनी की निगमित शासन संबंधी नीति सच्चाई, ईमानदारी, जवाबदेही, पर्याप्त प्रकटीकरण, विधि प्रक्रिया अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हितों के टकराव से परहेज के सिद्धांत पर आधारित है। आपकी कंपनी निगमित नागरिक की तरह निगमित मूल्यों एवं उद्देश्यों तथा सामाजिक दायित्वों के पालन को महत्व देती है। आपकी कंपनी का विश्वास ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय सावधानी, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में है। हमारी निगमित संरचना, व्यापार और प्रकटीकरण प्रथाएँ निगमित प्रशासन दर्शन से जुड़ी हुई हैं।

2. निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी ने निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लिखित एवं भावनात्मक दोनों प्रकार से कार्यान्वित किया है। आपकी कंपनी का विश्वास है कि अच्छा निगमित शासन एक अनवरत अभ्यास है और अपने सभी स्टेकहोल्डरों के समग्र हित में और अपने स्टेकहोल्डरों के लंबी अवधि तक मूल्य में बढ़ोतरी के लिए निगमित शासन के उच्चतम मानदंडों का अनुसरण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। विकेंद्रीकृत एवं पारदर्शी निर्णय करने के लिए इसके पास मजबूत एवं अच्छा प्रशासनिक सेट अप है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित अच्छी शासन प्रथाएँ है :-

   - निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसायिक आचरण और आचार संहिता
   - अप्रकाशित मूल्य के संवेदनशील सूचना के अंदरूनी व्यापार और निष्पक्ष प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता
   - व्हिसल ब्लोअर नीति
   - निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति
   - संबन्धित पार्टी लेन देन पर नीति
   - दस्तावेजों का संरक्षण और अभिलेखीय नीति
   - प्रकटीकरण की भौतिकता के निर्धाराण की नीति
   - जोखिम प्रबंधन नीति
   - लाभांश वितरण नीति
   - सामग्री सहायक का निर्धारण करने पर नीति
   - मानव संसाधन नियमावली
   - लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसओपी

निदेशक मण्डल

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में निदेशक मण्डल शीर्ष निकाय है जो कंपनी के कार्य का निरीक्षण करता है। आपकी कंपनी का मण्डल सामरिक निर्देश देता है और उन्हें पूरा करवाने के लिए जवाबदेही तय करता है। मण्डल ने अपनी 'दूरदर्शिता' विवरण को प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि परिदृश्य योजना के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया है। एक ट्रस्टी के तौर पर शेयरधारकों के मूल्य में बढ़ोतरी के लिए इसे प्रबंधन और कार्य निष्पादन की अंतिम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मण्डल के निर्णय आपकी कंपनी के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। मण्डल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए उप-समिति का गठन किया है।

मण्डल का आकार एवं संरचना

4. आपकी कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी और गैर कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन है, जिसमें आधे स्वतंत्र निदेशक है। 31 मार्च 20 के अनुसार निदेशक मण्डल में कुल 10 निदेशक शामिल हैं जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक, 1 सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 5 अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्र) सहित एक महिला निदेशक हैं।

5. 01 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य निदेशक(सूचीबद्ध संस्थाओं सहित) पद की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या	
			अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक				
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01 मार्च 2017	-	-	-
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा, निदेशक (वित्त)	31 दिसंबर 2014	-	-	-
श्री असित कुमार नन्दा[1], निदेशक (कार्मिक)	03 मई 2016	-	-	-

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि	अन्य निदेशक(सूचीबद्ध संस्थाओं सहित) पद की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित समिति की स्थिति की संख्या	
			अध्यक्ष	सदस्य
कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त), निदेशक (पोतनिर्माण)	16 दिसंबर 2017	-	-	-
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त), निदेशक (कार्मिक)	21 अक्तूबर 2019			
सरकार द्वारा नामित निदेशक				
श्री अश्विनी कुमार महाजन, अपर वित्तीय सलाहकार (एके) एवं संयुक्त सचिव	02 अप्रैल 2016	एक (01) भारत डायानामिक्स लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी) सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	-
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)				
श्री भारत भूषण	15 सितंबर 2017	-	-	-
श्रीमती कंवलजीत देओल, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	15 सितंबर 2017	-	-	-
डॉ. अजय भण्डारी	09 मार्च 2018	-	-	-
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, एवीएसएम, वीएसएम, भानौ (सेवानिवृत्त)	15 अगस्त 2018	-	-	-
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	15 अगस्त 2018	-	-	-

[1] 30 सितंबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में सेवानिवृत्त।

6. समीक्षाधीन वर्ष के के दौरान एक (01) नए निदेशक को निदेशक मण्डल में शामिल किया गया। नए नियुक्त निदेशक का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है :

कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)

31 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त), ने 21 अक्टूबर 2019 को हमारी कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होने भारतीय नौसेना में 28 वर्षों से अधिक कमीशंड सेवा की है, जिसमें पोत पर युद्धपोतों, नौसेना मरम्मत संगठनों और विभिन्न कर्मचारी नियुक्तियों के विभिन्न अनुभव हैं। उनके पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और रक्षा और सामरिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री है। वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और नौसेना युद्ध कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह जीआरएसई के मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे थे और जीआरएसई के उत्पादन, नियोजन और नियंत्रण विभाग के प्रमुख थे और दीर्घकालिक कॉर्पोरेट रणनीति, उत्तराधिकार योजना और प्रशिक्षण विकास वेतन नेगोशियसन आदि में सक्रिय रूप से शामिल थे।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता : शून्य

7. 01 जुलाई 2020 को एक (01) नए निदेशक को निदेशक मण्डल में शामिल किया गया। नए नियुक्त निदेशक का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है :

श्री आर के दाश

श्री आर के दास ने 01 जुलाई 2020 को हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। श्री दास जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया के एसोसियट सदस्य है। उनके पास विधि स्नातक और कॉमर्स में मास्टर की डिग्री भी है। उनके पास वित्त, लेखा, मूल्य निर्धारण, बजट, कराधान और लेखा परीक्षा कार्यों का 28 वर्षों से अधिक का विस्तृत अनुभव है। कंपनी में नियुक्ति के पहले श्री आर के दास हिंदुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में कार्यरत थे। वह 25 जुलाई 2019 से 17 मई 2020 तक मेसर्स हल्बिट अविओनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंग्लोर (एचएएल का एक संयुक्त उद्धम) बोर्ड के नामित निदेशक थे।

अन्य निदेशक पद: शून्य

अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता : शून्य

मुख्य बोर्ड विशेषज्ञता और कौशल

8. आपकी कंपनी में निदेशक भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशानुसार कार्य करते हैं। आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

9. आपकी कंपनी के बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं। उन्हें आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता प्राप्त हैं जिसकी वजह से वे बोर्ड और उसकी समितियों में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम हैं। निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बोर्ड द्वारा निगमित प्रशासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में मुख्य बोर्ड कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञताओं का सार है, जो बोर्ड की राय में, कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक हैं:

कौशल और गुण	विवरण
संगठनात्मक उद्देश्य	कंपनी के उद्धोग इसके संचालन, देश की समुद्री जरूरतों, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, घरेलू और वैश्विक दोनों ही विनियामक और प्रतिस्पर्धा वातावरण को समझने की क्षमता, जिस के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसायों के लिए अवसरों और खतरों की पहचान करने में सक्षम होती है। कंपनी के लिए एक प्रेरक विजन बनाने की दिशा में योगदान करने की क्षमता।
वित्तीय और प्रबंधकीय कुशाग्रता	लेखांकन और वित्त, व्यापार निर्णय, सामान्य प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं, संकट प्रतिक्रिया और प्रबंधन, उद्धोग ज्ञान, मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण में ज्ञान एवं कौशल।
नीति का मूल्यांकन	कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र, सरकार के निर्देशों और कंपनी के व्यवसायों के लिए प्रयोज्यता के संदर्भ में नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की क्षमता।
निगमित शासन	विनियामक अनुपालन, बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही के मामलों पर ज्ञान, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना, उपर्युक्त शासन प्रथाओं का पालन करना और इसके शोधन के लिए योगदान करना।
प्रौद्धोगिकी की समझ	प्रौद्धोगिकी और नवाचार में उभरते रूझानों को समझना जो व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकते हैं और आवश्यक हस्तक्षेपों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जिनका उपयोग व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाने में किया जा सकता है।
संस्कृति का निर्माण	एक नैतिक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने, हितों के टकराव को खत्म करने और नैतिकता, अखंडता और संगठनात्मक आचरण के उच्चतम मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने की दिशा में बोर्ड की भूमिका में योगदान देने की क्षमता।

10. प्रत्येक निदेशक का मूल कौशल, विशेषज्ञता और दक्षता की एक सूची नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	कौशल / विशेषज्ञता / योग्यता					
	संगठनात्मक प्रयोजन	वित्तीय और प्रबंधकीय कुशाग्रता	नीति मूल्यांकन	निगमित शासन	प्रौद्धोगिकी समझ	संस्कृति निर्माण
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	√	√	√	√	√	√
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा	√	√	√	√	√	√
कमोडोर संजीव नैय्यर	√	√	√	√	√	√
कमोडोर हरि पी आर	√	√	√	√	√	√
श्री अश्विनी कुमार महाजन	√	√	√	√	√	√
श्री भारत भूषण	√	√	√	√	-	√
श्रीमती कंवलजीत देओल	√	√	√	√	-	√
डॉ. अजय भंडारी	√	√	√	√	-	√
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली	√	√	√	√	√	√
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	√	√	√	√	-	√

मण्डल प्रक्रिया

11. मण्डल बैठक समान्यतः प्रति तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो इससे अधिक बैठकें की जाती है जो व्यापार करने में आसानी हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, व्यापार विकास के लिए रणनीतियाँ बनाने, योजना नियंत्रण करने, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करने, उच्च मूल्य की मदों, छमाही/आवधिक परिणाम, वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रचालन योजना, तथा बजट का अनुमोदन करने के साथ मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सांविधिक अपेक्षित मामलों पर विचार करने के लिए की जाती है।

12. आपकी कंपनी का विश्वास है कि सावधानी पूर्वक नियोजित कार्यसूची टिप्पणियाँ, प्रभावी मण्डल बैठकों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यसूची टिप्पणियों के साथ विस्तृत सूचना की पृष्ठभूमि दी जाती है ताकि मण्डल निर्णय ले सके। कार्यसूची टिप्पणियों को समान्यतः मण्डल के सदस्यों को समय रहते परिचालित कर दिया जाता है। मण्डल के सदस्य अध्यक्ष से परामर्श करके किसी भी महत्वपूर्ण मामलों को मण्डल को विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को भी मण्डल बैठक में उपस्थित होने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंशकालिक निदेशक मण्डल बैठक के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा कंपनी को तकनोलोजी, वित्त, विपणन, लोक नीति तथा प्रचालन के क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं।

बैठकें एवं उपस्थिति

13. वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित दस (10) मण्डल बैठकें आयोजित की गई :

क्रम संख्या	दिनांक	मण्डल की संख्या शक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	03 मई 19	10	10
2.	29 मई 19	10	10
3.	11 जुलाई 19	10	9
4.	09 अगस्त 19	10	10
5.	20 सितंबर 19	10	10
6.	31 अक्तूबर 19	10	9
7.	18 दिसंबर 19	10	10
8.	01 फरवरी 20	10	10
9.	28 फरवरी 20	10	9
10.	19 मार्च 20	10	10

14. किसी भी दो मण्डल बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल सैतालीस (47) दिनों का था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित मण्डल की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति										उपस्थिति का %	20 सितंबर 19 को हुए गत वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	03 मई 19	29 मई 19	11 जुलाई 19	09 अगस्त 19	20 सितंबर 19	31 अक्तूबर 19	18 दिसंबर 19	01 फरवरी 20	28 फरवरी 20	19 मार्च 20		
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
श्री असित कुमार नन्दा [1]	✓	✓	✓	✓	✓	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न	100	✓
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
कमोडोर हरि पी आर [2]	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	✓	✓	✓	✓	✓	100	ला.न.
श्री अश्विनी कुमार महाजन	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90	✓
श्री भारत भूषण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	90	✓
श्रीमती कंवलजीत देओल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
डॉ. अजय भण्डारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	90	✓
डॉ बिश्वप्रिय रॉयचौधरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 01 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[2] 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त।

मण्डल की समितियां

15. वर्तमान में मण्डल ने आपकी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में सहायता एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए नौ (09) उप समितियों का गठन किया है। मण्डल की उप समितियों में निम्नलिखित हैं :

(क) लेखा परीक्षा समिति

(ख) मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(ग) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी समिति

(घ) परियोजना समीक्षा उप समिति

(ङ) प्रोक्योरमेंट समिति

(च) व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति

(छ) समझौता ज्ञापन समिति

(ज) विधि समिति; और

(झ) स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति

16. निदेशक मण्डल की उपरोक्त वर्णित उप समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है :

लेखा परीक्षा समिति

17. लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सीपीएसई, 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियमों, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियमन") के अनुरूप है।

18. 31 मार्च को 20 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है :

(क)	श्री भारत भूषण अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	श्रीमती कंवलजीत देओल अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
(ग)	रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, भानौ (सेवानिवृत्त) अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
(घ)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोतनिर्माण)	सदस्य

19. निदेशक (वित्त), लेखा परीक्षा समिति के विशेष आमंत्रित स्थायी अतिथि है। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा) , सांविधिक लेखा परीक्षक (जब त्रैमासिक और वार्षिक खातों पर चर्चा की गई) और आंतरिक लेखा परीक्षकों (जब आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की गई) भी नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होते हैं।

20. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लेखित तथा सेबी सूचीबद्ध विनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियम व लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार है। समिति का प्रमुख कार्य है वित्तीय रिपोर्टों, आपकी कंपनी के वित्त, लेखा और विधि अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की समीक्षा जिसे प्रबंधन और मण्डल ने नियत किया है और आपकी कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और सामान्यता: वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करके निदेशक मंडल की सहायता करना।

21. लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और आपकी कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है।

22. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष मंडल बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पर्यवेक्षण से बोर्ड को अवगत कराता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए मंडल को इसकी अनुवर्ती बैठक में प्रस्तुत किया जाता हैं। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

23. वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की सात (7) बैठकें आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति							उपस्थिति का %
	28 मई 19	10 जुलाई 19	08 अगस्त 19	30 अक्तूबर 19	17 दिसंबर 19	01 फरवरी 20	18 मार्च 20	
श्री भारत भूषण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्रीमती कंवलजीत देओल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	86
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

24. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष गत वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

25. मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा लोक उद्यम विभाग,डीपीई मार्गनिर्देश द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ,2010 एवं सेबी लिस्टिंग विनियमन हेतु निगमित शासन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार है।

26. मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन (3) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च 20 के अनुसार मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार है:

(क)	श्रीमती कंवलजीत देओल अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	श्री भारत भूषण अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
(ग)	डॉ. अजय भण्डारी अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य

27. निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशेष अतिथि हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

28. मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(क) वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन राशि कार्य निष्पादन संबन्धित वेतन (पीआरपी) तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निहित सीमा में कार्यपालकों (मण्डल स्तर के कार्यपालकों सहित) तथा गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों में इसे वितरित करने के लिए नीति निर्धारण करना।

(ख) मानव संसाधन मुद्दे से संबन्धित सभी प्रस्तावों का परीक्षण करना और अपना सुझाव देना।

(ग) मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सुझावों को अनुमोदन हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

29. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सात (07) बैठकें आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबन्धित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति							उपस्थिति का %
	27 मई 19	10 जुलाई 19	08 अगस्त 19	19 सितंबर 19	17 दिसंबर 19	01 फरवरी 20	17 मार्च 20	
श्रीमती कंवलजीत देओल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
श्री भारत भूषण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
डॉ. अजय भण्डारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

30. मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा वर्ष के दौरान की गई सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिए गए।

पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

31. एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कार्यकाल, पारिश्रमिक पैकेज और नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों को इंगित करते हुए की जाती है। कार्यात्मक निदेशकों को आम तौर पर पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के साथ 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। संविदात्मक अवधि से पहले सेवा छोड़ने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने या नोटिस अवधि की अनुपस्थिति में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जाता है।

आपके कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक को उतने पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता जितना भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता हैं। मण्डल स्तर के अधिकारियों के वेतन और भत्ते का भुगतान नियुक्ति की शर्तों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो उपरोक्त विषय पर दिशानिर्देश होते हैं और अन्य लाभ और अनुलाभ का भुगतान जीआरएसई के नियमों के अनुसार किया जाता हैं। मण्डल स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अनुसार किया जाता है। श्रमिकों के पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच दीर्घकालिक समझौते के अनुसार होता है।

32. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं: *(लाख रू में)*

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	पीएफ / ग्रेच्युटी / पेंशन में कंपनी का अंशदान	कार्यनिष्पादन संबंधित भुगतान	कुल
रियर एडमिरल वी के सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) *अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक*	38.93	0.83	5.89	0.91	**46.56**
श्री एास एस डोगरा, *निदेशक (वित्त)*	35.59	3.78	5.40	0.69	**45.46**
श्री ए के नंदा, *निदेशक (कार्मिक)* [1]	35.45	2.37	2.26	0.59	**40.67**
कमोडोर एस नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	36.63	3.27	5.50	0.71	**46.11**
कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (कार्मिक)*[2]	17.95	0.16	2.15	-	**20.26**

** वेतन में एरियर शामिल है*

[1] 01 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[2] 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त।

अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

33. सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह सरकार से अगले आदेश तक कार्यालय का संचालन करते हैं। वे किसी भी पारिश्रमिक या उपस्थिति फीस के हकदार नहीं होते हैं।

34. आमतौर पर तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त या पुन: नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उपस्थिति शुल्क के अलावा किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

35. कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान के मानदंड का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है http://grse.in/pdf/investors/Terms%20and%20Conditions%20of%20Appt%20of%20Non-Executive%20Directors.pdf

36. वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के बैठक में उपस्थिति के लिए भुगतान इस प्रकार है:

(लाख रू में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठकें	कुल पारिश्रमिक
श्री भारत भूषण	1.80	3.00	**4.80**
श्रीमती कंवलजीत देओल	2.00	3.30	**5.30**
डॉ अजय भंडारी	2.00	2.10	**4.10**
रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली	1.80	1.35	**3.15**
डॉ बिस्वप्रिया रॉयचौधरी	2.00	0.30	**2.30**

37. इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के अंशकालिक निदेशकों के साथ कोई अन्य संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

मूल्यांकन मापदंड

38. चूंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड स्तर की नियुक्तियां की जाती हैं , ऐसे नियुक्तिकर्ताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रोक्योरमेंट समिति

39. प्रोक्योरमेंट समिति को निम्नलिखित के संबंध में मण्डल का पूरा अधिकार दिया गया है :

(क) संस्वीकृत परियोजनाओं हेतु सामग्री, उपकरण, औज़ार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, रूसी स्त्रोत सहित आयात, कार्य का अनुमोदन, उप संविदाओं तथा किराया सुविधाओं इत्यादि की खरीद करने के लिए आदेश देने हेतु ₹ 30 करोड़ से अधिक राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन।

(ख) मण्डल/सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में दिए गए मदों के संदर्भ में ₹ 5 करोड़ रु. से अधिक पूंजीगत व्यय हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन।

(ग) प्रोक्योरमेंट समिति सभी खरीद प्रस्तावों का आपकी कंपनी के क्रय मैनुअल, सीवीसी मार्गनिर्देश, सरकारी विनियमों इत्यादि के अनुरूप तथा अनुपालन करते हुए परीक्षण करती है तथा प्रस्तावों को अनुमोदित करती है। प्रक्रिया से किसी प्रकार के विपथन होने

पर प्रस्तावों को समिति के सुझावों के साथ निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तथापि यदि समिति यह महसूस करें कि प्रस्ताव विशेष को मण्डल के विचार की अपेक्षा है तो उसे समिति के सुझाव (सुझावों) के साथ मण्डल को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा अनुमोदित सभी खरीद प्रस्ताव सूचना हेतु मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

40. 31 मार्च 2020 को प्रोक्योरमेंट समिति की मंडल निदेशक का गठन निम्नानुसार है :

(क)	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) *अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री भारत भूषण *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री सर्वजीत सिंह डोगरा *निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(घ)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	सदस्य

41. कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

42. प्रोक्योरमेंट कमेटी के अध्यक्ष बोर्ड मीटिंग के दौरान प्रोक्योरमेंट कमेटी की टिप्पणियों से बोर्ड को अवगत कराते हैं।

43. वित्त वर्ष 2019 - 20 के दौरान , प्रोक्योरमेंट कमेटी की तीन (03) बैठकों का आयोजन किया गया । वित्त वर्ष 2019 - 20 के दौरान , प्रोक्योरमेंट कमेटी के बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति			उपस्थिति %
	11 जुलाई 19	30 अक्टूबर 19	19 मार्च 20	
रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना	✓	✓	✓	____ 100
श्री भारत भूषण	✓	✓	✓	____ 100
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा	✓	✓	✓	____ 100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	____ 100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी समिति ("सीएसआर एवं एसडी समिति")

44. कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत प्रतिपादित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी मार्गनिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई निगमित सामाजिक दायित्व एवं सास्टेनेबिलिटी नीति को आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने अनुमोदित कर दिया है। उक्त नीति के शर्तों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन आपकी कंपनी के सीएसआर एवं एसडी क्रियाकलापों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए किया गया है।

45. सीएसआर एवं एसडी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:

(क) कंपनी अधिनियम 2013 के शिड्यूल- VII में यथानिर्धारित एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी नीति तैयार करना और मण्डल को सिफ़ारिश करना, जिसमें आपकी कंपनी द्वारा ली जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होगा।

(ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए व्यय की राशि की सिफारिश।

(ग) आपकी कंपनी के निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनिबिलिटी नीति और समय-समय पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी।

46. निदेशक मण्डल की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन 31 मार्च 20 के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	श्रीमती कंवलजीत देओल अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) निदेशक (पोतनिर्माण)	सदस्य
(ग)	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त) [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] 21 अक्तूबर 2019 को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकृत

47. कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

48. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर एवं एसडी समिति की चार (04) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर एवं एसडी समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति				उपस्थिति %
	15 मई 19	07 अगस्त 19	30 अक्तूबर 19	17 मार्च 20	
श्रीमती कंवलजीत देओल	✓	✓	✓	✓	____ 100
श्री असित कुमार नंदा [1]	✓	✓	×	×	____ 100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	✓	____ 100
कमोडोर हरि पी आर [2]	×	×	✓	✓	____ 100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 01 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[2] 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त।

समझौता ज्ञापन समिति ('एमओयू समिति')

49. निदेशक मण्डल की एमओयू समिति लोक उद्यम विभाग द्वारा यथा अपेक्षित ड्राफ्ट एमओयू शर्तों तथा वार्षिक एमओयू कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट सहित आपकी कंपनी द्वारा तथा आपकी कंपनी और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एमओयू की समीक्षा करने के लिए बनाई गई।

50. निदेशक मण्डल की एमओयू समिति का गठन 31 मार्च 20 के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	श्री भारत भूषण *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	डॉ अजय भंडारी *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री सर्वजीत सिंह डोगरा *निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(घ)	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त) *निदेशक (पोत निर्माण)*	सदस्य

51. मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (सी ई और सीपी) समिति के सचिव हैं।

52. वित्त वर्ष 2019 - 20 के दौरान , समझौता ज्ञापन समिति की तीन (03) बैठकों का आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2019 - 20 के दौरान, समझौता ज्ञापन समिति के बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति			उपस्थिति %
	08 अगस्त 19	18 दिसम्बर 19	18 मार्च 20	
श्री भारत भूषण	✓	✓	✓	100
डॉ अजय भंडारी	✓	✓	✓	100
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा	✓	✓	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

परियोजना समीक्षा उप समिति

53. निदेशक मण्डल की परियोजना समीक्षा उप समिति का गठन आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं की समीक्षा संरचित रीति से करने तथा सिस्टम के सुधार पर फोकस देने तथा आधारिक संरचना को बढ़ाने के लिए किया गया है। समीक्षा करते समय समिति विलंब के कारणों का विश्लेषण करती है और उसमें सुधार लाने का उपाय खोजती है। समिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मण्डल को समय समय पर रिपोर्ट जमा करती है।

54. निदेशक मण्डल की परियोजना समीक्षा उप समिति का गठन 31 मार्च 20 के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	रियर एडमिरल आई पी एस बाली, भानौ (सेवानिवृत्त) *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्री सर्वजीत सिंह डोगरा निदेशक (वित्त)	सदस्य
(ग)	कमोडोर संजीव नैय्यर निदेशक, भानौ (सेवानिवृत्त) (पोतनिर्माण)	सदस्य

55. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (पीपी एवं सी) समिति के सचिव हैं।

56. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना समीक्षा उप समिति की तीन (03) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना समीक्षा उप समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति			उपस्थिति %
	27 मई 19	21 सितंबर 19	19 दिसंबर 19	
रियर एडमिरल आई पी एस बाली	✓	✓	✓	100
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा	✓	✓	✓	100
कमोडोर संजीव नैय्यर	✓	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति

57. कंपनी को अपने क्रियाकलापों के क्षेत्रों को बढ़ाने, निर्यात की संभावनाओं की तलाश करने, नए उत्पाद की पहचान करने जिसे कंपनी निर्माण करके बेच सके, नए तकनोलोजी ग्रहण करने, संभावित सहयोग हेतु भागीदारों को पहचानने, पोत तथा अन्य उत्पादों इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत तथा विदेश से स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरणों एवं मशीनरियों को पहचानने हेतु कंपनी की भावी व्यवसाय रणनीति बनाने के लिए मण्डल ने मण्डल की व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति का गठन किया है ताकि पूर्वोक्त पहलुओं का निरीक्षण करके कंपनी के व्यवसाय हेतु लाभकारी पहलुओं पर मण्डल को सलाह दे सके।

58. निदेशक मण्डल की व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति का गठन 31 मार्च 2020 के अनुसार निम्नानुसार है:-

(क)	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	रियर एडमिरल आई पी एस बाली, भानौ (सेवानिवृत्त) *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	सदस्य
(ग)	श्री सर्वजीत सिंह डोगरा निदेशक (वित्त)	सदस्य
(घ)	कमोडोर संजीव नैय्यर निदेशक, भानौ (सेवानिवृत्त) (पोतनिर्माण)	सदस्य

59. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (पीपी एवं सी) समिति के सचिव हैं।

60. समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(क) भावी वृद्धि के लिए व्यवसाय रणनीति तैयार करना।

(ख) नए तकनोलोजी का अनुप्रेरण।

(ग) उत्पादकता सुधार हेतु योजनाओं की पहचान करना।

(घ) मूल आधारिक संरचना बढ़ोतरी/क्षमता वृद्धि को अंतिम रूप देना ताकि भावी व्यवसाय रणनीति को प्राप्त किया जा सके और पोतनिर्माण कौशल को उन्नत किया जा सके।

61. समिति की सिफ़ारिशों के मण्डल को विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

62. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान व्यवसाय रणनीति एवं क्षमता बढ़ोतरी समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई।

विधि समिति

63. निदेशक मण्डल की विधि समिति का गठन कंपनी के कराधान मामलों के अलावा विधि मामलों की समीक्षा, निगरानी और उचित कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए की गई।

64. निदेशक मण्डल की विधि समिति का गठन 31 अप्रैल 2020 के अनुसार निम्नानुसार है :

(क)	*डॉक्टर अजय भंडारी* *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	अध्यक्ष
(ख)	श्रीमती कंवलजीत देओल *अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक*	सदस्य
(ग)	कमोडोर हरि पी आर [1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] 21 अक्तूबर 2019 को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकृत

65. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

66. वर्ष 2019-20 के दौरान विधि समिति की चार (04) बैठक आयोजित हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विधि समिति के सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति				उपस्थिति %
	15 मई 19	07 अगस्त 19	17 दिसंबर 19	17 मार्च 20	
डॉक्टर अजय भंडारी	✓	✓	✓	✓	100
श्रीमती कंवलजीत देओल	✓	✓	✓	✓	100
श्री असित कुमार नंदा [1]	✓	✓	**ला.न.**	**ला.न.**	100
कमोडोर हरि पी आर [2]	**ला.न.**	**ला.न.**	✓	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 01 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पुर्णकलिक निदेशक के रुप में सेवानिवृत्त

[2] 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पुर्णकलिक निदेशक के रुप में नियुक्त

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति

67. स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 20 के साथ किया गया।

68. सेबी लिस्टिंग नियमों के हालिया संशोधनों के अनुसार, हितधारकों के संबंध समिति के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/ प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति, घोषित लाभांश की प्राप्ति,नई/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकों, आदि से संबंधित शिकायतों सहित सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना ;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना;

(iv) आपकी कंपनी द्वारा दावा नहीं किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस के समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

69. 31 मार्च 20 को निदेशक मंडल की स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन निम्नानुसार है: -

(क)	डॉ बिस्वप्रिया रॉयचौधरी अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	श्री सर्वजीत सिंह डोगरा निदेशक (वित्त)	सदस्य
(ग)	कमोडोर हरि पीआर[1] निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

[1] 21 अक्तूबर 2019 को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकृत

70. कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

71. वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल के स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुई । वर्ष 2019-20 के दौरान स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक एवं उपस्थिति		उपस्थिति %
	19 अगस्त 19	19 मार्च 20	
डॉ बिस्वप्रिया रॉयचौधरी	✓	✓	100
श्री सर्वजीत सिंह डोगरा	✓	✓	100
श्री असित कुमार नंदा [1]	✓	ला.न.	100
कमोडोर हरि पीआर [2]	ला.न.	✓	100

✓ - उपस्थित × - अनुपस्थित ला.न. - लागू नहीं

[1] 01 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त।

[2] 21 अक्तूबर 2019 को कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त।

72. 31 मार्च 2020 तक निवेशकों की शिकायतों की स्थिति और सेबी लिस्टिंग के विनियम 13(3) के तहत रिपोर्ट निम्नानुसार है:

01 अप्रैल 2019 तक शिकायतें	0
वर्ष के दौरान प्राप्त किया	23
वर्ष के दौरान हल किया गया	23
शेयरधारकों की संतुष्टि का हल नहीं	0
31 मार्च 2020 तक लंबित	0

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

73. वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 29 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी।

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि

74. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनिय अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अपनी स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुसार अनुसरण करते हैं।

75. मण्डल की राय में, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

वार्षिक आम बैठक

76. आपकी कंपनी के गत तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
2016-17	25 अगस्त 17 1400 बजे	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता 700 024	(i) शेयरों के उप-विभाजन के लिए कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन करना (ii) कंपनी के संघ के लेखों में संशोधन करके प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कंपनी का रूपांतरण
2017-18	04 अक्टूबर 18 1000 बजे	43/46 पर पंजीकृत कार्यालय, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2018-19	20 सितंबर 19 10.30 बजे	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवरिया रोड, ब्लॉक-ए,अलीपुर, कोलकाता -700025	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ

पोस्टल बैलेट

77. वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कोई पोस्टल बैलेट नहीं लगाया गया था।

78 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए के दो संकल्प रखा गया था। पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किए गए प्रस्तावों और वोट पैटर्न का विवरण:

कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्राधिकृत करने के लिए पोस्टल एक्ट, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत 5,000 करोड़ तक की

उधार देने और विशेष प्रस्तावों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये तक के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत उधार के संबंध में प्रभार आदि के सृजन के लिए मंडल निदेशक को अधिकृत करने के लिए सहमति देने के लिए डाक मतपत्र 29 मई 19 के नोटिस के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगी। उपरोक्त संकल्पों को विधिवत पारित कर दिया गया और डाक मतपत्रों के परिणाम / ई - वोटिंग की घोषणा 09 जुलाई 19 को की गई। मेसर्स ए. के लाभ एंड कं, कंपनी सेक्रेटरी के श्री ए. के लाभ को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के रूप में नियुक्त किया गया था।

संकल्प	वोटों की संख्या सर्वेक्षण में शामिल	पक्ष में डाली गई वोटों की संख्या	विपक्ष में डाली गई वोटों की संख्या	पक्ष में डाली गई वोटों का% सर्वेक्षण में शामिल	विपक्ष में डाली गई वोटों का% सर्वेक्षण में शामिल
(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत 5,000 करोड़ रु तक उधार लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने पर सहमति	65608	64,620	988	98.49	1.51
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत 5,000 करोड़ रुपये तक के उधारों के संबंध में निदेशक मंडल को प्रभार आदि के लिए प्राधिकृत करने पर सहमति।	65,223	62281	2942	95.49	4.51

79. आगामी एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय को पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

पोस्टल बैलट की प्रक्रिया

80. पोस्टल बैलेट धारा 110 में निहित प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार आयोजित किया जाता है। शेयरधारकों को भौतिक बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाता है। डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों को ईमेल पते पर भेजा जाता है, जहां ईमेल पते उपलब्ध हो या जहां ईमेल पते उपलब्ध नहीं हैं भौतिक रूप में अनुमति पते पर भेजा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित करती है।

81. कट-ऑफ तारीख तक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मतदान अवधि के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। मतों की जांच पूरी होने के बाद, संवीक्षाकर्ता अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपता है और मतदान अवधि के समापन के 48 घंटे के भीतर पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा की जाती है। परिणाम कंपनी के वैबसाइट (www.grse.in) पर प्रदर्शित होते हैं , और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को सूचित किए जाते हैं। यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए संकल्पों को विधिवत रूप से पूर्ण डाक मतपत्रों की प्राप्ति या ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि पर पारित किया गया है।

निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण

82. निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम आमतौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सभी नए निदेशकों को बोर्ड के लिए उनके पदभारग्रहण करने के समय कंपनी के संचालन का अवलोकन प्रदान किया जाता है। वे उन्मुखीकरण सत्र के माध्यम से आपकी कंपनी की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से परिचित हुए हैं। निगमित प्रशासन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रोत्साहित और सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों बोर्ड / समिति की बैठकों में समय-समय पर निम्नलिखित आधार पर अद्धतन किया जाता है :

- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है;
- कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों का व्यावसायिक वातावरण और परिचालन मॉडल जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं;
- कंपनी पर प्रभाव रखने वाले विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

83. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण http://grse.in/pdf/investors/Familiarisation%20Programme.pdf पर देखा जा सकता है।

मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड

84. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल न बेहतर निगमित शासन तथा स्पष्ट/पारदर्शी प्रथाओं हेतु 'मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्रीय कोड' निर्मित किया है। उसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई है तथा कंपनी की वैबसाइट में दर्शाया गया है। मण्डल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन पर उक्त कोड लागू होता है, ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु इसकी अनुपालन करने की प्रतिज्ञा की। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई इस विषयक घोषणा इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

इनसाइडर कारोबार कोड

85. सेबी के (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इनसाइडर ट्रेडिंग और उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता को मंजूरी दे दी है, अन्य बातों के साथ , नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने, रिपोर्ट करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करता है। कोड में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए है जो उन्हें कंपनी के शेयरों से डिल करते समय प्रक्रियाओं और प्रकटिकरण के बारे में सलाह देते हैं और उन्हें उल्लंघन के परिणामों में सावधान करते हुए कहा गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य का उचित प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए आचार संहिता संवेदनशील सूचना कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और http://grse.in/pdf/investors/InsiderTradingCode_GRSE.pdf पर देखी जा सकती है।

शेयरहोल्डर जानकारी

86. सेबी लिस्टिंग सूची विनियमों की अनुसूची V के अनुसरण में आवश्यक विभिन्न शेयरधारक जानकारी 'शेयरधारक सूचना' शीर्षक से इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक I** में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकटीकरण

87. (क) **हितों का टकराव :** वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने उन निदेशकों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है जिसकी वजह से कंपनी के हितों के साथ कोई भारी विवाद हुआ हो। मण्डल के सदस्य, निदेशक का पारिश्रमिक (जहां प्रयोज्य हो) प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन नहीं करते हैं जिससे मण्डल के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतन्त्रता प्रभावित हो।

(ख) **संबन्धित पार्टी लेन देन :** कंपनी भौतिक रूप से कोई महत्वपूर्ण संबन्धित पार्टी लेन-देन नहीं करती है जिसकी वजह से इसके हितों के साथ भारी विवाद हुआ हो। कंपनी के संबन्धित पार्टी लेन-देन की नीति कंपनी के वेबसाइट http://www.grse.in/pdf/investors/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdfपर भी उपलब्ध है।

(ग) **सामग्री सहायक:** आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है। कंपनी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियन 16 के अनुसार सहायक कंपनीयां निर्धारित की गई है। कंपनी की पांलिसी http://www.grse.in/pdf/investors/POLICY%20FOR%20DETERMINING%20MATERIAL%20SUBSIDIARIES|pdf वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) **कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच अंतर-संबंध:** कोई नहीं

(ङ) **कंपनी में निदेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या :** कोई नहीं

(च) **सतर्क तंत्र व्हिसल ब्लोअर नीति :** आपकी कंपनी में कर्मचारियों के लिए एक मकैनिज़्म स्थापित करने की दृष्टि से व्हिसल ब्लोअर नीति लागू है ताकि कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, संदेहास्पद, जालसाजी अथवा आचरण एवं नैतिकता हेतु कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों संबंधी अपनी चिंताओं के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट कर सके। व्हिसल ब्लोअर मकैनिज़्म में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान है कि कोई भी कार्मिक विशिष्ट मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को एप्रोच कर सकता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य या अध्यक्ष के पास जाने से नहीं रोका गया।

व्हिसल ब्लोअर नीति इस वार्षिक रिपोर्ट के निर्माण अंश के 'निदेशक'रिपोर्ट" में भी उपलब्ध है।

(छ) **इंटेग्रिटी पैक्ट** : केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 04 दिसंबर 07 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें सरकारी संगठनों के सभी प्रमुख क्रय के संबंध में इंटेग्रिटी पैक्ट (आईपी) को अपनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए सिफ़ारिश की गई थी। तदनुसार कंपनी ने 2 करोड़ रु. से अधिक की मूल्य की सामग्री तथा/अथवा सेवा का क्रय करने में इंटेग्रिटी पैक्ट को अपनाया। यह करार अनिवार्य रूप से भावी वेंडरों/बिडरों तथा प्रधान (जीआरएसई) के बीच करार पर बल देता है। यह दोनों ओर के व्यक्तियों/कार्मिकों को वचनबद्ध करता है कि वे कांट्रैक्ट के किसी भी पहलू/स्तर पर किसी भ्रष्ट प्रैक्टिस का सहारा न लें। केवल वही वेंडर/बिडर जो प्रधान के

साथ स्वयं को इस करार के लिए वचनबद्ध करते हैं, ही बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगें । किसी विशेष कांट्रैक्ट के संदर्भ में अखंडता करार बिडों के आमंत्रण स्तर से लेकर कांट्रैक्ट के अंतिम रूप से पूरा होने तक प्रचालन में रहेगा । इसमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बिडर अयोग्य और भावी बिजनेस डीलिंग से बाहर हो जाएगा ।

सीवीसी द्वारा की गई सिफ़ारिश के अनुसार कंपनी ने अखंडता करार के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए श्री गिरीश शंकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) एवं श्री आर कुप्पन, आईआरएसएमई (सेवानिवृत्त) को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है। आईईएम स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ रूप में यह समीक्षा करेगा कि क्या और किस सीमा तक पार्टियों ने करार के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है। आईईएम तिमाही आधार पर चल रही टेंडरिंग प्रक्रिया का स्टॉक लेगा। आईईएम प्रत्येक तिमाही में एक बार इस समीक्षा को करेगा। यदि टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई शिकायत आती है तो आईईएम मामले का परीक्षण करेगा, रिकॉर्ड देखेगा, जांच पड़ताल करेगा और प्रबंधन को अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक तिमाही निगमित कार्यालय में अपनी विजिट के दौरान आईईएम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ संरचित बैठकें करता है।

(ज) **राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन:** कंपनी ने दोनों वर्ष के दौरान और पिछले तीन (3) वर्षों में भी पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है,

(झ) **खातों की पुस्तकों में खर्च किए गए व्यय की वह मद, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं :** शून्य

(ञ) **किए गए व्यय, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं :** शून्य

(ञ) **वितीय खर्चों की तुलना में कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्चों काविवरण:**

(करोड़ रू में)

क्रं. सं.	विवरण	2019-20	2018 -19
(क)	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	702.56	613.21
(ख)	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	12.90	9.74
(ग)	(ए) पर (बी) का प्रतिशत	1.84	1.58
(घ)	कुल व्यय के% के रूप में वित्त व्यय	0.09	0.37

(ट) **अनिवार्य अनुपालन :** पिछले तीन (3) वर्षों, के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचिकरण विनियमों और भारत सरकार के लोक उद्धम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन के दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर आपकी कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन की कोई घटना नहीं है । मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, जैसा कि दोनों के तहत आवश्यक है, सेबी सूचीकरण विनियम और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश से संबंधित एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जो इस रिपोर्ट में अनुलग्नक II के रूप में प्रस्तुत है ।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ सख्ती नहीं की गई है ।

कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग 'सी' में उल्लिखित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की पेरा (2) से (10) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है । इसके अलावा, आपकी कंपनी 17 से 27 में विनियमन में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती है और सूची विनियमों के विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (ख) से (i) इस रिपोर्ट में संबंधित स्थानों में आवश्यक जानकारी का खुलासा करती है ।

(ठ) **सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के तहत गैर-अनिवार्य अनुपालन :** सेबी लिस्टिंग विनियम के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है:

(i) **बोर्ड:** सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसूची II के भाग ई के पैरा ए के अनुसार, बोर्ड का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति देता है। कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है और इसलिए यह प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं है।

(ii) **शेयरधारक अधिकार:** आपकी कंपनी अपनी वेबसाइट www.grse.in पर त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करती है और व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करती है । हमने सभी शेयरधारकों को पत्र भेजने के अलावा शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा लाभांश के भुगतान का संचार किया है।

(iii) **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** आपकी कंपनी लगातार भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप पारदर्शी, सही और निष्पक्ष तरीके से खाते को बनाए रखने का पर्यास करती है । पिछले पंद्रह वर्षों

(2003-2004 से 2018-19) के दौरान कोई लेखा परीक्षा अयोग्यता नहीं रही हैं। आपकी कंपनी को इन वर्षों के दौरान कैग से "शून्य" टिप्पणियां भी मिली हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए , सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर एक असंशोधित राय जारी की है।

(iv) **अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के अलग-अलग पद:** एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद एक कार्यकारी निदेशक के पास होता है।

(v) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग :** आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख प्रशासनिक रूप से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते है । लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी तिमाही आधार पर उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

(ड) **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम**: कंपनी एक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान, सम्मान और समान उपचार के साथ व्यवहार किया जाए । कृपया अधिक विवरण के लिए निदेशक की रिपोर्ट की धारा (कार्यस्थल, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत 'प्रकटीकरण' देखें।

(ढ) **बोर्ड की योग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र :** मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गई है कि कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से डिबार या आयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में अनुलग्नक III के रूप में प्रस्तुत है।

(ण) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को शुल्क:** वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा मैसर्स कायस एंड कंपनी को दी गई कुल फीस कुल 14.40 लाख है । कंपनी के सांवधिक लेखा परीक्षकों का 'वित्तीय विवरण' के नोट 27 के तहत उपलब्ध है।

(प) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन:** कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) सूची के विनियमन 17(8) के संदर्भ में बोर्ड को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणन देते हैं। विनियम, जिसकी प्रति **अनुलग्नक- IV के** रूप में इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। सीएमडी और सीएफओ सूचीकरण नियमों के विनियमन 33 (2) के संदर्भ में बोर्ड के समक्ष वित्तीय परिणाम देते समय वित्तीय परिणामों पर त्रैमासिक प्रमाण पत्र भी देते हैं।

घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगम शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश ,14 मई, 2010 के अनुसार और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 के विनियमन 26 का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता./-
वी के सक्सेना
रियर एडमिरल, भानौ (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता
21 जुलाई, 2020

अनुलग्नक -I

शेयरधारक जानकारी

वित्तीय वर्ष 2019 – 20 के लिए वार्षिक आम बैठक

तारीख	**11 सितम्बर, 2020**
स्थान	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से एजीएम। [मीटिंग के लिए डीम्ड वेन्यू: रजिस्टर्ड ऑफिस: 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024]**
समय	**10 : 30 बजे**

लाभांश भुगतान

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, एजीएम में अनुमोदित होने पर, 12 सितंबर 2020 को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा। आपकी कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है। पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रू में) ^	कुल लाभांश का भुगतान (रू करोड़ में)
2019 - 20 *	7.14	81.79
2018-19	6.95	79.61
2017-18 #	4.44	50.80
2016-17	4.37	54.08
2015-16	4.30	53.22

^ 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर लाभांश मूल्य को कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के उप-विभाजन को रू 100 /- से रू 10 – से दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है।

** 10 / - रू प्रति शेयर के लिए रू 5.74 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश शामिल है।*

 # अपनी कंपनी के प्रमोटर से 92,88,000 इक्विटी शेयरों के भुगतान वाले इक्विटी शेयर पूंजी के 7.50 % के बायबैक को प्रभावित करने के बाद।

स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की सूची

2. 10 अक्तूबर 2018 से आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") में सूचीबद्ध किए गए। आपकी कंपनी ने एनएसई और बीएसई दोनों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है। स्टॉक कोड के साथ एनएसई और बीएसई का विवरण नीचे दिया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.) मुंबई 400 051 वेबसाइट: www.nseindia.com	जीआरएसई
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई 400 001 वेबसाइट: www.bseindia.com	542011

संचार के माध्यम

3. निगमित वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, तुलनीय, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। आपकी कंपनी की एक वेबसाइट (www.grse.in) है जिस पर जीआरएसई के नेतृत्व, प्रबंधन, उत्पाद स्पेक्ट्रम,सीएसआर पहल, वार्षिक रिपोर्ट,नीतियाँ, वित्तीय सूचनाएँ आदि से संबन्धित जानकारी प्रदान की जाती है।

4. सभी मूल्य-संवेदनशील जानकारी, सांविधिक नोटिस और डेटा जो शेयरधारक से संबंधित सामाग्री होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई को बताया जाता है । त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों, बोर्ड मीटिंग्स के नोटिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), प्रभात खबर (हिंदी में) और वर्तमान (बंगाली में) प्रकाशित किए जाते हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड, प्रभात खबर (हिंदी में) और वर्तमान (बंगाली में) में प्रकाशित हुए थे। प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार थे:

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2019 के महीने में
30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही	अक्टूबर 2019 के महीने में
के 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही	फरवरी 2020 के महीने में
31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष	जून 2020 के महीने में

5. आपकी कंपनी की वेबसाइट पर *'इन्वेस्टर्स कॉर्नर'* टैब के अंतर्गत वित्तीय परिणामों , विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरण और स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी जैसे सूचना और निगमित घोषणाएँ, शेयरधारण पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट, लाभांश आदि शामिल हैं । वेबसाइट पर *'न्यूज रूम'* सेक्शन में कंपनी की सभी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियां और संबंधित मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं।

वित्तीय कैलेंडर

6. कंपनी के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल के दिन से शुरू होता है और अगले वर्ष मार्च 31 के दिन समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिणामों की घोषणा के लिए हमारा अस्थायी कैलेंडर नीचे दिया गया हैं:

तिमाही समाप्ति पर	जारी परिणाम
30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए	अगस्त 2020 का दूसरा सप्ताह
30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवर्ष के लिए	नवंबर 2020 का तीसरा सप्ताह
तीमाही और 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने वाली नौ महीने के लिए	फरवरी 2021 का तीसरा सप्ताह
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए 2021	मई 2021 का चौथा सप्ताह

शेयर और द्रव्यता का अभौतिकरण

7. कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के तहत डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं / डिपॉज़िटरी सिस्टम के तहत कंपनी के शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 382जेड01011 है।

8. 31 मार्च 2020 को कंपनी के जारी किए गए 100 % (लगभग) इक्विटी शेयर 11,45,51,885 हैं। कंपनी के सब्सक्राइब्ड और पेड़-अप इक्विटी शेयर कैपिटल अभौतिक रूप में रखे गए हैं। भौतिक और डीमैट फॉर्म में शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

फॉर्म	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में	11,13,17,555	97.18
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में	32,34,330	2.82
भौतिक रूप	115	0.00

9. कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा होल्डिंग 74.50% है, जिनका सक्रिय रूप से कारोबार नहीं किया जाता हैं। कंपनी के शेष 25.50% शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए गए शेयर हैं। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2019 के रू 1,123.18 करोड़ के मुकाबले रू 1,564.78 करोड़ रहा है।

31 मार्च 2020 तक शेयरधारिता का वितरण

इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारक		शेयरधारिता	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	16287	89.89	1801906	1.57
501-1000	852	4.70	673534	0.59
1001-2000	492	2.72	735811	0.64
2001-3000	140	0.77	354273	0.31
3001-4000	75	0.41	267064	0.23
4001-5000	60	0.33	284069	0.25
5001-10000	95	0.52	684947	0.60
> 10000	117	0.65	109750396	95.81
कुल	**18118**	**100.00**	**114552000**	**100.00**

31 मार्च 2020 तक शेयरधारण का पैटर्न

क्रं. सं.	शेयरधारक का नाम और श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की कुल संख्या	एससीआरआर 1957 के अनुसार शेयरधारिता% की गणना
प्रमोटर शेयरधारक				
	केन्द्रीय सरकार	1	8,53,41,240	74.50
(1)	**प्रमोटर कि कुल शेयरधारिता**	**1**	**8,53,41,240**	**74.50**
पब्लिक शेयरधारक				
	संस्थागत			
क	म्यूचुअल फंड्स	5	1,23,13,843	10.75
ख	वित्तीय संस्थान / बैंक	2	66,522	0.06
ग	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	33	16,86,103	1.47
घ	बीमा कंपनियां	3	67,11,367	5.86
(ए)	कुल संस्थागत शेयरधारिता	43	2,07,77,835	18.14
	गैर-संस्थागत			
क	निकाय कॉर्पोरेट	160	10,45,143	0.91
ख	सार्वजनिक और अन्य	17914	73,87,782	6.45
(बी)	कुल गैर संस्थागत शेयरधारिता	18074	84,32,925	7.36
(2)	**कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ए) + (बी)**	**18117**	**2,92,10,760**	**25.50**
कुल शेयरधारिता (1) + (2)		**18118**	**11, 45,52, 000**	**100.00**

शेयर व्यापार का मूल्य और मात्र

वर्ष एवं माह	एनएसई			बीएसई		
	उच्च (रू)	न्यून (रू)	मात्रा (संख्या में)	उच्च (रू)	न्यून (रू)	मात्रा (संख्या में)
2019 अप्रैल	112.35	95.1	521,272	113.5	92.2	79,131
मई	131.9	100.3	6,381,201	137	99.5	588,493
जून	131.9	114	4,447,707	131.85	114	739,898
जुलाई	140.8	116.1	7,569,371	140.5	116.1	1,025,105
अगस्त	142	122.25	3,949,386	141.5	122.9	833,663
सितम्बर	190	130.65	10,532,289	190.05	131.1	1,105,771
अक्टूबर	219.85	156.1	6,984,710	218.65	156.5	1,469,617
नवम्बर	249	200.8	9,244,180	249.4	200	1,022,648
दिसम्बर	238	192.6	5,386,157	219.1	192.6	564,908
2020 जनवरी	229.2	187.8	6,497,554	229	188.35	641,919
फ़रवरी	215.4	151.15	5,036,042	217	151.3	485,855
मार्च	166 .5	102	3,611,043	166.6	105.3	264,605

ब्रोड आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन

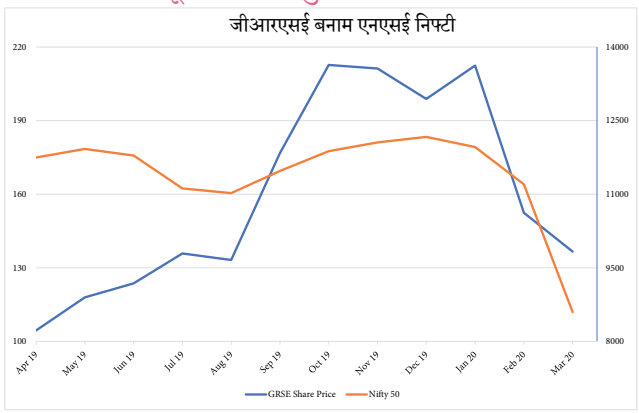

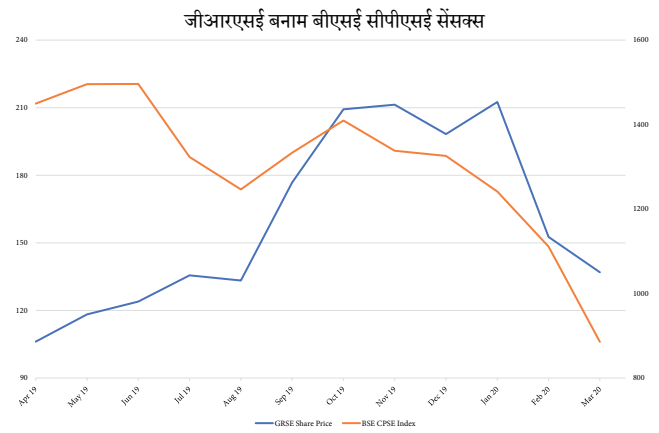

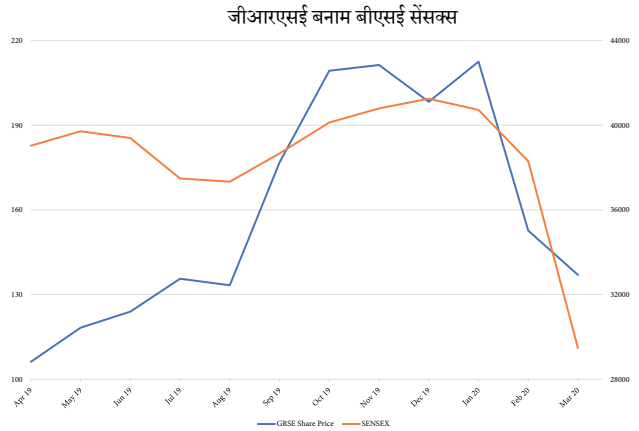

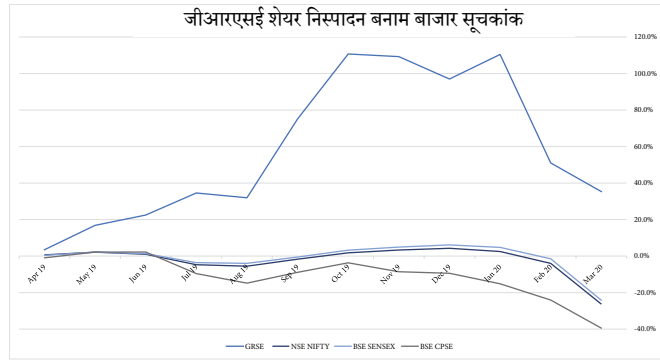

वस्तु मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियाँ

10. वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए आपकी कंपनी को वस्तु और वस्तु जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए, आपकी कंपनी को बचाव की गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है।

11. कंपनी को सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ये खरीद ज़्यादातर विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नता की प्रतिपूर्ति के लिए विनिमय दर भिन्नता खंड के तहत कवर की जाती हैं। इसलिए, इस संबंध में आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

शेयर अंतरण प्रणाली

12. कंपनी के डीमैटेरियलाइज्ड शेयर डिपोजीटरी सिस्टम के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। हालाँकि, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को आपकी कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा आपकी कंपनी के साथ समन्वय में संसाधित किया जाता है।

13. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान शेयर अंतरण को मंजूरी देने के लिए कंपनी की शेयर अंतरण समिति ने तेईस (23) बार बैठक की। वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(क)	श्री सर्वजीत सिंह डोगरा *निदेशक (वित्त) और सीएफओ*	अध्यक्ष
(ख)	कमोडोर हरि पीआर [1] *निदेशक (कार्मिक)*	सदस्य
(ग)	श्री संदीप महापात्र *कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी*	सदस्य सचिव

[1] *21 अक्टूबर 2019 को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया।*

14. इसके अलावा, 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियमन 40 (1) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के शेयरों का अंतरण तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर एक डिपॉजिटरी के साथ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं।। 31 मार्च 2020, को कंपनी के 115 इक्विटी शेयरों भौतिक रूप में रखा गया था।

दावा रहित लाभांश

15. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ़') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम'), के साथ पढ़ें जाने वाले सभी भुगतान नहीं किए गए या दावा नहीं किए गए लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'आईईपीएफ़' में सात वर्षों के पूरा होने के बाद हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, उन शेयरों के संबंध में, जिनका लाभांश शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ़ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डीमैट खाते में भी स्थानांतरित किया जाएगा।

16. 31 मार्च 2020 तक पिछले वर्षों से संबंधित दावा नहीं किए गए लाभांश को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित किया जाना बाकी नहीं है।

डिमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट

17. कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लैमड सस्पेंस अकाउंट में कोई शेयर नहीं है।

निवेशक सेवाएं

18. इक्विटी शेयरों के संबंध में आपकी कंपनी के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट है।

पत्राचार के लिए पता:

205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055
ईमेल: info@alankit.com

19. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा तेईस (23) निवेशक शिकायतें प्राप्त की गई थी जिसे तुरंत हल किया गया था।

20. कंपनी द्वारा निवेशक शिकायतें प्राप्त करने के लिए निर्धारित ई-मेल आईडी Invest.grievance@grse.in है।

अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक के पत्राचार के लिए पता

नाम: **श्री संदीप महापात्र**
पदनाम: कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
पता: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700024
दूरभाष: +91 (033) 2469 8545
फैक्स: +91 (033) 2469 8150
ईमेल: co.sec@grse.co.in
वेबसाइट: www.grse.in

संयंत्र के स्थान

पोत निर्माण की गतिविधियाँ	इंजीनियरिंग गतिविधियाँ	इंजन गतिविधियाँ
मेन वर्क्स यूनिट 43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता – 700 024	**61 पार्क यूनिट** 61, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024	**डीईपी रांची यूनिट** प्लांट रोड, धुर्वा , रांची - 834 004
राजाबगन डॉकयार्ड यूनिट 44, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 044	**तारातला यूनिट** पी -2 / 2, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088	
फिटिंग आउट जेट्टी यूनिट पी -70, कार्ल मार्क्स सरणी, कोलकाता – 700 043		

विवरण का अद्यतन

डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए

21. कंपनी उन शेयरधारकों को नोटिस, रिपोर्ट और लेखा और अन्य संचार इलेक्ट्रोनिक मोड में भेजती है, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अन्य शेयरधारकों को भौतिक मोड में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। शेयरधारक जो कंपनी के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत या अपडेट करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को एक अनुरोध भेजकर इसे अपडेट कर सकते हैं।

22. इसके अलावा, जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डीपी को आईएफ़एससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) और एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) सहित अपना बैंक खाता विवरण प्रदान / अपडेट कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र के रूप में धारित शेयरों के लिए

23. प्रमाणपत्र के रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर सेवाओं की सुविधा के लिए अपने पते/ शासनादेश/ बैंक विवरण आदि में किसी भी बदलाव की सूचना कंपनी के आरटीए या कंपनी को तुरंत दें।

अनुलग्नक II

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ,
43/46, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा-निर्देश और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुच्छेद सी और डी तथा विनियम 17 से 27 और विनियमन तथा खंड (बी) से (I) विनियमन 46 (2) में निर्धारण के अनुसार गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा परीक्षण उक्त विनियम में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी।

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों, दिए गए स्पष्टीकरण और सूचना के आधार पर किए गए अभिलेखों की जांच से मेरे निष्कर्षों के आधार पर, मेरी राय में है कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015, में सूचीबद्ध निगमित शासन की शर्तें और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश का अनुपालन किया है।

मैं आगे कहती हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन के रूप में हैं और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन : F005126B000485078

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21 जुलाई 2020

अनुलग्नक III

निदेशकों की गैर –आयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण ,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
43/46, गार्डन रीच रोड,
कोलकाता-700024

मैंने, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, सीआईएन: L35111WB1934GOI007891 और 43/46, गार्डन रीच, कोलकाता-700024, भारत में पंजीकृत कार्यालय है (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में जाना जाता है), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है। कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित (सूचिकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1.	रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त)	07696782	1 मार्च, 2017
2.	श्री सर्वजित सिंह डोगरा	07052300	31 दिसंबर, 2014
3.	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त)	07973950	16 दिसंबर, 2017
4.	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत)	08591411	21 अक्तूबर, 2019
5.	श्री अश्विनी कुमार महाजन	07483427	2 अप्रैल, 2016
6.	श्री भारत भूषण जैन	00262278	15 सितंबर, 2017
7.	श्रीमती कंवलजीत देओल	03192289	15 सितंबर,, 2017
8.	रियर एडमिरल इंदर पॉल सिंह बाली, एवीएसएम, वीएसएम, भानौ (सेवानिवृत्त)	07912223	9 मार्च, 2018
9.	डॉ. अजय भण्डारी	00322233	9 मार्च, 2018
10.	डॉ. बिस्वप्रिया रॉयचौधरी	08200896	15 अगस्त, 2018

मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **माहेश्वरी आर एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
हस्ता./-
रश्मि महेश्वरी
आईसीएसआई का सी.पी.नं.: 3309
एफसीएस: 5126
यूडीआईएन : F005126B000485078

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21 जुलाई 2020

अनुलग्नक IV

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
कोलकाता

मंडल के प्रिय सदस्य,

हम, वी के सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सर्वजीत सिंह डोगरा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित करते हैं:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिय हमने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (कंपनी) के कैश फ़्लो विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हम अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि :

   (i) इन बयानों में कोई भौतिक रूप से असत्य बयान नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा गाया या ऐसे शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानक, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं।

2. हम सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ कहते हैं कि कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जिससे धोखाधड़ी, गैर-कानूनी या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हैं।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में यदि कोई कमी पाई गई हो, तो उसे लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को संकेत दिया है कि :

   (i) संदर्भीत वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है ;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया हैं, और उक्त में परिवर्तन होने पर का खुलासा वित्तीय विवरण के नोट्स में किया गया है ; तथा

   (iii) हमारी जानकारी के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के दौरान कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्राणाली में किसी प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी नहीं हुई हैं, जिसमें प्रबंधन का कोई अधिकारी या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

	हस्ता./-	हस्ता./-
कोलकता	**सर्वजित सिंह डोगरा**	**रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना, भानौ (सेवानिवृत्त)**
दिनांक: 06 जून, 2020	निदेशक(वित्त) एवं सीएफ़ओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बिजनेस रिस्पांसबिलिटी रिपोर्ट

अनुभाग ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L35111WB1934GOI007891
2	कंपनी का नाम	:	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	:	43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 024
4	वेबसाइट	:	www.grse.in
5	ईमेल आईडी	:	co.sec@grse.co.in
6	वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट	:	2019-20
7	सेक्टर जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार) में लगी हुई है	:	पोत निर्माण - एनआईसी कोड: 301 डीजल इंजन - एनआईसी कोड: 281 इंजीनियरिंग - एनआईसी कोड: 711
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची , जिन्हें कंपनी विनिर्माण करती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र में)	:	(i) पोत निर्माण (ii) डीजल इंजन (iii) बेली ब्रिज और डेक मशीनरी आइटम
9	कुल स्थान जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थान संख्या (प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें):	:	शून्य
	(ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	:	ग्यारह
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए गए बाजार - स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	:	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

अनुभाग बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

1	भुगतान किया गया पूंजी (आईएनआर)	:	₹ 1,14,55,20, 000
2	कुल कारोबार (आईएनआर)	:	₹1,424.70 करोड़
3	करों के बाद कुल लाभ (आईएनआर)	:	₹ 163.48 करोड़
4	कर के बाद लाभ के प्रतिशत के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	:	तीन वित्तीय वर्षों के तुरंत बाद कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% । सीएसआर गतिविधियों के परिशिष्ट-एफ़ रिपोर्ट का संदर्भ लें।
5	गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है	:	(सीएसआर गतिविधियों के परिशिष्ट-एफ़ का संदर्भ लें।)

अनुभाग सी: अन्य विवरण

1	क्या कंपनी के पास कोई सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ हैं?	:	नहीं
2	क्या सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या को इंगित करें	:	नहीं
3	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के साथ व्यापार करती हैं, कंपनी के बीआर पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ, तो [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक] ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें?	:	समय पर डिलीवरी और इष्टतम लागत को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने आउटसोर्सिंग और खरीद गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी के बीआर पहल में भारत सरकार, कर्मचारियों, विक्रेताओं और स्थानीय आबादी सहित अपने सभी हितधारकों का सहयोग है। ध्वनि अखंडता के साथ विक्रेताओं के एक पैनल का ध्यान रखा जाता है। कंपनी ने खरीद के अधिक पारदर्शी तरीके के लिए ई-भुगतान, अखंडता संधि आदि की शुरुआत की है। खरीद आदेश के मानक नियम और शर्तें सुरक्षा, पर्यावरण आदि पर कंपनी की नीति के अनुरूप हैं, और विक्रेता द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए, अधिकांश (60% से अधिक) व्यावसायिक जिम्मेदारी के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप है।

अनुभाग डी: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण :

(क) बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

1	डीआईएन संख्या	:	08591411
2	नाम	:	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)
3	पद	:	निदेशक (कार्मिक)

(ख) बीआर प्रमुख का विवरण

सं.	विवरण	:	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	:	08591411
2	नाम	:	कमोडोर हरि पीआर, भानौ (सेवानिवृत्त)
3	पद	:	निदेशक (कार्मिक)
4	टेलीफोन नंबर	:	033-24695862
5	ईमेल आईडी	:	dp@grse.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां

निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक जिम्मेदारी के नौ क्षेत्रों को अपनाया है। ये संक्षेप इस प्रकार हैं:

पी1	-	व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और शासन करना चाहिए
पी 2	-	व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं
पी 3	-	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की हित को बढ़ावा देना चाहिए
पी 4	-	व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।
पी 5	-	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए
पी 6	-	व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए
पी 7	-	व्यवसायों, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए
पी 8	-	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए
पी 9	-	व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को प्रदान करना चाहिए

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में उत्तर)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपकी कोई नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी उद्योग, सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / कार्यों के अपने क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य पद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुसरण करती है।								
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो (50 शब्दों) में निर्दिष्ट करें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी की विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी की गई विधियों / दिशानिर्देशों / नियमों / विनियमों आदि के अनुरूप तैयार की गई हैं और समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं। इन नीतियों को आम तौर पर उद्योग प्रथाओं , राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।								
4	क्या नीति मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? हाँ, क्या यह एमडी / मालिक/ सीईओ / उपयुक्त मण्डल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		विभिन्न नीतियां / कंपनी की नियमावली का कार्यान्वयन निदेशक मंडल , सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन द्वारा होता है।								

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मण्डल/ निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	बोर्ड अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की देखरेख करता है जैसा कि निगमित प्रशासन रिपोर्ट में विस्तृत रूप से इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।								
6	ऑनलाइन देखी जाने वाली नीति के लिए लिंक का संकेत दें?	नीतियां कंपनी के वेबसाइट : http://www.grse.in/index.php/investors-corner/in/corts.html पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या नीति को सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	हां, कंपनी की उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करके हितधारकों के लिए नीतियों का संचार किया गया है।								
8	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों को लागू करने के लिए इन-हाउस संरचना है?	हां, कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं के सुरक्षित और स्थायी उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए अच्छी तरह से इन-हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर पूल, प्रलेखित मानक संचालन प्रक्रियाओं और अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी को स्थापित किया है।								
9	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ। बोर्ड ने कंपनी के अधिनियम, 2013 और सेबी के (सूचीबद्ध विनयम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन 2015 के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी में प्रतिभूतियों को रखने वाले हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए हितधारक संबंध समिति नामक एक समिति का गठन किया है। वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर सतर्कता तंत्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, बोलीदाताओं / ठेकेदारों से और साथ ही विभिन्न निविदाओं के विरूद्ध कंपनी द्वारा मांगी गई राय का प्रतिनिधित्व स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) के द्वारा किया जाता है। आईईएम संबंधित अधिकारियों और बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जहां भी आईएमई द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है वे अपनी राय देते है।								
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	कंपनी विभिन्न लेखापरीक्षाओं जैसे कि सांवधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, सी एंड एजी लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षा, सचिवीय लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, सुरक्षा लेखा परीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा , आदि के अधीन है। ये लेखापरीक्षा विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। हालांकि, कंपनी के नीतियों का लेखा परीक्षा नहीं, कर रहे हैं लेकिन इस तरह के नीतियों विनियामक / व्यवसाय / पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया है।								

(ख) यदि किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो, कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (2 विकल्पों में टिक करें)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने सभी नौ सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाई हैं।								
2	कंपनी एक ऐसे चरण में नहीं है जहां वह स्वंम को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने की स्थिति में पाता है									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव संख्या शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

3. शासन संबंधित बीआर

(क)	3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक के उस आवृत्ति को इंगित करें जिसके साथ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन निदेशक मंडल, समिति के बोर्ड या सीईओ द्वारा किया गया है।	:	बीआर प्रदर्शन के विभिन्न सिद्धांत कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए अभिन्न हैं और संबंधित समय-समय पर मण्डल/ मण्डल स्तर समिति (एस)/ कार्यात्मक निदेशकों द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभिन्न आइटम के रूप में समीक्षा की जाती है।
(ख)	क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?	:	हाँ। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट सालाना प्रकाशित की है और इसे http://grse.in/index.php/investors-corner/annual-reports.html पर देखा जा सकता है।

अनुभाग ई: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 - व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और परिचालित करना चाहिए

1	क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हाँ / नहीं, क्या यह समूह / संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य तक विस्तारित होता है?	:	हां, नीति कंपनी को कवर करती है है। पारदर्शिता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, जीआरएसई सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों / सेवा मूल्य के सभी आदेश / संविदा के 200 लाख और उससे अधिक मूल्य के लिए प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। इंटीग्रिटी पैक्ट किसी भी मुद्दे को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के साथ समय-समय पर मंगाई गई उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में बोलीदाताओं को सक्षम करने में सक्षम बनाता है। आईईएम को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उक्त अखंडता संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है। संधि अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और प्रधानाचार्य (जीआरएसई) के बीच दोनों पक्षों के व्यक्तियों /अधिकारियों को, अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा नहीं लेने के लिए एक समझौते की परिकल्पना करती है। केवल वे विक्रेता / बोलीदाता, जो सिद्धांत के साथ इस तरह के संधि के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माने जाएंगे। इंटीग्रिटी पैक्ट, किसी विशेष अनुबंध के संबंध में, अनुबंध के अंतिम पूर्ण होने तक बोलियों के आमंत्रण के चरण से संचालित होगा। उसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं की अयोग्यता और भविष्य के व्यापार व्यवहार से बहिष्कार की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित सभी नीतियां "समावेशी" हैं और कंपनी के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और अन्य सभी बाहरी हितधारकों को कवर करती हैं।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों के शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितना प्रतिशत का समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 23 निवेशक शिकायतें / शिकायतें कंपनी द्वारा और सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म, एनएसई, बीएसई और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया। इसके अलावा, एक विक्रेता ने स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर द्वारा शिकायत की थी और उसका समाधान किया गया और कोई मामला लंबित नहीं है।

सिद्धांत 2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

1	अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें, जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।	:	कंपनी शिपबिल्डिंग, इंजीनियरिंग आइटम जैसे डेक मशीनरी और बेली ब्रिज और डीजल इंजन के संयोजन और ओवरहालिंग के व्यवसाय में लगी हुई है।
2	इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)	:	कंपनी स्थायी तरीकों के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को मानती है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी, खरीद में पारदर्शिता और आउटसोर्सिंग और सतत विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के रोजगार के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू किया है, जैसे कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लैंपों के बजाय एलईडी रोशनी के साथ विद्युतीकरण आदि। अधिकांश शॉपों को पुनर्निर्मित किया गया था और पारभासी छत की चादरों से सुसज्जित किया गया था, जिससे शॉपों को पर्याप्त रोशनी मिलती थी उच्च खपत बाढ़ रोशनी दिन के समय मौजूद नहीं है इसलिए स्विचिंग की आवश्यकता होती थी।।

सिद्धांत 2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं			
3	क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? (क) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत निरंतर रखा गया था? इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	हां, कंपनी ने स्थायी सोर्सिंग के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया रखी है। कंपनी के पास अच्छी दस्तावेज़ प्रोक्योरमेंट नीति है। इस नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है जो स्थिर, निरंतर और टिकाऊ तरीके से संचालन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित सोर्सिंग में मदद करता है। कंपनी के पास लंबी अवधि के अनुबंधों और दर-अनुबंधों की नीतियां हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचालन और व्यवसाय का अनुसरण बाहरी लोगों के कारण न हो। इसके अलावा, कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए अनुमोदित मानदंड का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ आईएसओ प्रमाणपत्र वाले विक्रेताओं, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने की क्षमता, निर्धारित वितरण अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेता शामिल हैं; कंपनी ऐसे विक्रेताओं को गुणवत्ता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मापदंडों पर उनके प्रदर्शन की नियमित निगरानी भी करती है। कंपनी नियमित रूप से विक्रेताओं / साझेदारी का संचालन करती है, ताकि स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं को दूर किया जा सके। कंपनी की छवि, नैतिक और पारदर्शी व्यवसाय प्रथाओं, विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध, आदि सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश आइटम स्थिरता के स्रोत हैं। मूल्यांकन अवधि के दौरान विक्रेता के औसत प्रदर्शन के आधार पर एक विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटा/ निलंबित कर दिया जाता है । विक्रेताओं की सूची की समीक्षा की जाती है और उसे वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाता है। वर्तमान में कंपनी के पास इस विशेष पैरामीटर को मापने के लिए एक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, भविष्य में, प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? (क) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	:	हां, कंपनी की खरीद नीति और प्रथाओं को सरकार की नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को बढ़ावा देते हैं । हालांकि, सीवीसी सहित उन विभिन्न सरकारी विभागों के फ्रेम-वर्क के दिशा-निर्देश के भीतर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के हित का भी ध्यान रखा जाता है। स्वदेशीकरण सामग्री बढ़ाने और एमएसएमई सहित स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जीआरएसई रक्षा बलों को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को आउटसोर्स कर रहा है। कंपनी एमएसएमई के वार्षिक सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी भाग लेती है ताकि खरीद के लिए उत्पादों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए खुद को सुविधाजनक बनाया जा सके। कंपनी ने हमेशा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और विक्रेता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा भी दिया है। इस दिशा में हमारी निरंतर खोज ने छोटे स्थानीय खिलाड़ियों और समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में बेहतर भागीदारी देखी है। इसके अलावा, कंपनी पूरे देश में मानक घटकों, सामग्रियों और उप-अनुबंध वस्तुओं के लिए एमएसएमई सहित वेंडर डेवलपमेंट डेटाबेस का निर्माण, अद्यतन और रखरखाव करती है। यह छोटे और स्थानीय विक्रेताओं को कंपनी की अनुमोदित विक्रेता के रूप में योग्य होने के लिए उनकी क्षमता और क्षमता में सुधार करके कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । कंपनी जहाँ भी आवश्यक हो, इन उद्योगों को तकनीकी मार्गदर्शन और अपेक्षित सहायता प्रदान करती है। कंपनी ने एमएसएमई से खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सामग्री और सेवाओं के लिए निविदाओं में आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है। कंपनी ने उन वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्रणाली को अपनाया है जो जीईएम में उपलब्ध हैं । एमएसएमई सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कंपनी ने एमएसएमई, भारत सरकार, फिक्की, सीआईआई, केएसआईडीसी और एनएसआईसी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) में भाग लिया। , जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी एमएसएमई विक्रेताओं के लिए तीन कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें जीआरएसई के प्रतिनिधियों ने जीआरएसई की एमएसएमई से उत्पाद और सेवाओं की आवश्यकता पर प्रस्तुतियां दीं ।

सिद्धांत 2 व्यवसायों को वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं

5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करने का एक तंत्र है? यदि हाँ तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%,> 10%)। इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	कंपनी युद्धपोतों, वेसल्स, डीजल इंजन और बेली ब्रिज जैसे उत्पादों के निर्माण में शामिल है, जिसमें रणनीतिक / राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोग हैं। कंपनी के लिए उत्पादों को पुनर्चक्रण करना संभव नहीं होगा क्योंकि ये उत्पाद बेचने के बाद वापस कंपनी में नहीं आते हैं। हालांकि, कंपनी में उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली लागू है। इस तरह के निपटान या पुनर्चक्रण में काम करने वाली एजेंसियों और पर्यावरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अपशिष्ट का निपटान किया जाता है।

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की हित को बढ़ावा देना चाहिए

1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें।	:	1973
2	कृपया अस्थायी/संविदात्मक / आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें।	:	26
3	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या को इंगित करें।	:	93
4	कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या को इंगित करें	:	48
5	क्या आपके पास एक कर्मचारी एसोसियशन है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	:	हाँ
6	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसियशन का सदस्य है?	:	41.46%
7	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगित करें।	:	

सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायत सं.	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.
1	बाल श्रम / बलपूर्वक श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	दो (2)	एक (1)
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8	अंतिम वर्ष में आपके कितने प्रतिशत से कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?	:	

सं.	वर्ग	प्रशिक्षित व्यक्तियों का %	कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का%
1	स्थायी कर्मचारी	4.6	45.7
2	स्थायी महिला कर्मचारी	1.1	54.8
3	आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	53.8	42.3
4	विकलांग कर्मचारी	2.1	45.8

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है?	:	हाँ
2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है।	:	जीआरएसई की सीएसआर परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और रांची के क्षेत्रों में मौजूद वंचित, कमजोर और हाशिए के समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा, जीआरएसई भारत सरकार द्वारा सलाह के अनुसार आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। जीआरएसई उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी शामिल है जिनके लिए विशेष रूप से परियोजनाएं तैयार की गई हैं। कंपनी ने (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस (ii) विकलांग की पहचान अलग-अलग तरह से की है, जिन्हें रोजगार के उद्देश्य से वंचित, कमजोर और हाशिए पर रखा गया है।

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।			
3	क्या वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष पहल की गई है ? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	जीआरएसई ने अपने सीएसआर थ्रस्ट क्षेत्रों में कोलकाता और रांची में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्धताओं को बनाया है , जो बड़े पैमाने पर वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के बच्चों के लिए भोजन प्रबंध, शिक्षा, स्वच्छता और शौचालय, समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी पहल, अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए कई पहल, आय बढ़ाने के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण और कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण / अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अन्य हस्तक्षेप किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और अलग-अलग तरह से लागू किए गए नियमों के बारे में कंपनी भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करती है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए			
1	क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त V को लुभाने / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य को विस्तारित करती है ?	:	कंपनी के पास कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/ समूह आदि नहीं है, कंपनी की मानव संसाधन नीतियां उसके कर्मचारियों के मानवाधिकारों और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए इससे जुड़े अन्य लोगों को कवर करती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मानव अधिकारों पर कोई शिकायत नहीं मिली है। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें एक नीति है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितना प्रतिशत का समाधान किया गया है	:	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली

सिद्धांत 6 – व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए			
1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य को प्रदान करती है।	:	यह कंपनी को कवर करता है। एकीकृत दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सकारात्मक योगदान को मजबूत करने के लिए हमारे चल रहे प्रयास के माध्यम से माँ प्रकृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया जाता है। हम पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से इसकी गतिविधियों और उत्पादों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को विकसित करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं की पहचान करके इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कंपनी अपने व्यावसायिक साझेदारों / विक्रेताओं / ठेकेदारों को पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने के लिए डिजाइन से निपटान तक राजी और प्रोत्साहित करती है,
2	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि को संबोधित करने की रणनीति / पहल है? हाँ/ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	:	हाँ। कंपनी ऊर्जा संरक्षण उपायों और ऊर्जा प्रतिस्थापन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को संबोधित करती है। अक्षय ऊर्जा संसाधनों जैसे कि कैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक जोर दिया गया है। कंपनी ने अब तक मेन, एफओजे और आरबीबी यूनिटों में कुल 1000kWp यानी 1 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। वर्ष के दौरान, उपरोक्त 1 मेगावाट सौर छत बिजली संयंत्र से कुल उत्पादन शक्ति 8.56 लाख यूनिट (kWh) थी, जिसमें से 1.3 लाख यूनिट (kWh) सीईएससी ग्रिड में इंजेक्ट की गई थी। इसके अलावा यह सुविधा लगभग 950 टन ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करती है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/ना	:	नहीं

सिद्धांत 6 – व्यवसाय को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए			
4	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?	:	वर्तमान में, जीआरएसई के पास स्वच्छ विकास तंत्र के तहत कोई परियोजना नहीं है।
5	क्या कंपनी ने कोई अन्य पहल की है - स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि हाँ/ना । यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।	:	कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जैसी कई पहलें की हैं, नई इमारतों का विद्युतीकरण पारंपरिक डिस्चार्ज लैंप के बजाय एलईडी रोशनी के साथ किया जाता है, एलईडी लाइट्स के साथ उच्च दबाव पारा वाष्प रोशनी का प्रतिस्थापन, कुरसी प्रकार एलईडी प्रकाश व्यवस्था की स्थापना, का उपयोग नियमित छत के पंखे आदि के बजाय ऊर्जा कुशल पंखे।
6	क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं?	:	हाँ
7	सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओं / कानूनी नोटिस जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि के लिए हल नहीं किए गए)।	:	नहीं

सिद्धांत 7 - व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए			
1	क्या आपकी कंपनी किसी भी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख लोगों का नाम बताइए जिनके साथ आपका व्यवसाय व्यवहार करता है	:	(क) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की); (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (ग) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) (घ) बंगाल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) (ङ) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट (एसओडीईटी) (च) इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन (इस्बा)
2	क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त एसोसियशन के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/ना; यदि हाँ व्यापक क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)	:	नहीं

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए			
1	क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण।	:	हाँ। कंपनी "अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का प्रयास" के अपने पोषित मूल्य का अनुसरण कर रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के प्रावधानों और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति तैयार की है। इसके अलावा, प्रोग्राम / पहल / परियोजनाएं कंपनी अधिनियम -2013 की अनुसूची VII के अनुसार ली जाती हैं, जिन्हें कंपनी की हमारी सीएसआर और स्थिरता नीति में विधिवत शामिल किया गया है और हमारे सभी सीएसआर कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है। जीआरएसई के सीएसआर प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्ट्रेटा समुदाय को लाभान्वित करना है और ऐसे समुदायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं।

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए			
2	क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्व-स्थापित / बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?	:	कंपनी के अधिकांश कार्यक्रम इन-हाउस किए जाते हैं और कुछ मामलों में कंपनी जमीनी स्तर पर परियोजना के निष्पादन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, फाउंडेशन, सरकारी एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों के साथ सहयोग करती है।
3	क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?	:	हाँ। संचालित गतिविधि के प्रभाव को देखने के लिए प्रभाव मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। कंपनी समय-समय पर परियोजनाओं के बहुमत के लिए परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रभाव मूल्यांकन करती है।
4	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- आईएनआर में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण	:	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान 221 लाख रू था। कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का निर्माण करने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
5	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में व्याख्या करें।	:	हां, कंपनी अधिकांश परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करती है

सिद्धांत - 9 व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को प्रदान करना चाहिए			
1	वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं।	:	शून्य
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी, ऊपर और ऊपर क्या प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / एनए / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	:	जीआरएसई एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उत्पाद जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। इसलिए, उत्पाद जानकारी का कोई प्रदर्शन नहीं है।
3	क्या कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/ या पिछले पांच वर्षों के दौरान विरोधी-विरोधी व्यवहार और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित होने का कोई मामला दर्ज किया गया है। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।	:	नहीं
4	क्या आपकी कंपनी ने किसी उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि के रुझान को अंजाम दिया है?	:	जीआरएसई ने वर्ष 2019-20 के दौरान कोई संरचित सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, जीआरएसई नियमित आधार पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

गार्डन रीच शिपब्लिडर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड के सदस्यों को

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** ('कंपनी') के संलग्न इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें शामिल है 31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नगदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में बदलाव का विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की रांची शाखा के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न शामिल है।

हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अनिवार्य जानकारी के लिए आवश्यक कंपनी के मामलों में तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव और नगदी प्रवाह का विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी प्रकार प्रदान करती है जैसा कि अपेक्षित है और इंड एएस सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है।

राय हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (एसएएस) के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन चार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे इंड एएस वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के इंड एएस वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों की एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के निम्न वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी प्रतिक्रिया
1	**पोत निर्माण से अनुबंध राजस्व** वित्तीय विवरणों के रूप में इंड एएस के नोट नंबर 1.2 (i) और नंबर 20 में संदर्भित। कंपनी ने इंड एएस 115 के रूप में, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, जो अप्रैल, 2018 से प्रभावी एक नया लेखांकन मानक को अपनाया है। कंपनी मुख्य रूप से ग्राहकों की ओर से पोतों के निश्चित मूल्य निर्माण में लगी हुई है, जहाँ अनुबंध लागतों के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर इनपुट विधि के अनुसार गणना की गई राजस्व प्रतिशत के उपयोग से पहचाना जाता है। लेखांकन मानक का आवेदन जटिल है और लेखा परीक्षा में ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र है। हमने केएएम के रूप में पोत निर्माण अनुबंध की राजस्व मान्यता की पहचान की है: (क) राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के पहचान पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं , पहचान प्रदर्शन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, चर विचार का निर्धारण और चर विचार को मापने के लिए, एक अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता। (ख) मानक राजस्व और अवधियों के संबंध में मजबूत खुलासे का आदेश देता है, जिन पर शेष प्रदर्शन दायित्वों को तुलन पत्र तिथि को संतुलित करने के बाद संतुष्ट किया जाएगा। (ग) इसमें आईटी प्रणाली की महत्वपूर्ण भागीदारी है। (घ) वर्ष के अंत में, कार्य-प्रगति का एक महत्वपूर्ण राशि (अनुबंध संपत्ति) इन अनुबंधों से संबंधित तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त है।	पोत निर्माण अनुबंध से मान्यता प्राप्त राजस्व पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं में शामिल हैं: क) प्रबंधन द्वारा राजस्व रिकॉर्ड और गणना करने और संबंधित अनुबंध परिसंपत्तियों, अनर्जित और आस्थगित राजस्व शेष के प्रबंधन के लिए लागू प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और नियंत्रण को समझना। ख) प्रमुख आईटी नियंत्रणों के परिचालन प्रभाव का मूल्यांकन किया: i) सिस्टम द्वारा उत्पन्न लागत और राजस्व रिपोर्ट की पूर्णता और सटीकता पर आईटी नियंत्रण स्वीकारना। i) अनुबंधों के चयनित नमूनों पर, हमने परीक्षण किया कि मान्यता प्राप्त राजस्व लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है। ग) नए लेखांकन मानक के तहत प्रदान किए गए खुलासे की उपयुक्तता का मूल्यांकन। घ) तुलन पत्र में कार्य-प्रगति (अनुबंध परिसंपत्तियों) की मान्यता की रिपोर्ट की तारीख और कंपनी के अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के अनुसार कार्य-प्रगति की संगणना के प्रासंगिक विवरण के साथ जाँच की गई है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी प्रतिक्रिया
2.	**लीज अकाउंटिंग** कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी एक नया लेखांकन मानक इंड एएस 116 (लीजों) को अपनाया है। इंड एएस 116 एक एकल लीज लेखांकन मॉडल का परिचय देता है और सभी लीजों हेतु ,संपत्ति, देनदारियों चाहे एक वित्त लीज हो या परिचालन लीज हो, अल्पकालिक लीजों (बारह महीने से कम लीज की अवधि) और कम मूल्य की संपत्ति के लीजों को छोड़कर की पहचान करने के लिए एक पट्टेदार की आवश्यकता होती है। इस लेखांकन मानक के आवेदन और ट्रैनजिशन जटिल है और लेखा परीक्षा में ध्यान देने का क्षेत्र है। इसलिए, हमने केएएम के रूप में लीज लेनदन की पहचान की। मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है कि लीज पर दी गई परिसंपत्तियों को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" (गैर वर्तमान परिसंपत्तियों) के तहत बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त करने के लिए सही उपयोग परिसंपत्तियों के रूप में माना जाना है या नहीं और लीज अनुबंधों से जुड़े खर्चों को कितना और कब मान्यता दी जानी है। इसमें राइट-ऑफ-यूज एसेट्स के रूप में लीज पर ली गई परिसंपत्तियों की पहचान और मान्यता और इसी लीज देयता को पहचानना, लीज की शुरुआत की तारीख में राइट-ऑफ-यूज एसेट्स और लीज लायबिलिटी का प्रारंभिक माप (यानी जिस तारीख को पट्टेदार कंपनी द्वारा उपयोग के लिए संपत्ति उपलब्ध कराता है (पट्टेदार), राइट-ऑफ-यूज एसेट्स ,संपत्ति और लीज देयता, लीज रेंटल और लीज देयता का मापन, और कंपनी द्वारा भुगतान की गई वित्तीय लागत आईटी सिस्टम के महत्वपूर्ण भागीदारी, कंपनी के वित्तीय विवरण में लीज लेने-देन का प्रकटीकरण आदि शामिल हैं।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में 'राइट-ऑफ-यूज' एसेट्स, समान लीज देनदारी, लीज खर्चों (राइट-ऑफ-यूज एसेट्स और फाइनेंस कॉस्ट में कमी सहित) की मान्यता शामिल हैं: (क) लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए लीज एग्रीमेंट की जांच यह निर्धारित करती है कि क्या लीज अनुबंध विचाराधीन समय में लीज पर ली गई विषय परिसंपत्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार प्रदान करता है ताकि प्रतिफल के बदले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकें; (ख) संबंधित परिसंपत्तियों की देनदारियों की प्रारंभिक माप की गणना और इंड एएस-116 के अनुसार प्रारंभिक माप के बाद पट्टे की तारीख में, इंड एएस-116 के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के लिए लीज के भुगतान और उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की जांच की; (ग) लीज लेनदेन के संबंध में प्रणाली द्वारा उत्पन्न रिपोर्टों की पूर्णता और सटीकता पर आईटी नियंत्रण का परीक्षण।

इंड एएस वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरणों के अलावा इंड एएस वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों के रूप में इंड एएस के बारे में हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के रूप में इंड एएस के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी इंड एएस के वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित तथ्यों हेतु कंपनी के निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, जिन विवरणों से अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नगदी प्रवाह तथा इक्विटी में बदलाव का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप लेखांकन अभिलेखों का पर्याप्त रखरखाव तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं आवेदन, निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने जो उचित और विवेकपूर्ण हो तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव जो इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक है, जो सत्य और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा चाहे जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण ही, वास्तविक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

इंड एएस के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करें। यह आकलन कंपनी से चिंता का विषय, चिंतनीय विषयों के संबंध में प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चिंता के विषय को आधार बनाएँ जब तक की प्रबंधन या इसके निबटान करने का इरादा रखता हो या संचालन को बंद करने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

इंड एएस वित्तीय विवरण हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, एक संपूर्ण सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए दुरूपयोग से मुक्त हैं ? जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के

अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री यदि व्यक्तिगत या समेकित रूप से इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए हैं तो उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- इंड एएस के वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों को पहचान और उनका मूल्यांकन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, डिज़ाइन और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है , क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयान, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन की चिंता आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करना की क्या एक घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर इंड एएस के वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- वित्तीय विवरणों सहित इंड एएस के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह भी की क्या इंड एएस के वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के साथ संवाद करते है, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिनकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम एक वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा के उपाय पर टीके होते है और जिन्हें सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन पर आरोप लगाने वाले मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के इंड एएस के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा। इस तरह के संचार में सार्वजनिक हित या लाभ के अतिभार होते है।

अन्य मामलें

(i) हमने कंपनी के इंड एएस के वित्तीय विवरणों के इंड एएस के वित्तीय विवरणों/ सूचना में शामिल एक शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 के अनुसार एवं जैसा की इंड एएस के वित्तीय विवरणों/ सूचना में माना गया है, कुल 7,995.11 लाख रुपए की परिसंपत्ति एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल 4,413.85 लाख रुपए का राजस्व दर्शाता है। इन इंड एएस के वित्तीय विवरणों/ सूचना को शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई और अब तक शाखा के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण संबंधी हमारा मत शाखा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर पूरी तरह आधारित है।

(ii) नोट नंबर 30 (आकस्मिक देयताएं) में दर्शाई गई राशि में ब्याज/जुर्माना शामिल नहीं है जो दावों के अंतिम निपटान पर देय हो सकता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधि एवं विनियमन अपेक्षा पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार हम संलग्नक- क में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित मदों पर एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

   (क) हमने सभी जानकारियां एवं सूचनाएँ मांगी एवं प्राप्त की है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तिका अब तक यथा अपेक्षित रूप से रखी है जो उन खातों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

   (ग) कंपनी के ब्रांच, ऑफिस के खातों का लेखा परीक्षा जिसकी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत नियुक्त ब्रांच लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, रिपोर्ट हमें प्रेषित कर दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उससे उचित करवाई की हैं।

   (घ) इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस (अन्य व्यापक आय सहित), स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट निपटाए गए हैं जो खाते की पुस्तकों के एग्रीमेंट साथ हैं।

   (ङ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संशोधित रूप में (भारतीय लेखांकन मानक) कंपनी नियम, 2015 के साथ पठित का अनुपालन करते हैं।

   (च) हमारी राय में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत प्रावधान कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   (ज) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार में, हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      i. कंपनी ने अपनी इंड एएस वित्तीय विवरण (आकस्मिक देनदारियों के रूप में इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 का संदर्भ लें) में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

      ii. कंपनी डेरीवेटिव कांट्रैक्ट सहित किसी भी दीर्घ अवधि कांट्रैक्ट में नहीं है जिसके लिए कोई मैटीरियल फॉरसीएबल हानि हो;

      iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

3. हम "अनुलग्नक – ग" में उपरोक्त धारा के शर्तों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निहित मामलों पर एक विवरण दे रहे हैं जो अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार अपेक्षित है।

कृते ए. केयस एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 311149ई
हस्ता./-
(सीए. एस.आर. बिस्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAE1063

स्थल : कोलकाता
दिनांक : 06 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का "संलग्नक- क"

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों की मात्रा संबंधी ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूरे विवरणों को दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।

(ख) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी परिसंपत्तियों का चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों की अवधि में सत्यापन किया जाता है। तदनुसार, कंपनी के कुछ डिवीजन/यूनिट की अचल संपत्तियों को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से सत्यापित किया गया था। इस तरह के सत्यापन पर पाई गई विसंगतियों को खातों में ठीक से निपटाया गया है। हमारी राय में, ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है।

(ग) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों की टाइटल डीड कंपनी के नाम में हैं। संपती उपयोग के अधिकार के मामले में कंपनी के नाम पर लीज एग्रीमेंट को विधिवत निष्पादित किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तुसूचियों (तीसरी पार्टी के पास में पड़े को छोड़कर) का प्रत्यक्ष सत्यापन तर्कसंगत अंतराल पर किया गया है। तीसरी पार्टी के पास पड़ी वस्तुओं की पुष्टि उनके द्वारा पर्याप्त रूप से की गई है। प्रत्यक्ष सत्यापन से उत्पन्न प्रत्यक्ष स्टॉक और पुस्तक रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां, जो मैटीरियल नहीं थीं, लेखा खातों में दर्ज कर ली गई हैं।

(iii) कंपनी ने अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कोई भी ऋण, गारंटी तथा प्रतिभूति अनुदान नहीं की गई हैं जिनके संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांकित 5 जून 2015 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं क्यूंकी कंपनी एक सरकारी कंपनी हैं और रक्षा उत्पादन जैसे कार्य में लगी हुई है, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तात्पर्य के अनुसार किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च 2020 तक कोई अघोषित जमा राशि नहीं है। इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा148 के अंतर्गत पोतों के निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और डीजल इंजन के निर्माण के संबंध में निर्धारित किया गया है। हमने इन विहित खातों रिकार्डों का विस्तृत परीक्षण किया और प्रथम दृष्टया, निर्धारित खातों और रिकार्डों को तैयार किया गया है और रखरखाव किया गया है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमें यथा उपलब्ध कराए गए कंपनी के रिकार्डों की हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस तथा अन्य कोई सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकायों को जहां तक संभव हो उचित प्राधिकरणों में समान्यतः नियमित रूप से जमा करती रही है और 31 मार्च 2020 को उपरोक्त देयताओं के संदर्भ में देय होने की तारीख से छ माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित राशि देय नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को जमा नहीं किए गए विवादित ब्योरे के विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र सं	सांविधि का नाम	बकाया का स्वरूप	अवधि जिससे संबन्धित है	राशि (लाख रु. में)	मंच जहां विवाद लंबित है
1.	वैस्ट बंगाल वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम, 2003	वैल्यू ऐडेड टैक्स	2007-08	506.83	वैस्ट बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल
2.	सैंट्रल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1956	सैंट्रल सेल्स टैक्स	2010-11	1201.93	कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज़, झारखण्ड
3.	झारखंड वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम, 2005	वैल्यू ऐडेड टैक्स	2010-11	768.01	कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज़, झारखंड
4.	सैंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944	सैंट्रल एक्साइज	2016-17	106.54	अपर सचिव, पुनरावृत्ति याचिका, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5.	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2008-09	352.85	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
6.	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2013-14	1.92	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)

क्र सं	सांविधि का नाम	बकाया का स्वरूप	अवधि जिससे संबन्धित है	राशि (लाख रु. में)	मंच जहां विवाद लंबित है
7.	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2012-13	136.98	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
8.	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2013-14	96.18	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
9.	इन्कम टैक्स एक्ट, 1961	इन्कम टैक्स	2016-17	8.61	कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स (अपील)
	कुल			**3179.85**	

ऊपर उल्लिखित राशि विशेष रूप से ब्याज और जुर्माना का है जो लंबित मामलों के अंतिम निपटान पर देय हो सकती है।

(viii) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है। इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3 (viii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर अथवा बाद में पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यम सहित) के माध्यम से कोई धन एकत्र नहीं किया है। हमारे परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आवधिक ऋणों के द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए ऋण लिया गया था और इस तरह, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई सामग्री जालसाजी न तो नोटिस की गई है और न ही इसकी रिपोर्ट की गई है।

(xi) कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 को दी गई छूट के मद्देनजर प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में शिड्यूल V के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 पठित धारा 197 का प्रावधान एक सरकारी कंपनी के लिए, लागू नहीं है और इस तरह, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इस प्रकार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकांईस के हमारे परीक्षण के आधार पर,संबन्धित पार्टियों से लेनदेन, जहां लागू होता है, अधिनियम के खंड 177 और 188 का अनुसरण रिकांईस किया गया है और लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकोर्ड्स के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबन्धित व्यक्तियों के साथ गैर नगदी लेनदेन नहीं किया है।, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते ए. केयस एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर. बिस्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAE1063

स्थल : कोलकाता
दिनांक : 06 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "संलग्नक ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2020 के अनुसार इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा सहित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य कंपोनेंट कों ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित है, पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कों स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना कों समय पर तैयार करने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन कों सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित किए जा रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत प्रकट करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत कंपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखा परीक्षा के मानकों दोनों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा संचालित की। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया और क्या सभी सामग्री में यह नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया और प्रचालन प्रभावकारिता निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, विद्यमान मैटीरियल वीकनेस के जोखिम का आकलन तथा आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं आकलन शामिल किया गया। चयन की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें चाहे जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण ही वित्तीय विवरणों की गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा प्रमाण जिसे हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा मत हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों कों तैयार करने के संबंध में सही रूप से सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत वे नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ निहित हैं जो :

(1) उन रिकार्डों के रखरखाव, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान का सही और सटीक विवरण प्रस्तुत करते हो;

(2) सही रूप से सुनिश्चित करते हो कि लेनदेन को यथा आवश्यक रिकॉर्ड किया गया है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों कों तैयार करने के लिए अनुमति दी जा सके और यह, कि केवल प्रबंधन प्राधिकारों तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों कों परिचालित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण से बचाव अथवा समय पर पता लगाने, प्रयोग अथवा निपटान, जिसका वित्तीय विवरणों पर मैटीरियल प्रभाव पर सकता है, के बारे में सही रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना अथवा प्रबंधन का अनुचित ओवरराइड नियंत्रण, त्रुटि अथवा जालसाजी के कारण गलत बयानबाजी हो सकती है और उसका पता नहीं लग पाता। इसके साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का भावी अवधि के लिए प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थियों में परिवर्तन होने के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा यह, कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में सभी संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और 31 मार्च 2020 तक अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित हुआ है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण पर अनिवार्य कम्पोनेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते ए. केयस एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर. बिस्वास)
सदस्यता संख्या – 051512
साझेदार
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAE1063

स्थल : कोलकाता
दिनांक : 06 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "संलग्नक ग"

क्रं.स.	निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, आईटी प्रणाली साथ-साथ खातों की इंटीग्रिटी के बाहर लेखांकन लेनदेन का वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो तो उसके बारे में बताया जाए।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है और आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं है। इसलिए, वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की इंटीग्रिटी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई भी निहितार्थ उत्पन्न नहीं होता है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है और कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋणदाता को दी गई छूट / लिखित छूट / ऋण/ ब्याज आदि के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	मौजूदा ऋण के पुनर्गठन और ऋण चुकाने के लिए कंपनी के किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / मामलों के पुनर्गठन का कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए, उपरोक्त कारणों से वित्तीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त धनराशि ली गई थी /प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशेष योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी द्वारा किसी भी राशि का प्राप्ति/ प्राप्तियों के मामलों हमारे संज्ञान में नही आए हैं और न ही हमें प्रबंधन ऐसी किसी राशि की प्राप्ति/ प्राप्तियों के बारे में सूचना मिली है।

कृते ए. केयस एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर. बिस्वास)
सदस्यता संख्या – 051512
साझेदार

आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAE1063

स्थल : कोलकाता
दिनांक : 06 जून, 2020

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय-विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित है। इसके किए जाने का उल्लेख उनके द्वारा उनकी दिनांक 06 जून 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी करनी हो अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई पूरक सूचना देनी हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता./-

(संतोष कुमार, आईए एवं एएस)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन

सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

बेंगलूर

दिनांक: 06 अगस्त 2020

तुलन पत्र
31 मार्च 2019 के अनुसार

(लाख रु. में)

विवरण			नोट सं.	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
परिसंपत्तियाँ					
(1)	**निवर्तमान परिसंपत्तियाँ**				
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3	29,923.31	29,727.67
(ख)	चल रहे पूंजीगत कार्य		4	5151.52	3,418.60
(ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ		5	445.56	497.52
(घ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i)	निवेश	6(क)	0.44	0.44
	(ii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6(ख)	7,660.42	18,177.09
(ङ)	निवर्तमान कर परिसंपत्तियाँ		7	12,060.02	9,171.48
(च)	अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियाँ		8	2,408.06	856.15
कुल निवर्तमान परिसंपत्तियाँ				**57,649.33**	**61,848.95**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**				
(क)	वस्तुसूचियाँ		9	44,102.22	34,956.91
(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i)	वर्तमान निवेश	10(क)	5400.43	183.01
	(ii)	ट्रेड प्राप्तियाँ	10(ख)	53,528.00	21,985.99
	(iii)	नकद एवं नकद समतुल्य	10(ग)	72,922.75	927.43
	(iv)	उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	10(घ)	1,88,207.93	1,98,012.61
	(v)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10(ङ)	20,732.75	43,704.64
(ग)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ		11	95,818.44	57,330.49
(घ)	बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ		12	52.82	43.09
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ				**4,80,765.34**	**3,57,144.14**
कुल परिसंपत्तियाँ				**5,38,414.67**	**4,18,993.09**
इक्विटी एवं देयताएँ					
इक्विटी					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी		13(क)	11,455.20	11,455.20
(ख)	अन्य इक्विटी		13(ख)	92,567.90	92,375.51
कुल इक्विटी				**1,04,023.10**	**1,03,830.71**
देयताएँ					
(1)	**निवर्तमान देयताएँ**				
(क)	वित्तीय देयताएँ				
ट्रेड देय			14	1,075.05	762.79
(ख)	प्रावधान		15	7,662.46	6,432.07
(ग)	आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		16	953.78	1,122.53
कुल निवर्तमान देयताएँ				**9,691.29**	**8,317.39**
(2)	**वर्तमान देयताएँ**				
(क)	वित्तीय देयताएँ				
	(i)	ट्रेड देय			
(क)	सूक्ष्म और लघु उद्धमों का कुल बकाया शेष		17(क)	293.43	1,390.82
(ख)	उपरोक्त (i) (क) के अतिरिक्त कुल बकाया शेष		17(क)	54,384.37	35,618.17
	(ii)	अन्य वित्तीय देयताएँ	17(ख)	2,426.41	2,152.46
(ख)	अन्य वर्तमान देयताएँ		18	3,52,337.17	2,53,602.54
(ग)	प्रावधान		19	15,258.90	14,081.00
कुल वर्तमान देयताएँ				**4,24,700.28**	**3,06,844.99**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ				**5,38,414.67**	**4,18,993.09**
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय			2		

सहनोट्स 1 से 49 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते ए कयेस एंड कंपनी
चार्टर्रित लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर.बिसवास)
साझेदार
सदस्यता सं. 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAAE1063

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 6 जून 2020

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
एस.एस.डोगरा
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन-07052300

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रु. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व	20	1,43,329.53	1,38,642.16
अन्य आय	21	22,549.94	17,123.93
कुल आय		**1,65,879.47**	**1,55,766.09**
व्यय			
खपत किए गए मालों की लागत	22(क)	69,169.71	68,018.44
पुनः बिक्री हेतु उत्पादों का क्रय (बी एवं डी स्पेयर्स)		5,426.26	9,225.74
चालू कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन	22(ख)	(2,419.95)	(915.38)
उप संविदा प्रभार		17007.21	12,580.02
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	23	29,694.15	29,146.70
वित्त लागत	24	133.56	511.31
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	25	3,008.92	2,708.47
अन्य व्यय - परियोजना संबन्धित	26	7,311.90	5,461.31
अन्य व्यय	27	13,099.91	10,913.57
कुल व्यय		**1,42,431.67**	**1,37,650.18**
असाधाराण वस्तु एवं कर पूर्व लाभ		**23,447.80**	**18,115.91**
असाधाराण वस्तु	28	(1,060.70)	(219.89)
कर पूर्व लाभ		**22,387.10**	**17,896.02**
कर व्यय	29(क)		
- वर्तमान कर		5808.78	6,590.19
- आस्थगित कर		230.15	311.96
कुल कर व्यय		**6,038.93**	**6,902.15**
वर्ष के लिए लाभ		**16,348.17**	**10,993.87**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जो लाभ व हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः निर्धारण		(1,584.81)	(979.46)
- उपरोक्त मदों से संबन्धित आयकर		398.90	342.25
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, शुद्ध कर		**(1,185.91)**	**(637.21)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**15,162.26**	**10,356.66**
प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रु.)			
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटेड आय		14.27	9.60
कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय	2		

सहनोट्स 1 से 49 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते ए कयेस एंड कंपनी
चार्टर्रित लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर.बिसवास)
साझेदार
सदस्यता सं. 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAAE1063

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 6 जून 2020

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
एस.एस.डोगरा
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन-07052300

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कराधान से पूर्व लाभ		22,387.10		17,896.02
के लिए समायोजन -				
ब्याज आय		(20,396.84)		(16,834.80)
उचित मूल्यांकन पर लाभ		(221.84)		(130.47)
व्यय मूल्यह्रास एवं परिशोधन		3,008.92		2,708.47
परिसंपत्तियों - की रिटायरमेंट/राइटऑफ शुद्ध		(110.53)		(17.03)
वित्त लागत		133.56		511.31
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का अवास्तविक हानि/(लाभ)		(24.59)		(2.56)
देयताओं को अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।		(639.03)		(10.55)
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**4,136.77**		**4,120.41**
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :				
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(30,358.35)		(12,729.56)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	33,488.56		(22,455.17)	
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(1551.91)		(16.73)	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(39,671.64)		(3,504.72)	
वस्तुसूचियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	(9,145.31)		16,352.59	
व्यवसाय देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	17,317.44		11,195.96	
प्रावधान में(अभिवृद्धि)/ह्रास	2,239.54		(2,480.63)	
अन्य वित्तीय देनदारियों में(अभिवृद्धि)/ह्रास	273.95		(2.32)	
अन्य चालू देनदारियों में (अभिवृद्धि)/ह्रास	73,596.40	46,188.67	(14,238.00)	(27,878.58)
परिचालनों से अर्जित (प्रयुक्त) नकदी		**50,325.45**		**(23,758.18)**
प्रदत करों (शुद्ध धन वापसी)		12,458.21		12,590.92
परिचालनात्मक गतिविधियों से (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी		**62,783.65**		**(11,167.26)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्रय (अमूर्त और पूंजीगत चालू कार्य सहित)		(6,736.76)		(5,251.59)
सावधि जमा की परिपक्वता से प्राप्ति		19,791.59		11,113.22
प्राप्त ब्याज		11,440.14		13,919.25
निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी		**24,494.97**		**19,780.88**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
ब्याज और अन्य उधार लागत का भुगतान किया गया		(158.49)		(195.96)
लीज रेंट का प्रमुख घटक		(107.12)		-
लीज रेंट का ब्याज घटक		(47.82)		-
प्रदत लाभांश (कर सहित)		(7043.02)		(6,124.67)
अन्तरिम लाभांश (कर सहित)		(7,926.85)		(2,554.82)
वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी		**(15,283.30)**		**(8,875.45)**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध (अभिवृद्धि)/ह्रास		**71,995.32**		**(261.83)**
अथ नकदी और नकदी समकक्ष		**927.43**		**1,189.26**
इति नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 10 (ग) का संदर्भ लें)		**72,922.75**		**927.43**

1.उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियमों, 2015 के तहत यथा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण के भारतीय लेखा मानक-7 में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

2. नकदी एवं नकदी समतुल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं है जो कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

3. तुलन पत्र तिथि को अनुसार नक दी एवं नक दी समुतुल्य में निहित हैं:

लाख रू में

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
बैंकों में शेष राशि		
चालू खाता	2,057.87	927.24
तीन महीने से कम की परिपक्वता का बैंक जमा	70,864.73	-
हस्तगत नकदी	0.15	0.19
नकदी और नकदी समकक्ष	**72,922.75**	**927.43**

4. ब्रैकेटों में दिया गया आंकड़ा संबंधित गतिविधियों से नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. चूंकि नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्रेक अप नोट संख्या 10 (ग) में भी उपलब्ध है, बैलेंस शीट में संबंधित संबंधित वस्तुओं के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य की वस्तुओं का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है और इसलिए प्रदान नहीं किया गया है।

सहनोट्स 1 से 49 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते ए कयेस एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर.बिसवास)
साझेदार
सदस्यता सं. 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAAE1063

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 6 जून 2020

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
एस.एस.डोगरा
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन-07052300

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

इक्वटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(लाख रू में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2018 तक	11,455.20
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (नोट 13 (क) का संदर्भ लें)	-
31 मार्च, 2019 तक	11,455.20
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (नोट 13 (क) का संदर्भ लें)	-
31 मार्च, 2020 तक	11,455.20

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रू में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी रिडेम्प्शन आरक्षित	आम रिजर्व	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2018 तक शेष राशि	928.80	6,064.86	83,704.68	90,698.34
वर्ष (क) के लिए लाभ	-	-	10,993.87	10,993.87
वर्ष (ख) के लिए अन्य विस्तृत आय	-	-	(637.21)	(637.21)
(क+ ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	10,356.66	10,356.66
प्रदत लाभांश (कर सहित) (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(6124.67)	(6,124.67)
अंतरिम प्रदत लाभांश (कर सहित) (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	928.80	-	(2554.82)	(2,554.82)
31 मार्च, 2019 तक शेष	**928.80**	**6,064.86**	**85,381.85**	**92,375.51**
31 मार्च, 2019 तक शेष	**928.80**	**6,064.86**	**85,381.85**	**92,375.51**
वर्ष (क) हेतु लाभ	-	-	16,348.17	16,348.17
वर्ष (ख) हेतु अन्य विस्तृत आय	-	-	(1,185.91)	(1,185.91)
(क+ख) वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय	-	-	15,162.26	15,162.26
प्रदत लाभांश (कर सहित) (नोट 13 (ख)का संदर्भ लें)	-	-	(7,043.02)	(7,043.02)
अंतरिम प्रदत लाभांश (कर सहित) (संदर्भ नोट 13 (ख))			(7,926.85)	(7,926.85)
31 मार्च, 2020 तक शेष	**928.80**	**6,064.86**	**85,574.24**	**92,567.90**

सहनोट्स 1 से 49 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते ए कयेस एंड कंपनी
चार्टीरित लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर.बिसवास)
साझेदार
सदस्यता सं. 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAAE1063

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 6 जून 2020

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
एस.एस.डोगरा
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन-07052300

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट्स

नोट 1: कंपनी का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

नोट 1.1: कंपनी का पृष्ठभूमि

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई लिमिटेड' या 'कंपनी') को 26 फरवरी, 1934 को निगमित किया गया था। कंपनी, भारत में अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024 में है। कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध है। कंपनी मुख्य रूप से युद्धपोतों का निर्माण करती है।

नोट 1.2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के साथ-साथ कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (यहाँ इसके बाद से इसे 'इंड एएएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है।

(ii) ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित को छोडकर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियाँ जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां – जिन्हें कम वहन राशि या उचित मूल्य घटाव बेचने के लागत आधार पर मापा गया है;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियां।

(iii) वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियां और देनदारियाँ, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण पर आधारित है।

परिसंपत्तियां और देनदारियाँ का वर्गीकरण, जहां कहीं लागू होने योग्य, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के सामान्य संचालन चक्रों पर आधारित होते हैं, जो निम्नानुसार है:

(का) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत और रिफिट गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र पर पोत के अनुसार अनुबंध की प्रभावी तारीख से लेकर गारंटी अवधि की समाप्ती तिथि तक की कुल समयावधि मानी जाती है।

(ख) अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य संचालन चक्र 12 महीने का होता है।

एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब :

i. सामान्य संचालन चक्र में बेचे जाने या उपभोग किए जाने का इरादा सरकार या इरादा होने की उम्मीद हैं

ii. इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रोककर रखा जाता है,

iii. इसे प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाया जाने की उम्मीद होती है, या

iv. प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में माना जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(iv) राशियों को निकटतम मान में बदलना

वित्तीय विवरणों और नोट्स में उल्लिखित सभी राशियों को अनुसूची III, की आवश्यकता के अनुसार जब तक किसी अन्य प्रकार से कुछ न कहा जाएं। निकटतम लाख में बदल दिया गया है.

(v) क्रियाशील और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सहित पूंजीगत चालू कार्य को लागत में दर्शाया गया है, यदि कोई हो तो कम संचित मूल्यह्रांस और हानि में दर्शाया गया है।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, शेष बैलेंस शीट तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है। इसका खुलासा चालू पूंजीगत कार्य रूप में किया गया है। इसमें सप्लाई कम इरेक्शन कांट्रैक्ट, साइट पर प्राप्त पूंजी आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(ii) लागत का मतलब है कि व्यापार मूल्य में छूट के बाद नकद मूल्य के रूप में मानी जाने वाली खरीद मूल्य, छूट और जुडने वाले शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों और लागतों को सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध परिसंपत्ति बनाने के लिए दायित्व, संयंत्र और उपकरण के पार्ट को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं तो दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उधार लागत।

(iii) जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तब यदि मान्यता मानदंड संतोषजनक हो तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत को खर्च के रूप लाभ या हानि में पहचान की जाती है।

(iv) जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोगी जीवन अलग-अलग है, वहाँ उन्हें अलग-अलग घटक के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी (भारतीय जीएपीपी) के 1 अप्रैल, 2015 तक के अनुसार मापे गए अपनी मान्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने और उस वहन को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है।

II. सेवानिवृथी और विमान्यता: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तो उसे विमान्य किया जाता है। किसी मद के विमान्यता/ निवृत्ति की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

III. संयुक्त रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहरी एजेंसियों के वित्तीय सहयोग से प्राप्त संयंत्र और उपकरण को सकल मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

इंड एएएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने इंड एएएस 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना है। इसलिए, संयंत्र और उपकरण जिन्हें पूंजीकृत किया गया था, कंपनी की शुद्ध लागत को उनके शुद्ध मूल्य से आगे ले जाया गया है। 1 अप्रैल 2015 से ऐसी परिसंपत्तियों से किए गए किसी संयोजन को सकल मूल्य में प्रकट किया गया है और पीपीई के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित कर दिया गया है।

IV. मूल्यह्रांस की विधियाँ, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य: निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, उपयोग की अवधि के अनुपात में, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत, मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जहां तकनीकी आकलन के आधार पर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, पूर्व प्रवृत्तियाँ और प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से अलग है:

परिसंपत्ति की श्रेणी	विवरण	वर्ष
संयंत्र और उपकरण	हैंड पावर टूल्स जैसे ग्राइंडर, चिपर, ड्रिलिंग मशीनें; कसने वाले टूल्स जैसे बोतल पेंच, कीलक और गोफन, उत्तोलक/जंजीर-चरखी ब्लॉक, हुक बेड़ियाँ, मापने और जाचने वाला उपकरण	**08**
संयंत्र और उपकरण	विविध औज़ार/सामग्रियाँ और उनके उपसाधन; वेल्डिंग टॉर्च,पोर्टबल इलेक्ट्रोड चूल्हा, मास्क और हेलमेट; छोटे-छोटे यंत्र, मापन/नियंत्रण उपकरण	**05**
फर्नीचर और फिक्सचर	सभी इलेक्ट्रिकल/विद्युत उपकरण जैसे रेफ्रीजेटर, एमडबल्यू/अन्य चूल्हे, टीवी सेट/मनोरंजन सिस्टम/गीजर/ वाटर हीटर,वाटर प्यूरिफायर और कूलर, एयर इलेक्ट्रोनिक मेडिकल गैजेट,कैंटीन गैजेट्स/यूटिलिटी, संचार उपकरण	**05**

i. मौजूदा परिसंपत्तियों के एक अभिन्न अंग का निर्माण करने वाले संयोजन/विस्तार के संबंध में, मूल्यह्रास, संबंधित परिसंपत्ति के शेष जीवन पर प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण संयोजन जिन्हें नियमित अंतराल पर बदलना पड़ता है/जोड़न पड़ता है, उनका मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मद के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास

क) जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है तब परिसंपत्ति मूल्यह्रास शुरू होता है। यह उस तारीख के पहले समाप्त हो जाता है कि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता की तारीख के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के संबंधित उपयोगी जीवन पर उनकी लागत (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों में से उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाने पर मिलने वाले वियोगफल को छोड़कर) को बट्टे खाते में डालने के लिए मान्यता दी जाती है।

ख) अवशिष्ट मूल्य पर, कंप्यूटर और आईटी बाह्य उपकरणों को छोड़कर, संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% की दर पर विचार किया जाता है।

ग) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों (सर्वर और नेटवर्क उपकरण को छोड़कर) को उनके उपयोगी जीवन में पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है।

iii. एक अनुमानित आधार पर लेखांकित अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है।

iv. उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनके उपयोगी जीवन को पुनरावृत किया गया है, परिसंपत्तियों के पुनरावृत शेष उपयोगी जीवन पर अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य शुल्क लिया गया है।

v. एयर कंडीशनर्स को प्रमुख फर्नीचर और फिक्सचर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उपयोगी जीवन को, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत फर्नीचर और फिक्सचर पर लागू होने योग्य माना गया है।

vi. आंतरिक तकनीकी आकलन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत का 95% माफ कर देने की सीधी रेखा विधि के अनुसार पुरानी मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ग) बिक्री के लिए रोककर रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

गैर-परिसंपत्तियों के बिक्री के लिए रोककर रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि को लगातार इस्तेमाल के माध्यम से वसूल करने के बजाए मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी और एक बिक्री को अत्यंत संभावित माना जाता है। उन्हें उनकी कम वहन राशि और उचित मूल्य घटाव बिक्री की लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के लिए जैसे आस्थगित कर परिसंपत्तियां, कर्मचारी के लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियां और वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्राप्त है।

बिक्री के लिए रोककर रखी परिसंपत्तियों के रूप वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और बैचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट में अन्य परिसंपत्तियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के लिए रोककर रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देनदारियों को बैलेंस शीट में अन्य देनदारियों से अलग करके प्रस्तुत किया जाता है।

घ) उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत जिसके लिए सीधे तौर पर एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति (धनराशियों के अस्थायी उपयोग पर अर्जित शुद्ध आय)

के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन जिम्मेदार होता है उस लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। उधार संबंधी लागत में ब्याज, धनराशि उधार लेने से जुड़ी अन्य लागत और उधार संबंधी लागत में एक समायोजन मानी जाने वाली सीमा तक आदान-प्रदान का अंतर शामिल होता है। एक योग्यतामूलक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसे अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार संबंधी लागत को लाभ-हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

ङ) परिसंपत्तियों की क्षीणता

परिसंपत्तियों की क्षीणता पर इंड एएस 36 में परिभाषित किए गए अनुसार नकदी उत्पन्न करने वाले इकाइयों को बैलेंस शीट की तारीख में स्थापित किया जाता है। बैलेंस शीट की तारीख में, यदि क्षीणता का संकेत मिलता है और नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूल करने योग्य राशि से अधिक होती है (अर्थात उचित मूल्य घटाव निपटान की लागत और उपयोगरत मूल्य का अधिक) तो क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है। वहन राशि घटकर वसूली योग्य राशि बन जाती है और घटौती को लाभ-हानि विवरण में एक क्षीणता हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर, पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि प्रतिलोम हो जाती है। क्षीणता के बाद, क्षीण परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर उसके पुनरावृत वहन मूल्य पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

च) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां को अधिग्रहण की लागत घटाव संचित परिशोधन और संचित क्षीणता, (यदि कोई हो), के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिशोधन, उस तारीख से सीधी रेखा आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिस तारीख से वे, क्षीणता परीक्षण के आधार पर, अपेक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सॉफ्टवेर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसे 5 वर्ष के उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है। विशिष्ट अवधि के लिए लाइसेंस फीस को कथित अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

5,000 रूपये या उससे कम मूल्य की अमूर्त परिसंपत्तियों की व्यक्तिगत वस्तुओं को अधिग्रहण वर्ष या उपयोग वर्ष में सम्पूर्ण रूप से परिशोधित किया जाता है।

इंड एएस में रूपान्तरण

इंड एएस में रूपांतरित होने पर, कंपनी ने पिछले जीएएपी(भारतीय जीएएपी) के आधार पर मापे गए, 1 अप्रैल 2015 को मान्यता प्राप्त, अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के उसके मूल्य के साथ जारी रखने और उस मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है।

छ) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले पूंजीगत खर्च को अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले राजस्व खर्च को उस वर्ष के दौरान खर्च के रूप में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में वह खर्च हुआ है

ज) वस्तुसूचियाँ

निर्माण अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रगतिशील कार्य के अलावा वस्तुसूचियों का मूल्य, लागत और शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य में से कम पर निर्धारित किया जाता है। लागत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

i. (क) कच्चा माल, स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे: भारित औसत दरों पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ख) संयंत्र की अंदर की वस्तुएँ: मानक लागत पर।

ii. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण: लागत पर।

iii. मार्गस्थ सामान और गैर-स्टॉक वस्तुएँ: लागत पर।

ध्यान दे :

क) लागत में, ऐसी वस्तुओं को उसके स्थान तक लाने में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होने वाला खर्च शामिल होता है। लागत में, कर और शुल्क शामिल होते हैं और जहां लागू होने योग्य होता है वहाँ जीएसटी के अंतर्गत क्रेडिट का शुद्ध होता है।

ख) संयंत्र के अंदर स्थित वस्तुओं का मूल्य, क्रियाकलाप के सामान्य स्तर को ध्यान में रखते हुए सुविधा के लिए मानक लागत पर निर्धारित किया जाता है और नियमित रूप से उसकी समीक्षा की जाती है।

iv. अप्रचलित, धीमी गति से चलने वाली और दोषपूर्ण वस्तुओं की पहचान, भौतिक स्त्यापन के समय होती है और जहां ऐसी वस्तुओं के लिए आवश्यक इंतजाम किया जाता है। एक पोत की डिलिवरी की तारीख से 4 वर्ष और उससे अधिक समय से न चलने वाले परियोजना विशिष्ट स्टोरों का मूल्य निर्धारण, समीक्षा पर 50% पर किया जाता है। समीक्षा पर

50% ऐसा मूल्य निर्धारण, ऐसी सामग्रियों के संबंध में भी किया जाता है जो किसी विशिष्ट परियोजना के लिए नहीं होती है जो प्राप्त होने की तारीख से 4 वर्ष या उससे अधिक समय से चल नहीं रही हैं।

v. निर्माण अनुबंधों और पोत मरम्मत अनुबंधों के अलावा प्रगतिशील कार्यों की सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, लागत और शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। प्रसंस्करण के लिए ठेकेदारों द्वारा रोककर रखी गई सामग्रियों,यदि कोई हो को प्रगतिशील कार्य का हिस्सा माना जाता है।

vi. रद्दी माल: इनका मूल्य निर्धारण, अनुमानित शुद्ध भुनाने योग्य मूल्य पर किया जाता है।

vii. अंतर-स्थानांतरण वस्तुएँ (लंबित अंतिम स्थानांतरण): लागत पर, स्थानांतरण मूल्य तक सीमित।

झ) राजस्व मान्यता

लागू इंड एएस 115 को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो इस विचार को दर्शाता है कि कंपनी ने इन वस्तुओं या सेवाओं के हकदार होने की बात इनके लिए ही कहीं थी।

कंपनी यह भी विचार करती है कि क्या अनुबंध में अलग-अलग दायित्वों को प्रदर्शित करने वाले अन्य वादे हैं। अनुबंध में पहचाने गए प्रत्येक प्रदर्शित दायित्व के लिए, कंपनी अनुबंध की शुरूआत में ही यह निर्धारित करती है कि क्या यह हर समय पर प्रदर्शित सभी दायित्वों को संतुष्ट करता है या एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। यदि कंपनी समय के साथ प्रदर्शित दायित्व को पूरा नहीं करती है, तो प्रदर्शन दायित्व समय में एक बिन्दु पर संतुष्ट होता है।

परिचालन से राजस्व प्राप्ति

(क) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से राजस्व प्राप्ति:

(i) पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य निर्माण अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब (या के रूप में) पहचान जाता है जब एक ग्राहक को दिए गए अच्छी सेवा या (अर्थात एक सम्पति) को स्थानांतरित करके इकाई एक निप्पादन दायित्व को पूरा करती है । एक परिसंपत्ति तब (या के रूप में) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ एक अच्छी सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है तब निष्पादन दायित्व को संतुष्ट कर पाती है। इस तरह से कंपनी के एक समय के राजस्व को पहचाना जाता है, यदि निम्न मानदंडों में से कोई एक का प्रस्ताव शामिल हो तो -

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्रदान किए गए निम्न लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है जैसा कि कंपनी करती है; या

(ख) कंपनी का निष्पादन संपत्ति बनाता है या बढ़ाता है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति में) ग्राहक नियंत्रण के रूप में संपत्ति बनाया या बढ़ाया जाता है; या

(ग) कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिए संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी अब तक के समय के अंदर किए गए निष्पादन के भुगतान को लागू करने का अधिकार रखती है।

कंपनी संतुष्ट निष्पादन दायित्व हेतु राजस्व को समय के साथ पहचानती है, यदि इकाई उचित रूप से निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी प्रगति को माप सकती है तो।

प्रगति मापने की विधि:

- वस्तु की प्रकृति के आधार पर, प्रगति डबल्यू.आर.टी पोत निर्माण को समय के साथ इनपुट विधि का उपयोग करके पहचान जाता है यानी सम्पूर्ण अनुबंध हेतु अनुमानित कुल लागत की वास्तविक लागतों के साथ तुलना करके। इन अनुमानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- परिभाषित मरम्मत दायित्व वाले पोत की मरम्मत के अनुबंध हेतु, इनपुट विधि का उपयोग करके राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है यानी पूरे अनुबंध के लिए अनुमानित कुल लागतों की वास्तविक लागतों के साथ तुलना की जाती है।
- पोत मरम्मत अनुबंध में जिसमें जिन पोतों को निरंतर मरम्मत की जरूरत होती है उनके लिए राजस्व को मान्यता पद्धति के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग करना पड़ता है। इस मान्यता प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्यता दी जाती है क्यूंकि यह विधि निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि रूप है।

  जब यह संभावित होता है कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अपेक्षित नुकसान को तुरंत व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

(ii) बी एवं डी पुर्जो की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व को नौसेना स्टोर से वस्तु प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्र के मिलने के आधार पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की मान्यता प्राप्त की जाती है।

(iii) संशोधन नौकरियों के लिए राजस्व मान्यता: संशोधन नौकरियों के मामले में, पूर्ण किए गए संशोधन के विरूद्ध राजस्व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त है और यह उचित प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है और जिसके लिए अनुमोदन के लिए संशोधन लागत ग्राहक को प्रस्तुत किया जाता है, जो ग्राहक के ऑनसाइट प्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित है।

(ख) डीजल इंजन के निर्माण के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, डीजल इंजन के ओवरहालिंग और हेलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम (डेक मशीनरी का एक उत्पाद) जिसमें डिजाइनिंग, इंजीयरिंग या निर्माण शामिल है को विशेष रूप से डिजाइन उत्पादों और सेवा अनुबंधों, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ पहचाना जाता है। जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह (ए) (आई) सुप्रा में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है।

(ग) बेली ब्रिज अनुबंधों से राजस्व समय के आधार पर संतुष्ट है, क्यूंकि यह समय-सीमा के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। आपूर्ति किए गए पुल का प्रत्येक सेट अलग प्रदर्शन और अलग दायित्व हेतु निर्गत किया जाता है। इस प्रकार कंपनी राजस्व को पहचानती है (परिवहन सहित) जब नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है, तो पुल का एक सेट ग्राहक को दिया जाता है।

जब बेली ब्रिज का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया तो बेली ब्रिज अनुबंधों के लिए कई निष्पादन दायित्व जैसे कि बेली ब्रिज की बिक्री, स्थापना सेवा और एप्रोच सड़कों का निर्माण, मुफ्त रखरखाव सेवा, परियोजना प्रबंधन सेवा आदि शामिल हैं, कंपनी बेली ब्रिज की बिक्री से संबन्धित निष्पादन दायित्व के आधार पर राजस्व को पहचानती है। हालांकि, अनुबंधों में अन्य निष्पादन दायित्वों के लिए, इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है। जबकि अन्य प्रावधान समय के साथ बिन्दु को आकर्षित करते हैं, वह (ए) (आई) सुप्रा में उल्लेखित के आधार पर पहचाना जाता है।

(घ) डेक मशीनरी की बिक्री से राजस्व (हैलो-ट्रैवर्सिंग सिस्टम को छोडकर) सामानों की डिलीवरी के समान जो मान्यता प्राप्त है इन्हें जब अनुबंध के अधीन संपत्ति नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसके निष्पादन दायित्वों को एक निश्चित समय पर संतुष्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ङ) अन्य परिचालन राजस्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मान्यता प्राप्त है। जब आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो निष्पादन दायित्व अनुबंध के नियमों अनुसार संतुष्ट होता है।

(च) जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी निष्पादन करती है तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध के आधार पर अनुबंध शीट को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति: जब प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व, ग्राहक के विचार से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व से अधिक हो जाता है, तो अनुबंध को अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुबंध दायित्व : जब विचार भुगतान के माध्यम से ग्राहक द्वारा संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाता है, तो अंतर को अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य आय

(क) प्रभावी आय दर (ईआरआई) का उपयोग करके ब्याज आय को मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य आय" में शामिल किया गया है। रसीद की निश्चितता के आधार पर और समय के आधार पर हिसाब किया जाता है। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के मामले में, ब्याज तब दिया जाता, जब वह प्रत्येक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर को आरोपित करते हुए कंपनी को प्राप्त होता हो।

(ख) अन्य मदों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त की जाती है।

बीमा संबंधी दावे

बीमा संबंधी दावों के खिलाफ बकाया राशियों की गणना, उपार्जित आधार पर की जाती है; दावों के संबंध में जिन्हें अभी तक बीमादार द्वारा प्रतिवेदन तिथि के अंत तक आखिर में निपटान करना होता है, कंपनी के वसूली योग्य मूल्य के अनुमान के आधार पर, क्रेडिट की गणना की जाती है।

(ज) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन:

(i) आरंभिक मान्यता

विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को,विदेशी मुद्रा राशि अर्थात लेनदेन की तारीख को क्रियाशील मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर का इस्तेमाल करके, क्रियाशील मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

(ii) रूपान्तरण

विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक वस्तुओं को प्रतिवेदन तिथि को समापन विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है। गैर-मौद्रिक वस्तुएँ जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में नामित एतिहासिक लागत के रूप में ले जाया जाता है उन वस्तुओं को लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है। सामग्रियों/सेवाओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दी जाने वाली अग्रिम राशियों को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है।

(iii) विनिमय अंतर

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले या उनसे अलग दरों पर कंपनी की मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवेदन पर उत्पन्न होने वाले, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में रिकॉर्ड किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, विनिमय अंतरों को उस वर्ष में आय या खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे उत्पन्न होते हैं।

(झ) अनुदान/अनुवृत्ति

i. पूंजीगत अनुदान/अनुवृत्तियाँ

विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित पूंजीगत अनुदानों/अनुवृत्तियों का खुलासा सकल मूल्य पर किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में पीपीई के संबंधित वस्तु का परिशोधन किया जाता है।

ii. राजस्व संबंधी अनुदान/अनुवृत्तियाँ

राजस्व वस्तुओं से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित खर्च के साथ समायोजित किया जाता है। एक विशिष्ट खर्च से संबंधित न होने पर, इसे आय के रूप में ग्रहण किया जाता है।

(ञ) नकदी प्रवाह संबंधी विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जहां कर पूर्व लाभ/हानि को एक गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन,पूर्व या भावी संचालनगत नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी आस्थगन या उपार्जन और निवेश या वित्तपोषण प्रवाह से जुड़े आय या व्यय की वस्तुओं के पभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों परिचालन और निवेश से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

(प) नकद और नकद समकक्ष

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में मौजूदा नकदी, हाथ में मौजूद चेक, बैंकों में चालू खातों में थोड़े समय के लिए मौजूद शेष राशि, अत्यंत तरल निवेश जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है और जिसमें मूल्य परिवर्तन का कम जोखिम होता है।

(फ) वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा अनुबंध है जिससे एक संस्थान की एक वित्तीय परिसंपत्ति का और एक अन्य संस्थान की एक वित्तीय देनदारी या इक्विटी प्रपत्र की उत्पत्ति होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वर्गिकरण

कंपनी, वित्तीय लागत को बाद में परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के उचित मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेष लक्षणों पर मापी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है।

आरंभिक मान्यता और माप:

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू –शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दर्ज न की गईतो वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में,लेनदेन लागत पर मान्य दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ :

वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को संग्रह करने के लिए परिसंपत्तियों को रोककर रखना होता है और परिसंपत्तियों की अनुबंधात्मक शर्तों के कारण निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो सिर्फ मूलधन और ब्याज दर (ईआईआर) विधा का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। क्षीणता से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी आमतौर पर व्यापार और अन्य प्राप्यों पर लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीओसीआई)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीपीएल)

इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में मापने के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को उचित मूल्य पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षीणता

कंपनी, एक अग्र दृष्टि आधार पर परिशोधित लागत पर ले जायी गई अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों और एफ़वीओसीआई ऋण लेखपत्रों का आकलन करती है। इस्तेमाल की गई क्षीणता क्रियाविधि, इस बात पर निर्भर करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। नोट 35 में इस बात का विवरण दिया गया है कि कंपनी यह कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

सिर्फ व्यापार प्राप्यों के लिए, इंड एएस 109 वित्तीय लेखपत्रों द्वारा स्वीकृत सरलीकृत दृष्टिकोण को कंपनी लागू करती है, जिसके लिए प्राप्यों की आरंभिक मान्यता से प्रत्याक्षित आजीवन हानियों को मान्यता दिये जाने की जरूरत पड़ती है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से लिए जाने वाले कर्ज को आम तौर पर संदिग्ध नहीं माना जाता है। लेकिन, अनुबंध की दृष्टि से जो बकाया नहीं है उन्हें छोडकर, मामला दर मामला समीक्षा आधार पर, खातों में प्रावधान किए गए है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता को मुख्य रूप से उस समय हटा दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त होने के अधिकारों की समय सीमा समाप्त हो गई हो या जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह होने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो।

वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ, किसी अन्य संस्थान को नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या ऐसी शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियाँ का आदान-प्रदान करने का अनुबंधात्मक दायित्व है जो कंपनी के लिए संभवत: प्रतिकूल होती हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल होती हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू-शुरू में उचित मूल्य घटाव लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों को जारी करने से संबंधित होती हैं। वित्तीय देनदारियों के बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। प्राप्तियों (लेनदेन लागतों का शुद्ध) और ऋणमुक्ति राशि के बीच के अंतर को ब्याज की प्रभावी दर का इस्तेमाल करके उधार की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दी जाती है

उत्तरवर्ती माप

आरंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को तत्पश्चात ईआईआर विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मुनाफे और नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों की मान्यता को हटा दिया जाता है और इसके अलावा इन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देनदारी की विमान्यता

जब देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वाह हो जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तब वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त हो जाती है। एक वित्तीय देनदारी की वह राशि समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दी गई है और प्रदत्त विचार राशि के बीच के अंतर को, जिसमें स्थानांतरित की गई गैर-नकदी परिसंपत्तियाँ या स्वीकार की गई देनदारियाँ भी शामिल है, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ब) उचित मूल्य की माप

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय लेखपत्रों को मापती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या मापने की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेनदेन में एक देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी। उचित मूल्य की माप, इस अनुमान पर आधारित होती है कि परिसंपत्ति को बेचने के लिए या देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए होने वाला लेनदेन या:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में होता है, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में होता है।
- कंपनी द्वारा प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाज़ार सुलभ होना चाहिए I

एक परिसंपत्ति या एक देनदारी का उचित मूल्य, कल्पनाओं का इस्तेमाल करके मापा जाता है जिसका इस्तेमाल बाजार प्रतिभागी, यह मानते हुए परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं।

एक गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य की माप करते समय एक बाजार प्रतिभागी द्वारा परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करके या इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर जो परिसंपत्ति का सबसे अधिक और सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा, आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनी ऐसी मूल्य निर्धारण तकनीकों का इस्तेमाल करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जहां संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और गैर अवलोकन योगय इनपुट का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है।

सभी परिसम्पत्तियों और देनदारियों को, जिनके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित

मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है, जो निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित होते हैं जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं:

स्तर 1 — एक जैसी परिसंपत्तियों या देनदारियों के बीच सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य;

स्तर **2** — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होता है;

स्तर **3** — मूल्य निर्धारण तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तरीय इनपुट जो उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं होता है।

उन परिसम्पत्तियों और देनदारियों के लिए जिन्हें एक आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की जाती है, कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्गीकरण (निम्नतम स्तरीय इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण होता है) का पुन: आकलन करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

कंपनी का वित्त विभाग आवर्ती उचित मूल्य की माप के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, जैसे व्युत्पाद लेखपत्र और उचित मूल्य पर मापी गई अनुद्धरित वित्तीय परिसंपत्तियाँ।

प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मान्यता दी जाती है।

(भ) पट्टे

1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से पट्टों को एक उपयोग का अधिकार संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तारीख को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर संपत्ति उपलब्ध होती है, उसी पर देयता होती है। पट्टे से उत्पन्न होने वाली संपत्ति और देनदारियों को शुरू में वर्तमान मूल्य के आधार पर मापा जाता है। पट्टे देनदारियों में निश्चित भुगतानों को शुद्ध वर्तमान मूल्य (इन-फिक्स्ड़ पेमेंट्स सहित) और भिन्न पट्टा भुगतान शामिल है, यदि कोई हो, जो कि इंडेक्स या रेट पर आधारित हो, तो शुरुआत में इंडेक्स या रेट का उपयोग करके शुरू की तारीख के अनुसार मापा जाता है।

पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टा भुगतान को छूट दी जाती है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है, तो पट्टेदार की वृद्धिशील उधार लेने की दर का उपयोग किया जाता है, दर है कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान नियमों, सुरक्षा और शर्तों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जाने वाली संपत्ति का अधिकार के लिए समान मूल्य की संपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान करना होगा।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी:

क) जहां संभव हो, हाल ही में व्यक्तिगत पट्टेदार द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के वित्तपोषण को एक प्रांभिक बिंदु के रूप में उपयोग करता है, तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के बाद से वित्तपोषण की स्थितियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) कंपनी द्वारा रखे गए पट्टों के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए समायोजित जोखिम-मुक्त ब्याज दर के साथ शुरू होने वाले बिल्ड-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें हाल ही में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण नहीं है, और

ग) पट्टे के लिए विशिष्ट समायोजन करता है, जैसे अवधि, देश, मुद्रा और सुरक्षा।

पट्टा भुगतान का आबंटन मूलधन और वित्त लागत के मध्य किया जाता है। वित्त की लागत पट्टा अवधि में लाभ या हानि के रूप चार्ज की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर लगातार आवर्ती ब्याज दर का उत्पादन हो।

संपत्ति का उपयोग का अधिकार का मूल्य निम्नलिखित सहित माप जाता है:

(क) पट्टा देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि

(ख) प्रारंभ तिथि से या उससे पहले किया गया कोई भी कम पट्टा भुगतान कोई पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त किया गया हो, और

(ग) कोई प्रत्यक्ष आरंभ लागत

संपत्ति का उपयोग का अधिकार आम तौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक मूल्यह्रास करता है। यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित संपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए संपत्ति के उपयोग का अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टों और कम-मूल्य के संपत्तियों के सभी पट्टों से संबंधित भुगतान को लाभ या हानि में खर्च के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर का मान्यता दी जाती है। अल्पावधि पट्टे 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि के रूप में माना जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टों को परिचालन या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है। एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कंपनी, सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती है और पट्टेदार के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से पुरस्कृत करती है, और इसे अन्यथा एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती है।

(म) कर्मचारी लाभ

I. अल्पकालिक दायित्व

पारिश्रमिकों वेतनों के लिए देनदारियां, जिनमें गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं जिनका निपटान उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है इन देनदारियों को प्रतिवेदित अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और उन्हें देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जा सकने वाली राशियों में मापा जाता है।

II. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देनदारियाँ जिनका निपटान 12 महीने के भीतर सम्पूर्ण रूप से किए जाने की उम्मीद नहीं है इन देनदारियों को अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले प्रत्याशित भावी भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। प्रतिवेदन अवधि के अंत में गवर्नमेंट सिक्योरिटी (जी-सुर). का इस्तेमाल करके लाभ पर छूट दी जाती है जिनका समय संबंधित दायित्व के समय लगभग होता है। बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजन और परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुन: माप को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

III. रोजगार - पश्चात दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोजगार - पश्चात योजनाओं का संचालन करती है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ जैसे ग्रेच्युटी और सेवानिवृत-पश्चात चिकित्सा योजना; और

(ख) परिभाषित योगदान योजनाएँ जैसे भविष्य निधि और पेंशन योजना।

ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी कोष, एक परिभाषित लाभ योजना, विधिवत रूप से गठित स्वतंत्र ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान किया जाता है और वार्षिक योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। आवश्यक पड़ सकने वाला कोई अतिरिक्त प्रावधान, कर्मचारी लाभों पर इंड एएस -19 के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देनदारी या परिसंपत्ति, प्रतिवेदन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य घटाव योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य होता है। परिभाषित लाभ दायित्व के गणना, अनुमानित इकाई ऋण विधि का इस्तेमाल बीमांकिक द्वारा प्रति वर्ष की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉन्ड में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है जिनकी अवधि, संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग होती है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना, योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध लाभ में छूट दर को लागू करके की जाती है।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें बैलेंस शीट में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित कमाई में शामिल किया जाता है।

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

मौजूदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना, एक परिभाषित लाभ योजना है और इसका निर्धारण, अनुमानित इकाई ऋण अवधि का इस्तेमाल करके कर्मचारी लाभ पर इंड एएस -19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में होने वाली वृद्धि के रूप में मान्यता देता है और अंतिम देयता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है।

बीमांकिक कल्पनाओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले पुन:मापन लाभों और हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे होते हैं। उन्हें बैलेंस शीट में और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में धारित आय में शामिल किया जाता है।

अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएँ हैं और भीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम वर्ष में लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएँ हैं और वर्ष में लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जब संबंधित संविधि के अनुसार संबंधित निधियों में योगदान बकाया होता है।

अधिवर्षिता पेंशन योजना में परिभाषित योगदान, अनुमोदित पेंशन योजना के अनुसार लागू होने योग्य दरों पर किया जाता है।

(य) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों को दिये जाने वाले लाभांशों को एक देनदारी माना जाता है और उसे उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में सामान्य बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया गया है । अन्तरिम लाभांश के मामलों में भी उसे देनदारी माना जाता है और शेयरधारकों की इक्विटी में से काट लिया जाता है जिस अवधि में निदेशक मंडल द्वारा अन्तरिम लाभांश को अनुमोदित किया गया है।

(र) वर्तमान और आस्थगित कर का प्रावधान

आयकर व्यव में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होता है । इसे उस हद तक लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिस हद तक यह एक व्यावसायिक संयोजन से, या सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जिस स्थिति में यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, जैसा की लागू होता है।

i) **वर्तमान कर** वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय या प्राप्य प्रत्याशित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है। इसे प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियम कर दरों का इस्तेमाल करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब कंपनी:

- के पास मान्यता प्राप्त राशियों को लागू करने का एक कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और
- का इरादा या तो एक शुद्ध आधार पर निपटान करना है या परिसंपत्ति को भुनाना और उसी समय देनदारी का निपटान करना है।

ii) **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को प्रतिवेदन तिथि को अधिनियम या संभवत: अधिनियमित कर दरों और क़ानूनों का इस्तेमाल करके प्रतिवेदन तिथि को परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्यों और उनेक संबंधित कर आधारों के बीच के कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के भावी कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उस हद तक मान्यता दी जाती है जिस हद तक यह संभावना होती है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतरों,अप्रयुक्त कर हानियों और ऋणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधे इक्विटी में और अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को सिर्फ तभी ऑफसेट किया जाता है जब:

क. संस्था के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग कानूनी तौर लागू करने योग्य अधिकार होता है; और

ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों का संबंध एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले आयकर से होता है।

(ल) प्रति शेयर कमाई

प्रति शेयर बुनियादी कमाई की गणना, इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है । अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस मुद्दे; और विपरीत शेयर विभाजन (शेयरों का समेकन) की घटनाओं के कारण समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना करने के उद्देश्य से, सभी मंद संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित किया जाता है।

(व) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

i. कानूनी दावों, वारंटियों, छूटों और रिटर्नों के लिए प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी या निर्माणकारी दायित्व होता है, इस बात की संभावना रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत पड़ेगी और विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान लगाया जाता सकता है। प्रावधानों को भावी संचालन हानियों के लिए मान्यता नहीं दी जाती है।

ii. तरलीकृत क्षतियों के लिए प्रावधान, कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अनुबंधात्मक प्रावधान/समानुपातिक देनदारी आधार के अनुसार अलग से खातों में किया जाता है।

iii. सुपुर्द की गई पोतों के संबंध में गारंटी देनदारी का प्रावधान, बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है। अन्य सभी उत्पादों के लिए इस तरह का प्रावधान , लागू होने पर, प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

iv. आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया जाता है जब आर्थिक अंतर्वाह संभावित होता है।

v. आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि नोट्स में खुलासा किया जाता है।

vi. प्रावधानों को, प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक, प्रबंधन के खर्च संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छूट दर, एक पूर्व-कर दर होती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और देनदारी के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। समय गुजरने के कारण प्रावधान में होने वाली वृद्धि को ब्याज खर्च माना जाता है।

अ. **गैर-कर नागरिक मामलों में**

गैर-कर नागरिक मामलों के संबंध में, प्रतिवेदन तिथि को प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा करके, लेखांकन प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर नीचे दिये गए आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है:

क. मध्यस्था मामलों में जहां कंपनी ने मध्यस्थ विचार के प्रतिकूल परिणाम पर प्रतिवाद नहीं किया है या प्रतिवाद करना नहीं चाहती है उन मामलों में देनदारी को आकस्मिक नहीं माना जाता है और सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है।

ख. जहां मध्यस्थकर्ता द्वारा या निचली अदालत द्वारा एक प्रतिकूल विचार/निर्णय दिया जाता है और कंपनी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है या प्राथमिकता देने का इरादा होता है, वहाँ निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

i. मध्यस्थकर्ता द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 25%।

उच्च अपील अदालत द्वारा दावे के निपटान के बाद – विवादास्पद राशि का 50% जब तक अंतिम अपील अदालत द्वारा निपटान नहीं हो जाता। संशोधन याचिका, उसी अदालत की बड़ी पीठ को कथित अदालत में संबंधित अपील प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।

ग. एक विचार/निर्णय के मामले में विवादास्पद दावे के सम्पूर्ण प्रावधान पर विचार किया जाता है जहां कंपनी, अपीलीय विचार पर प्रतिवाद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है।

घ. सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा/ऐसे सरकारी विभाग/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा की गई मांग के मामले में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है यदि उक्त मांग का प्रतिवाद ऐसे सरकारी/विभाग/सांविधिक प्राधिकरण के ढांचे के भीतर कथित मांग पर किया जाता है और कंपनी के पक्ष में कानूनी राय/नवीनतम निर्णय के आधार पर अपील में मांग को हटाने की संभावना है।

आ. कराधान के मामलों में

कराधान के मामलों के संबंध में, दावे की राशि को आकस्मिक देनदारी माना जाता है और किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया जाता है यदि अपील चरण तक निर्णय, कंपनी के खिलाफ जाता है और यदि कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या प्रतिवाद करना चाहती है।

हालांकि, जहां अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कंपनी के खिलाफ होता है वहाँ इस बात की परवाह किए बिना विवादास्पद राशि का पूरा प्रावधान किया जाता है कि कंपनी किसी उच्च मंच में ऐसे निर्णय पर प्रतिवाद करती है या नहीं।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय:

इंड-एएस के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कुछ चीजों के लिए अनुमानों और कल्पनाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में उनकी मान्यता और माप पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्राप्त वास्तविक राशियाँ, इन अनुमानों से अलग हो सकती है। लेखांकन अनुमान, समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम, उन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं जब प्रबंधन को उन अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों के होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता चलता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिणामों के बारे में पता चलता है/जब वे वास्तव में बदलते हैं और महत्वपूर्ण होने पर, वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनके प्रभावों का खुलासा किया जाता है।

अनुमान और कल्पनाओं की आवश्यकता विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए पड़ती है:

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

पीपीई के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण और आकलन जिसमें लागत के घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है। पीपीई का उपयोगी जीवनकाल, कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल पर आधारित होता है। जिन मामलों में, उपयोगी जीवनकाल, अनुसूची II में उल्लिखित जीवनकाल से अलग होता है, उन मामलों में, यह तकनीकी सलाह पर आधारित होता है, जहां परिसंपत्तियों की प्रकृति, अनुमानित उपयोग और संचालन संबंधी

शर्तों, अतीत में उसे बदलने के इतिहास और रखरखाव संबंधी सहायता को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है। कल्पनाएं भी करनी पड़ती है जब कंपनी आकलन करती है कि एक परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जा सकता है या नहीं और परिसंपत्ति की लागत के किन-किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

ii. परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप:

परिभाषित लाभ योजना से उत्पन्न होने वाले दायित्व का निर्धारण, बीमांकिक कल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रमुख बीमांकिक कल्पनाओं में शामिल है – छूट दर, वेतन वृद्धि का चलन और निहित भावी लाभ और जीवन प्रत्याशा। छूट दर का निर्धारण, सरकारी बॉन्डों में प्रतिवेदन अवधि के अंत में बाजार उपज के आधार पर किया जाता है। अंतर्निहित बॉन्डों की परिपक्वता की अवधि के बाद रोजगार लाभ दायित्वों की संभावित परिपक्वता से मेल खाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जिस हद तक इस बात की संभावना रहती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रबंधन कल्पना करता है है कि कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता देते समय उपलब्ध होगा।

iv. अन्य प्रावधानों की मान्यता और माप:

अन्य प्रावधान की मान्यता और माप, संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आकलन पर और बैलेंस शीट की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए एक भावी तिथि को संसाधन का वास्तविक बहिर्वाह अन्य प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से अलग हो सकता है।

v. दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों प छूट

सभी वित्तीय देनदारियों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जिन वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापना पड़ता है, उन मामलों में, प्रभावी ब्याज दर विधि का इस्तेमाल करके ब्याज को उपार्जित किया जाता है।

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	क	ख	ग	घ=(क+ख-ग)	ङ	च	छ	ज=(ङ+च-घ)	झ=(घ-ज)	
	1 अप्रैल 2019 तक	जोड़	कटौतियां / समायोजन	1 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक	अवधि के लिए चार्ज	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
फ्रीहोल्ड - भूमि	5,125.72	-	-	5,125.72	-	-	-	-	5,125.72	5,125.72
फ्रीहोल्ड - भवन	5,226.81	1,114.52	8.52	6,332.81	496.20	198.43	0.73	693.90	5,638.91	4,730.61
संयंत्र और उपकरण	9,925.76	544.29	35.77	10,434.28	2,792.06	774.60	15.51	3,551.15	6,883.13	7,133.70
विद्युत स्थापना	607.73	105.52	7.25	706.00	170.81	70.86	6.07	235.60	470.40	436.92
डॉक्स और जेटी	5,115.84	67.27	-	5,183.11	1,326.40	336.02	-	1,662.42	3,520.69	3,789.44
फर्नीचर और फिक्सचर	775.63	233.66	4.47	1,004.82	288.96	129.53	2.80	415.69	589.13	486.67
कार्यालय उपकरण	387.33	26.22	5.24	408.31	100.95	19.57	2.29	118.23	290.08	286.38
कंप्यूटर	1,828.87	139.40	3.38	1,964.89	876.45	422.11	2.70	1,295.86	669.03	952.42
लॉन्च, नौकाओं एवं नाव	60.61	56.68	-	117.29	4.84	2.96	-	7.80	109.49	55.77
वाहन	36.06	-	-	36.06	11.40	4.32	-	15.72	20.34	24.66
मोटर लॉरी, ट्रेलर, मोबाइल क्रेन आदि	104.24	56.22	-	160.46	25.52	13.06	-	38.58	121.88	78.72
उप-कुल (1)	**29,194.60**	**2,343.78**	**64.63**	**31,473.75**	**6,093.59**	**1,971.46**	**30.10**	**8,034.95**	**23,438.80**	**23,101.01**
गत वर्ष	**36,537.34**	**2,758.80**	**10,101.54**	**29,194.60**	**5,560.88**	**1,816.30**	**1,283.59**	**6,093.59**	**23,101.01**	
जीआरएसई और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परिसंपत्ति										
भवन	4,516.49	-	-	4,516.49	-	-	-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	3,224.69	-	-	3,224.69	-	-	-	-	-	-
जीआरएसई (क) द्वारा वित्त पोषित भवन	1,291.80	-	-	1,291.80	217.28	54.32	-	271.60	1,020.20	1,074.52
संयंत्र और उपकरण	3,320.27	-	-	3,320.27	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	861.00	-	-	861.00	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ख) द्वारा वित्त पोषित संयंत्र और उपकरण	2,459.27	-	-	2,459.27	904.76	226.19	-	1,130.95	1,328.32	1,554.51
डॉक्स और जेटी	33,894.69	-	-	33,894.69	-		-	-	-	-
अल्प:नौसेना द्वारा वित्त पोषित	28,240.08	-	-	28,240.08	-		-	-	-	-
जीआरएसई (ग) द्वारा वित्त पोषित डॉक्स और जेटी	5,654.61	-	-	5,654.61	1,656.98	412.43	-	2,069.41	3,585.20	3,997.63
उप-कुल (क+ख+ग) (2)	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**2,779.02**	**692.94**	**-**	**3,471.96**	**5,933.72**	**6,626.66**
गत वर्ष	**9,405.68**	**-**	**-**	**9,405.68**	**2,086.08**	**692.94**	**-**	**2,779.02**	**6,626.66**	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टादारी - भूमि		633.21	-	633.21	-	134.92	-	134.92	498.29	
पट्टादारी - वाहन		78.74	-	78.74	-	26.24	-	26.24	52.50	
उप-कुल (3)	**-**	**711.95**	**-**	**711.95**	**-**	**161.16**	**-**	**161.16**	**550.79**	
कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (1+2+3)	**38,600.28**	**3,055.73**	**64.63**	**41,591.38**	**8,872.61**	**2,825.56**	**30.10**	**11,668.07**	**29,923.31**	**29,727.67**
गत वर्ष	**45,943.02**	**2,758.80**	**10,101.54**	**38,600.28**	**7,646.96**	**2,509.24**	**1,283.59**	**8,872.61**	**29,727.67**	**38,296.06**

नोट :

(i) वर्तमान वर्ष की कटौती में परिसंपत्ति के स्क्रैपिंग का मूल्य 16.71 लाख रू. (डीम्ड लागत 22.28 लाख रू.) और रिटायर्ड परिसंपत्ति का मूल्य 13.79 लाख रू. (डीम्ड लागत 28.91 लाख रू.) समायोजन शामिल है। इसके अलावा इसमें वर्ष के दौरान रिटायर्ड और बेची गई परिसंपत्ति 4.03 लाख रू. (डीम्ड लागत 13.44 लाख रू.) भी शामिल है। 2018-19 में परिसंपत्ति और रिटायर्ड संपत्ति की स्क्रैपिंग क्रमश: 10.93 लाख रू. (डीम्ड लागत 11.21 लाख रू.) और 6.87 लाख रू. (डीम्ड लागत 9.30 लाख रू.) थी।

(ii) संयुक्त रूप से वित्त पोषित संपत्ति – 31 मार्च 2020 को 1328.32 लाख रू. (31 मार्च, 2019 तक 1554.51 लाख रू.) की संयंत्र एवं मशीनरी के साथ-साथ न्यू ड्राई डॉक का इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन भी शामिल है जिसका मूल्य 457.08 लाख रू. (31 मार्च, 2019: 586.11 लाख रू) है।

(iii) 31 मार्च 2020 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मॉडर्न हल शॉप, एक नया ड्राई डॉक, प्रवृत बर्थ, पेंट सेल और अन्य विविध सुविधाएं जो बुनियादी ढांचे के विकास के आधुनिकीकरण के तहत बनाई गई हैं। इन परिसंपत्तियों को भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से 32,325.77 लाख रुपये (मूल लागत) में वित्त पोषित किया गया है।

(iv) 31 मार्च, 2020 को विशेषरूप से नौसेना (मूल लागत) द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति 801.23 लाख रू. (31 मार्च, 2019: 801.23 लाख रू.) की है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल नहीं किए गए हैं।

(v) 31 मार्च 2020 तक भवन राशि में 95.96 लाख रू. (मूल लागत) (31 मार्च, 2019: 95.96 लाख रू.) है जो दिल्ली शिपयार्ड हाउस में कंपनी का एक तिहाई हिस्सा है। भवन पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगाँव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का संयुक्त रूप से अधिकार है।

नोट 4: चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रू. में)

विवरण	क 1 अप्रैल, 2019 तक	ख वृद्धि	ग कटौतियां /समायोजन	घ= (क + ख - ग) 31 मार्च 2020 तक
संयंत्र और उपकरण	22.25	843.19	-	865.44
डॉक्स और जेटी	178.60	222.40	-	401.00
फर्नीचर,फिक्सचर, कार्यालय उपकरण	1,134.56	191.46	-	1,326.02
कंप्यूटर	108.55	-	83.79	24.76
सिविल निर्माण	1,974.64	559.66	-	2,534.30
कुल चालू पूंजीगत कार्य	**3,418.60**	**1,816.71**	**83.79**	**5,151.52**
गत वर्ष	**1,602.77**	**1,815.83**	**-**	**3,418.60**

चालू पूंजीगत कार्य में सिविल निर्माण के अंतर्गत मुख्य रूप से कॉर्पोरेट कार्यालय भवन और आरबीडी इकाई में पी17ए के लिए पैनल सह निर्माण क्षेत्रों का विकास शामिल है।

नोट 5: अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रू. में)

विवरण	सकाल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल, 2019 तक	वृद्धि	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल, 2019 तक	वर्ष के लिए चार्ज	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च , 2019 तक
सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित)	1,358.36	131.40	-	1,489.76	860.84	183.36	-	1,044.20	445.56	497.52
कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ	**1,358.36**	**131.40**	**-**	**1,489.76**	**860.84**	**183.36**	**-**	**1,044.20**	**445.56**	**497.52**
गत वर्ष	**1,289.75**	**76.11**	**7.50**	**1,358.36**	**669.11**	**199.23**	**7.50**	**860.84**	**497.52**	**620.64**

नोट 6: वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर वर्तमान)

नोट 6(क): निवेश - गैर-वर्तमान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
इक्विटी लेखपत्र		
सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त, अनुद्धृत		
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के 6,145 शेयर (31 मार्च 2019: 6,145) 10 रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर	0.44	0.44
कुल निवेश	**0.44**	**0.44**
कुल गैर-वर्तमान निवेश	0.44	0.44
अनिद्धृत निवेश की कुल रकम	0.44	0.44

निवेश राशि पर विचार करना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रबंधन का मानना है कि प्रतिवेदन तिथि तक के अनुसार उसका लागत भी उसके उचित मूल्य के समान होगा।

नोट 6(ख): अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर वर्तमान)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा	13.09	10,000.00
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	6121.99	5,444.10
बिजली बोर्ड एवं अन्य के पास जमा	781.39	759.59
नौसेना से वसूलने योग्य आस्थगित ऋण	743.74	762.79
ब्याज प्रोद्भूत किंतु जमा हेतु अदेय	0.21	1,210.61
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर वर्तमान)	**7,660.42**	**18,177.09**

नोट 7: गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
अग्रिम आयकर और टीडीएस (कर के प्रावधानों का शुद्ध)	12,060.02	9,171.48
कुल गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	**12,060.20**	**9,171.48**

नोट 8: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
पूंजीगत अग्रिम	1792.43	811.19
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम राशियाँ		
पूर्व प्रदत व्यय	-	18.76
बीजी अग्रिम शुल्क	615.63	-
अग्रिम संचालनीय पट्टा किराया		8.30
अन्य अग्रिम	-	17.90
कुल अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	**2,408.06**	**856.15**

नोट 9: वस्तुसूचियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
कच्चे माल	37,068.42	29,767.97
अप्रचलन के लिए प्रावधान	(588.39)	(72.24)
	36,480.03	29,695.73
चल रहे कार्य	6,846.42	4,611.25
स्टोर, पुर्जे एवं उपभोज्य वस्तुएँ	59.77	118.70
स्क्रैप	716.00	531.23
कुल वस्तुसूचियाँ	**44,102.22**	**34,956.91**

नोट 10: वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)

(लाख रु. में)

नोट 10(क): वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक केअनुसार
उचित मूल्य पर मापा गया उद्भूत म्यूचुअल फंड में निवेश	5,400.43	183.01
कुल वर्तमान निवेश	**5,400.43**	**183.01**

नोट 10(ख): ट्रेड प्राप्य - वर्तमान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के असुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
ट्रेड प्राप्य		
असुरक्षित, अच्छा समझा गया *	53,528.00	21,985.99
असुरक्षित, संदिग्ध समझा गया	444.17	1,126.63
	53,972.17	23,112.62
संदिग्ध ट्रेड प्राप्य हेतु अल्प: प्रावधान	444.17	1,126.63
कुल ट्रेड प्राप्य - वर्तमान	**53,528.00**	**21,985.99**

उपरोक्त शामिल डीफरर्ड प्राप्तियां निम्नलिखित हैं:

क. 3,383.12 लाख रुपये एलसीयू अनुबंध (यार्ड 2096 और 2098) के अंतिम चरण (चरण XV) के भुगतान के कारण जो 12 महीने की वारंटी अवधि और सभी डी- 448 देयताएं और गारंटी मरम्मत पूरी होने के बाद अनुबंधित हैं।

ख. 2,007.18 लाख रुपये एफ़पीवी अनुबंध (यार्ड 2113-2115) के अंतिम चरण (चरण XV) के भुगतान के कारण जो 12 महीने की वारंटी अवधि और सभी डी- 448 देयताएं और गारंटी मरम्मत पूरी होने के बाद अनुबंधित हैं।

नोट 10(ग): नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
बैंकों में शेष राशियाँ		
- चालू खातों में	2,057.87	927.24
तीन महीनों के कम अवधि वाले परिपक्वता वाले बैंक जमा	70,864.73	-
हस्तगत नकदी	0.15	0.19
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**72,922.75**	**927.43**

नोट 10(घ): अन्य बैंक शेष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
03 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले बैंक जमा	178,207.93	137,112.61
- 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा का वर्तमान हिस्सा*	10,000.00	60,900.00
कुल अन्य बैंक शेष	**188,207.93**	**198,012.61**

नोट 10(ङ): अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - वर्तमान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट के साथ जमा	3.69	28.16
एलआईसी में छुट्टी नकदीकरण निवेश	239.11	469.42
ब्याज प्रोद्भूत किंतु जमा हेतु अदेय	7,965.49	10,925.05
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	12,418.54	32,176.09
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण का वर्तमान भाग	105.92	105.92
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - वर्तमान	**20,732.75**	**43,704.64**

नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए या किसी और चीज के बदले में वसूली योग्य अग्रिम राशियाँ		
- कर्मचारी	135.30	136.11
- उत्पाद शुल्क	132.74	132.74
- बिक्री कर/वैट	303.49	303.49
- वस्तु एवं सेवा कर	4,093.33	3,354.54
- पूर्व प्रदत व्यय	2,030.79	2,321.51
- बीजी अग्रिम शुल्क	115.23	-
- आपूर्तिकर्ता	78,902.29	39,791.07
अग्रिम संचालनीय पट्टा किराया	-	2.07
अन्य प्राप्य	10,105.27	11,288.93
कुल अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	**95,818.44**	**57,330.46**

नोट 12: बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
संयंत्र और उपकरण	21.90	10.68
डॉक एवं जेटी	0.04	0.04
फर्नीचर और फिक्सचर	28.45	29.07
मोटर कार	1.60	2.53
कार्यालय उपकरण	0.83	0.77
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्तियाँ	**52.82**	**43.09**

गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन

प्रतिवेदन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों को उसकी वहनकारी राशि से कम और उचित मूल्य घटाव बेचने की लागत पर मापा गया था। कंपनी ने उचित मूल्य को वसूली के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर वहनकारी राशि से अधिक होने का अनुमान लगाया है।

नोट 13: इक्विटी शेयर कैपिटल एवं अन्य इक्विटी

(लाख रु. में)

नोट 13(क): इक्विटी शेयर कैपिटल

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार		31 मार्च, 2019 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 10 रुपए)				
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
10 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 10 रुपए)		11,455.20		11,455.20
		11,455.20		**11,455.20**

बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या और राशि का पुनर्मूल्यांकन:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार		31 मार्च, 2019 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में	11,45,52,000	11,455.20	11,45,52,000	11,455.20
जोड़ें: उप-विभाजन पर शेयर जारी करना *	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**11,45,52,000**	**11,455.20**	**11,45,52,000**	**11,455.20**

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

इक्विटी शेयरों का सममूल्य 10/- रु. (31 मार्च, 2019: 10/-रुपये) है। वे धारक को लाभांश में भाग लेने और धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि की संख्या के अनुपात में कंपनी के वाईंडिंग अप प्रोसीड्स में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।

व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा बैठक में मौजूद इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक, एक वोट के हकदार हैं, और चुनाव में प्रत्येक शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार		31 मार्च, 2019 तक के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग %	शेयरों की संख्या	होल्डिंग %
भारत के राष्ट्रपति सहित उनके नामांकित व्यक्ति	8,53,41,240	74.5%	8,53,41,240	74.5%
भारतीय जीवन बीमा निगम	-	-	84,00,208	7.33%
एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	**88,76,200**	**7.75%**	-	-

नोट 13(ख): अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व	928.80	928.80
सामान्य आरक्षित	6,064.86	6,064.86
प्रतिधारित कमाई	85,574.24	85,381.85
कुल आरक्षित और अधिशेष राशियाँ	**92,567.90**	**92,375.51**

(i) प्रतिधारित कमाई

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
आरंभिक शेष	85,381.85	83,704.68
अवधि हेतु शुद्ध लाभ	16,348.17	10,993.87
सीधे प्रतिधारित कमाई में मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ		
- परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप (कर का शुद्ध)	(1,185.91)	(637.21)
प्रदत्त लाभांश (कर सहित 1200.87 लाख रूपये)	(7,043.02)	(6,124.67)
अंतरिम प्रदत्त लाभांश (1351.57 लाख रु. का सहित)	(7,926.85)	(2,554.82)
समापन शेष	**85,574.24**	**85,381.85**

अन्य आरक्षित राशियों की प्रकृति और उद्देश्य :

नोट:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि हस्तांतरित की है, इसलिए कंपनी के मुक्त रिजर्व से पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व खाते में खरीदा गया है।

पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व मुक्त रिजर्व की प्रकृति में नहीं है। "

(ii) सामान्य रिजर्व मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया जाता है। यह एक नि:शुल्क रिजर्व है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों का बाईबैक आदि।

नोट 14: वित्तीय देनदारियाँ (गैर वर्तमान)

ट्रेड देय -(गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
- रूसी आस्थगित ऋण - विदेशी आपूर्तिकर्ता	743.74	762.79
-पट्टा दायित्व	331.31	-
कुल ट्रेड देय	**1,075.05**	**762.79**

नोट 15: प्रावधान (गैर वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
उपार्जित अवकाश देनदारी (कृपया नोट 32 देखें)	6,121.99	5,444.10
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,540.47	987.97
कुल प्रावधान	**7,662.46**	**6,432.07**

नोट 16: आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)

शेष में अस्थाई अंतर शामिल है जो निम्नलिखित से संबन्धित है:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
आस्थगित कर देनदारियां		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	2,888.51	4,481.99
वित्तीय देनदारी	266.03	399.69
अन्य	-	(25.00)
कुल आस्थगित कर देनदारियों	**3,154.54**	**4,856.68**
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
परिभाषित लाभ दायित्व	1,713.26	2,842.87
संदिग्ध ट्रेड प्राप्तियों के लिए अलाउंस	111.80	491.59
वित्तीय परिसंपत्ति	266.03	399.69
अन्य (कर दर में कमी के कारण आरंभिक आस्थगित कर दायित्वों का समायोजन)	109.67	-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**2,200.76**	**3,734.15**
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	**953.78**	**1,122.53**

आस्थगित कर देनदारियों/(परिसंपत्तियों) में मूवमेंट

(लाख रू. में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	परिभाषित लाभ दायित्व	अन्य मद	कुल
01 अप्रैल 2018 को	**4,661.94**	**(3,145.23)**	**(363.88)**	**1,152.83**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
- लाभ या हानि हेतु	(179.95)	644.62	(152.71)	**311.96**
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	(342.26)	-	**(342.26)**
31 मार्च, 2019 को	**4,481.99**	**(2,842.87)**	**(516.59)**	**1,122.53**
प्रभारित/(क्रेडिटेड):				
- लाभ या हानि हेतु	(1,593.48)	1,528.51	295.12	230.15
- अन्य व्यापक आय हेतु	-	(398.90)	-	(398.90)
31 मार्च, 2020 को	**2,888.51**	**(1,713.26)**	**(221.47)**	**953.78**

नोट 17: वित्तीय देनदारियाँ (वर्तमान)

नोट 17(क): ट्रेड देय (वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
ट्रेड देय		
- सूक्ष्म और लघु उद्योग	293.43	1,390.82
- रूसी आस्थगित ऋण	105.92	105.92
- अन्य	54,278.45	35,512.25
कुल ट्रेड देय	**54,677.80**	**37,008.99**

नोट 17(ख): अन्य वित्तीय देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
सुरक्षा जमा	452.56	464.94
उपार्जित व्यय		
उपार्जित वेतन और लाभ	627.17	501.70
किराया	173.83	136.60
पट्टा देनदारी	160.84	-
अन्य देय राशियाँ	1,012.01	1,049.22
कुल अन्य वित्तीय देनदारियाँ	**2,426.41**	**2,152.46**

नोट 18: अन्य वर्तमान देनदारियाँ

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
अनुबंध देनदारियाँ	3,52,075.96	2,53,337.22
सांविधिक देनदारियाँ	261.21	265.32
कुल अन्य वर्तमान देनदारियाँ	**3,52,337.17**	**2,53,602.54**

नोट 19: प्रावधान (वर्तमान)

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार	31 मार्च 2019 तक के अनुसार
गारंटी मरम्मत	3,508.21	2,239.81
परिसमापन हर्जाने के लिए प्रावधान	1,891.77	3,719.51
उपार्जित अवकाश दायित्व	684.79	698.39
सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ	128.77	295.60
अन्य प्रावधान	9,045.36	7,127.69
कुल प्रावधान (वर्तमान)	**15,258.90**	**14,081.00**

व्यक्तिगत प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुमानों के बारे में जानकारी

गारंटी मरम्मत

सौंपे गए पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों के लिए प्रावधान किया गया है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अधीन है। प्रबंधन, बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर सौंपे गए पोतों के संबंध में भावी वारंटी दावों के लिए संबन्धित प्रावधान का अनुमान लगाता है जो ऐतिहासिक वारंटी दावा जानकारी के साथ साथ हालिया रुझानों पर ध्यान देता है जो यह सुझाव दे सकता है कि पूर्व लागत जानकारी, भावी दावों से अलग हो सकती है। वर्तमान अवधि में लगाए गए पूर्वानुमान, पूर्व वर्ष में लगाए गए पूर्वानुमान के अनुरूप हैं। अनुमानित दावा जानकारी को प्रभावित कर सकने वाले कारकों में, कंपनी की उत्पादकता और गुणवत्ता पहलों की सफलता शामिल है।

परिसमापन हर्जाना

कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अनुबंधात्मक प्रावधानों/समानुपातिक देनदारी के अनुसार खाता बही में अलग से परिसमापन हर्जाने का प्रावधान किया गया है।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी संबंधित प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रावधानों में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी में मूवमेंट के बारे में नीचे दिया गया है: (लाख रू. में)

विवरण	परिसमापन हर्जाना	गारंटी मरम्मत	अन्य प्रावधान
1 अप्रैल 2018 तक के अनुसार	**6,139.49**	**1,949.61**	**5,117.34**
लाभ या हानि में शुल्क लिया गया/(जमा किया गया)			
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	1,393.28	1170.42	3,356.78
प्रत्यावर्तित अप्रयुक्त राशि	-	(56.68)	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(3,813.26)	(823.54)	(1,346.43)
31 मार्च 2019 तक के अनुसार	**3,719.51**	**2,239.81**	**7,127.69**
लाभ या हानि में शुल्क लिया गया/(जमा किया गया)			
मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	2,446.46	2325.52	2465.55
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	(4,274.20)	(1057.12)	(547.88)
31 मार्च 2020 तक के अनुसार	**1,891.77**	**3,508.21**	**9,045.36**

नोट 20: संचालनों से राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
क) अनुबंध राजस्व		
- पोत निर्माण	1,27,522.88	1,22,845.05
- सामान्य इंजीनियरिंग	24.47	308.57
- डीजल इंजन	1,954.32	46.51
ख) उत्पादों की बिक्री		
- बी एवं डी स्पेयर्स	5,813.10	10,008.76
- बेली ब्रिज	2,412.99	2,491.03
- सामान्य इंजीनियरिंग	910.86	1,068.53
- डीजल इंजन	1,718.68	-
(ग) सेवाओं की बिक्री		
- पोत मरम्मत	1,195.59	912.52
- बेली ब्रिज	179.03	196.49
- सामान्य इंजीनियरिंग	0.67	-
- डीजल इंजन	737.73	-
(घ) अन्य संचालनीय राजस्व		
- स्क्रैप की बिक्री	832.39	693.62
- प्रशिक्षण शुल्क	26.82	71.08
संचालनों से कुल राजस्व	**1,43,329.53**	**1,38,642.16**

नोट :

कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है और अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 में संशोधन करके दिनांक 23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना एस.ओ. 802 (ई) के माध्यम से सेगमेंट रिपोर्टिंग से छूट दी गई थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इंड एएस 115 के तहत ऑपरेटिंग सेगमेंट पर कंपनी द्वारा अलग-अलग कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट 21: अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	20,396.84	16,834.80
उचित मूल्यांकन पर लाभ	221.84	130.47
किराया आय	10.64	8.09
शुद्ध विदेशी विनिमय लाभ	24.59	2.56
बीमा दावे	53.06	-
रिटेन बैक देनदारियाँ/प्रावधान	639.03	10.55
रिटायर्ड परिसंपत्तियों (शुद्ध) पर लाभ/(हानि)	121.69	27.93
अन्य आय	1,082.25	109.53
कुल अन्य आय	**22,549.94**	**17,123.93**

नोट 22(क): खपत की गई सामग्रियों की लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल	7,378.84	5,755.88
घटक	61,790.87	62,262.56
खपत की गई सामग्रियों की कुल लागत	**69,169.71**	**68,018.44**

नोट 22(ख): चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	3,831.25	3,290.71
- इंजन यूनिट	306.49	293.03
- अन्य	473.50	443.66
कुल आरंभिक शेष	**4,611.24**	**4,027.40**
समापन शेष		
- बेली ब्रिज यूनिट	5,593.16	3,831.25
- इंजन यूनिट	578.03	306.49
- अन्य	675.23	473.50
कुल समापन शेष	**6,846.42**	**4,611.24**
चल रहे कार्य की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन	(2235.18)	(583.84)
स्क्रैप की वस्तुसूची में परिवर्तन	(184.77)	(331.54)
चल रहे कार्य और स्क्रैप की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन	**(2419.95)**	**(915.38)**

नोट 23: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वेतन और पारिश्रमिक	23,034.52	22,518.71
भविष्य निधि और अन्य कोश में योगदान	3,209.26	3,167.87
कर्मचारी कल्याण व्यय	3,450.37	3,460.12
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**29,694.15**	**29,146.70**

नोट 24: वित्त लागत

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय		
- बैंक	33.15	55.95
- अन्य	94.99	96.52
उचित मूल्यांकन पर हानि	-	315.35
अन्य उधार लागत		
- बैंक शुल्क और कमिशन	5.42	43.49
कुल वित्त लागत	**133.56**	**511.31**

नोट 25: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	2,825.56	2,509.24
अमूर्त अपरिसंपत्तियों का परिशोधन	183.36	199.23
कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**3,008.92**	**2,708.47**

नोट 26: अन्य व्यय - परियोजना संबन्धित

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
सुविधा किराया	202.25	518.87
बीमा	105.13	24.16
यात्रा व्यय	156.05	54.69
तकनीशियनों की फीस	6,019.46	4,064.39
जलावतरण और प्रवर्तीकरण संबंधी व्यय	148.86	155.50
विविध व्यय	680.15	643.70
कुल अन्य व्यय - परियोजना संबन्धित	**7,311.90**	**5,461.31**

नोट 27: अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स की खपत	90.63	146.17
बिजली और ईंधन	845.49	871.01
किराया	84.84	138.76
मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	419.37	756.78
- संयंत्र और उपकरण	292.63	403.78
- अन्य	996.65	907.07
बीमा	1,061.27	69.18
दरें और कर	132.15	182.26
मार्केटिंग व्यय	102.78	84.45
स्टोर खाली करने और भेजने का खर्च	46.19	42.59
परिसमापन हर्जाना	2,494.97	1,502.04
अगतिमान एवं अप्रचलित वस्तुसूची हेतु प्रावधान	427.02	83.21
'रिटेन ऑफ इनवेंटरी	-	691.32

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
परिवहन किराया शुल्क	436.36	424.31
यात्रा व्यय	319.92	349.48
विज्ञापन और प्रचार	770.18	380.80
मुद्रण और लेखन सामग्री	7.57	3.86
डाक एवं कूरियर	8.30	12.03
टेलीफोन और फैक्स	58.65	45.67
कानूनी खर्च	40.17	53.70
निगमित सामाजिक दायित्व	221.00	268.23
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
(क) लेखा परीक्षण शुल्क	7.32	6.75
(ख) कर लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.25
(ग) अन्य सेवाओं हेतु शुल्क	5.83	1.00
सीआईएसएफ़ व्यय	3,434.03	3,173.45
रिटेन ऑफ की गई अचल परिसंपत्तियाँ	11.16	10.90
अनुसंधान और विकास	585.93	63.42
अन्य विविध व्यय	198.25	240.10
कुल अन्य व्यय	**13,099.91**	**10,913.57**

नोट 28: असाधारण वस्तुएँ

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
बीमा दावा पर हानि	1,060.70	-
कंपनी के शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव पर खर्च	-	219.89
कुल असाधारण वस्तुएँ	**1,060.70**	**219.89**

नोट 29: आयकर व्यय

(लाख रू में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
(क) आयकर व्यय		
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर (पहले वर्ष के समायोजन का निवल) वर्तमान कर	5,808.78	6,590.19
कुल वर्तमान कर व्यय	**5,808.78**	**6,590.19**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर (शुद्ध) व्यय	230.15	311.96
कुल आस्थगित कर व्यय	**230.15**	**311.96**
कुल कर व्यय	**6,038.93**	**6,902.15**

(ख) कर व्यय का मिलान और कर दर गुणित लेखांकन लाभ:

(लाख रू में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
भारत में कंपनी पर लागू होने योग्य लागू आयकर दर	25.17%	34.94%
कर पूर्व लाभ	22,387.08	17,896.03
भारत में लागू आयकर दर पर कर व्यय पूर्व लाभ पर वर्तमान कर	**5,634.39**	**6,253.59**
व्ययों का असर जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है	1777.01	2,145.18
व्ययों का असर जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने योग्य है	(1,658.24)	(1,789.44)
निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्ययों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है	55.62	93.73
आय का प्रभाव जो कराधान से मुक्त है	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	230.15	311.96
पिछले वर्ष के अत्यधिक प्रवधान हेतु समायोजन	-	(117.70)
सेक्सन 234सी पर व्याज का प्रभाव	-	4.83
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**6,038.93**	**6,902.15**

कंपनी आयकर अधिनियम 1961 में नए सम्मिलित धारा 115बीएए के अनुसार 25.17% पर कर की कम दर (अधिशुल्क और शिक्षा उपकार सहित) का विकल्प का प्रयोग करने जा रही है और जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के आय के रिटर्न भरने के समय इस तरह के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।

नोट 30: आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37 "प्रावधान, के अनुसार आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिकपरिसंपत्तियां " का प्रकटीकरण यहाँ नीचे दिया गया है: (लाख रू में)

(अ)	आकस्मिक देनदारियाँ	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
(i)	कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	5,950.60	6,061.24
(ii)	गारंटियाँ		
	क) बैंकों द्वारा दी गई गारंटियाँ	215,352.44	61,947.59
	ख) प्रदर्शन और वारंटियों के लिए क्षतिपूर्ति बांड	183,667.31	202,528.64
	ग) असमाप्त साख पत्र	123.44	497.76
(iii)	परिसमापन हर्जाना	-	7,442.10
(iv)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
	क) बिक्री कर	2,476.77	2,476.77
	ख) उत्पाद शुल्क	106.54	202.90
	ग) सेवा कर	-	9.92
	घ) आय कर	596.54	699.26

(क) वर्ष 2007-08 और 2010-11 के लिए आकलन बकाया और मांग की दिशा में, बिक्री कर के खाते में आकस्मिक देनदारी का परिमाण रू 2476.77 लाख रू (31 मार्च 2019: 2476.77 लाख रू) है। इन सभी राशियों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार इन्हें खातों में प्रदान नहीं किया गया है क्यूंकी सारी मांगें, अपील के अलग-अलग चरणों में है।

(ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों ने,सीआईडबल्यूटीसी की कुछ विशेष परिसंपत्तियों की खरीद के समझौते के अनुसार प्राप्त बिक्री विचार में शामिल सीआईडबल्यूटीसी की उत्पाद शुल्क देनदारी पर दावा किए गए 106.54 लाख रूपए (31 मार्च 2019-202.90 लाख रूपए) की कथित बकाया ब्याज के लिए की मांग की है। चूंकि कंपनी ने विवादित मांगों के खिलाफ संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की है, इसलिए उन मांगों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ग) सेवा कर के कारण आकस्मिक देनदारियाँ शून्य है (31 मार्च, 2019: 9.92 लाख रूपए)

(घ) आयकर के कारण आकस्मिक देयता 596.54 लाख रूपये (31 मार्च 2019:699.26 लाख रूपये) के लिए फॉर्म 26क्यू के आधार पर आकलन वर्ष 2009-10 के लिए कर योग्य आय में आयकर प्राधिकरण द्वारा मनमानी वृद्धि के लिए 352.85 लाख रूपए ,आकलन वर्ष 2013-14 एवं 2014-2015 के लिए परिसमापन हर्जाने के प्रावधान की अनुमति नहीं होने-1.92 लाख सीएसआर व्यय की अनुमति नहीं होने पर 136.98 लाख और क्रमानुसार 96.18 लाख और अस्वीकृत 80जी छूट 8.61 लाख रूपये है। उपरोक्त विवादों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और तदनुसार खातों में उपलब्ध नहीं कराया गया है क्यूंकी सभी मुद्दे, अपील के विभ्न्न चरणों के अंतर्गत हैं।

(ङ) यार्ड 3020 (एलडी) परिसमापन हर्जाना के कारण आकस्मिक देनदारी 4 पोतों की श्रंखला और प्रोजेक्ट 28 की अंतिम अनुबंधात्मक डिलीवरी तिथि, अप्रैल 2015 के विरूद्ध भारतीय नौसेना को 18 फरवरी 2020 को डिलीवर की गई थी।

पिछले पोतों के विलंब और अन्य विभिन्न कारणों जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर था, पोत के अनुबंधात्मक डिलीवरी तिथि का पालन नहीं किया जा सका।

पोत के डिलीवरी के पश्चात कंपनी ने वारशिप ओवरसिंग टीम, कोलकाता, ग्राहक भारतीय नौसेना के ऑनसाइट प्रतिनिधि को अनुबंधात्मक डिलीवरी तिथि बढ़ाने के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया।

57 महीने और 18 दिनों की कुल देरी में से, वारशिप ओवरसिंग टीम ने अपनी सिफ़ारिश की है जिसके तहत कंपनी को 1 महीने और 14 दिनों के लिए पोत लागत के 1.467% के बराबर देरी के लिए जवाबदेह बनाया गया है।

इसके बाद लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, इस परियोजना के लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुस्तकों में 2183.51 लाख रुपये की राशि के परिसमापन हर्जाने के बराबर प्रावधान किया है। इस खाते पर आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण वापस ले लिया गया है।

(च) आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत प्रदर्शित राशियाँ, उपलब्ध जानकारी के आधार पर निकले गए सर्वोत्तम संभावित अनुमानों को प्रदर्शित करती है। नकद प्रवाह की अनिश्चितताएं और समय, अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर हैं जिन्हें कंपनी या दावेदारों द्वारा शुरू किया गया है चाहे जो भी मामला हो और इसलिए सटीक तरीके से इसका अनुमान नहीं निकाला जा सकता है। कंपनी को उपरोक्त आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की आशा नहीं है।

प्रबंधन की राय में, इस आधार पर उपरोक्त उल्लिखित विवादों के लिए किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है कि अपील के सफल परिणाम मिलने की उचित संभावनाएं है।

(आ)आकस्मिक परिसंपत्तियां

i) सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) ने 1990 के आरंभ में डीजी सेट्स का आपूर्ति, निर्माण और प्रवर्तन के लिए जीआरएसई को चार अनुबंध प्रदान किए गए, जिन्हें जीआरएसई द्वारा पूरा किया गया। सीसीएल ने सम्पूर्ण रूप से अनुबंध का पालन नहीं किया और तब से 1,553 लाख रूपये रोककर रखा। मामले के मध्यस्था के लिए पीएमए के पास भेज दिया गया था। कैबिनेट सचिवालय के हस्तक्षेप और सुझाव के साथ, निपटान 1,258 लाख रूपये पर पहुंचा तथा सीसीएल द्वारा 26.07.2019 को भुगतान किया गया। तदनुसार सीसीएल ने जनवरी, 2020 में अपनी रीट याचिकाओं को वापस ले लिया है।

ii) केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडबल्यूटीसी) के तत्कालीन राजा बागान डॉकयार्ड की भूमि और विभिन्न अन्य सम्पत्तियों को वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा खरीदा गया। जलयानों, क्रेन आदि जैसी सम्पत्तियां कंपनी द्वारा नहीं ली गई और उन्हें सीआईडबल्यूटीसी द्वारा हटाया जाना था जिसे उन्होंने नहीं हटाया। सीआईडबल्यूटीसी वर्तमान में लिक्विडेशन के अंतर्गत है। कंपनी ने लिक्विडेटर पर ग्राउंड रेंट और कंपनी द्वारा उत्पाद शुल्क पर ब्याज के भुगतान की प्रतिपूर्ति का 2,429.74 लाख रू. का दावा किया है। मामला लिक्विडेटर के साथ लंबित है। इसलिए, इसे एक आकस्मिक संपत्ति के रूप में माना गया है।

नोट 31: प्रतिबद्धताएँ

(लाख रू में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक के अनुसार	31 मार्च, 2019 तक के अनुसार
अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते में कार्यान्वित करना बाकी था और उपलब्ध नहीं कराया गया था	15,323.39	3,557.57
उपरोक्त के खिलाफ दी गई अग्रिम राशि	1,792.43	811.19

नोट 32: कर्मचारी लाभ दायित्व

(i) अवकाश दायित्व

अवकाश दायित्व, बीमारी और अर्जित अवकाश हेतु कंपनी की देनदारी को कवर करते हैं।

पूर्व अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों से उपार्जित अवकाश की सम्पूर्ण राशि ग्रहण करने की आशा नहीं करती है या अगले 12 महीने के भीतर भुगतान आवश्यक नहीं बनाती है। तदनुसार 684.79 लाख रूपये (31 मार्च 2019: 698.39 लाख रू.) को वर्तमान के रूप में और शेष राशि को गैर वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अवकाश दायित्व एक अवित्तपोषित योजना है, कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बनाई रखी जाने वाली योजना में योगदान करती है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व में सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है।

(लाख रू. में)

विवरण	अवकाश दायित्व
31 मार्च 2019 तक के अनुसार	
वर्तमान अंश	698.39
गैर - वर्तमान अंश	5,444.10
कुल	6,142.49
31 मार्च 2020 तक	
वर्तमान अंश	684.79
गैर - वर्तमान अंश	6,121.99
कुल	**6,806.78**

(ii) रोजगार पश्चात दायित्व

(क) ग्रेच्युटी

कंपनी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की व्यवस्था करती है। लगातार 5 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी, ग्रेच्युटी के योग्य होते हैं। सेवानिवृत्ति/कार्य समापन पर देय ग्रेच्युटी की राशि, सेवा के वर्षों की संख्या के साथ 15 दिनों (एक महीने में 26 दिन मानते हुए) के वेतन के लिए समानुपातिक रूप से हिसाब करके प्राप्त कर्मचारियों का आखिरी बार उठाया गया मूल (महंगाई भत्ता सहित) वेतन प्रति माह में गुना करके मिलने वाली राशि है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्तपोषित योजना है और कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त कोष में योगदान करती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योजना में रखे गए, धनकोष से बढ़कर अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है।

(ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

कंपनी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना का संचालन करती है। यह योजना एक अवित्तपोषित योजना है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अनुमानित दायित्व के लिए सम्पूर्ण रूप से एक प्रावधान को मान्यता दी गई है।

उपरोक्त के अलावा, अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ, परिभाषित योगदान योजनाएं हैं और बीमा कंपनी को दिया गया 860.52 लाख रूपये (31 मार्च 2019: 802.74 लाख रू.) रूपये का प्रीमियम, वर्ष के लाभ और हानि में शामिल किया गया है। बीमा कंपनी को देय योगदान के अलावा कर्मचारियों के लिए कोई अन्य दायित्व नहीं है।

(iii) परिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि और पेंशन फंड

कंपनी के पास कुछ परिभाषित योगदान योजनाएं भी हैं। विनियमों के अनुसार मूल (मंहगाई भत्ता सहित) वेतन के 12% की दर से भविष्य निधि में योगदान किया जाता है। योगदान को वर्ष के लाभ और हानि में दर्शाया जाता है जब संबंधित निधि में योगदान, संबंधित कानून के अनुसार देय होता है।

भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1539.37 लाख (वर्ष 2018-19 के लिए 1,590.66 लाख रू.) है।

अधिवर्षिता पेंशन फंड:

पेंशन योजना का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नियोक्ता के योगदान के दिशा में एलआईसी को अधिकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के लिए 397.85 (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 417.81 लाख रूपये) लाख रूपये हस्तांतरित की है।

असंगठित कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत 01 जनवरी 2012 से की गई है। प्रचालकों और कार्यालय सहायकों के लिए नियोक्ता के योगदान की दिशा में एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 353.98 (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 349.73 लाख रूपये) लाख रूपये हस्तांतरित की गई है।

(iv) तुलन पत्र की मान्यता

(क) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2018	**1282.39**
वर्तमान सेवा लागत	9.84
ब्याज संबंधी व्यय/(आय)	96.18
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**106.02**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
पुन:माप	
योजन परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज संबंधी व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	64.37
अनुभव (लाभ)/हानि	(169.21)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(104.84)**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	
लाभ संबंधी भुगतान	-
31 मार्च, 2019	**1,283.57**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य
1 अप्रैल, 2019	1,283.57
वर्तमान सेवा लागत	55.91
ब्याज संबंधी व्यय/(आय)	82.41
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**138.32**
पुन:माप	
योजन परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज संबंधी व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	355.86
अनुभव (लाभ)/हानि	(108.51)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**247.35**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-
लाभ संबंधी भुगतान	-
31 मार्च, 2020	**1,669.24**

(ख) ग्रेच्युटी

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों और वर्ष के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व में मूवमेंट निम्नलिखित हैं: (लाख रू. में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रैल, 2018	10,617.05	(10,617.05)	-
वर्तमान सेवा लागत	593.87	-	593.87
ब्याज संबंधी व्यय/(आय)	739.42	(796.28)	(56.86)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**1,333.29**	**(796.28)**	**537.01**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज संबंधी व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-	823.78	823.78
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	187.84	-	187.84
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	72.67	-	72.67
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**260.51**	**823.78**	**1,084.29**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(1,621.30)	(1,621.30)
लाभ संबंधी भुगतान	(1,516.30)	1,516.30	-
31 मार्च, 2019	**10,694.55**	**(10,694.55)**	**-**

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	कुल राशि
1 अप्रैल, 2019	10,694.55	(10,694.55)	-
वर्तमान सेवा लागत	682.11	-	682.11
ब्याज संबंधी व्यय/(आय)	642.19	(685.52)	(43.33)
लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त: कुलराशि	**1,324.30**	**(685.52)**	**638.78**
पुन:माप			
योजन परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज संबंधी व्यय/(आय) में शामिल राशियों को छोड़कर	-	64.51	64.51
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	934.18	-	934.18
अप्रत्याशित अनुभव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	338.77	-	338.77
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,272.95**	**64.51**	**1,337.46**
नियोक्ता योगदान /भुगतान किया गया प्रीमियम	-	(1,976.24)	(1,976.24)
लाभ संबंधी भुगतान	(1,351.95)	1,351.95	-
31 मार्च,, 2020	**11,939.85**	**(11,939.85)**	**-**

(v) महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकिक कल्पनाएं

महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाएं निम्नलिखत है:

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	6.41%	7.50%
योजन परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	6.41%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%
संघर्षण दर	1.00%	1.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-2008) अंतिम	आईएएलएम (2006-2008) अंतिम

ग्रेच्युटी और चिकित्सा के लिए भावी मृत्यु दर से संबंधित कल्पनाएं, प्रकाशित आंकड़ों और अनुभव के अनुसार बीमांकिक सलाह पर आधारित हैं। ये कल्पनाएं, 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए वर्ष में औसत जीवन प्रत्याशा में बदल जाती है।

(vi) संवेदनशीलता संबंधी विश्लेषण

भारित प्रधान कल्पनाओं में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व के संवेदशीलता निम्नलिखित है : (लाख रू. में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	'कमी
छूट दर **(-/+ 0.5%)**	11,494.35	12,417.03	10,324.82	11,089.19
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.73%	4.00%	-3.460%	3.690%
वेतन वृद्धि दर **(-/+ 0.5%)**	12,346.33	11,533.74	11,054.91	10,347.52
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	3.40%	-3.40%	3.370%	-3.240%
संघर्षण दर **(-/+ 0.5%)**	11,939.40	11,940.31	10,694.89	10,694.20
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.00%	0.00%	0.000%	0.000%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर **(-/+ 10%)**	11,938.98	11,940.74	10,696.34	10,692.75
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-0.01%	0.01%	0.020%	-0.020%

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव			
	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	'कमी
छूट दर **(-/+ 0.5%)**	1,585.54	1,991.12	1,159.01	1,426.31
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-6.25%	17.73%	-9.70%	11.12%
संघर्षण दर **(-/+ 0.5%)**	1,690.18	1,692.38	1,282.80	1,284.34
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-0.07%	0.07%	-0.060%	0.060%
जीवन प्रत्याशा/मृत्यु दर **(-/+ 10%)**	1,679.44	1,703.97	1,277.80	1,289.35
संवेदशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-0.70%	0.75%	-0.45%	0.45%

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण, एक कल्पना में एक परिवर्तन पर आधारित है जबकि अन्य सभी कल्पनाओं को स्थिर रखा गया है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ कल्पनाओं में परिवर्तनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बीमांकिक कल्पनाओं में परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी विधि (प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई ऋण विधि की मदद से गणित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) का इस्तेमाल किया गया है जो तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देनदारी की गणना करते समय इस्तेमाल किया गया है।

संवेदनशील विश्लेषण की तैयारी में इस्तेमाल की गई कल्पनाओं की विधियों और प्रकारों में पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(vii) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

परिभाषित लाभ योजनाओं का वित्तपोषण, भारतीय बीमा कंपनीयों की मदद से किया जाता है। कंपनी के पास बीमा कंपनीयों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है। इस प्रकार, योजना परिसंपत्तियों की प्रत्येक प्रमुख श्रेणी की रचना का खुलासा नहीं किया गया है।

(viii) जोखिम संकट

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी पर अनगिनत जोखिमों का संकट है जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जोखिम संकटों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ योजनाओं का वित्तपोषण, भारतीय बीमा कंपनीयों की मदद से किया जाता है। कंपनी के पास बीमा कंपनीयों को प्रदान की जाने वाली धनराशियों को प्रबंधित करने की कोई स्वाधीनता नहीं होती है।

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, भारत सरकार की बॉन्डों की मदद से निर्धारित छूट दर का इस्तेमाल करके की गई है। यदि योजना परिसंपत्ति पर मिलने वाला रिटर्न, इस दर से कम है तो योजना घाटा का निर्माण होगा।

ब्याज जोखिम:

योजना परिसमपत्तियों पर ब्याज दर में कमी आने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

जीवन प्रत्याशा :

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, रोजगार के दौरान और रोजगार के अंत में दोनों समय योजना प्रतिभागियों के मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान की मदद से की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देनदारी के वर्तमान मूल्य की गणना, योजना प्रतिभागियों के भावी वेतन की मदद से की जाती है। योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि होने पर योजना देनदारी में वृद्धि होगी।

(ix) परिभाषित लाभ देनदारी और नियोक्ता का योगदान

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं में प्रत्याशित योगदान, 900 लाख रूपये है।

परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी) की भारित औसत अवधि, 12 वर्ष (31 मार्च 2019-12 वर्ष) है और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ की भारित औसत अवधि 37 वर्ष (31 मार्च 2019 – 37 वर्ष) है। छूट रहित ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है :

(लाख रू. में)

विवरण	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2020 तक		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	1,530.37	20,447.57
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	137.02	8,910.55
कुल	**1,667.39**	**29,358.12**
31 मार्च, 2019 तक के अनुसार		
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी))	1,499.29	19,716.97
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	306.48	9,083.68
कुल	**1,805.77**	**28,800.65**

नोट 33 : संबंधित पक्ष से लेनदेन

कंपनी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, जिन्हें 74.50% स्वामित्व प्राप्त है।

(क) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	30.50	38.94
रोजगार पश्चात लाभ	-	-
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
कुल मुआवजा	**30.50**	**38.94**

संबंधित पक्षों को देय राशि के संबंध में वर्ष के दौरान कोई राशि रिटर्न बेक/रिटर्न ऑफ नहीं की गई है।

(ख) संबंधित पक्ष से लेनदेन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री		
वस्तुओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	213,439.57	89,632.31
सेवाओं की बिक्री (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	833.86	58.30
अन्य लेनदेन		
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	4,352.40	5,079.67
शेयरधारक को भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	4,898.58	1,578.81

(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ख़रीदारी से उत्पन्न होने वाले बकाया शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
व्यापार प्राप्य (वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री)		
संस्थाएं (भारत सरकार के स्वामित्व वाली)	48,139.07	12,019.50

नोट 34: उचित मूल्य मापन

श्रेणी के आधार पर वित्तीय साधन

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपातियाँ						
निवेश						
इक्विटी साधन	0.44	-	-	0.44	-	-
ट्रेड प्राप्य	-	-	53,528.00	-	-	21,985.99
सुरक्षा जमा	-	-	785.08	-	-	787.75
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित	-	-	849.66	-	-	868.71
अनुबंध परिसंपातियाँ	-	-	12,418.54	-	-	32,176.09
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	2,51,130.68	-	-	1,38,040.04
अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	-	-	17,978.79	-	-	83,035.66
कुल वित्तीय परिसंपातियाँ	**0.44**	**-**	**3,36,690.75**	**0.44**	**-**	**2,76,894.25**
वित्तीय देनदारीयां						
ट्रेड देय	-	-	55,752.84	-	-	37,771.78
सुरक्षा जमा	-	-	452.56	-	-	464.94
अन्य देय	-	-	1,973.85	-	-	1,687.52
कुल वित्तीय देनदारीयां	**-**	**-**	**58,179.25**	**-**	**-**	**39,924.25**

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

इस अनुभाग में, वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल हैं जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की गई है और मापा गया है और (ख) परिशोधित लागत पर मापा गया है और जिसके लिए उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है । उचित मूल्य का निर्धारण करने में इस्तेमाल किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

लाख रु. में

31 मार्च, 2020 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
अन्नुधरित इक्विटी निवेश - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र	-	-	0.44	0.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**0.44**	**0.44**

31 मार्च, 2020 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	-	-	849.66	849.66
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	53,972.17	53,972.17
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**54,821.83**	**54,821.83**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओं से काटा गया एलडी	-	-	537.50	537.50
रूसी आस्थगित ऋण	-	-	849.66	849.66
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**1,387.16**	**1,387.16**

31 मार्च, 2019 को उचित मूल्य- आवर्ती उचित मूल्य मापन पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
एफ़वीपीएल में वित्तीय निवेश				
अन्नुधरित इक्विटी निवेश - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र	-	-	0.44	0.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**0.44**	**0.44**

31 मार्च, 2019 को प्रकट किए गए उचित मूल्यों हेतु परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
सुरक्षा जमा	-	-	813.71	813.71
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	-	-	868.71	868.71
ट्रेड प्राप्तियाँ	-	-	23,112.63	23,112.63
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**24,795.05**	**24,795.05**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओं से काटा गया एलडी	-	-	1,914.79	1,914.79
रूसी आस्थगित ऋण	-	-	868.71	868.71
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**2,783.50**	**2,783.50**

(ii) उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य निर्धारण तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीकों में शेष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण शामिल है जो छूट युक्त नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2020 तक के अनुसार		31 मार्च 2019 तक के अनुसार	
	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य	वहनकारी मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
सुरक्षा जमा	-	-	787.75	813.71
नौसेना से वसूली योग्य आस्थगित ऋण	849.66	849.66	868.71	868.71
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**849.66**	**849.66**	**1,656.46**	**1,682.42**
वित्तीय देनदारियाँ				
ट्रेड देय				
विक्रेताओं से काटा गया एलडी	537.50	490.47	1,914.79	2,099.67
'रूसी आस्थगित ऋण	849.66	849.66	868.71	868.71
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**1,387.16**	**1,340.13**	**2,783.50**	**2,968.38**

ट्रेड प्राप्य, ट्रेड देय, नकद एवं नकद समतुल्य की वहनकारी राशियों को उनका उचित मूल्य ही माना गया है।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य की गणना, एक ही परिपक्वता के लिए प्रतिवेदन तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की फंड आधारित उधार ब्याज दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का इस्तेमाल करके छूट प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया गया। उन्हें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्रत्यक्ष इनपुट के समावेश के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के वर्गीकृत किया गाय है।

नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों से जुड़ी है : ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (अर्थात विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम)।

इस नोट में जोखिम के स्रोतों का वर्णन किया गया है जो संस्था से जुड़ा रहता है और संस्था इस जोखिम को कैसे प्रबंधित करती है उसका भी वर्णन किया गया है:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी समतुल्य, ट्रैड प्राप्य, और वित्तीय परिसंपत्तियों जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है।	बैंक जमा और क्रेडिट लिमिट्स का विविधिकरण।
तरलता जोखिम	वित्तीय देनदारियाँ जिनका निपटान नकदी डिलिवरी या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति द्वारा किया जाता है।	नकद प्रवाह का अनुमान लगाना और देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसम्पत्तियों के स्तर पर विचार करना।
बाजार जोखिम -विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें भारतीय रूपये (आईएनआर) में नामांकित नहीं किया जाता है।	मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए ख़रीदारों से प्रतिपूर्ति।

(क) ऋण जोख़िम

ऋण जोखिम, वह जोखिम है जिसे प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे, जिससे वित्तीय हानि होगी। कंपनी पर अपने संचालन क्रियाकलापों (मुख्य रूप से ट्रैड प्राप्य) से ऋण जोखिम का संकट मंडराता रहता है जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन भी शामिल हैं।

(i) ट्रेड प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्ति

ग्राहक ऋण जोखिम को कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ट्रेड प्राप्य, ब्याज रहित होते हैं और आम तौर पर इन पर कोई ऋण शर्त नहीं होती है। नियमित रूप से बकाया ग्राहक प्राप्यों की निगरानी की जाती है। ट्रैड प्राप्यों को मुख्य रूप से नौसेना (भारत सरकार के स्वामित्व वाली) से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऋण जोखिम को कम माना जाता है। इसके अलावा, कंपनी उन ऑर्डरों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करता है जो ऋण जोखिम को भी कम करता है। बैलेंस शीट की तारीख तक के अनुसार ट्रेड प्राप्यों का समय विवरण नीचे दिया गया है। नियत तिथि से समयावधि विश्लेषण पर विचार किया गया है:

(लाख रू. में)

विवरण	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2020 को ट्रेड प्राप्य	49,290.93	4,237.07	53,528.00
31 मार्च, 2020 को अनुबंध परिसंपत्ति	6,903.90	5,514.64	12,418.54
31 मार्च, 2019 को ट्रेड प्राप्य	13,602.77	8,383.22	21,985.99
31 मार्च, 2019 को अनुबंध परिसंपत्ति	6,196.99	25,979.10	32,176.09

(ii) वित्तीय साधन और जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद शेष राशियों से ऋण जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधित किया गया है। अधिशेष धनराशियों का निवेश, कंपनी की अधिशेष धनराशियों के निवेश पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। जोखिमों की सघनता को कम करने के लिए और इसलिए प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान करने की संभावित विफलता के माध्यम से वित्तीय हानि को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 के तुलन पत्र के घटकों के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम अनावरण, वहनकारी राशियाँ हैं जिन्हें नोट 10 (ख) में दिखाया गया है।

(ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो एक संस्था को, नकदी या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके निपटान की जाने वाली वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की एक पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है। अंतर्निहित व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पर्याप्त नकदी और तरल निवेशों का रखरखाव करती है।

कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना और आंतरिक एवं बाहरी नियामक आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के खिलाफ तुलन पत्र तरलता अनुपातों की निगरानी करना शामिल है। .

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दिए गए टेबल में सभी वित्तीय देनारियों के लिए संबन्धित परिपक्वता समूहों की अनुबंधात्मक परिपक्वताओं के आधार पर उनमें कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण किया गया है।

टेबल में प्रदर्शित राशियाँ, अनुबंधात्मक छूट-रहित नकदी प्रवाह और उनके वहनकारी शेष के बराबर 12 महीनों के भीतर बकाया शेष राशियाँ हैं क्योंकि छूट का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है।

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधात्मक परिपक्वताएं - 31 मार्च, 2020	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
ट्रेड प्राप्य	54,677.80	1,694.75	56,372.55
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,426.41	-	2,426.41
कुल वित्तीय देनदारियां	**57,104.21**	**1,694.75**	**58,798.96**

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधात्मक परिपक्वताएं - 31 मार्च, 2019	एक वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
ट्रेड प्राप्य	37,008.99	1,800.67	38,809.66
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,152.46	-	2,152.46
कुल वित्तीय देनदारियां	**39,161.45**	**1,800.67**	**40,962.12**

(ग) बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

एक वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से संबंधित जोखिम में, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी पर विदेशी मुद्रा जोखिम का संकट मंडराता रहता है क्योंकि यह विदेशी विक्रेताओं से घटकों को आयात करती है। इसके अलावा, कंपनी अपनी कुछ पोतों को विदेशी ख़रीदारों को निर्यात करती है और उस पर, विदेशी मुद्रा लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम का संकट मंडराता रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम, एक मुद्रा में नामांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों और भावी वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न होता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (रूपये) नहीं होती है। विदेशी मुद्रा में भुगतान और आयात के खाते में बहिर्वाह काफी हद तक ख़रीदारों से प्रतिपूर्ति योग्य होता है। निर्यात के मामले में जोखिम को, अत्यंत संभावित विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान के माध्यम से मापा जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्स्पोसर

रूपये (विदेशी मुद्रा राशि में समापन दर द्वारा गुना करके) में व्यक्त, प्रतिवेदन अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के मामले में कंपनी का एक्सपोजर, निम्नलिखित है:

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	यूरो	पाउंड	डॉलर	यूरो	पाउंड	डॉलर
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियाँ	226.49	342.95	62.20	592.91	434.81	252.35
विदेशी मुद्रा जोखिम का शुद्ध संकट	**(226.49)**	**(342.95)**	**(62.20)**	**(592.91)**	**(434.81)**	**(252.35)**

संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन में लाभ या हानि की संवेदनशीलता, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा नामांकित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होता है।

(लाख रू. में)

विवरण	कर से पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
यूरो संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/यूरो में 11.90% तक वृद्धि (31 मार्च 2019 - 13.45%)*	(27)	(80)
भारतीय रूपये/यूरो में 5.52 % तक कमी (31 मार्च 2019 - 9.72%)*	13	58
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 6.91% तक वृद्धि (31 मार्च 2019 - 8.08%)*	(24)	(35)
भारतीय रूपये/ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 8.16% तक कमी (31 मार्च 2019 - 7.91%)*	28	34
यूएस डॉलर संबंधी संवेदनशीलता		
भारतीय रूपये/यूएस डॉलर 7.62% तक वृद्धि (31 मार्च 2019 - 5.59%)*	(5)	(14)
भारतीय रूपये/यूएस डॉलर 1.10% तक कमी (31 मार्च 2019 - 1.10%)*	1	3

*अन्य सभी परिवर्तनीय राशियों को स्थिर मानते हुए

नोट 36: पूंजी प्रबंधन

(क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी को प्रबंधित करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित है :

- एक निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक अनुकूल पूंजी संरचन को बनाए रखना।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधरकों को दिए जाने वाले लाभांश की रकम को समायोजित कर सकती है, शेयरधरकों को पूंजी लौटा सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है।

तुलन पत्र में कुल इक्विटी के अंतर्गत उल्लिखित राशि को पूंजी माना गया है।

(ख) प्रस्तावित और प्रदत्त लाभांश

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश - 5.10 रूपये (31 मार्च, 2018 - 4.44 रूपये) प्रति सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर	5,842.15	5,080.38
लाभांश वितरण कर	1,200.87	1,044.29
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिरिम लाभांश - 5.74 रूपये (31 मार्च, 2019 - 1.85 रूपये) प्रति सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर	6,575.28	2,119.21
लाभांश वितरण कर	1,351.57	435.61
(ii)लाभांश जिन्हें प्रतिवेदन अवधि के अंत में मान्यता प्रदान नहीं किया गया है		
उपरोक्त लाभांशों के अलावा, वर्ष के अंत के बाद से मंडल ने प्रत्येक सम्पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 1.40 रूपये (31 मार्च, 2019: 5.10 रूपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफ़ारिश की है। यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।	1,603.73	5,842.15
प्रस्तावित लाभांशों पर कर	-	1,200.87

नोट 37: प्रति शेयर आय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई कंपनी के इक्विटी शेयरधरकों के कारण होने वाला लाभ (लाख रूपये में)	16,348.17	10,993.87
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर की गणना करने के लिए भाजक के रूप में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,14,552,000	1,14,552,000
बुनियादी और मंदित आय प्रति शेयर (रूपये)	**14.27**	**9.60**

नोट 38 : निगमित सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) क्रियाकलापों पर व्यय

वर्ष के दौरान इन विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय किया गया उनका विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रू. में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का संबंधित खंड	सीएसआर क्रियाकलापों का विवरण	खर्च की गई रकम
i) खंड (i)	भूख, गरीबी और कुपोषण दूर करना, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	109.53
ii)खंड (ii)	शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल भी शामिल है	88.97
iii खंड (iv)	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना और हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना और गंगा को स्वच्छ बनाने में योगदान देना भी शामिल है	2.50
iv) खंड (ix)	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना और हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना।	20.00
	कुल	**221.00**

(लाख रू. में)

विवरण	2019-20	2018-19
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च करने के लिए अपेक्षित धनराशि	218.40	268.23

पर वर्ष के दौरान खर्च की गई धनराशि:

(लाख रू. में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान करना शेष	कुल
i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
ii)उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य	221.00	-	221.00

नोट 39: निर्माण अनुबंध

तुलन पत्र के तारीख को, कंपनी या तो एक परिसंपत्ति के रूप में या एक देनदारी के रूप में प्रत्येक अनुबंध के लिए शुद्ध अनुबंध स्थिति की रिपोर्ट देती है। एक अनुबंध, एक परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जहां खर्च की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान), प्रगति बिलिंग से अधिक है; एक अनुबंध, एक देनदारी का प्रतिनिधित्व करता है जहां मामला ठीक उल्टा है।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(i) वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	1,29,501.67	1,23,200.13
(ii) उस तिथि तक सभी अनुबंधों की प्रतिवेदन तिथि तक की गई लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (अल्प मान्यता प्राप्त नुकसान) का कुल परिणाम	2,42,363.86	3,16,915.89
(iii) प्रगति अनुबंधों के लिए ग्राहक अग्रिमों की बकाया राशि	5,24,584.47	5,11,073.79

नोट 40 रूसी (यूएसएसआर) आस्थगित राज्य ऋण

रूसी संघ एवं भारत सरकार के बीच एक अंतर सरकारी करार प्रोक्योरमेंट के संबंध में रूबल में रूसी आस्थगित राज्य ऋण को पुनः संरचित करने के लिए किया गया।

उक्त करार के अंतर्गत 01.04.1992 को रूबल में बकाया ऋण को 01.04.1990 तथा 01.04.1992 के बीच रुपए –रूबल विनिमय दर की विभिन्नता पर भारतीय रुपए में परिणित किया गया और विनिमय दर विभिन्नता की राशि को वर्ष 2037 तक 45 वर्षों में देय आस्थगित रुपए भुगतान व्यवस्था के अधीन भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया। इस पुनर्निर्धारित भुगतान की भी प्रतिपूर्ति भारतीय नौसेना द्वारा की जाती है। तदनुसार 31 मार्च 2020 को ऐसी राशि को विदेशी आपूर्तिकर्ता आस्थगित ऋण के रूप में रखा गया है जो कुल 849.66 लाख रुपए (छूट रहित राशि 1800.67 लाख रु.) (31 मार्च 2019 868.71 लाख रुपए) (छूट रहित राशि 1906.59 लाख रु.) है।

नोट 41:

क) कंपनी प्रत्येक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सामान्य प्रैक्टिस के तौर पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करती है। चालू वर्ष में इस प्रकार का भौतिक निरीक्षण 61 पार्क, आरबीडी और तारातला यूनिटों में किया जा चुका है। पाई गई विसंगतियाँ को लेखा में दिया गया है।

ख) 1 जुलाई 2006 को सीआईडबल्यूटीसी लिमिटेड से अधिगृहित तीन डॉकों एवं दो स्लिपवे में से ड्राई डॉक संख्या 2 को पूंजीकृत किया गया है। यद्यपि ड्राई डॉक नं. 1 तकनीकी तौर पर प्रचालनात्मक है किन्तु उसका उपयोग उत्पादन हेतु तब तक नहीं किया जा सकता जब तक लीक कर रहे वाल्वों में संशोधन न हो जाए, अतः ड्राई डॉक नं. 1 पर हुए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य में रखा गया है। अन्य सभी सुविधाओं की अभी भी मरम्मत की जा रही है तथा वे अभी प्रचालन में नहीं है जिसके कारण इन परिसंपत्तियों की खरीद की लागत और तत्पश्चात उन पर पूंजीगत व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे ले जाया गया है।

ग) रांची में डीजल इंजन प्लांट लगाने के लिए 62 एकड़ भूमि हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची से 1966 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के आदेश पर औद्योगीकरण ड्राइव के भाग के रूप में निःशुल्क प्राप्त हुई थी। तब से भूमि पर जीआरएसई का निर्बाध कब्जा है और उस पर स्थायी स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। डीजल इंजन प्लांट रांची की विविध परिसंपत्तियाँ उक्त परिसर पर संस्थापित/रखी गई हैं और 31 मार्च 2020 के अनुसार इनकी बुक लागत 1359.87 लाख रु. है (मूल लागत 3154.90 लाख रु.)। उक्त भूमि पर जीआरएसई के अधिकार को नजरंदाज करते हुए तत्कालीन बिहार सरकार ने फरवरी 1996 में एचईसी के पक्ष में कन्वेएंस डीड तैयार कर दी। बाद में एचईसी ने अपने दिनांक 7 अगस्त 1999 के पत्र के माध्यम से 30 वर्षों की लीज जिसकी प्रभावी तारीख 01.04.1996 से है, हेतु एकबारगी प्रीमियम के रूप में 1488 लाख रुपए और इस प्रीमियम के 10% के तौर पर 148.8 लाख रु. प्रति वर्ष वार्षिक लीज किराए के रूप में दावा किया जिसे जीआरएसई ने अस्वीकार कर दिया। एचईसी ने अप्रैल 2013 के दौरान भारत सरकार के पीएमए, डीपीई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और तदनंतर पीएमए के समक्ष निवेदन किया कि जीआरएसई को आगे की अवधि हेतु लीज करार, किराए और प्रीमियम के लिए निदेश दे क्योंकि उनका दावा पूर्णतया आधारहीन, फालतू और असंगत है और जीआरएसई को "अनधिकृत निवासी" आदि घोषित करें। जीआरएसई ने एचईसी के इस संदर्भ के मेंटेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिरोध उठाया और दावा किया कि यह न तो तथ्यों और न ही कानून के अनुसार सस्टेनेबल है। इस मामले पर जोया हडके, एकमात्र मध्यस्थ, पीएमए को न्यायिक निर्णय करना था जिन्होंने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनने के बाद, 30.06.2015 के आदेश के अनुसार, कहा कि पक्षों के बीच में किसी समझौते की अनुपस्थिति में, मध्यस्थ मंच के पास इस विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और एचईसी के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया। तदनुसार, मध्यस्थता मामला का निपटारा किया गया। एचईसी द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किया गया।

जीआरएसई ने भी मार्च 2014 में रांची स्थित सक्षम सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा (2014 का टीएस- 117) भी दायर किया है जिसमें एचईसी और झारखंड सरकार प्रतिवादी हैं, जहां जीआरएसई ने न्यायालय से इस बात की घोषणा करने के लिए प्रार्थना की है कि जीआरएसई ने भूमि कानून के अनुसार उक्त भूमि पर डीजल इंजन प्लांट को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए स्थायी लाइसेन्स तथा स्थायी आदेश निःशुल्क प्राप्त किया है तथा जीआरएसई द्वारा भूमि के अधिकार में और वहाँ उद्योग का संचालन करने में हस्तक्षेप करने से एचईसी को रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा देने का निवेदन किया है। इस मामले की सुनवाई चल रही है।

एचईसी ने जीआरएसई की डीईपी यूनिट [मामला संख्या पी.पी.अधिनियम/आरईवी/2018-01 दिनांक 28.4.2018] द्वारा कब्जा की गई उक्त भूमि से 'अनधिकृत कब्जा' का आरोप लगाते हुए एचईसी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त संपदा अधिकारी के समक्ष सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कबजाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है।।

जीआरएसई ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [डब्ल्यूपी (सी) सं. 2018 के 3359] दायर की है 'घोषणा' की प्रार्थना करते हुए कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त कार्यवाही का रखरखाव नहीं किया गया है जिसमें जमीन के टाइटल, अधिकार, ब्याज और कब्जे से संबंधित कानून के जटिल और जटिल प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा रांची में सक्षम सिविल कोर्ट पहले से ही कार्रवाई के स्वयं के कारण पर मामले का न्याय कर रहा है। हाईकोर्ट ने 14.8.2018 को एचईसी को निर्देश दिया कि वह विपक्ष दायर करे और जीआरएसई को उक्त भूमि से बेदखल न करे। इस बीच, एचईसी के दृष्टिकोण पर सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, ब्याज रहित 5059.20 लाख रु.(पिछले वर्ष 4910.40 लाख रू.) की राशि ऋण के रूप में न मानते हुए आकस्मिक देयताएँ के रूप में दर्शाई गई है।

नोट 42

विक्रेताओं को विविध लेनदारों के खाते में 31 दिसंबर, 2019 तक के शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ विक्रेताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर जहां आवश्यक है, लेखा में समायोजन किया गया है।

नोट 43

क) कंपनी ने अपने देनदारों के संदर्भ में शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजें हैं। यद्यपि देनदारों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है अतः कंपनी की राय में, शेष राशि का मूल्य वसूली योग्य है जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, खातों में उल्लिखित राशि के बराबर है।

ख) चूंकि ग्राहक भारतीय नौसेना और तटरक्षक हैं अतः ग्राहकों से प्राप्त राशि मुख्यतः पोत प्रभाग के संदर्भ में प्राप्त राशि है। अन्य प्रभागों के संदर्भ में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम मुख्यतः सरकारी विभागों से प्राप्त है।

नोट 44

01.04.2019 से इंड एएस 116 के रूप में शुरुआत के साथ, उपयोग का अधिकार (आरओयू) 711.95 लाख रु. की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत 599.28 लाख रु. लीज देयता के साथ मान्यता प्राप्त है। तदनुसार 112.67 लाख रु. (31 मार्च, 19 को प्रीपेड खर्च में रु. 29.08 लाख, अग्रिम परिचालन लीज रेंटल 10.37 लाख शामिल किया गया) और 73.22 लाख रुपये का किराया आरओयू एसेट में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अन्य खर्चों के तहत किराया और परिवहन शुल्क, 127.92 लाख रुपये की लीज होल्ड भूमि के लिए भुगतान किए गए किराए और 27.02 लाख रुपये के वाहन को इसी पट्टे की देयता के साथ समायोजित किया गया है।

अन्य आय के तहत उचित मूल्यांकन पर लाभ में 47.82 लाख रुपये के लीज रेंट पर ब्याज नहीं देना और मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 161.16 लाख रुपये की आरओयू परिसंपत्तियों का परिशोधन शामिल है। पीबीटी पर शुद्ध प्रभाव 54.04 लाख रुपये है।

नोट 45

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
क)	लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर सप्लायर्स को भुगतान नहीं की गई मूलधन राशि	293.43	1,390.82
ख)	उस पर बकाया ब्याज की राशि जिसका लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर सप्लायर्स को भुगतान शेष है	6.95	23.42
ग)	धारा 16 के प्रावधान के अंतर्गत भुगतान की गई ब्याज की राशि सहित वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद सप्लायर्स को अदा की गई राशि	-	-
घ)	भुगतान में की गई देरी की अवधि हेतु बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान हो चुका है किन्तु वर्ष के दौरान नियुक्त दिन के बाद) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	88.03	73.11
ङ)	वर्ष/अवधि के दौरान प्रोद्भूत ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि	94.98	96.52
च)	जब तक की उपरोक्त ब्याज की बकाया राशि वास्ता में भुकतान नहीं की जाती हैं,तब तक देय ब्याज राशि बकाया आने वाले वर्षो में भी देय राशि	-	-

नोट 46:

17 अप्रैल, 2018 को 'नियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम' के कारण 250 टन का गोलियाथ क्रेन ढह एवं क्षतिग्रस्त हो गया। इससे आसपास के स्थानों में मौजूद सुविधाओं स्टॉक्स और मॉड्यूल हॉल सहित को भी नुकसान पहुंचा। यह सभी संपत्ति पर्याप्त बीमा पॉलिसीयों के तहत बीमाकृत है।

बीमा सर्वेयर ने अब 10,739.30 लाख रुपये की संपत्ति के बुक वैल्यू के एवज में 9,678.60 लाख रुपये का क्लेम स्वीकार करते हुए लॉस असेसमेंट की कॉपी सांझा की है। 1,060.70 लाख रुपये के बीमा दावे पर नुकसान "असाधारण वस्तुओं" के तहत खातों के विवरण में दर्ज किया गया है।

क्षतिग्रस्त मॉड्यूल हॉल का निर्माण भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित निधियों से किया गया था और यह परिसंपत्ति कंपनी बुक्स में दिखाई नहीं दे रही थी। कंपनी इस परिसंपत्ति की संरक्षक होने के नाते, इसके लिए बीमा कवरेज लिया था। सर्वेयर ने इस संपत्ति के क्षतिग्रस्त हेतु 1591.32 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया था। क्षतिग्रस्त माड मॉड्यूल हॉल की मरम्मत अभी शुरू नहीं हो सकी है।

नोट 47:

गत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के अनुरूप होने के लिए जहां भी जरूरी हो, फिर से समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित किया गया है। गत वर्ष के लिए राशियों और अन्य प्रकटीकरण को चालू वर्ष के वित्तीय विवरण के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है और उन्हें वर्तमान वर्ष से संबंधित राशियों और अन्य प्रकटीकरण के संबंध में पढ़ा जाना है।

नोट 48: वसूली या परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान का प्रकटीकरण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक
परिसंपत्ति				
(1) गैर - चालू परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	29,923.31	-	29,727.67
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	5,151.52	-	3,418.60	-
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	-	445.56	-	497.52
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	0.44	-	0.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	7,660.42	-	18,177.09
(ङ) गैर-चालू कर परिसंपत्तियां	-	12,060.02	-	9,171.48
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	1,792.43	615.63	811.19	44.96
(2) चालू परिसंपत्तियां				
(क) वस्तु सूचियाँ	44,102.22	-	34,956.91	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) चालू निवेश	5,400.43	-	183.01	-
(ii) व्यापार प्राप्य	53,528.00	-	21,985.99	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	72,922.75	-	927.43	-
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बेलेंस	1,88,207.93	-	1,98,012.61	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	20,732.75	-	43,704.64	-
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	95,818.44	-	57,330.46	-
(घ) बिक्री के रूप में परिसंपत्तियाँ वर्गीकृत हैं	52.82	-	43.09	-
देनदारियाँ				
(1) गैर - चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
व्यापार देयताएँ	-	1,075.05	-	762.79
(ख) प्रावधान	-	7,662.46	-	6,432.07
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	-	953.78	-	1,122.53
(2) चालू देनदारियाँ				
(क) वित्तीय देनदारियाँ				
(i) उधारी	-	-	-	-
(ii) व्यापार देयताएँ				-
(क) सूक्ष्म और लघू उद्धमों का कुल बकाया	293.43	-	1,390.82	-
(b) उपरोक्त (ii) (क) के अलावा अन्य कुल बकाया	54,384.37	-	35,618.17	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	2,426.41	-	2,152.46	-
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	3,52,337.17	-	2,53,602.54	-
(ग) प्रावधान	15,258.90	-	14,081.00	-

नोट 49: 06 जून, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनुमति दी गई थी।

हमारी उसी दिन की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते ए कयेस एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या - 311149ई

हस्ता./-
(सीए. एस.आर.बिसवास)
साझेदार
सदस्यता सं. 051512
आईसीएआई यूडीआईएन: 20051512AAAAAE1063

हस्ताक्षर स्थान: कोलकाता
दिनांक 6 जून 2020

कृते निदेशक मण्डल

हस्ता./-
रियर एडमिरल वी.के. सक्सेना, भा.नौ.(से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -07696782

हस्ता./-
एस.एस.डोगरा
निदेशक (वित्त) एवं मु.वि.अ.
डीआईएन-07052300

हस्ता./-
एस. महापात्र
कंपनी सचिव

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024
फोन: (033) -24698100-13, फैक्स: (033) -24698150
वेबसाइट: www.grse.in ईमेल: co.sec@grse.co.in
सीआईएन: L35111WB1934GOI007891

104वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों के संव्यवहार हेतु **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड** की 104 वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 11 सितंबर, 2020 को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसाय:

(1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने और उनको अंगीकार करने तथा निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 (अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर के लिए रु. 7.14 का कुल लाभांश) के लिए प्रति इक्विटी शेयर के भुगतान के लिए रु. 5.74 का अन्तरिम लाभांश अनुमोदित करना और प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 10 रु.) रु. 1.40 का अंतिम लाभांश घोषित करना।

(3) संजीव नैय्यर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 07973950), मुख्य प्रबंध निदेशक के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं, और पात्र पाए जाने की स्थिति में अपनी पुनः-नियुक्ति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी की आम बैठक में लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा या इसका निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जैसा कि कंपनी अपनी आम बैठक में उचित समझे. इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सदस्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं।

विशेष व्यवसाय:

(5) कमोडोर हरि पी आर, भा.नौ. (सेवानिवृत्त) को निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"**यह संकल्प लिया गया कि** रक्षा मंत्रालय (राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा 18 अक्तूबर 2019 को जारी भारत सरकार के पत्र संख्या 1/1(1) 2018/ डी(एनएस) के अनुसरण में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 152, 160, 196 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों और मानव संसाधन, बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार श्री कमोडोर हरि पी आर, आईएन (सेवानिवृत्त) (डीआईएन 08591411) को सदस्यों की सहमति पर कंपनी के निदेशक के रूप नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

(6) श्री रमेश कुमार दाश को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में यदि उचित हो तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना:

"**यह संकल्प लिया गया कि** रक्षा मंत्रालय (राष्ट्रपति की ओर से) द्वारा 30 अप्रैल 2020 को जारी भारत सरकार के पत्र संख्या 1/1(1) 2017/ डी(एनएस-II) के अनुसरण में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 152, 160, 196 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों और मानव संसाधन, बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार श्री रमेश कुमार दाश (डीआईएन 08511344) को सदस्यों की सहमति के अनुसार कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

(7) 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कोस्ट लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए और यदि उचित समझे, साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित किए जाएँ:

"**यह संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (किसी भी सांविधिक संशोधन (तत्संबंधी)

अथवा पुनाधिनियमन को शामिल करते हुए) के अनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त मेसर्स मऊ बनर्जी एंड कंपनी, पूर्वोक्त लेखा-परीक्षक को इस संबंध में किए गए खर्चों के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्स और लागू कर सहित रु. 69,000/- का भुगतान किए जाने की पुष्टि की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने और इस तरह के अन्य कार्यों को करने और इस संबंध में आवश्यक, उचित और समीचीन कदम उठाने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया और एतदद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है। "

बोर्ड के आदेशानुसार
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड डहस्ताक्षर/-

(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 13 अगस्त 2020
स्थान: कोलकाता

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार, नोटिस के साथ मद संख्या 5 से 8 के अंतर्गत कारोबार के संबंध में विभिन्न भौतिक तथ्यों के समाधान के लिए व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है। 13 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने यह माना कि मद संख्या 5 से 8 के तहत विशेष व्यवसाय को अपरिहार्य माना जा रहा है, जिसे कंपनी के 104 वें वार्षिक आम बैठक में संव्यवहार किया जाना चाहिए।

2. कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, देश में कई स्थानों पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध को जारी रखने और सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबन्धित नियमों के अनुपालन के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 मई, 2020 के अपने सामान्य परिपत्र सं 20/2020 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और 13 अप्रैल 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र संख्या – सेबी /एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है। एमसीए, सेबी के उपर्युक्त परिपत्रों तथा इस संबंध में अधिनियम के लागू प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग ओबलीगेशन एंड दिस्क्लोजर रिकवायरमेंट्स) विनियमन, 2015 के अनुसरण में, कंपनी की 104वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700 024 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 104वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया जाएगा।

3. एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को फिलहाल बंद कर दिया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है. तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है और इसलिए रूट मैप सहित प्रॉक्सी फॉर्म और अटेंडेंस स्लिप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, संस्थागत / कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रमाणित कंपनी को **Invest.grievance@grse.co.in** पर भेजकर अपने प्रतिनिधियों को एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करें।

4. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सहभागिता और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में सहभागिता करने की प्रक्रिया को इस नोटिस में विस्तार से समझाया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.grse.co.in पर भी उपलब्ध है।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के संदर्भ में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई")") द्वारा जारी सामान्य बैठकें (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमन के नियम 44 के अनुसार, एजीएम में होने वाले संव्यवहार तथा तथा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट देने के लिए कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

6. कंपनी ने मैसर्स ए के लेभ एंड कं, कंपनी के सेक्रेटरी श्री ए के लेभ को स्क्रूटिनीज़र के रूप में कार्य करने और पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ़सीएस: 4848 / सीपी सं .: 3238) के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता-मूल्य पर **शुक्रवार, 04 सितंबर, 2020 ("कट-ऑफ डेट")** को वोटिंग अधिकार निर्धारित किए जाएंगे। केवल वे सदस्य जिनका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी (एनएसडीएल / सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होगा वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे। कट-ऑफ तारीख

के अनुसार जो व्यक्ति एजीएम के सदस्य नहीं है, वे तदनुसार कृपया इस नोटिस को सूचना प्रयोजनों के रूप में देखें।

8. सदस्य किसी भी स्थान (दूरस्थ ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, **08 सितंबर, 2020** को **सुबह 9** बजे से शुरू होगी और **गुरुवार, 10 सितंबर, 2020** को **शाम 5.00** बजे समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठक में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से **https://www.evoting.nsdl.com/** पर दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करें।

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को **"दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश"** पर क्लिक करके पढ़ें।

10. लाभांश, अगर एजीएम में घोषित किया जाता है, तो घोषणा के 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम **04 सितंबर, 2020** के अंत में सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के पास अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी भी पैसे का दावा करें क्योंकि कंपनी खाते में पड़े ऐसे पैसे जिनका दावा अथवा भुगतान हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक नहीं किया गया है, ऐसे पैसे को कंपनी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष खाते में जमा करने के लिए बाध्य है। अदत्त/ दावारहित लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर उपलब्ध है।

12. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम का यह नोटिस सभी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनका नाम 14 अगस्त, 2020 को डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/ सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभ अर्जित करने वाले मालिकों के रजिस्टर में है।

13. इस एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को कंपनी की वेबसाइट www.grse.in और एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किया जा रहा है। नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को क्रमशः दोनो स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है।

14. अपेक्षित संख्या में वोटों की प्राप्ति के अधीन, एजीएम के समापन से 48 घंटे के भीतर ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को एजीएम की तारीख को पारित किया जाएगा। संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.grse.in पर 'इनवेस्टर्स कॉर्नर' के अंतर्गत रखा जाएगा। मतदान के परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध और जमा किए गई हैं, और इसकी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

15. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति (कोरम) की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

16. सेबी सूचीकरण विनियमन, यथासंशोधित के नियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप में केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें।

17. उपर्युक्त नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, इस संबंध में कृपया अपना अनुरोध investor.grievance@grse.co.in पर भेजें।

18. एजीएम के दौरान, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पोर्टल पर जाकर एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग-इन करके अधिनियम की धारा **170** के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता देख सकते हैं, इसके साथ ही वे अधिनियम की धारा **189** और अन्य संबंधित दस्तावेजों के अनुसार निदेशकों की रुचि के अनुरूप उनके करार रजिस्टरों और इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं को भी देख सकते हैं।

19. एजीएम में नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और सेबी सूचीकरण विनियमों के नियम 36(3) में अपेक्षित विवरण इस नोटिस के साथ अनुबंध के रूप में दिए गए हैं। नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से आवश्यक घोषणाएँ प्राप्त की गई हैं।

20. किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश से संबंधित स्पष्टीकरण के साथ-साथ सभी तरह के पत्राचार केवल investor.grievance@grse.co.in /rta@alankit.com पर भेजें।

लाभांश संबंधी सूचना

1. लाभांश, यदि इसकी घोषणा एजीएम में की जाती है, का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर केवल उन्हीं सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड की गई तिथि के अनुसार लाभकारी मालिकों/ सदस्यों की सूची में शामिल हैं।

2. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। डिवेडेंट वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएँगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

3. डिमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि सदस्यों के डीमैट खाते रखने वाले संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसीपेंट्स के साथ पंजीकृत उनके बैंक विवरण में कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। कंपनी अथवा उसके रजिस्ट्रार डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किए जाने हैं, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को तुरंत अपने पते और/ या बैंक अध्यादेश में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत दें।

4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में परिवर्तन और/ अथवा बैंक अध्यादेश में हुए परिवर्तन की सूचना मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को rta@alankit.com पर ईमेल से दें अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को investor.grievance@grse.co.in पर संपर्क करें।

5. वित्त अधिनियम, 2020 में किए गए संशोधनों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा शेयरधारकों को किए जाने वाला लाभांश का भुगतान कर युक्त होगा। इसलिए कंपनी को 1 अप्रैल 2020 से अपने शेयरधारकों को दिए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर स्रोत पर (टीडीएस) कर की कटौती करनी होगी। यदि किसी व्यक्तिगत शेयरधारकों को किया गया कुल लाभांश रु. 5000 से अधिक न हो तो लाभांश के भुगतान पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। कंपनी के साथ पंजीकृत दस्तावेजों और शेयरधारक की आवासीय स्थिति के आधार पर कर की दर अलग-अलग होगी।

ए रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स

(क) निवासी शेयरधारकों के लिए स्रोत पर कर की कटौती

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट किया गया	7.5%	कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है)
2	कोई पैन/ वैध पैन कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अपडेट नहीं किया गया	20%	कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (यदि कोई छूट नहीं मांगी गई है)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अनुसार निम्न/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में दर विनिर्दिष्ट	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कर कटौती प्रमाणपत्र

(ख) यदि शेयरधारक कॉलम सं 4 में उल्लिखित दस्तावेजों को पंजीकृत करवाते हैं और कंपनी/ आरटीए को प्रस्तुत करते हैं, तो शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान पर स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
1	फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत करना	शून्य	कुछ शर्तों को पूरा करते हुए फॉर्म नंबर 15 जी में घोषणा (किसी कंपनी या किसी फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू) / फॉर्म 15 एच (60 वर्ष और उससे अधिक के किसी व्यक्ति के लिए लागू)
2	वैसे शेयरधारक, जिनपर आयकर, 1961 की धारा 194 लागू नहीं है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, आदि।	शून्य	उक्त प्रावधान लागू न होने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य

क्र सं	विवरण	विधारित कर दर	अपेक्षित दस्तावेज़ (यदि कोई हो)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1926 के तहत शामिल शेयरधारक जैसे सरकार, आरबीआई, केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम और म्यूचुअल फंड	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 के अंतर्गत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
4	वैकल्पिक निवेश निधि – श्रेणी-I और II	शून्य	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ए (1 एफ) के तहत लाभ का दावा करने के लिए सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5	• मान्यता प्राप्त भविष्य निधि • अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि • अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि	शून्य	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य
6	राष्ट्रीय पेंशन योजना	शून्य	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए (1ई) के अनुसार कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

बी नॉन रेसिडेंट शेयरहोल्डर्स :

नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों को लाभांश भुगतान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि नॉन रेसिडेंट शेयरधारक कंपनी/आरटीए के साथ नीचे दी गई तालिका के कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और पंजीकृत करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	विधारित कर दर	आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो)
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) /विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई)	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर)	एफपीआई पंजीकरण संख्या / प्रमाण पत्र।
2	अन्य नॉन रेसिडेंट शेयरधारकों	20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) या कर संधि दर जो भी लाभदायक हो	कर दस्तावेजों के बाद कर संधि के लाभकारी दर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होगा: i) लाभांश प्राप्त करने वाले वर्ष के लिए शेयरधारक के निवास देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कर निवास प्रमाण पत्र ii) पैन iii) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 10एफ़ iv) निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा : (क) सदस्य वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेसिडेंश देश का कर रेसिडेंट बना रहेगा; (ख) कंपनी द्वारा घोषित लाभांश पर विधारित कर दर के प्रयोजनों के लिए सदस्य लाभकारी डीटीएए दर का दावा करने के लिए पात्र है; (ग) सदस्य के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि डीटीएए के लाभों के लिए उसका दावा किसी भी तरह से बिगड़ा हुआ है; (घ) सदस्य कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग्स और कंपनी से प्राप्य लाभांश का अंतिम लाभकारी मालिक है ; तथा (ङ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्य का भारत में कर योग्य उपस्थिति या स्थायी स्थापना नहीं है। (नोट: लाभकारी कर संधि दर का आवेदन नॉन रेसिडेंट शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करेगा और कंपनी की संतुष्टि की समीक्षा करेगा)
3	एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा	शून्य	आयकर प्राधिकरण से न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र धारा 195 (3) के अंतर्गत स्व-घोषणा की पुष्टि करता है कि आय अपने खाते पर प्राप्त की जाती है, विदेशी बैंक की ओर से नहीं
4	आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के अंतर्गत जारी किए गए न्यून/ शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र की उपलब्धता	प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दर	आयकर प्राधिकरण से प्राप्त न्यून कर कटौती प्रमाणपत्र

6. लागू उचित टीडीएस/ कर योग्य दर निर्धारित करने हेतु हमें सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज 04 सितंबर 2020 तक या उससे पहले उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करते है। 04 सितंबर 2020 के बाद प्राप्त पूर्वोक्त विवरण / दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। यह आगे उल्लेख किया जा सकता है कि टीडीएस दर का आवेदन कंपनी के शेयरहोल्डर विवरण द्वारा आवश्यक सत्यापन के अधीन है जैसा कि रिकॉर्ड तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी/आरटीए के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेज में है।

7. यदि ऊपर उल्लिखित विवरण/दस्तावेजों, के अभाव में आपसे, उच्च दर पर टीडीएस काट लिया जाता है तो शेयरधारक के लिए एक विकल्प यह भी उपलब्ध है की आय का रिटर्न फाइल करें और यदि पात्र है तो रिटर्न का उचित दावा करें।

8. कंपनी उक्त लाभांश के टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था अपने शेयरधारकों को कंपनी/ आरटीए पोस्ट भुगतान के साथ पंजीकृत ईमेल के माध्यम से करेगी। शेयरधारक आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in (फॉर्म 26एएस देखें) से टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

9. सदस्य के द्वारा दी गई किसी भी गलत विवरण, जानकारी की अयोग्यता, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर माँग (ब्याज, जुर्माने आदि) की स्थिति में, ऐसे सदस्य / सदस्यों कंपनी की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी सूचनाओं / दस्तावेजों और किसी भी अपीलीय कार्यवाही में कंपनी का सहयोग करेंगे।

10. यह संचार संपूर्ण नहीं है और लाभांश भुगतान के मामले में संपूर्ण विश्लेषण या सभी संभावित कर परिणामों की सूची के लिए नहीं है। शेयरधारकों को अपने कर सलाहकारों से अपेक्षित कार्रवाई के लिए सलाह लेनी चाहिए।

वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच हेतु और वार्षिक रिपोर्ट के प्रति की प्राप्ति के लिए ईमेल आईडी की पंजीकरण की प्रक्रिया एवं यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोक्योरमेंट

1. दिनांक 5 मई, 2020 को एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं 20/2020 और दिनांक 12 मई, 2020 को सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं/ओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79 के अनुसार, वित्तीय विवरणों की भौतिक प्रतियों को भेजने में शामिल कठिनाइयों के कारण (निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट या इसके साथ आवश्यक संलग्न अन्य दस्तावेज), एजीएम के नोटिस सहित ऐसे विवरण सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे जा रहे हैं जिनके ई-मेल पता जमाकर्ता के साथ पंजीकृत है।

2. भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते को कंपनी में **investor.grievance@grse.co.in** पर लिखकर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि के साथ फोलियो नंबर, एन एम और शेयरधारक का पता , शेयर सर्टिफिकेट (फ्रंट और बेक) की स्कैन की हुई कॉपी , पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और कोई भी डॉक्यूमेंट (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र) सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में पासपोर्ट) उल्लेख करते हुए अद्यतन करें। डीमैटरीकृत मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन और किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (उदाहरण के लिए: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) **investor.grievance@grse.co.in** को प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। ई-मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी तरह की प्रश्न/कठिनाई के मामले में, सदस्य **investor.grievance@grse.co.in** पर लिख सकते हैं।

3. वैकल्पिक रूप से, सदस्य उपर्युक्त विवरणों को उपलब्ध करवा के उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों/ सदस्य लॉगिन के तहत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/ सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा , सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम में प्रवेश के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होल्डिंग वाले

शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, संवीक्षक, आदि शामिल नहीं होंगे। इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इंटरनेट की अच्छी गति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

5. जैसा कि एजीएम की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का संचालन किया जा रहा है, वैसे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं, अपने नाम डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर 07 सितंबर, 2020, सोमवार को 9 बजे और 09 सितम्बर 2020, बुधवार को 5.00 बजे के दौरान अनुरोध भेज सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों कों प्रोत्साहित किया जाता है वे अग्रिम में अपने विचार/प्रश्न अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor.grievance@grse.co.in पर भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा 09 सितम्बर 2020, बुधवार 5.00 बजे तक प्राप्त प्रश्नों/सवाल का एजीएम के दौरान विचार किया जाएगा और प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी। जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त प्रश्नों और बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखती है। समय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वक्ता से अनुरोध है कि वह अपने आवंटित समय के 2-3 मिनट में अपने/अपनी विचार व्यक्त करें।

रिमोट ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश

सेबी लिस्टिंग लिस्टिंग विनियम और धारा 108 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के विनियमन 44 के अनुपालन में , संबंधित नियमों के साथ पठित, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्रसन्न है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाया जा सके। कंपनी ने अपने सभी शेयरहोल्डर्स को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने का तरीका "दो चरण" शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग-इन करें

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग-इन करें

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल https: // www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले।

2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, '' शेयरहोल्डर्स '' सेक्शन के तहत उपलब्ध आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें।

3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी । आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से चरण 2 यानी अपने वोट को आगे बढ़ा सकते हैं।

4. आपके उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल बनाए रखने के तरीके	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300 *** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी आईएन300 *** 12 ****** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 ********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12 ********** है
ग) फिजिकल फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ईवीईएन संख्या और उसके बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001 *** और ईवीईएन 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001 *** है

5. आपके पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड 'प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ई-मेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको भेजा जाता है। एनएसडीएल से आपके भेजे गए ई-मेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानी पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें । एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए सीएसडीएल खाते या फ़ोलियो नंबर के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में ऊपर वर्णित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) "उपयोगकर्ता का विवरण / पासवर्ड भूलगए " (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) पर क्लिक करें,विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी दो विकल्पों में से पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं ।

घ) आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर सहमति दें ।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीएन" देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में है।
3. उस कंपनी का "ईवीईएन" चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं।
4. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल चुका है।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट करें" और "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
6. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
7. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है, जिसमें विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (कर्ताओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर हैं जो evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@grse.co.in पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटाइजर को वोट करने के लिए अधिकृत हैं।
2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वोट देने का हकदार होगा।
3. ऐसे व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करते हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट ऑफ तिथि अर्थात 4 सितंबर 2020 तक शेयरों को होल्ड करते हैं , evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
4. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। इस तरह की घटना में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता जानकारी भूलगए/ पासवर्ड?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड करें?" से विकल्प का उपयोग करना होगा।
5. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें या श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक या सुश्री पल्लवी म्हात्रे प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4 मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर: evoting@nsdl.co.in या AmitV@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर : + 91-22-24994360 पर या + 91-22-24994545 से संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी के सचिव को कंपनी के ईमेल पते evoting@grse.co.in पर भी लिख सकते हैं।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले है और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. जिन सदस्यों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ एजीएम से पहले या दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, वे " नीचे ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश" अनुभाग के तहत उपरोक्त व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं।

कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) का खंडन

आइटम नंबर (5)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

सरकार ने अपने पत्र सं 1/1 (1) 2018/ डी (एन एस) दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख या अगले आदेश तक,जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्ति किया गया। कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त) ने 21 अक्टूबर 2019 को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 (1) और कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के लेख 195 और 196 के अनुसार, कंपनी ने उन्हें अगले वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय के पदभार संभालने के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया । इसके बाद, अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई थी।

कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त), की जीवनी, योग्यता, विशेषज्ञता, पारिश्रमिक, आदि का संक्षिप्त विवरण, इसके साथ संलग्न है। तदनुसार बोर्ड सूचना की मंद सं.(5) में निर्धारित साधारण संकल्प के रूप में संकल्प को पारित करने की संस्तुति प्रदान करता हैं।

कमोडोर हरि पी आर को छोड़कर कंपनी के निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके कोई रिश्तेदार में से कोई भी इस सूचना की मंद सं.(5) में निर्धारित संकल्पों में, किसी भी तरह से, संबंधित या रूचि नहीं रखते हैं।

आइटम नंबर (6)

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

सरकार ने अपने पत्र सं 1/1 (1) 2017/ डी (एनएस-II) दिनांक 30 अप्रैल 2020 को श्री रमेश कुमार दास को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 31 मई 2025 तक के लिए कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति किया हैं। श्री रमेश कुमार दास ने 01 जुलाई 2020 को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 (1) और कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के लेख 195 और 196 के अनुसार, कंपनी ने उन्हें अगले वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय के पदभार संभालने के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया । इसके बाद, अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के एचआर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई थी।

श्री रमेश कुमार दास की जीवनी, योग्यता, विशेषज्ञता, पारिश्रमिक, आदि का संक्षिप्त विवरण, इसके साथ संलग्न है। तदनुसार बोर्ड सूचना की मंद सं.(6) में निर्धारित साधारण संकल्प के रूप में संकल्प को पारित करने की संस्तुति प्रदान करता हैं।

श्री आर के दाश को छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस सूचना के मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्पों में, किसी भी तरह से, संबंधित या रूचि नहीं रखते हैं।

आइटम नंबर (7)

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स माउ बनर्जी एंड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक के रूप 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जेब खर्च के अलावा रू 69,000/- से अधिक करों सहित कंपनी के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए मंद सं. (7) पर एक साधारण संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी गई हैं।

सूचना की मंद सं. (7) में निर्धारित संकल्प के अनुसार आर्थिक रूप से या अन्यथा, कोई भी निदेशक, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, संबंधित या इच्छुक नहीं है।

शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सूचना की मंद सं. (7) में बोर्ड द्वारा सामान्य संकल्प की सिफारिश की गई है।

बोर्ड के आदेश से
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

हस्ता / -
(संदीप महापात्र)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 13 अगस्त, 2020
स्थान: कोलकाता

अनुलग्नक

104 वें एजीएम में रोटेशन/ सीकिंग अपॉइंटमेंट/ री-अपॉइंटमेंट द्वारा रिटायर होने वाले निदेशकों का विवरण

निदेशकों का नाम	कमोडोर संजीव नैय्यर, भानौ (सेवानिवृत्त)	कमोडोर हरि पी आर, भानौ (सेवानिवृत्त)	रमेश कुमार दास
जन्म की तारीख	10 दिसंबर 1961	31 मई 1967	02 मई 1965
नियुक्ति की तिथि	16 दिसंबर 2017	21 अक्टूबर 2019	01 जुलाई 2020
योग्यता	• जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साइंस और तकनी की में स्नातक की डिग्री • आईआईटी, दिल्ली से मैकेनिकल उपकरणों के डिजाइन में प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री • उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री	• जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री • मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और स्ट्रेजिक अध्ययन में मास्टर ऑफ साइंस	• एम.कॉम • एसीएमए • एलएलबी
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	उनके पास 37 साल से अधिक वर्षों का अनुभव है और आपकी कंपनी के शिपबिल्डिंग डिवीजन के प्रमुख हैं। जीआरएसई में आने से पहले वह भारतीय नौसेना में पैंतीस (35) वर्षों से अधिक कमीशन सेवा किए हैं। उन्हें शिप डिजाइन, शिप मरम्मत , मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और पोत निर्माण का समृद्ध अनुभव है।	उनके पास 31 से अधिक वर्षों का अनुभव है और भारतीय नौसेना में कमीशन सेवा का 28 वर्षों का अनुभव है, जिसमें पोत पर युद्धपोतों, नौसेना मरम्मत संगठनों और विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति के विभिन्न अनुभव हैं।	उनके पास वित्त, लेखा, मूल्य निर्धारण, बजट, कराधान और लेखा परीक्षा कार्यों में 28 वर्षों का व्यापक अनुभव है।
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ संबंध	किसी भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं	किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं	किसी भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	शून्य	शून्य	शून्य
31 मार्च 2020 तक अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य
31 मार्च 2020 तक कंपनी में शेयरहोल्डिंग	शून्य	शून्य	शून्य

अन्य विवरणों के लिए जैसे कि वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया, उपरोक्त निदेशकों के संबंध में पारिश्रमिक , कृपया निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

आगंतुक गण्यमान्य व्यक्तियों के कथन

आईजी राजन बड़गोत्रा , पीटीएम, टीएम, कॉमसीजी (एनई), 11 अप्रैल 19 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

मैं 05 एफपीवी परियोजना के प्रथम एफपीवी की समय पर डिलीवरी और स्टेट ऑफ द आर्ट पोत के निर्माण के लिए मैसर्स जीआरएसई को बधाई देता हूं। शिपयार्ड का दौरा काफी अद्भुत रहा तथा शिपयार्ड के चारों ओर आधुनिकीकरण अभियान को देखना उत्साहवर्धक था। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उनकी टीम को मैसर्स जीआरएसई की सफलता और विकास के लिए मेरी शुभकामनाएं।

डॉ. अजय कुमार, भा.प्र.से.
सचिव (रक्षा उत्पादन), 10 अगस्त 19 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

भारतीय तटरक्षक बल के लिए जीआरएसई द्वारा डिजाइन और विकसित 5वें एफपीवी के जलावतरण का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। टीम जीआरएसई और तटरक्षक अधिकारियों को बधाई जिन्होंने इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। साथ ही जीआरईएसई की भविष्य की योजनाओं और राजाबगान में 2सरें शिपवे का शुभारंभ देख कर प्रसन्न हूँ। जीआरएसई के तीव्र विकास और उसके सपनों की उड़ान हेतु मेरी शुभेच्छाएँ। इन विकास योजनाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रियर एडमिरल सक्सेना को बधाई। शुभकामनाएँ।

वाइस एडमिरल श्रीकांत, एवीएसएम
कमांडेंट एनडीसी, 23 अप्रैल 19 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

मोटिवेशन हॉल की आकर्षक यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार्ड के विकास को अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है तथा सुव्यवस्थित रखा गया है। यार्ड मजबूती से आगे बढ़े ऐसी मेरी कामना है। गुड लक।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एल,
यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम,
जीओसी-इन-सी, पूर्वी कमान मुख्यालय, 20 जनवरी 2020 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

स्वदेशी पोत निर्माण उन सभी राष्ट्रों के लिए परम आवश्यक है जिनकी आकांक्षा स्वयं की गणना करवाने में हो। जीआरएसई इसे संभव कर रहा है। उनको मेरी बधाई। साथ ही उनके भविष्य के सभी प्रयासों में उनके अच्छे होने की कामना करता हूँ।

एडमिरल सुनील लांबा, पीवीएसएम,
एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, नौसेना प्रमुख,
14 मई 19 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

शिपयार्ड का परिभ्रमण करना खुशी की बात थी। कार्य की गति और उत्पादकता में वृद्धि आई है साथ ही यार्ड का रखरखाव भी सुव्यवस्थित है। शेड्यूल पर पोत डिलीवर करने के लिए काम करना जारी रखें। यार्ड को ढेर सारी शुभकामनाएं।

वाइस एडमिरल श्रीकांत, एवीएसएम
कमांडेंट एनडीसी, 23 अप्रैल 19 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

जीआरएसई की यात्रा करना हमेशा खुशी की बात होती है। यार्ड के आधुनिकीकरण के प्रयासों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाए जा रहे पोतों की गुणवत्ता को देखकर बहुत खुशी हुई। यार्ड 3020 (कवरत्ती) का दौरा बेहद उत्साहवर्धक रहा। हम जल्द से जल्द पोत की नौसेना को डिलीवरी और कवरत्ती को बेड़े में शामिल होने के लिए आकांक्षित हैं। जीआरएसई ने आत्म-निर्भर और मेक इन इंडिया पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और टीम जीआरएसई को शुभकामनाएं।

वाइस एडमिरल ए के जैन, एवीएसएम, वीएसएम
फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पूर्वी नौसेना कमान,
11 जनवरी 2020 को अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

जानकारीपूर्ण यात्रा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जीआरएसई द्वारा किए गए कार्यक्रम और गुणवत्ता एवं पूर्ण रूप से मुकाबला करने के लिए तैयार पोत हेतु किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को देखकर खुशी हुई। कवरत्ती पर की गई प्रगति सराहनीय है। हम शून्य D448 देयता और पूर्ण चतुर्थ भाग के परीक्षण के साथ डिलीवर मुकाबले के लिए तैयार मॉडल कवरत्ती हेतु तत्पर हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनकी पूरी टीम को उनके सभी प्रयासों में सफलता तथा गुणवत्ता वाले पोत निर्माण में बड़ी सफलता हासिल करने हेतु शुभकामनाएं।

वाइस एडमिरल जी. अशोक कुमार, एवीएसएम, वीएसएम
नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ, 24 जनवरी, 2020 को
अपने जीआरएसई परिभ्रमण के दौरान

द्वितीय पी-17ए, यार्ड 3023 के शिलान्यास के लिए जीआरएसई का परिभ्रमण करना वास्तव में शिक्षाप्रद रहा। प्रतिबद्धता और क्षमता को देख कर काफी प्रभावित हुआ। वर्तमान के साथ साथ विविध क्षेत्रों में किए गए नए पहल जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, वी.आर. लैब, नवीनीकरण, सी आई एस एफ सुरक्षा, बेहतर ठेकेदार प्रबंधन, सुविधाओं का एकीकृत निर्माण आदि समय के साथ जर्जर हो रही सुविधाओं का पुनरुद्धार करना अत्यधिक प्रभावशाली है। अच्छा काम जारी रखें। नौसेना समय पर आधुनिक एवं गुणवत्ता वाले युद्धपोत के लिए जीआरएसई पर निर्भर रहना जारी रखेगी। शुभकामनाएँ।II 0जीआरएसई को बधाई देता हूं। खुलासा

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LIMITED

CIN L35111WB1934GOI007891
पंजीकृत कार्यालय: 43/46, गार्डन रीच रोड, कोलकाता - 700 024
Registered Office: 43/46, Garden Reach Road, Kolkata 700 024
Tel: 033-2469 8100 to 8114
Fax: 033-2469 8150
E-mail: co.sec@grse.co.in

Advisory, Content & Visualization www.corpcommstudio.in